विषय सूची

अध्याय 1 11
परिचय एवं व्यापार सरलीकरण 11
1.01 प्रक्रिया की अधिसूचना 11
1.02 उद्देश्य 11
1.03 परिभाषा 11
1.04 विदेश व्यापार का ई-शासन 11
1.05 प्रक्रिया 12
1.06 डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग 12
1.07 ईडीआई और गैर- ईडीआई पत्तनों से निर्यात के लिए अलग आवेदन 12
1.08 गैर-ईडीआई पत्तनों से निर्यात के लिए आवेदन 12
1.09 ईडीआई पत्तनों से निर्यात हेतु आवेदन 13
1.10 ईडीआई पोतलदानों के लिए किसी मैनुअल फीडिंग की आवश्यकता नहीं 13
1.11 दस्तावेजों की हार्ड कापी को समाप्त करना 13
1.12 क्षेत्रीय प्राधिकरण में गैर-ईडीआई पोतलदान बिलों को प्रक्रियाबद्ध करना 13
1.13 आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश 13
1.14 तीसरी पार्टी निर्यातों के संबंध में लाभों का दावा करने हेतु ईडीआई प्रणाली 14
1.15 ई–बीआरसी में मुद्रा का परिवर्तन
1.16 दावों को प्रक्रियाबद्ध करने के लिए दिशा- निर्देश जहाँ निर्यातक
निर्यात आय प्राप्ति के बदले को बीमा एजेंसियों के माध्यम से
निर्यात लाभ का भुगतान प्राप्त करता है 14
1.17 ईडीआई हेल्प डेस्क और ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण तथा मानीटरिंग प्रणाली 14
1.18 ई-मेल 15
1.19 ई-व्यापार परियोजना 15
अध्याय 2 16
निर्यात और आयात से संबंधित सामान्य प्रावधान 16
2.00 नीति 16
2.01 कवरेज 16
2.02 आयात/निर्यात के देश 16
आवेदनः 16
2.03 आवेदन प्रस्तुत करना 16
2.04 क्षेत्रीय प्राधिकारियों (आरए)का क्षेत्रीय-क्षेत्राधिकार 16
2.05 अपूर्ण आवेदन पत्र 17
2.06 आवेदन-शुल्क 17
आयातक निर्यातक कोड (आईईसी): 17
2.07 आयातक-निर्यातक कोड संख्या छूट प्राप्त श्रेणियाँ 17
2.08 आयातक-निर्यातक कोड के लिए आवेदन पत्र 19
2.09 आयातक-निर्यातक कोड फार्मेट..... 19
2.10 आयातक-निर्यातक कोड की वैधता..... 19
2.11 ईओयू/एसईजेड के लिए आईईसी की वैधता 19
2.12 एक पैन-एक आईईसी 20
2.13 आयातक-निर्यातक कोड को लौटाना 20
2.14 आयातक-निर्यातक कोड में संशोधन 20

2.14(क) आईईसी में शाखा कार्यालय/मुख्यालय/पंजीकृत कार्यालय के पता में संशोधन/परिवर्तन जिसमें क्षेत्राधिकारी आर ए में परिवर्तन शामिल है।.....20
2.15 आयातक/निर्यातक की प्रोफाइल 21
प्राधिकार पत्र जारी करनाः 21
2.16 प्राधिकार पत्र/लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति/सीसीपी की वैधता अवधि.....21
2.17 आयात/निर्यात की वैधता की तारीख 22
2.18 आयात/निर्यात के लिए प्राधिकार पत्र/लाइसेंस की वैधता 22
2.19 स्क्रिप की वैधता 22
2.20 गैर-स्कोमेट और स्कोमेट मदों के लिए आयात/निर्यात लाइसेंस प्रमाण पत्र/ प्राधिकार पत्र/अनुमति का पुनः वैधीकरण 22
2.21 पुनः वैधीकरण का प्राधिकारी .....-.....23
2.22 पुनः वैधीकरण के लिए आवेदन 23
डुप्लीकेट प्रतियां जारी करने की प्रक्रियाः 23
2.23 निर्यात/आयात प्राधिकार पत्र की डुप्लीकेट प्रतियाँ 24
2.24 मुक्त रूप से हस्तांतरणीय डुप्लीकेट प्रति के लिए आवश्यक दस्तावेज 24
2.25 अपवाद 24
2.26 डुप्लीकेट जारी करने के लिए प्रणाली 24
2.27 डुप्लीकेट प्राधिकार पत्र की वैधता 24
2.28 प्रावधान की अनुप्रयोज्यता 24
बैंक गारंटी/एलयूटीः 24
2.29 अग्रिम प्राधिकार पत्र/ई पी सी जी प्राधिकार पत्र के लिए बैंक गारंटी/ विधिक वचनबद्धता का निष्पादन 25
2.30 कारपोरेट गारंटी 25
2.31 अग्रिम भुगतान 25
2.32 पट्टा वित्तपोषण वित्तीयन के तहत आयात 25
दस्तावेजों के खो जाने के मामले मेंः 25
2.33 पोतलदान बिलों की ई पी प्रति खो जाने पर स्क्रिप जारी करना 26
2.34 पोतलदान बिल की गुम हुई प्रति के तहत दावा 26
2.35 दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करना 26
गोदाम की सुविधाः 26
2.36 गोदामों की सुविधा 26
प्रमाण पत्रः 27
2.37 मुक्त बिक्री और वाणिज्य प्रमाणपत्र 27
2.38 वास्तविक प्रयोक्ता प्रमाण पत्र 27
2.39 भारत-अमेरिका समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत आयात 27
आयातः 28
2.40 उपभोक्ता अथवा अन्य माल का उपहार के रूप में आयात 29
2.41 चैक बुक/टिकट फार्म आदि का आयात 29
2.42 वायुयान के रीकंडीशन्ड/ पुराने कल पुर्जों का आयात 29
2.43 प्रतिस्थापन माल का आयात 29
2.44 प्रतिस्थापन माल के आयात की अन्य शर्तें 30
2.45 विदेशी कार्यालय के उपकरणों का आयात 30
2.46 लाइसेंसधारी/प्राधिकृत हथियार व्यापारियों द्वारा हथियारों का आयात 30
2.47 विशिष्ट क्षेत्र के लिए शुल्क मुक्त आयातः 31
2.48 एक सरकार से दूसरी सरकार के समझौतों के अन्तर्गत आयात 31

2.49 आयातित माल का हस्तांतरण 31
प्रबंधित मदों का आयातः 32
2.50 प्रतिबंधित मदों का आयात 32
2.51 निर्यात आयात सुविधा समिति 33
2.52 होटलों, रेस्तराओं, ट्रेवल एजेन्टों, टूर- आपरेटरों और अन्य विनिर्दिष्ट श्रेणियों द्वारा अपेक्षित प्रतिबंधित मदों का आयात 33
2.53 सरकार की यूनिटों द्वारा अनुसंधान एवं विकास के लिए प्रतिबंधित मदों का आयात...34
2.54 धात्विक छीजन और स्क्रैप का आयात 34
2.55 पोत-लदान पूर्व जॉच एजेन्सी(पीएसआईए) के रूप में मान्यता तथा पोत-लदान पूर्व प्रमाणपत्र (पीएसआईसी) जारी करना 37
2.56 पीएसआईए और आयातक की जिम्मेदारी और देयता 37
2.57 अन्य प्रकार के धात्विक छीजन और स्क्रैप का आयात 38
2.58 पुराने और दोषपूर्ण माल का आयात 38
2.59 निरीक्षण एवं प्रमाणन अभिकरणों की सेवाएँ 38
प्रशुल्क दर कोटा स्कीमः 38
2.60 प्रशुल्क दर कोटा स्कीम के अन्तर्गत आयात की प्रक्रिया 39
2.61 कोटे के आवंटन के लिए पात्र कंपनियाँ 40
2.62 कोटा प्राप्त करने हेतु लागू शर्तें 40
प्रदर्शनियां एवं नमूने.....41
2.63 राष्ट्रीय और अन्तर-राष्ट्रीय प्रदर्शनियों या मेलों और प्रदर्शनियो के लिए अपेक्षित प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुएँ 41
2.64 प्रदर्शित की जाने वाली मदों की बिक्री 41
2.65 नमूनों का आयात 41
2.66 नमूनों/ प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुओं का निर्यात 42
निर्यातः.....42
2.67 निर्यात नीति 42
2.68 उपहार/पुर्जे/प्रतिस्थापन माल 42
2.69 एमएसएमआई क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों का निर्यात.....42
2.70 डाक द्वारा निर्यात 42
2.71 निर्यात दस्तावेज़ों का सीधे लेन-देन 43
2.72 स्कोमेट/गैर स्कोमैंट मदों हेतु निर्यात प्राधिकार पत्र/प्रमाणपत्र/ अनुमति पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन-पत्र 43
2.73 स्कोमेट प्राधिकार-पत्र हेतु आवेदन 43
2.74 अंतर्मंत्रालीय कार्य दलः 44
2.75 व्यापक विध्वंस हथियार अधिनियम (डब्ल्यूएमडी एक्ट) की अनुप्रयोज्यताः 46
2.76 डीटीए से एसईजेड में स्कोमैट मदों की आपूर्ति 47
2.77 स्कोमैट नियंत्रण प्रणाली के संबंध में आउटरीच कार्यक्रम 47
2.78 साईट का दौरा, साइट पर जाँच और रिकार्ड/दस्तावेजों को देखने हेतु कोई व्यवस्था अथवा समझौता करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने/मूल्यांकन करने के लिए प्रक्रिया/दिशा निर्देश 47
2.79 पुनः आदेश जारी करने हेतु प्राधिकार-पत्र का निर्गम 49
2.79क स्कोमेट मदों के "भंडार और बिक्री" के लिए निर्यात प्राधिकार पत्र जारी करना 50
2.79ख भण्डारण और बिक्री के अधीन स्कोमेट मदों के पुरजा हेतु निर्यात प्राधिकार पत्र को जारी करना.....52

2.80 स्कोमेट प्राधिकार पत्र का पुनः वैधीकरण 52
2.81 स्कोमेट की श्रेणी 6 की मदों का निर्यात.....52 2.82
टिप्पणियों/अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु समय–सीमा 52
राज्य व्यापार उद्यमों (एसटीई) के माध्यम से निर्यातः 52
2.83 एसटीई के तहत मदों का निर्यात 52
निर्यातकों के लिए प्रावधान/कारोबार और व्यापार करने हेतु अन्य प्रावधानः 52
2.84 स्तरधारकों के लिए निःशुल्क निर्यात 52
2.85 बीमा कवर के जरिए भुगतान पर लाभ की स्वीकार्यता 53
2.86 अपरिवर्तनीय साख पत्र 53
2.87 निर्यात आय वसूली को आर बी आई द्वारा बट्टे खाते में डालना 53
2.88 एक स्कीम से दूसरी स्कीम में पोतलदान बिल की ईपी प्रति में परिवर्तन 54
2.89 निर्यात आय की ऑफसेटिंग 54
गुणवत्ता प्रमाणन संबंधी प्रावधानः 54
2.90 गुणवत्ता प्रमाणन 54
गुणवत्ता प्रमाणन प्रदान करने हेतु अधिकृत एजेंसियाँ : 54
2.90क औषध फार्मूलेशन की ट्रैक और ट्रेस प्रणाली 55
निर्यात संवर्धन परिषद् (ईपीसी)/पण्य बोर्डः 57
2.91 पंजीकरण प्राधिकरण 57
2.92 पंजीकरण प्राधिकरणों के रूप में ईपीसी के लिए मानदण्ड 57
2.93 पंजीकरण - सह - सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) 57
2.94 पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करना 58
2.95 आर सी एम सी की वैधता अवधि 58
2.96 आरसीएमसी के व्यापारिक संविधान में परिवर्तन के संबंध में सूचना देना 58
2.97 पंजीकरण रद्द करना 59
2.98 पंजीकण रद्द करने के विरूद्ध अपील 59
2.99 विदेश व्यापार महानिदेशालय के निर्देश 59
अन्य सामान्य प्रावधानः 59
2.100 आयातकों/निर्यातकों के लिए पहचान पत्र 59
2.101 अधिकृत अधिकारियों के साथ साक्षात्कार 60
2.102 अधिकृत हस्ताक्षरी 60
अधिमान्य व्यापारिक समझौतेः 60
2.103 मुक्त व्यापारिक समझौते (एफटीए)/अधिमान्य व्यापारिक समझौते (पीटीए) 60
2.104 एकपक्षीय प्रशुल्क प्राथमिकताएँ 61
2.105 उद्गम प्रमाणपत्र (सीओओ) 62
2.106 उद्गम की नियमावली (अधिमान्य).....62
2.107 एफटीए/सीईसीए के अधीन टीआरक्यू 63
2.108 उद्गम की नियमावली गैर अधिमान्य -.....64
2.109 स्व-प्रमाणन हेतु अनुमोदित निर्यातक स्कीम (एईएस) 65
नीतिगत व्याख्या और छूटः
2.110 पीआईसी को आवेदन.....65
2.111 पीआरसी को आवेदन 66
अध्याय-3.....67
भारत से निर्यात संबंधी स्कीम 67
3.01 भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात संबंधी स्कीम (एमईआईएस) 67

3.02 ई-कामर्स का प्रयोग करते हुए कूरियर अथवा विदेशी डाक घरों के माध्यम से माल का निर्यात करने के लिए आवेदन 68
3.03 लैंडिग का प्रमाणः 68
3.04 भारत से सेवाओं के निर्यात संबंधी (एसईआईएस) 70
3.05 अन्तरवर्ती प्रबंध 70
3.06 क्षेत्राधिकारो आर ए/संबंधित आर ए 70
3.07 इस प्रक्रिया-पुस्तक के अध्याय-2 और 9 में निहित प्रावधानों की अनुप्रयोज्यता 71
3.08 स्क्रिपों के पंजीकरण का पत्तन 72
3.09 विभाजित स्क्रिपों हेतु सुविधा 72
3.10 सनदी लेखापाल/कंपनी सचिव/लागत लेखापाल द्वारा दस्तावेजों को अपलोड करने की प्रकिया.....73
3.11 प्राइवेट/पब्लिक बाण्डेड गोदामों से आयात 73
3.12 खराब/अनुपयुक्त माल का पुनः निर्यात 73
3.13 वैधता अवधि एवं पुनर्वैधीकरण 73
3.14 ई-कॉमर्स का प्रयोग करने वाले कूरियर अथवा विदेशी डाकघरों के माध्यम से माल के निर्यात सहित एमईआईएस के तहत प्रतिफलों का दावा करने के लिए ईडीआई और गैर–ईडीआई पोतलदान बिलों के आशय की घोषणा की प्रकिया 74
3.15 ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स प्राप्त करने हेतु आवेदन करने की अंतिम तारीख 74
3.16 एमईआईएस के तहत ईडीआई पत्तनों और गैर-ईडीआई पत्तनों से पोतलदान के लिए आवेदन-पत्र 75
3.17 जोखिम प्रबंधन प्रणाली 75
3.18 स्तर प्रमाण पत्र 76
3.19 स्तर प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन-पत्र 76
जारी करना/नवीनीकरण करना .....
स्तर प्रमाणपत्र के लिए प्राधिकारी .....
3.20 स्तर प्रमाण-पत्र की वैधता 76
3.21 खातों का रख-रखाव 77
3.22 प्रमाण पत्र की अस्वीकृति/ निलम्बन/ निरस्तीकरण 77
3.23 अपील 77
अध्याय 4 78
शुल्क मुक्त/छूट स्कीम 78
4.01 नीति 78
4.02 सामान्य प्रावधान 78
4.03 आवेदक का ब्यौरा 78
4.04 अग्रिम प्राधिकार पत्र 78
4.05 निर्यात के लिए अन्यथा निषिद्ध मदों के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र 78
4.06 मानदंड निर्धारण 79
4.07 स्वघोषित प्राधिकार पत्र जहां सिओन मौजूद नहीं है 80
4.08 निविष्टि के रूप में एसेटिक एनहाइड्राइड, एफेड्रीन और स्यूडो इफेड्रीन से संबंधित मामले 80
4.09 स्वच्छता आयात परमिट की आवश्यकता वाले मामले 81
4.10 एक से अधिक यूनिटों वाले आवेदकों हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र 81
4.11 निःशुल्क और भुगतान किए गए माल हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र 81
4.12 हकदारी 82

4.13 हकदारी से अधिक प्राधिकार पत्र 83
4.14 मानदंड/तदर्थ मानदंड निर्धारण के लिए आवेदन और आनलाइन अन्तर-मंत्रालयी परामर्श 83
4.15 वचनबद्धता 83
4.16 मानदंड समिति द्वारा मानदंडों के निर्धारण हेतु समय-सीमा 84
4.17 अभ्यावेदन के लिए समय-सीमा 84
4.18 भेषज उत्पादों के लिए प्रावधान 84
4.19 आवेदन और प्रक्रिया 84
4.20 प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.18 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की विमुक्ति 85
प्रकिया पुस्तक के पैरा 4.18 के तहत जारी प्राधिकार पत्र के लिए 85
4.21 उचित लेखे का रखरखाव 85
4.22 तदर्थ मानदण्डों का मानकीकरण 85
4.23 मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्ड का संशोधन 86
4.24 निर्यात मद और निविष्टि का संशोधन 86
4.25 मानदण्ड समिति द्वारा सिओन का संशोधन 86
4.26 अग्रिम प्राधिकार पत्र का विवरण 86
4.27 प्राधिकार पत्र की जारी होने की प्रत्याशा में अथवा उसके बाद निर्यात -.....87
4.28 निर्यातक जोखिम 87
4.29 आवेदन के निरस्त के मामलों में वापसी की स्वीकार्यता 87
4.30 अन्तरवर्ती आपूर्तियों हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र अथवा डी एफ आई ए 88
4.31 अग्रिम रिलीज आदेश (एआरओ) 88
4.32 एआरओ जारी करने हेतु दिया जाने वाला विवरण 88
4.33 हटा दिया गया है 89
4.34 हटा दिया गया है 89
4.35 सह-विनिर्माताओं/जाबकर्त्ता/सह लाइसेंस धारक की सुविधा 89
4.36 बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता की स्वीकार्यता 89
4.37 पंजीकरण का पत्तन 90
4.38 प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग की सुविधा 91
4.39 प्राधिकार पत्र के मूल्य में वृद्धि/कमी 93
4.40 वृद्धि के लिए आवेदन शुल्क 93
4.41 आयात की वैधता अवधि और प्राधिकार पत्र का पुनःवैधीकरण 94
4.42 निर्यात दायित्व (ईओ) अवधि और इसका विस्तार 94
4.43 निर्यात खेप की अनंतिम स्वीकृति 95
4.43क अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के तहत आयातित माल का पुनः निर्यात.....95
4.44 निर्यात दायित्व की मानीटरिंग 95
4.45 वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र 96
4-45क निर्यात और आयात के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के अध्याय 61 और 62 के तहत शामिल परिधान सामग्री और वस्त्र की सहायक सामग्री के निर्यात हेतु विशेष अग्रिम प्राधिकार पत्र 97
4.46 निर्यात दायित्व की पूर्ति 97
4.47 विमुक्ति/गैर बंध प्रमाण पत्र 97
4.48 26.8.2009 तक जारी किए गए प्राधिकार पत्रों के लिए परिवर्ती व्यवस्था 99
4.49 वास्तविक चूक का विनियमन 99
4.50 निर्यात दायित्व में वास्तविक चूक के मामले में सीमाशुल्क और ब्याज की अदायगी...101
4.51 खातों का समुचित रख-रखाव 102

4.52 पोतलदान बिलों और/अथवा बैंक वसूली प्रमाण-पत्र की
निर्यात संवर्धन प्रति खो जाने के मामले पर विचार करना 102
शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) स्कीम 103
4.53 नीति 103
4.54 आवेदन-पत्र 103
4.55 खण्डित डीएफआईए हेतु सुविधा 104
4.56 डीएफआईए स्कीम के तहत आयातित माल का पुनः निर्यात 104
4.57 आयात और इसके उपयोग के उचित खातों का रख रखाव 104
रत्न और आभूषण क्षेत्र 104
4.58 सामान्य प्रावधान 104
4.59 पुनः प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन पत्र 104
4.60 छीजन मानदण्ड 105
4.61 मूल्य संवर्धन 106
4.62 हकदारी.....106
4.63 पारगमन में रत्न और आभूषण का खो जाना 106
4.64 रत्न और आभूषण प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र 106
4.65 अभिकरण कमीशन 107
4.66 पोतलदान बिल और बीजक पर पृष्ठांकन 107
4.67 निर्यात की शर्तें 107
4.68 निर्यात का प्रमाण 107
4.69 शुद्धता/परिशुद्धता का परिवर्तन 108
4.70 नामित अभिकरण द्वारा स्वर्ण/चाँदी/ प्लेटिनम जारी करना 108
4.71 भुगतान की शर्तें 109
4.72 निर्यात का पत्तन 109
4.73 डाक द्वारा निर्यात 109
4.74 प्रमाणन/ग्रेडिंग और पुनःआयात हेतु कटिंग और पॉलिश किए गए हीरों का
निर्यात 109
4.75 प्रमाणन/ग्रेडिंग और पुनर्निर्यात के लिए हीरों का आयात 110
4.76 0.25 और इससे अधिक कैरेट के हीरों के प्रमाणन/ग्रेडिंग के लिए
प्रयोगशालाओं का सूचीकरण/प्राधिकार-पत्र 110
4.77 विदेशी क्रेता द्वारा आपूर्तियों के मद्दे निर्यात 111
4.78 निर्यात प्रक्रिया/सीमाशुल्क का भुगतान 111
4.79 खातों का रखरखाव 113
4.80 प्रदर्शनियों के जरिए निर्यात/निर्यात संवर्धन दौर/ब्राण्डेड आभूषण के निर्यात 113
ब्रान्डेड आभूषण का निर्यात 114
4.81 नामित अभिकरणों द्वारा आपूर्ति के तहत निर्यात 115
4.82 पुनः पूर्ति आधार 115
4.83 अग्रिम रुप से पूर्णतया खरीद आधार पर 115
4.84 ऋण आधार पर 116
4.85 अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत निर्यात 116
4.86 वास्तविक चूक का विनियमन 117
4.87 उपभोज्यों आदि के आयात हेतु प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र 117
4.88 रत्नों और आभूषणों के निर्यात पार्सलों को व्यक्तिगत तौर पर ले जाना .....-.....117
4.89 रत्नों और आभूषणों के आयात पार्सलों को व्यक्तिगत तौर पर ले जाना ...-.....117

4.90 नमूनों का शुल्क मुक्त आयात 118
4.91 अस्वीकृत आभूषणों का पुनः आयात 118
4.92 हीरा और आभूषण डालर लेखा 118
4.93 खेप आधार पर हीरे, रत्न और आभूषण का निर्यात तथा आयात 118
4.94 नामित एजेंसियों द्वारा कीमती धातु के आयात हेतु दिशानिर्देश/मॉनिटरिंग 118
अध्याय **5** 120
निर्यात संवर्धन पूँजीगत माल (ई.पी.सी.जी.) स्कीम 120
5.01 नीति 120
5.02 आवेदन पत्र 120
5.03 अंतरसंबंध प्रमाणीकरण 120
5.04 पूंजीगत माल के अधिष्ठापन का प्रमाणपत्र 120
5.05 पंजीकरण पत्तन 121
5.06 पुर्जों, औजारों, रिफ्रैक्ट्रीज और उत्प्रेरकों का आयात 121
5.07 स्कीम के तहत ई.पी.सी.जी. ईओयू/पुनर्स्थापित एस ई जैड यूनिटों का
डी टी ए यूनिट में परिवर्तन 121
5.08 स्वदेशी रूप से विनिर्मित पूंजीगत माल की प्राप्ति 122
5.09 निविष्टियों के आयात हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र जारी करना 122
5.10 निर्यात दायित्व को पूरा करने की शर्तें 123
5.11 निर्यात से आय की प्राप्ति 124
5.12 औसत निर्यात दायित्व की गणना 124
5.13 औसत निर्यात दायित्व को बनाए रखने में छूट 124
5.14 निर्यात दायित्व को ब्लाकवार पूरा करना 125
5.15 निर्यात दायित्व की निगरानी 126
5.16 10 प्रतिशत शुल्क बचत राशि तक स्वतः कमी/वृद्धि और
निर्यात दायित्व में यथानुपात कमी/वृद्धि 126
5.17 निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार 126
5.18 बीआईएफआर/पुनर्वास के अंतर्गत इकाईयों हेतु प्रावधान 127
5.19 औसत निर्यात दायित्व में राहत 127
5.20 निर्यात उत्पाद पर रोक के मामले में स्वतः निर्यात दायित्व विस्तार 127
5.21 हटा दिया गया है 127
5.22 विमुक्ति 127
5.23 वास्तविक चूक को नियमित करना और ईपीसीजी स्कीम से बाहर निकलना 128
5.24 अभिलेखों का रख-रखाव 128
5.25 ईपीसीजी स्कीम के तहत आयातित पूंजीगत माल का
पुनः निर्यात/मरम्मत/प्रतिस्थापन 128
5.26 दण्डात्मक कार्रवाई 129
5.27 ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग 129
5.28 निर्यात पश्च ईपीसीजी शुल्क क्रेडिट स्क्रिप (स्क्रिप्स) 130
5.29 हरित प्रौद्योगिकी उत्पाद 131
अध्याय **6** 132
निर्यात अभिमुख यूनिट (ई ओ यू), इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क
(ई एच टी पी), साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एस टी पी) स्कीम और
बायो टेक्नोलॉजी पार्क (बी टी पी) 132
6.00 स्कीम 132
6.01 आवेदन/अनुमोदन/अनुमोदन का नवीकरण 132

6.02 विधिक वचनबद्धता(एल यू टी) 134
6.03 माल और सेवाओं का निर्यात.....134
6.04 माल का आयात/घरेलू खरीद 134
6.05 आभूषण की मरम्मत/ पुनर्निर्माण.....135
6.06 आयात की शर्तें 135
6.07 अनुमोदित परिसरों के बाहर फैक्स मशीनें/ लैपटॉप/कम्प्यूटर को ले जाना.....137
6.08 यूनिट से बाहर के स्थान पर कार्य करने की सुविधा.....137
6.09 पूँजीगत माल की लीजिंग.....137
6.10 निवल विदेशी मुद्रा (एन एफ ई) अर्जन.....138
6.11 खातों का रखरखाव.....139
6.12 निवल विदेशी मुद्रा की निगरानी 139
6.13 स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम के स्क्रैप/डस्ट/ स्वीपिंग का मानक छड़ों में परिवर्तन 139
6.14 डीटीए आपूर्तियाँ.....139
6.15 अन्य ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/एसईजैड/बीटीपी यूनिटों को आपूर्तियाँ 140
6.16 एक एकक से दूसरे एकक को विद्युत का हस्तांतरण 140
6.17 डीटीए से बहुमूल्य /अर्ध बहुमूल्य/ सिंथेटिक पत्थरों की आपूर्ति 140
6.18 हकदारियों की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र 140
6.19 अन्य निर्यातकों के जरिए निर्यात 140
6.20 अन्य हकदारियां 141
6.21 उप ठेका 141
6.22 ठेका कृषि 142
6.23 प्रदर्शनियों के माध्यम से निर्यात/निर्यात संवर्धन दौरे 143
6.24 निर्यात संवर्धन दौरों के लिए रत्न एवं आभूषणों को
व्यक्तिगत सामान के रुप में ले जाना 143
6.25 विदेशों में शोरुम/ शुल्क मुक्त दुकानों के माध्यम से निर्यात 144
6.26 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर स्थित शोरुम /फुटकर दुकानों से बिक्री.....144
6.27 आयात/ निर्यात पार्सलों को व्यक्तिगत सामान, जिनमें विदेश
जाने वाले यात्रियों का सामान भी शामिल है, के रूप में ले जाना 144
6.28 आयातित/स्वदेशी माल का प्रतिस्थापन/ मरम्मत.....145
6.29 नमूने 145
6.30 कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर परिफेरल्स का दान 146
6.31 पृथक पहचान 146
6.32 ईओयू के लिए यूनिट अनुमोदन समिति 146
6.33 ईएचटीपी/एसटीपी/ बीटीपी यूनिटों का अनुमोदन 147
6.34 ई ओ यू का प्रशासन/विकास आयुक्त/नामित अधिकारी की शक्तियाँ 147
6.35 बीओए के अनुमोदन से स्थल में परिवर्तन/
अतिरिक्त स्थल शामिल करना 149
6.36 डीटीए में पूँजीगत माल की निकासी 149
6.37 मूल्य ह्रास मानदंड.....149
6.38 परिवर्तन.....150
6.39 रुग्ण यूनिट का पुनरुत्थान 150
6.40 शीघ्र निपटान संबंधी प्रक्रिया 151
6.41 आवेदनों का समयबद्ध निपटान.....152
अध्याय 7 154
मान्य निर्यात 154

7.01 नीति 154
7.01 लाभ का दावा करने हेतु प्रक्रिया 154
7.02 लाभ का दावा करने हेतु मानदंड 154
7.03 टीईडी/शुल्क वापसी दावा करने हेतु पात्रता मानदंड 155
7.04 ईंधन पर टीईडी वापसी का दावा करने हेतु प्रक्रिया 156
7.05 आवेदन की आवृति और टीईडी/शुल्क वापसी हेतु समयावधि 156
7.06 ब्रांड दर का निर्धारण 156
7.07 समय बाधित/पूरक दावा .....-.. 157
7.08 टीईडी के भुगतान से छूट 157
7.09 अन्य नियमों की प्रासंगिकता 157
7.10 ब्याज भुगतान 157
7.11 आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रकिया 157
अध्याय 8 158
गुणवत्ता संबंधी शिकायतें और व्यापार संबंधी विवाद 158
8.01 गुणवत्ता संबंधी शिकायत और व्यापार संबंधी विवादों से
से संबंधित समिति (सीक्यू-सीटीडी) 158
8.02 सीक्यूसीटीडी की संरचना 159
8.03 शिकायत दर्ज करने के लिए प्रपत्र 160
8.04 गुणवत्ता संबंधी शिकायत और व्यापार संबंधी विवादों के निपटान के लिए प्रक्रिया....160
8.05 नोडल अधिकारी की भूमिका 160
अध्याय 9 161
विविध मामले 161
9.01 आयात प्राधिकार पत्र/ लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुज्ञा का मूल्य वर्ग 161
9.02 विलम्ब के लिए कटौती .....-.....161
9.03 अनुपूरक दावे.....161
9.04 सूचना प्रस्तुत करना 161
9.05 नीति/प्रक्रियाओं का स्पष्टीकरण 162
9.06 खपत रजिस्टर 162
9.07 निर्यात सुविधा 162
9.08 स्थायी शिकायत समिति 162
9.09 काउंटर सहायता 162
9.10 आवेदनों का समयबद्ध निपटान 163
9.11 आयात संबंधी पोतलदान प्रेषण की तारीख 164
9.12 निर्यात संबंधी पोतलदान प्रेषण की तारीख 164
9.13 समीक्षा की सामान्य शक्ति 165
शब्दावली (संक्षिप्त सार) 166
संक्षिप्त सार स्पष्टीकरण 166

अध्याय - 1

परिचय एवं व्यापार सरलीकरण

1.01 प्रक्रिया की अधिसूचना

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के पैरा 1.03 के प्रावधानों के अनुसरण में, महानिदेशक, विदेश व्यापार (डीजीएफटी) एतद्द्वारा विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के प्रावधान, इसके अधीन बनाए गए नियम/आदेश तथा विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों को लागू करने के लिए निर्यातक या आयातक अथवा लाइसेंसिंग/ क्षेत्रीय प्राधिकारी अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया को अधिसूचित करते हैं। उक्त प्रक्रिया निम्नलिखित संकलनों में समाविष्ट हैः-

(क) प्रक्रिया पुस्तक
(ख) परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र तथा
(ग) मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन)

समय-समय पर यथा संशोधित ये संकलन अपनी अधिसूचना की तिथि से लागू होंगे तथा 31 मार्च, 2020 तक लागू रहेंगे।

1.02 उद्देश्य

इसका उद्देश्य सरल, पारदर्शी और ईडीआई संगत प्रक्रियाओं के द्वारा विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों, इसके अधीन बनाए गए नियमों और जारी किए गए आदेशों और विदेश व्यापार नीति (2015-20) के प्रावधानों को कार्यान्वित करना है जो प्रयोक्ता अनुकूल हो तथा जिनका विदेश व्यापार के प्रभावी प्रबंधन हेतु अनुपालन किया जा सकता है।

1.03 परिभाषा

इस पुस्तक के प्रयोजन के लिए विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियम और आदेश तथा विदेश व्यापार नीति (2015-20) की परिभाषाएं तथा शब्दावली लागू होंगे।

1.04 विदेश व्यापार का ई-शासन

(क) विदेश व्यापार महानिदेशालय आवेदनों की आनलाइन फाइलिंग, सामुदायिक भागीदारों के साथ संदेश का आदान-प्रदान, डिजिटल हस्ताक्षर और आवेदन शुल्क का इलेक्ट्रानिक भुगतान जैसे साधनों का उपयोग करके पारदर्शी एवं कुशल ईडीआई प्लेटफार्म पर अपनी अधिकाशं सेवाएं प्रदान करता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय में ईडीआई के उपयोग से तेजी से प्रोसेसिंग, ईमेल के द्वारा शीघ्र सम्प्रेषण तथा आवेदन प्रोसेसिंग की स्थिति की आनलाइन उपलब्धता आसान हुई है। इसका उद्देश्य एसएमएस के जरिए उच्च स्तर पर सूचना का आदान-प्रदान सुनिश्चित करना है।

(ख) ऑनलाइन डीजीएफटी पोर्टल सहित अधिनियमों, नियमों, उसकी नीति और प्रक्रियाओं सहित निर्यात आयात संबंधी जानकारी http://dgft.gov.in से ली जा सकती है।

(ग) विदेश व्यापार महानिदेशालय के सभी क्षेत्रीय प्राधिकरण 24x7 वातावरण में एक्जिम समुदाय को आनलाइन सम्पर्क प्रदान करने के लिए ईडीआई समर्थित है और डीजीएफटी के केन्द्रीय सर्वर से जुड़े हुए हैं।

(घ) विदेश व्यापार महानिदेशालय सतत आधार पर ईडीआई के क्षेत्र और व्यापकता का विस्तार करता रहता है। इसका प्रयास सामुदायिक भागीदारों का उच्च स्तर पर एकीकरण करने का है।

1.05 प्रक्रिया

निर्यातक डीजीएफटी की वेबसाइट http://dgft.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात आवेदन को विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुसार प्रक्रियाबद्ध किया जाएगा। आवेदनों की प्रोसेसिंग ऑनलाइन की जाएगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय ऑनलाइन तरीके से या ईमेल का उपयोग करके त्रुटि संबंधी पत्र भेजेगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा मैनुअल तरीके से कोई पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

1.06 डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग

(क) विदेश व्यापार महानिदेशालय श्रेणी-II डिजिटल हस्ताक्षर के साथ उसमें अन्तःस्थापित आईईसी संख्या सहित ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। डीजीएफटी से अनुमोदित डिजिटल हस्ताक्षर जारी करने वाले प्राधिकारियों की सूची निम्नलिखित हैः

(i) (ढ) कोड सोल्यूशन्स सीए
(ii) ई-मुद्रा
(iii) सेफस्क्रिप्ट (सिफी कम्यूनिकेशन लि0)

(ख) आवेदन जमा करने के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों जैसे ई-बीआरसी डाटा की पूछताछ या अपलोड करने/संसाधित करने के प्रयोजन के लिए भारतीय प्रमाणन नियंत्रक प्राधिकरण की किसी अनुमोदित संस्था द्वारा जारी श्रेणी-II या उसके ऊपर का डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाता है।

1.07 ईडीआई और गैर- ईडीआई पत्तनों से निर्यात के लिए अलग आवेदन

ईडीआई पत्तनों और गैर-ईडीआई पत्तनों से निर्यात के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय में अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे।

1.08 गैर-ईडीआई पत्तनों से निर्यात के लिए आवेदन

निर्यातक विदेश व्यापार महानिदेशालय की वेबसाइट http://dgft.gov.in पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। उसके बाद आवेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन की हार्ड प्रति के संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। समुचित संविक्षा के पश्चात प्रक्रिया पुस्तक में यथा प्रस्तावित दस्तावेजों की हार्ड प्रतियों के आधार पर प्राधिकार पत्र/स्क्रिप जारी किया जाएगा।

1.09 ईडीआई पत्तनों से निर्यात हेतु आवेदन

ईडीआई पत्तनों से निर्यात से संबंधित आवेदन संगत प्रावधानों के अनुसार ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाएंगे। निम्नलिखित दस्तावेजों की वास्तविक या हार्ड प्रतियों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगीः

(i) विदेश व्यापार महानेदशालय को आवेदन
(ii) ईडीआई पोतलदान बिल
(iii) इलेक्ट्रानिक बैंक वसूली प्रमाणपत्र (ईबीआरसी)
(iv) आर सी एम सी

1.10 ईडीआई पोतलदानों के लिए किसी मैनुअल फीडिंग की आवश्यकता नहीं

ईडीआई पोतलदान बिलों के लिए ऑनलाइन साफ्टवेयर में आवेदकों के लिए पोतलदान बिलों के ब्यौरे की मैनुअल फीडिंग की अनुमति नहीं होगी और तदनुसार ईडीआई पोतलदान बिल के ब्यौरे को प्रति सत्यापित करने की आवश्यकता के बिना क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा लाभ प्रदान किया जाएगा।

1.11 दस्तावेजों की हार्ड कापी को समाप्त करना

निर्यातक की प्रोफाइल मे पहले से ऑनलाइन प्रस्तुत दस्तावेजों की हार्ड कापी की मांग नहीं की जाएगी।

1.12 क्षेत्रीय प्राधिकरण में गैर-ईडीआई पोतलदान बिलों को प्रक्रियाबद्ध करना

गैर-ईडीआई पोतलदान बिलों या सीमाशुल्क से संदेश आदान-प्रदान के माध्यम से प्राप्त नहीं हुए पोतलदान बिलों के मामले में संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी लाभ प्रदान करने से पहले मूल पोतलदान बिलों से निर्यातक द्वारा दिए गए ब्यौरे को सत्यापित करेगा।

1.13 आवेदन जमा करने के लिए अनुदेश

आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक चरण के विस्तृत ब्यौरे विदेश व्यापार महानिदेशालय की वेबसाइट में संगत मदद फाइल और प्रक्रिया पुस्तक के योजना विशिष्ट एएनएफ में उपलब्ध हैं।

1.14 तीसरी पार्टी निर्यातों के संबंध में लाभों का दावा करने हेतु ईडीआई प्रणाली

तीसरी पार्टी निर्यातों के संबंध में, ईडीआई सिस्टम में लाभों का दावा करने के लिए, प्रथम पार्टी द्वारा प्रक्रिया की शुरूआत की जाएगी जो रिपोजटरी के पास पोतलदान बिलों और बीआरसी को संबद्ध करेगा। यदि प्रथम पार्टी किसी एक विशेष पोतलदान बिल मद/मदों के लिए लाभों का दावा न करने का विकल्प चुनती है, तो यह तीसरी पार्टी को ऐसे पोतलदान बिल/बिलों के लिए लाभों का दावा करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है। प्रथम पार्टी द्वारा ऐसे प्राधिकार-पत्र के बाद, तीसरी पार्टी अपने आवेदन पत्र में ऐसे पोतलदान बिल मद/मदों का उपयोग कर पाएगी।

1.15 ई-बीआरसी में मुद्रा परिवर्तन

(क) मुद्राएं, जहां पर सीबीईसी द्वारा विनिमय दर अधिसूचित की जाती हैः

अनुमत निर्यात आदेश (एलईओ) की तिथि को सीबीईसी द्वारा प्रकाशित मासिक विनिमय दरों का प्रयोग करते हुए प्राप्त की गई विदेशी मुद्रा (ईबीआरसी में बैंक द्वारा यथा उल्लिखित) भारतीय रुपयों में बदला जाता है।

(ख) मुद्राएं, जहां पर सीबीईसी द्वारा विनिमय दर अधिसूचित नहीं की जाती हैः

ऐसे मामलों में, भारतीय रुपयों में प्राप्त कुल मात्रा (ईबीआरसी में बैंक द्वारा यथा उल्लिखित) सीबीईसी द्वारा प्रकाशित प्राप्ति की तिथि पर प्रचलित अमेरिकी डालर/भारतीय रुपए की विनिमय दर का प्रयोग करते हुए अमेरिकी डालर में परिवर्तित की जाएगी।

1.16 दावों को प्रक्रियाबद्ध करने के लिए दिशा- निर्देश जहाँ निर्यातक को बीमा एजेंसियों के माध्यम से (बैंकों के माध्यम से नहीं) निर्यात लाभ का भुगतान मिलता है

(क) बीमा एजेंसी के माध्यम से निर्यात लाभ प्राप्त करने वाला आवेदक संबंधित बीमा कम्पनी द्वारा जारी भुगतान के प्रमाण के साथ संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी से सम्पर्क करेगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी भुगतान की प्रामाणिकता के बारे में संतुष्ट होने के बाद अपर महानिदेशक (ईडीआई) का अनुमोदन प्राप्त करेगा और उसके बाद मामले को प्रक्रियाबद्ध करने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय की ईडीआई प्रणाली मे मूल्य (ईबीआरसी मूल्य के स्थान पर) को अपलोड करेगा।

(ख) यदि बीमा एजेंसी द्वारा जारी भुगतान के प्रमाण मे विदेशी मुद्रा और भारतीय रुपये दोनों मे दावा मूल्य का उल्लेख है तो क्षेत्रीय प्राधिकारी प्रक्रियाबद्धता के लिए विदेशी मुद्रा मूल्य का उपयोग करेगा। यदि दावा मूल्य का केवल समतुल्य भारतीय रुपये में उल्लेख किया जाता है तो क्षेत्रीय प्राधिकारी बीमा दावा के निपटान की तारीख को लागू विनिमय दर (सीबीईसी द्वारा प्रकाशित) का उपयोग करके इस भारतीय रुपये के मूल्य को समतुल्य अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित करेगा।

1.17 ईडीआई हेल्प डेस्क और ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण तथा मानीटरिंग प्रणाली

ईडीआई हेल्प डेस्क विदेश व्यापार महानिदेशालय के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने में निर्यातकों की सहायता करने तथा ईडीआई से जुड़े अन्य मुद्दों का समाधान करने के लिए उपलब्ध है। सहायता के लिए http://dgft.gov.in पर ईमेल भेजा जा सकता है या टॉल फ्री नं0 1800111550 का उपयोग किया जा सकता है। हेल्प डेस्क की सुविधा विदेश व्यापार महानिदेशालय के चारों मंडलीय कार्यालयों जैसे सीएलए (नई दिल्ली), मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता में भी उपलब्ध है। ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण और मानीटरिंग प्रणाली में उपयोगकर्ता के लिए शिकायत दर्ज करने तथा स्थिति/ उत्तर ऑनलाइन (ब्यौरे http://dgft.gov.in पर) प्राप्त करने की सुविधा है।

1.18 ई-मेल

आयात/निर्यात से जुड़े प्रश्नों के लिए ईमेल के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। सम्पर्क ईमेल की आईडी http://dgft.gov.in/exim/2000/dgftContactUs.html. पर उपलब्ध है।

1.19 ई-व्यापार परियोजना

ई-व्यापार परियोजना उपयोगकर्ताओं के लिए उनके विदेश व्यापार से जुड़े विनियामक या अन्य अनुपालनों को ऑनलाइन पूरा करने के लिए सुविधा प्रदान करती है। वाणिज्य विभाग इस परियोजना को चलाता है।

इस परियोजना के प्रमुख हितधारक सीमाशुल्क कार्यालय, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), समुद्री पत्तन, वायुपत्तन, भारतीय कंटेनर निगम (कान्कॉर), इंलैन्ड कंटेनर डिपो (आईसीडी)/कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) बैंक, आयातक/ निर्यातक, एजेंन्ट, एयरलाइन्स/शिपिंग लाइन्स हैं।

इस परियोजना में व्यापार अनुरोधों को तेजी से प्रक्रिया में लाने के लिए आन्तरिक प्रक्रियाओं के स्वचालन पर बल दिया गया है। सरकारी एजेंसियों के साथ आयातकों/निर्यातकों के न्यूनतम व्यक्तिगत सम्पर्क के द्वारा प्रणाली में पारदर्शिता लायी जाती है।

परियोजना में निम्नलिखित प्रमुख सेवाओं का प्रावधान हैः

(i) सीमाशुल्क कार्यालयों और समुद्रीपत्तनों, वायुपत्तनों और आईसीडी/सीएफएस के अभिरक्षकों जैसे सामुदायिक भागीदारों द्वारा सेवाओं/ मंजूरियों की ई-सुपुर्दगी। ये सेवाएं निर्यातकों, आयातकों, एजेन्टों आदि को दी गई हैं।

(ii) निर्यातक, आयातक, एजेन्ट आदि द्वारा सीमाशुल्क कार्यालय तथा समुद्रीपत्तनों, वायुपत्तनों और आईसीडी/सीएफएस के अभिरक्षकों को निर्यात/आयात के दस्तावेजों को ई-फाइल करना।

(iii) सामुदायिक भागीदारों अर्थात सीमाशुल्क कार्यालय तथा समुद्री-पत्तनों, वायुपत्तनों, आईसीडी/सीएफएस के बीच दस्तावेजों का इलेक्ट्रानिक आदान-प्रदान।

(iv) सीमाशुल्क के लिए, डीजीएफटी के आवेदन और अन्य शुल्क तथा समुद्रीपत्तनों, वायुपत्तनों, आईसीडी/सीएफएस के अभिरक्षकों के शुल्क (लदाई-उतराई/माल भाड़ा आदि) के लिए निर्यातक, आयातक, एजेंटों द्वारा ई-भुगतान।

अध्याय - 2

निर्यात और आयात से संबंधित सामान्य प्रावधान

2.00 नीति

विदेश व्यापार नीति के अध्याय-2 में निर्यात और आयात के बारे में सामान्य प्रावधानों से संबंधित नीति दी गई है ।

2.01 कवरेज

इस अध्याय में पूर्ण दस्तावेजीकरण सहित विभिन्न आवेदनों की प्रक्रिया शामिल है। आयात/निर्यात के लिए प्राधिकार पत्र/लाइसेंस/अनुमति/प्रमाणपत्र के लिए आवेदनों तथा विदेश व्यापार नीति के तहत लाभ के लिए आवेदनों की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है।

2.02 आयात/निर्यात के देश

जब तक अन्यथा विशेष रुप से प्रावधान न किया गया हो, किसी भी देश से/को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार (अर्थात् भारत में आयात और/अथवा भारत से निर्यात) हो सकता है। विदेश व्यापार नीति/ आईटीसी (एचएस) में देश विशिष्ट निषेध/सीमाओं, यदि कोई है, का उल्लेख किया गया है।

आवेदनः

2.03 आवेदन प्रस्तुत करना

(क) विदेश व्यापार नीति में स्कीमों के तहत लाभ का दावा करने या स्पष्टीकरण लेने और अन्य प्रयोजनों के लिए "प्रतिबंधित" माल के आयात/निर्यात हेतु प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन क्षेत्रीय प्राधिकारी (आरए) को भेजे जा सकते हैं।

(ख) आवेदक दस्तावेज प्रस्तुत करते समय यह सुनिश्चित कर सकता है कि दस्तावेज अंग्रेजी या हिन्दी में हो। क्षेत्रीय भाषाओं के दस्तावेजों को अंग्रेजी या हिन्दी में अनुवाद कराया जा सकता है और अनुदित प्रतिलिपि को स्वप्रमाणित किया जा सकता है तथा मूल प्रति के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है।

2.04 क्षेत्रीय प्राधिकारियों (आरए)का प्रादेशिक-क्षेत्राधिकार

क्षेत्रीय प्राधिकारियों का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र के **परिशिष्ट 1क** में दिया गया है। आवेदक का पता क्षेत्रीय प्राधिकारी का क्षेत्राधिकार निर्धारित करता है। जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो, प्रत्येक आवेदन पत्र संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

2.05 अपूर्ण आवेदन पत्र

(क) अधूरे अथवा अप्राधिकृत आवेदन पत्र को अस्वीकृति का विशिष्ट कारण बताते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे अपूर्ण आवेदन पर कमियाँ दूर करने के बाद पुनः विचार किया जा सकता है।

(ख) यदि आवेदक द्वारा कमियों को 90 दिनों के भीतर दूर नहीं किया जाता है तो आवेदन को वापस लिया गया माना जाएगा।

2.06 आवेदन-शुल्क

शुल्क की मात्रा, भुगतान का तरीका, शुल्क-वापसी की प्रक्रिया और शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त व्यक्तियों की श्रेणियाँ **परिशिष्ट-2ट** में दी गई हैं ।

आयातक निर्यातक कोड (आईईसी):

2.07 आयातक-निर्यातक कोड संख्या छूट प्राप्त श्रेणियाँ

(क) आयातक निर्यातक कोड आयात और/अथवा निर्यात के लिए अनिवार्य है। तथापि, आयातकों या निर्यातकों की निम्नलिखित श्रेणियों को आयातक-निर्यातक कोड संख्या प्राप्त करने से छूट है:-

क्र.सं.	आयात निर्यात कोड प्राप्त करने से छूट प्राप्त श्रेणियां
(i)	विदेश व्यापार (कुछ मामलों में नियमों के अनुप्रयोग से छूट) आदेश, 1993 की धारा 3(1) (उप धारा (ड.) और (ठ) को छोड़कर) में शामिल आयातक तथा धारा 3(2) (उप धारा (झ) और (ट) को छोड़कर) में शामिल निर्यातक।
(ii)	केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के मंत्रालय/विभाग।
(iii)	जो व्यक्ति अपने निजी प्रयोग के लिए माल का आयात या निर्यात करते हैं जो व्यापार अथवा विनिर्माण या कृषि से संबंधित नहीं है ।
(iv)	जो व्यक्ति नेपाल, भूटान, म्यांमार (भारत–म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्रों के माध्यम से), और चीन (गुंजी, नामग्या शिपकिला और नाथुला पत्तनों के माध्यम से) से/को माल का आयात/निर्यात करता है, बशर्ते कि नेपाल, भूटान और म्यांमार (भारत–म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्रों के माध्यम से) से/को आयात/निर्यात की एकल खेप का लागत–बीमा–भाड़ा मूल्य भारतीय मुद्रा में 25,000/– रूपए से अधिक न हो, और चीन के मामले में (क) गुंजी और नामग्या शिपकिला के माध्यम से माल के आयात/निर्यात हेतु एकल खेप का लागत–बीमा–भाड़ा मूल्य भारतीय मुद्रा में 1,00,000/–रूपए से अधिक न हो, तथा (ख) नाथुला के माध्यम से माल के आयात/निर्यात की एकल खेप का लागत–बीमा–भाड़ा मूल्य 2,00,000/–रूपए से अधिक न हो।

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त श्रेणी 2 द्वारा निर्यात के मामलों को छोड़कर आई टी सी (एच एस) की अनूसूची-2, परिशिष्ट-3 में यथा सूचीबद्ध विशेष रसायनों, जीवों, सामग्रियों, उपकरणों और

प्रौद्योगिकियों (एस सी ओ एम ई टी) के निर्यात के लिए आयातक-निर्यातक कोड (आई ई सी) प्राप्त करने की छूट लागू नहीं होगी।

(ख) आयात/निर्यात प्रयोजन हेतु गैर वाणिज्यिक सार्वजनिक उपक्रमों और निर्यातक/आयातक की श्रेणियों द्वारा उनके समक्ष दर्शाए गए निम्नलिखित स्थाई आई ई सी संख्या का उपयोग करेंगे:-

क्र. सं.	**स्थायी आयात निर्यात कोड**	**आयातक/निर्यातक की श्रेणियाँ**
1.	एएमडीसीजी0111ई	केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग और उनके पूर्ण/आंशिक स्वामित्व वाली एजेंसियाँ।
2.	एडीएसजीए0129ई	राज्य सरकार के सभी विभाग और उनके पूर्ण/आंशिक स्वामित्व वाली एजेंसियाँ।
3.	डीसीयूएनओ0137ई	डिप्लोमेटिक कार्मिक, भारत में काउंसिलर अधिकारी, संयुक्त राष्ट्र संगठन और इसकी विशिष्ट एजेंसियों के अधिकारी।
4.	आईएबीबीआर0145ई	बैगेज नियमों के अधीन लाभों का दावा करने वाले विदेश जाने/लौटने वाले भारतीय
5.	आईआईएचआई0153ई	व्यक्ति/संस्थान/अस्पताल जो व्यापार या विनिर्माण अथवा कृषि से जुड़ा न हो और अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात या निर्यात करता हो।
6.	आईआईईजीएन0161ई	वह व्यक्ति जो नेपाल को/से माल का निर्यात/ आयात करता हो।
7.	आईआईईजीएम0170ई	वह व्यक्ति जो म्यांमार को/से भारत-म्यांमार सीमा के माध्यम से माल का निर्यात/आयात करता हो।
8.	आईएफएफआईई0188ई	फोर्ड फाउंडेशन।
9.	एटीएईएफ1096ई	आयातक जो ए टी ए कार्नेट के प्रावधानों के अधीन मेलों/प्रदर्शनियों या इसी प्रकार के आयोजनों में प्रदर्शन या उपयोग करने के लिए माल का आयात करता हो। यह आईईसी संख्या प्रक्रिया पुस्तक के **पैरा 2.63** के अनुसार प्रदर्शनियों/ मेलों हेतु आयात के लिए भी आयातक प्रयोग कर सकता है।
10.	आईडीएनबीजी1100ई	निदेशक, राष्ट्रीय ब्लड ग्रुप।
11.	आईसीआईआरएन1126ई	व्यक्ति/धर्मार्थ संस्था/पंजीकृत गैर सरकारी संगठन जो माल का आयात करते हैं और जिन्हें प्राकृतिक आपदा से प्रभावित पीड़ितों द्वारा वास्तविक उपयोग के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अधीन सीमाशुल्क से छूट दी गई है।
12.	आईआईईजीसी1134ई	उपरोक्त **पैरा 2.07 (iv)** में यथा उल्लिखित एकल खेप की मूल्य सीमा के अधीन गुंजी, नामग्या, शिपकिला और नाथुला पत्तनों के माध्यम से चीन से/को समय-समय पर यथा अधिसूचित अनुमत माल का आयात/निर्यात करनेवाले व्यक्ति।
13.	एनसीआईईई1169ई	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत इकाइयों द्वारा गैर वाणिज्यिक आयात व निर्यात

2.08 आयातक-निर्यातक कोड के लिए आवेदन पत्र

(क) ई–आयातक निर्यातक कोड (ईआईईसी) के लिए निर्यातकों/आयातकों को आयात निर्यात प्रपत्र 2क में डिजिटल हस्ताक्षर के साथ आवेदन करना होगा जिसके साथ अपेक्षित दस्तावेज संलग्न करने होंगे और लाग् शुल्क का भुगतान करना होगा। आईईसी हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा डीआईपीपी के ई–बिज पोर्टल के माध्यम से भी उपलब्ध है।

(ख) डीजीएफटी की वेबसाइट पर "आनलाइन आईईसी आवेदन" पर लागइन करके तथा अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रपत्र को पुनः भरकर आवेदन पत्र की कमी को दूर किया जा सकता है।

2.09 आयातक-निर्यातक कोड फार्मेट

आयात निर्यातक कोड दिए गए फार्मेट (**एएनएफ 2(क) (ii)**) में जारी होगा। ऐसी आयातक निर्यातक कोड संख्या की एक प्रति संबंधित बैंक (**आयात-निर्यात प्रपत्र 2क** में दिए गए ब्यौरे के अनुसार) को भेजी जाएगी। ऐसा पृष्ठांकन सामान्यतः ईमेल के द्वारा किया जाना चाहिए।

2.10 आयातक-निर्यातक कोड संख्या की वैधता

किसी आवेदक को आबंटित आयातक निर्यातक कोड संख्या की स्थायी वैधता होगी जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द नहीं की गई हो। आईईसी में आवेदक के सभी शाखा/प्रभाग/यूनिट/फैक्टरी शामिल होंगे।

2.11 ईओयू/एसईजेड के लिए आईईसी की वैधता

किसी फर्म के डीटीए यूनिट या ईओयू या एसईजेड/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट के रूप में दर्जा पर ध्यान दिए बिना आयातक निर्यातक कोड वैध रहेगा तथा बंध-पत्र मुक्त और डीटीए में परिवर्तित किसी फर्म/यूनिट के मामले में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया निम्नानुसार हैः

(क) कोई यूनिट जो बंध-पत्र मुक्त किए जाने के बाद ईओयू है या एसईजेड/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी में है, अपने क्षेत्राधिकारी विकास आयुक्त, एसईजेड से प्राप्त आईईसी वापस नहीं करेगी।

(ख) क्षेत्राधिकारी विकास आयुक्त, एसईजेड बंधपत्र मुक्त करने के बाद मूल आईईसी फाईल को विदेश व्यापार महानिदेशालय के संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को भेजेगा।

(ग) क्षेत्रीय प्राधिकारी ऐसी फाईल का संरक्षक हो जाता है और आईईसी में आवश्यक संशोधन करने के लिए बंधपत्र मुक्त यूनिट को अनुमति देगा।

(घ) विदेश व्यापार नीति के अनुसार बंधपत्र मुक्त यूनिट क्षेत्रीय प्राधिकारी से लाभ के लिए पात्र होगी।

2.12 एक पैन-एक आईईसी

एक "पैन" नम्बर के मद्दे सिर्फ एक ही आईईसी जारी किया जाएगा। एक पैन के लिए जारी अनेक आईईसी 31.03.2015 से स्वतः ही निष्क्रिय हो जाएंगी।

2.13 आयातक-निर्यातक कोड संख्या को लौटाना

यदि कोई आयातक-निर्यातक कोड संख्या धारक आबंटित आयातक-निर्यातक कोड संख्या का उपयोग नहीं करना चाहता है, तो वह जारी करने वाले प्राधिकारी को उक्त कोड संख्या को लौटा सकता है। प्राप्त होने पर, जारी करने वाला प्राधिकारी तत्काल आईईसी रद्द कर देगा और सीमाशुल्क कार्यालय और विदेश व्यापार महानिदेशालय को इलैक्ट्रानिक माध्यम से सूचित करेगा ।

2.14 आयातक-निर्यातक कोड में संशोधन

(क) ई–आईईसी/आईईसी में संशोधन केवल ऑनलाइन किया जा सकता है। अपने आईईसी में संशोधन कराने वाले आवेदकों को dgft.nic.in पर लॉग–ऑन करना होगा और क्विक लिंक्स के अंतर्गत आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) पर क्लिक करना होगा तथा अपने ई–आईईसी और वास्तविक रूप के आईईसी में संशोधन हेतु संबंधित क्षेत्राधिकार के क्षेत्रीय प्राधिकारी, जहां से आईईसी मूल रूप से जारी किया गया था, को अपेक्षित शुल्क का भुगतान करके तथा अपेक्षित दस्तावेज जमा करके "अपने आईईसी में संशोधन करें" का चयन करना होगा। क्षेत्रीय प्राधिकारियों और उनके क्षेत्राधिकार की सूची परिशिष्ट–1क में दी गई है।

(ख) नाम, पता, गठन, मालिकाना फर्म में स्वामित्व फर्म के स्वरूप में परिवर्तन जैसे मालिकाना से साझेदारी आदि जैसे ब्यौरे में परिवर्तन हेतु संशोधन के लिए आवेदन किया जा सकता है।

(ग) क्षेत्रीय प्राधिकारी आईईसी में संशोधन से संबंधित आवेदनों जिनमें पैन बदलना हा, के संबंध में यह सुनिश्चित करेगा कि पिछले आवेदक/पिछली आवेदक फर्म की देयताएं उस नए आवेदक/नई आवेदक फर्म को हस्तांतरित कर दी गई हैं जिसका पैन संशोधित आईईसी में प्रदर्शित होगा। क्षेत्रीय प्राधिकारियों को संशोधित आईईसी इसमें समाविष्ट परिवर्तित पैन सहित सभी संबंधित प्राधिकारियों को अवगत कराना चाहिए।

(घ) क्षेत्रीय प्राधिकारी पावर ऑफ अटॉनी/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा किए गए डिजिटल हस्ताक्षर वाले आवेदनों पर भी संज्ञान लेगा।

2.14(क) आईईसी में शाखा कार्यालय/प्रधान कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय के पते में संशोधन/परिवर्तन जिसमें क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्रीय प्राधिकारी में परिवर्तन भी शामिल है।

जब कोई आईईसी धारक अपने आईईसी में शाखा कार्यालय/प्रधान कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय के पते में संशोधन/परिवर्तन चाहता है, तो उसे संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी जिसके क्षेत्राधिकार में आवेदक आता है, को इस संबंध में अनुरोध करेगा।

इस अनुरोध के आधार पर, क्षेत्रीय प्राधिकारी (जो अब तक आईईसी फाइल का अभिरक्षक है) ऐसे अनुरोधों को प्रोसेस करेगा और आईईसी के सही पाए जाने पर उसमें संशोधन करेगा और उस क्षेत्रीय प्राधिकारी, जिसके क्षेत्राधिकार में आवेदक स्थानांतरण चाहता है, को भी सूचित करेगा। नया क्षेत्रीय प्राधिकारी उक्त व्यक्ति को नए पते पर आवश्यक कार्य करने तथा एफटीपी के अनुसार पात्र लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करने की भी अनुमति देगा।

2.15 आयातक/निर्यातक की प्रोफाइल

(क) आयातक निर्यात प्रपत्र-1 में आयातक/निर्यातक की प्रोफाइल है। आयातक-निर्यातक कोड धारक इसमें परिवर्तन होने पर तत्काल या किसी भी तरह कम से कम वर्ष में एक बार इसका अद्यतनीकरण करने के लिए जिम्मेवार होगा।

(ख) उन दस्तावेजों को इस विदेश व्यापार नीति की विभिन्न स्कीमों के तहत प्राधिकार पत्रों/ स्क्रिपों के लिए आयातक/निर्यातक द्वारा प्रत्येक बार आवेदन करने पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है जिन्हें आयातक-निर्यातक प्रोफाइल में अपलोड किया जाता है। तथापि, यदि कोई व्यक्ति किसी प्राधिकारी से विनिर्माता निर्यातक के रूप में अपनी हैसियत का दावा कर कोई लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो उसे इस संबंध में अपना विश्वास उस प्राधिकारी को स्वतंत्र रूप से साबित करना होगा।

प्राधिकार पत्र जारी करनाः

2.16 प्राधिकार पत्र/लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति पत्र/सीसीपी की वैधता अवधि

जारी होने की तिथि से आयात/निर्यात प्राधिकार पत्र की वैधता इस प्रकार होगी जब तक अन्यथा विर्निदिष्ट न होः-

क्र.सं.	प्राधिकार पत्र का प्रकार	वैधता अवधि
(i)	प्रतिबंधित (गैर-स्कोमेट) माल के लिए निर्यात प्राधिकार पत्र	12 माह
(ii)	स्कोमेट मदों के लिए निर्यात प्राधिकार पत्र	24 माह
(iii)	प्रतिबंधित मदों और सीसीपी के लिए आयात प्राधिकार पत्र	18 माह
(iv)	ईपीसीजी प्राधिकार पत्र	18 माह
(v)	मान्य निर्यात हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र (एए)	परियोजना कार्यान्वयन की संविदा अवधि के साथ समाप्त अथवा 12 महीने, जो भी अधिक हो ।
(vi)	विदेश व्यापार नीति के अध्याय 4 के अनुसार रत्न एवं आभूषणों के लिए प्राधिकार पत्र (उपर्युक्त (v) को छोड़कर), शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र और प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र।	जारी होने की तारीख से न्यूनतम 12 महीने।

तथापि एक्जिम सुविधा समिति (ईएफसी) (गर–स्कोमेट वस्तुओं हेतु) और अंतर मंत्रालयो कार्य दल (आईएमडब्ल्यूजी) अनुबंध संबंधी दायित्व/डिलीवरी भोड्यूल को पूरा करने के लिए या संबंधित तकनीकी/प्र ाासनिक मंत्रालय/विभाग/या अन्य किसी एजेंसी की वि ाश्ट सिफारि ा पर अल्पावधि/दीर्घावधि के लिए निर्यात प्राधिकार पत्र जारी करने का अनुमोदन दे सकते हैं।

(ख) विदेश व्यापार महानिदेशालय दीर्घकालिक/अल्पकालिक वैधता अवधि हेतु विशिष्ट प्राधिकार पत्र/प्राधिकार पत्रों की श्रेणी जारी करने का निर्णय ले सकता है । इन मामलों में किसी विस्तार/पुनवैधीकरण की अनुमति डीजीएफटी ही दे सकता है।

2.17 आयात/निर्यात की गणना की तारीख

(क) आयात की गणना की तारीख प्रक्रिया पुस्तक के **पैराग्राफ 9.11** में यथाउल्लिखित आपूर्तिकर्ता देश से माल के पोतलदान/प्रेषण की तारीख से निर्धारित की जाती है न कि भारतीय पत्तन पर माल पहुंचने की तारीख से।

(ख) प्रक्रिया पुस्तक के **पैरा 9.12** में यथा उल्लिखित भारत से माल के पोतलदान/प्रेषण की तारीख के संदर्भ में निर्यात की गणना की तारीख का निर्णय किया जाता है। तथापि, विदेश व्यापार नीति के तहत लाभ के लिए अनुमत निर्यात आदेश (एलईओ) की तारीख निर्यात की गणना की तारीख होगी।

2.18 आयात/निर्यात के लिए प्राधिकार पत्र/लाइसेंस की वैधता

(क) प्राधिकार पत्र आयात की तारीख को वैध होने चाहिए।

(ख) इसी प्रकार, प्राधिकार पत्र की निर्यात दायित्व अवधि निर्यात की तारीख को वैध होनी चाहिए।

2.19 स्क्रिप की वैधता

अध्याय-3 और 5 के तहत स्क्रिप्स उस तारीख को वैध होने चाहिए जिस जारीख को शुल्क का वास्तविक डेबिट किया गया हो।

2.20 गैर-स्कोमेट और स्कोमेट मदों के लिए आयात/निर्यात लाइसेंस प्रमाण पत्र/प्राधिकार पत्र/ अनुमति का पुनः वैधीकरण

(क) संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी गुणावगुण के आधार पर आयात प्राधिकार पत्र की वैधता अवधि समाप्त होने पर इसका 6 महीनों के लिए पुनःवैधीकरण कर सकता है।

(ख) स्कोमेट मदों सहित अन्य मदों के निर्यात प्राधिकार पत्रों का पुनर्वैधीकरण संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा एक बार के लिए छः माह और अधिकतम 12 माह तक की अवधि के लिए योग्यता आधार पर प्रक्रिया पुस्तक पैरा 2.16 (ख) में दिए गए मामलों को छोड़कर किया जा सकता है।

(ग) तथापि, मुक्त रूप से हस्तांतरणीय प्राधिकार पत्र/शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्स और स्टॉक तथा बिक्री (स्कोमेट मदों को छोड़कर) प्राधिकार पत्र के पुनर्वैधीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि इनकी वैधता सीमाशुल्क प्राधिकारी/क्षेत्रीय प्राधिकारी/सरकारी प्राधिकारी के पास होते हुए ही समाप्त न हो गयी हो।

(घ) पाधिकार पत्र/ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप का पुनर्वैधीकरण भी विलम्ब की अवधि (अवधि जिसके लिए प्राधिकार पत्र/स्क्रिप धारक उसका उपयोग करने में असमर्थ रहा) या छः महीने, जो भी कम हो, के लिए कोई शुल्क लिए बिना निम्नलिखित कारणों से अनुमत होगाः

(i) यदि प्राधिकार पत्र/स्क्रिप या उसमें किसी संशोधन को निर्गम/संशोधन की तारीख से 15 कार्य दिवसों के भीतर सीमा शुल्क सर्वरों पर प्रेषित नहीं किया गया हो;

(ii) यदि सीमाशुल्क सर्वर द्वारा त्रुटि कोड के साथ प्राधिकार पत्र/स्क्रिप अस्वीकार किया गया हो;

(iii) यदि बांड/ईओडीसी की छूट जारी करने हेतु अनुरोध पर प्रक्रिया पुस्तक, 2015–2020 के पैरा 9.10 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर विचार नहीं किया गया हो जहां पूर्ण दस्तावेज प्राधिकार पत्र वैधता के भीतर प्रस्तुत किया गया है।

ऐसे मामलों में पुनर्वैधीकरण विलम्ब की अवधि के लिए पृष्ठांकन की तारीख अथवा छः माह के लिए, जो भी कम हो, से अनुमत होगा। उदाहरण के लिए, प्राधिकार पत्र दिनांक 01.04.2017 को 12 माह की प्रारंभिक वैधता के साथ जारी किया गया है। इसे सीमाशुल्क के सर्वर में डीजीएफटी के सर्वर द्वारा 01.04.2017 को प्रेषित किया गया परन्तु सीमाशुल्क के सर्वर द्वारा इसे 31/10/2017 को स्वीकार किया गया। इस प्रकार, प्राधिकार पत्र धारक को 7 माह (अभी भी 5 माह की वैधता शेष है) का नुकसान हुआ। ऐसे मामले में क्षेत्रीय प्राधिकारी पृष्ठांकन की तारीख से 6 माह (5 माह की वैधता को शामिल कर लिया गया है) की अवधि के लिए पुनर्वैधीकरण की अनुमति देगा।

आवेदक अपने दावे के समर्थन में डीजीएफटी के सर्वर के साथ–साथ सीमाशुल्क के सर्वर के स्क्रीन शॉट के साथ प्राधिकार–पत्र/स्क्रिप के पृष्ठांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी पुनर्वैधीकरण की अनुमति देने से पहले इसका सत्यापन करेगा।

तथापि, आवेदन सीमाशुल्क के सर्वर में प्राधिकार पत्र/स्क्रिप की अंतिम स्वीकृति की तारीख से एक माह के भीतर संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त निहित किसी बात के बावजूद पुनर्वैधीकरण के ये प्रावधान वहां लागू नहों होंगे जहां प्राधिकार पत्र/स्क्रिप धारक के पास इसके उपयोग के लिए स्पष्ट रुप से छह माह उपलब्ध था।

2.21 पुनः वैधीकरण का प्राधिकारी

पैरा 2.20 के तहत ऐसे पुनः वैधीकरण की अनुमति संबंधित कार्यालय प्रमुख के विशेष आदेशों के तहत दी जाएगी तथा ऐसे पुनः वैधीकरण परिरक्षा अवधि तक सीमित होगी ।

2.22 पुनः वैधीकरण के लिए आवेदन

प्राधिकार पत्र के पुनः वैधीकरण के लिए आवेदन संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है। क्षेत्रीय प्राधिकारी विदेश व्यापार नीति/प्रक्रिया पुस्तक के अनुसार ऐसे आवेदन पर विचार करेगा। जहां विदेश व्यापार महानिदेशक संबंधित प्राधिकारी हैं, वहाँ मूल आवेदन पत्र संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारियों को प्रस्तुत करना होगा और उसकी एक स्वसत्यापित प्रति महानिदेशक, विदेश व्यापार को प्रस्तुत करनी होगी।

डुप्लीकेट प्रतियां जारी करने की प्रक्रियाः

2.23 निर्यात/आयात प्राधिकार पत्र की डुप्लीकेट प्रतियाँ

जब कोई प्राधिकार पत्र/अनुमति पत्र/सीसीपी/लाइसेंस/प्रमाण पत्र खो जाता है, या गुम हो जाता है तो **परिशिष्ट-2ड** में दिए गए फार्म में, स्व-घोषणा पत्र की प्रति के साथ उस क्षेत्रीय प्राधिकारी को उसकी डुप्लीकेट प्रतिलिपि जारी करने के लिए आवेदन किया जा सकता है जहां मूल लाइसेंस जारी किया गया था।

2.24 मुक्त रूप से हस्तांतरणीय प्राधिकार पत्र की डुप्लीकेट प्रति के लिए आवश्यक दस्तावेज

मुक्त रुप से हस्तांतरणीय प्राधिकार पत्र की डुप्लीकेट प्रति निम्नलिखित दस्तावेजों सहित आवेदन के मद्दे जारी की जाएगीः

(i) बचाए गए शुल्क अथवा शुल्क क्रेडिट(अप्रयुक्त बकाया का) के 10 प्रतिशत के समतुल्य फीस के साथ एक आवेदन पत्र।

(ii) नुकसान को दर्शाने वाली प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफ आई आर) की एक प्रति।

(iii) ऐसे डुप्लीकेट जारी करने के कारण राजस्व की होने वाली क्षति की पूर्ति करने की स्व–घोशणा।

2.25 अपवाद

जब प्राधिकार पत्र सरकारी एजेन्सी द्वारा गुम हो जाता है और इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है तो उपर्युक्त पैरा 2.24 के (i) से (iii) तक के दस्तावेज नहीं माँगे जाएंगे । ऐसे मामलों में, पुनः वैधीकरण पृष्ठांकन की तारीख से छः महीनों की अवधि के लिए होगा ।

2.26 डुप्लीकेट जारी करने के लिए प्रणाली

संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी, अप्रयुक्त अधिशेष के लिए डुप्लीकेट जारी करने से पूर्व पंजीकरण के पत्तन पर सीमाशुल्क प्राधिकारी से ऐसे प्राधिकार पत्र के उपयोग से संबंधी रिपोर्ट प्राप्त करेगा।

2.27 डुप्लीकेट प्राधिकार पत्र की वैधता

डुप्लीकेट प्राधिकार पत्र की वैधता मूल अवधि के साथ समाप्त होगी। यदि वैधता समाप्त हो गई हो तो किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

2.28 प्रावधान की अनुप्रयोज्यता

पैरा 2.26 तथा 2.27 के प्रावधान, पैरा 2.23 तथा 2.24 दोनों में शामिल मामलों में लागू होंगे।

बैंक गारंटी/एलयूटीः

2.29 अग्रिम प्राधिकार पत्र/ई पी सी जी प्राधिकार पत्र के लिए बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता का निष्पादन

(क) सीमा शुल्क कार्यालय द्वारा माल की निकासी से पूर्व, प्राधिकार पत्र धारक को सीमा शुल्क प्राधिकारियों के साथ एक बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता निष्पादित करनी होगी। ऐसे मामलों में, लाइसेंस/प्राधिकार पत्र पर क्षेत्रीय प्राधिकारी निम्नलिखित शर्तें पृष्ठांकित करेगाः
"यथा लागू बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता को संबंधित सीमा शुल्क प्राधिकारियों के साथ निष्पादित करना होगा।"

(ख) स्वदेशी स्रोतों से माल की प्राप्ति के मामले में, प्राधिकार पत्र धारक समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क परिपत्र संख्या 58/2004 दिनांक 31-10-04 के अनुसार, क्षेत्रीय प्राधिकारी को बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा। यदि, फर्म ने सीमाशुल्क प्राधिकारियों को लाइसेंस/प्रमाणपत्र/प्राधिकार पत्र/अनुमति पत्र (स्वदेशी स्त्रोतों से प्राप्त मदों सहित) के कुल मूल्य के लिए पहले ही बैंक गांरटी/विधिक वचनबद्धता निष्पादित कर दी है और क्षेत्रीय प्राधिकारी को उसका प्रमाण प्रस्तुत कर दिया है तो क्षेत्रीय प्राधिकारी को बैंक गांरटी/विधिक वचनबद्धता निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी प्राधिकार पत्र पर पृष्ठांकित करेगा कि सीमाशुल्क प्राधिकारी संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र या ईओडीसी की प्राप्ति के बाद ही बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता को जारी/विमुक्त करेगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी उसकी एक प्रति अग्रेषण पत्र के साथ पंजीकरण के पत्तन पर सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास उसकी सूचना एवं रिकार्ड के लिए भेजेगा।

2.30 कारपोरेट गारंटी

इस संबंध में, संबद्ध सीमा शुल्क परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार स्तर धारक अथवा पीएसयू बैंक गारंटी/एलयूटी के बदले में कारपोरेट गारंटी भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

2.31 अग्रिम भुगतान

यदि भुगतान पहले प्राप्त हो जाता है और निर्यात/मान्य निर्यात बाद में किया जाता है तो प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन आगामी माह के लिए विशिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा जिस माह के दौरान निर्यात/मान्य निर्यात किया गया हो, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।

2.32 पट्टा वित्तीयन के तहत आयात

ई ओ यू/एस ई जैड, स्कीम के अन्तर्गत पट्टा वित्तीयन के तहत आयात उपलब्ध होगा। मान्य निर्यात की पात्र श्रेणियों के पूंजीगत माल के घरेलू आपूर्तिकर्ता,ऐसे मामलों में भी जहां आपूर्ति, पट्टा वित्तीयन के तहत की गई है, विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 7.03 में यथाउल्लिखित मान्य निर्यात लाभों के हकदार होंगे।

दस्तावेजों के खो जाने के मामले में:

2.33 पोतलदान बिलों की ई पी प्रति खो जाने पर स्क्रिप जारी करना

यदि पोतलदान बिल की ई पी प्रति खो जाती है तो अध्याय 3 और अध्याय 5 के तहत स्क्रिप्स दावे के बारे में निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की भार्त पर विचार किया जाएगा:-

i) मूल दस्तावेज के बदले सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए संगत दस्तावेज़ की डुप्लीकेट/प्रमाणित प्रति;

ii) सम्बद्ध हकदारी के 2 प्रतिशत के बराबर आवेदन शुल्क। तथापि, सरकारी अभिकरणों द्वारा ये दस्तावेज़ गुम करने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और इस आशय का दस्तावेज़ी सबूत प्रस्तुत किया गया है;

iii) निर्यातक द्वारा दस्तावेज़ खो जाने के बारे में स्व-घोषणा पत्र और यह वचनबद्धता कि यदि बाद में यह मिल जाता है तो इसे तत्काल संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को वापिस कर दिया जाएगा ।

iv) निर्यातक द्वारा इस आशय का स्व-घोषणा पत्र कि गुम हो गए पोतलदान बिलों के मद्दे जारी ड्यूटी क्रेडिट के कारण यदि कोई वित्तीय हानि होती है तो वह सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा। निकासी की अनुमति देने से पहले, सीमा-शुल्क प्राधिकारी, यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे पोतलदान बिल के मद्दे लाभ/ड्यूटी क्रेडिट का उपयोग नहीं किया गया है ।

2.34 पोतलदान बिल की गुम हुई प्रति के लिए दावा

पोतलदान बिल गुम होने के मद्दे दावा पोतलदान बिल की डुप्लीकेट प्रति जारी होने की तारीख से छह महीनों की अवधि के भीतर पेश करना होगा। इस अवधि के बाद प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

2.35 दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करना

जहां मूल दस्तावेज भिन्न क्षेत्रीय प्राधिकारी/नामित एजेंसियों या उसी क्षेत्रीय प्राधिकारी के भिन्न प्रभाग को सौंपे गए हैं, आवेदक मूल प्रति के एवज में विधिवत रूप से स्वप्रमाणित दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत कर सकता है।

गोदाम की सुविधाः

2.36 गोदामों की सुविधा

(क) विदेश व्यापार नीति के **पैरा 2.36** के अनुसार मदों का आयात करने के लिए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अध्याय-9 के अनुसार घरेलू प्रशुल्क क्षेत्रों में सार्वजनिक/निजी सीमाशुल्क बाण्डेड गोदाम स्थापित किये जा सकते हैं। माल की प्राप्ति पर, ऐसे गोदाम इस माल को यथा लागू सीमाशुल्क का भुगतान किए बिना एक वर्ष की अवधि के लिए रख सकेंगे । घरेलू उपभोग के लिए सक्षम सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा जारी ऐसे माल की निकासी के आदेश के बाद, सीमाशुल्क का भुगतान करने पर घरेलू उपभोग के लिए आगम-पत्र और प्राधिकार पत्र की प्रस्तुति, जहाँ कहीं आवश्यक हो, के माल की निकासी की जा सकती है। शुल्क मुक्त श्रेणियों/शुल्क रियायत श्रेणियों के मद्दे निपटान के मामलों में, शुल्क में छूट/रियायत, की अनुमति दी जा सकती है।

(ख) सीमाशुल्क का भुगतान किए बिना माल का पुनः निर्यात किया जा सकता है बशर्ते कि ऐसे माल के मामले में शिपिंग बिल या निर्यात बिल प्रस्तुत किया गया हो; और ऐसे माल का निर्यात करने के लिए सक्षम सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा आदेश दिया गया हो।

प्रमाण पत्रः

2.37 मुक्त बिक्री और वाणिज्य प्रमाणपत्र

(क) (i) क्षेत्रीय प्राधिकारी, आवेदन करने पर, अस्पताल, नर्सिग होम और क्लीनिक आदि में प्रयोग होने वाले चिकित्सीय और शल्य उपकरणों के लिए, औषध और प्रसाधन अधिनियम, 1940 के तहत न आने वाली निर्यात की मदों के लिए और जो निर्यात के लिए प्रतिबंधित नहीं है उनके लिए मुक्त बिक्री और वाणिज्य प्रमाणपत्र भी जारी कर सकता है। ऐसे प्रमाणपत्र की वैधता जारी होने की तारीख से दो वर्ष तक होगी जबकि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।

(ii) मुक्त बिक्री और वाणिज्य प्रमाणपत्र के लिए आवेदन परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र के **एएनएफ-2ज** में दिए गए प्रपत्र में अनुलग्नक क सहित संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी के पास जमा किया जा सकता है। क्षेत्रीय प्राधिकारी एएनएफ-2ज के अनुलग्नक ख के अनुसार मुक्त बिक्री और वाणिज्य प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(ख) (i) क्षेत्रीय प्राधिकारी आवेदन करने पर अन्य किसी भी मद का निर्यात जो प्रतिबंधित या निषिद्ध नहीं है उनके लिए मुक्त बिक्री और वाणिज्य प्रमाण-पत्र भी जारी कर सकता है । ऐसे प्रमाण पत्र की वैधता जारी होने की तारीख से दो वर्ष तक होगी जबकि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।

(ii) इन मदों के लिए मुक्त बिक्री और वाणिज्य प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र के **एएनएफ-2ज** में दिए गए प्रपत्र में अनुलग्नक 'क' सहित संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के पास जमा किया जा सकता है । क्षेत्रीय प्राधिकारी एएनएफ-2ज के अनुलग्नक 'ख' के अनुसार मुक्त बिक्री और व्यापार प्रमाण पत्र जारी करेगा।

2.38 वास्तविक प्रयोक्ता प्रमाण पत्र

भारत में किसी मुक्त आयात की जाने वाली मदों के आयात के मामले में, यदि विदेशी सरकार मद के वास्तविक प्रयोक्ता के प्रमाणन पर बल देती है तो, उनके देश से उसका निर्यात करने से पहले परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट-2थ के अनुसार ऐसा प्रमाणपत्र जारी कर सकता है। यह प्रमाण पत्र एएनएफ-2ञ में, निर्धारित दस्तावेजों सहित, किए गए आवेदन के आधार पर जारी किया जायेगा।

2.39 भारत-अमेरिका समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत आयात

(क) संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) से विशिष्ट पूंजीगत माल, कच्चे माल, संघटकों आदि का आयात संयुक्त राज्य अमेरिका निर्यात नियन्त्रण विनियमों के अधीन किया जाएगा। ऐसी मदों के संयुक्त राज्य अमेरिका के आपूर्तिकर्ताओं को, भारत में जारी आयात प्रमाणपत्र के आधार पर आयात प्राधिकार पत्र प्राप्त करना होगा। आयात प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी (आई.सी.आई.ए.) निम्नलिखित हैंः

(i) कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर पर आधारित सिस्टम के आयात हेतु इलैक्ट्रानिक विभाग; (डीओई)
(ii) कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर आधारित सिस्टम को छोड़कर औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, (डी आई पी पी) प्रौद्योगिकी सहायता खण्ड (टी एस डब्ल्यू), के अधीन पंजीकृत संगठित क्षेत्र की यूनिटों के लिए।
(iii) रक्षा से संबंधित मदों के लिए रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ।
(iv) लघु उद्योग तथा इकाइयाँ जो उपर्युक्त में शामिल नहीं तथा उपर्युक्त में से किसी के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय।
(v) उपर्युक्त किसी की भी ओर से भारतीय दूतावास, वाशिंगटन डी सी ।

(ख) आयात प्रमाणपत्र के लिए 'आयात-निर्यात प्रपत्र' -2ट(i) में आवेदन करना होगा। परिशिष्ट-2त (ik) में आयात प्रमाण-पत्र आई.सी.आई.ए. द्वारा सीधे ही आयातक को दिया जाएगा तथा इसकी प्रतिलिपि (i) विदेश मंत्रालय (एमईए) (ए एम एस अनुभाग), नई दिल्ली (ii) इलैक्ट्रानिक विभाग, (डीओई) नई दिल्ली, और (iii) विदेश व्यापार महानिदेशालय, नई दिल्ली को भेजी जाएगी।

(ग) तथापि, आयात प्रमाणपत्र को आई टी सी (एच एस) में यथा प्रतिबंधित उल्लिखित मदों के लिए आयात प्राधिकार पत्र को के स्थान पर नहीं माना जाएगा और ऐसी मदों के लिए जब अपेक्षित हो आयात प्राधिकार पत्र प्राप्त करना होगा।

(घ) संयुक्त राज्य अमेरिका के एकपक्षीय निर्यात नियंत्रण मदों [परिशिष्ट 2त (ii क) में यथा सूचीबद्ध अपराध नियंत्रण (सीसी) मद और परिशिष्ट 2त (ii ख) में यथा सूचीबद्ध क्षेत्रीय सुरक्षा (आरएस) मद] के संबंध में भारत का आयात और निर्यात निम्नलिखित विनियमनों से अभिशासित होगाः

संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात के लिए परिशिष्ट 2त (ii क) और परिशिष्ट 2त (ii ख) दोनों में सूचीबद्ध मदें विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अनुमत होंगी बशर्ते आयातक आयात निर्यात प्रपत्र 2ट(i) में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेंः

(i) संयुक्त राज्य अमेरिका के पत्तन को दर्शाते हुए लदान-पत्र का दस्तावेजी प्रमाण,
(ii) विधिक वचनबद्धता कि माल का निर्यात/हस्तांतरण नहीं किया जाएगा और
(iii) वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के साथ आयात किया गया है।

(ड.) यदि आयातक संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातित मदों या उससे हिस्से का बाद में निर्यात करना चाहता है तो ऐसे निर्यात के लिए आयात निर्यात प्रपत्र 2ट (ii) के अनुसार विदेश व्यापार महानिदेशालय से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता होगी तथा निर्यात प्रमाण-पत्र परिशिष्टि-2त (i ख) प्रपत्र में जारी किया जाएगा।

(च) इन मदों का आयात/निर्यात भारत के केवल ईडीआई समर्थित पत्तनों से अनुमत होगा।

आयातः

2.40 उपभोक्ता अथवा अन्य माल का उपहार के रूप में आयात

(क) विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.25 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, आई टी सी (एच एस) में आयात के लिए प्रतिबंधित रुप में उल्लिखित मदों का उपहार के रुप में आयात के लिए सीमाशुल्क निकासी परमिट की मंजूरी हेतु आवेदन पत्र विदेश व्यापार महानिदेशक को निर्धारित दस्तावेजों के साथ आयात निर्यात प्रपत्र 2ड में दिए प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा ।

(ख) जहां उपहार का प्राप्तकर्ता लागू कानून के अधीन पंजीकृत धर्मार्थ, धार्मिक अथवा एक शैक्षिक संस्थान हैं और आयात किए जाने वाल उपहार को सीमाशुल्क के भुगतान से छूट दी गई है, ऐसा आयात सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा सीमाशुल्क निकासी अनुज्ञा पत्र के बिना अनुमत होगा।

2.41 चैक बुक/टिकट फार्म आदि का आयात

विदेशी बैंकों, बीमा कम्पनियों तथा ट्रैवल एजेंसियों की भारतीय शाखाओं द्वारा चैक बुक, बैंक ड्राफ्ट फार्म तथा ट्रेवेलर चैक फार्मों का सीमाशुल्क निकासी परमिट के बिना आयात किया जा सकता है। इसी प्रकार, भारत में कार्यरत एअरलाइन्स/शिपिंग कम्पनियाँ, जिनमें इन एअरलाइन्स/शिपिंग कम्पनियों द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति भी शामिल हैं, सीमाशुल्क निकासी परमिट के बिना पैसेंजर्स टिकट फार्मों का आयात कर सकती है।

2.42 वायुयान के रीकंडीशन्ड/ पुराने कल पुर्जों का आयात

नागर विमानन महानिदेशक, भारत सरकार (डीजीसीए) की सिफारिशों पर वायुयान के रीकंडीशन्ड/ पुराने कलपुर्जे के लिए आयात प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी ।

2.43 प्रतिस्थापन माल का आयात

सामान और उसके पुर्जे आयात करने पर खराब या अन्यथा उपयोग के लिए उपयुक्त न हो अथवा जो आयात करने के बाद नष्ट हो गये हों, उनका प्राधिकार पत्र के बिना निर्यात किया जा सकता है तथा प्रतिस्थापन वाले सामान की विदेशी सप्लायरों द्वारा बिना प्रभार की आपूर्ति की जा सकती है या समुद्री बीमा के प्रति आयात अथवा बीमा कम्पनी द्वारा निपटाये गए समुद्री सह निर्माण बीमा दावों का निपटान के विरूद्ध आयात किया जा सकता है । ऐसे सामान का सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा आयात प्राधिकार पत्र के बिना निकासी करने की अनुमति होगी बशर्ते किः

(क) सीमाशुल्क द्वारा पिछले आयातित सामान की निकासी की तारीख से 24 माह के भीतर प्रतिस्थापन माल का पोतलदान किया जाता है अथवा मशीन या उसके कलपुर्जों के मामलों में, जहाँ 24 माह से अधिक समय लग गया है, गारंटी अवधि के भीतर ऐसा किया जाता है; और

(ख) आयातक द्वारा किए गए बीमा और/अथवा भाड़े के भुगतान के अधीन विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा सामान की प्रतिपूर्ति पर बीमा और भाड़े के भुगतान को छोड़कर कोई प्रेषण शुल्क अनुमत नहीं होगा और प्रेषण शुल्क देते समय इस प्रयोजन का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

2.44 प्रतिस्थापन माल के आयात की अन्य शर्तें

(क) ऐसे मामलों में जहाँ माल पोत में कम चढ़ाया, कम उतारा गया पाया जाए या आवाजाही में गुम पाया जाए, प्रतिस्थापन माल का आयात, सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर बिना किसी आयात प्राधिकार पत्र के अनुमत होगा।

(ख) यह प्रक्रिया उस मामले में भी लागू होगी जहाँ विदेशी आपूर्तिकर्त्ता द्वारा पोत में सामान के कम लदान को प्रमाणित किया जाता है और वह सामान मुफ्त बदलने के लिए तैयार है।

(ग) जो मामले उपर्युक्त प्रावधानों में शामिल नहीं होते हैं उनके संबंध में वस्तुओं के प्रतिस्थापन के लिए प्राधिकार पत्र की मंजूरी हेतु विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा, जिसके लिए आवेदन पत्र प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.50 के अनुसार प्रस्तुत करने होंगे।

2.45 विदेशी कार्यालय उपकरणों का आयात

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से स्थापित समुद्रपारीय कार्यालयों को बंद करने पर, प्रयुक्त कार्यालय उपकरणों और अन्य मदों का आयात प्राधिकार पत्र के बिना किया जा सकता है ।

2.46 लाइसेंसधारी/प्राधिकृत हथियार व्यापारियों द्वारा हथियारों का आयात

(क) लाइसेंसधारी हथियार व्यापारियों द्वारा प्राधिकार पत्र के मद्दे निम्नलिखित प्रकार के हथियारों का आयात अनुमत है बशर्ते कि यह यथाविनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता हो :

(i) शाटगन कार्टरिज 28, बोर के;

(ii) रिवाल्वर कार्टरिज .450, .455 और .45 बोर के;

(iii) पिस्टल कार्टरिज .25, .30 माउजर, .450 और .45 बोर के;

(iv) राइफल कार्टरिज 6.5 एम एम, .22 सेवेज, .22 हार्नेट, 300 शेरवुड, 32/40, .256, .275, .280, 7 एम/ एम माउजर, 7 एम/एम मैनस्कूनर, 9 एम/एम माउजर, 9 एम/एम मैनस्कूनर, 8x57, 8x57 एस, 9.3 एम/एम, 9.5 एम/एम, .375 मैगनम, .405, .30.06, .270, .30/30 विंच, .318, .33 विंच .275 मैग, .350 मैग, 400/350, .369 पुरडे, .450/400, .470, .32 विन .458 विन, .380 रुक, .220 स्वीफ्ट और .44 विन बोर्स के।

(ख) आयात प्राधिकार पत्र विगत 3 लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान गोला बारुद के वार्षिक औसत बिक्री कारोबार (देशी अथवा आयातित) के मूल्य के 5 प्रतिशत मूल्य तक दिया जाएगा बशर्ते कि यह न्यूनतम 2000/-रुपये से कम न हो।

(ग) उपर्युक्त पैरा में दी गई मदों के लिए प्राधिकार पत्र हेतु आवेदन उसमें विहित निर्धारित दस्तावेजों के साथ **आयात-निर्यात फार्म-2ड** में क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है।

2.47 विशिष्ट क्षेत्र के लिए शुल्क मुक्त आयातः

(क) भेषज और जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास उपकरण

(i) पिछले लाइसेंसिंग वष के दौरान निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 25 प्रतिशत तक वस्तुओं (समय-समय पर यथा संशोधित सीमा-शुल्क अधिसूचना सं0 21/2012 दिनांक-17.03.2012 की सूची 28 में यथा निर्दिष्ट) के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी जाएगी।

(ii) पात्र यूनिट परिशिष्ट-8क में दिए अनुसार चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत् प्रति-हस्ताक्षरित आवेदन-पत्र संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(iii) अनुसंधान और विकास उपकरण के शुल्क मुक्त आयात के मामले में उन यूनिटों को स्वतंत्र सनदी अभियंता द्वारा जारी अधिष्ठापन प्रमाण-पत्र देने की अनुमति होगी जो क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क प्राधिकारियों के पास पंजीकृत नहीं हैं।

(ख) खाद्य-रसायन क्षेत्रः-

(i) कृषि रसायन क्षेत्र यूनिट जिनका पिछले लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान निर्यात कारोबार 20 करोड़ रूपये या अधिक है को पिछले लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान किए गए निर्यात के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 1 प्रतिशत तक, सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 21/2012 दिनांक 17-03-2012 की सूची 28क में यथा निर्दिष्ट माल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति होगी।

(ii) पात्र यूनिट परिशिष्ट-8ख में दिए गए चार्टर्ड एकाउंटेट द्वारा विधिवत् प्रतिहस्ताक्षरित आवेदन-पत्र संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी।

(iii) जो यूनिटें क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क प्राधिकारियों के पास पंजीकृत नहीं हैं उन्हें अनुसंधान एवं विकास उपकरण के शुल्क मुक्त आयात के संबंध में स्वतन्त्र सनदी अभियन्ता द्वारा जारी अधिष्ठापन प्रमाण पत्र देने की अनुमति होगी।

2.48 एक सरकार से दूसरी सरकार के समझौतों के अन्तर्गत आयात

एक सरकार से दूसरी सरकार के समझौतों के अन्तर्गत माल का आयात, सीमाशुल्क प्राधिकारियों को उनकी संतुष्टि के अनुसार आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने पर प्राधिकार पत्र या सीमाशुल्क निकासी परमिट के बिना अनुमत किया जा सकता है।

2.49 आयातित माल का हस्तांतरण

(क) ऐसे मामले जहाँ पूर्व अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित हैः-

ऐसे आयातित माल, जो वास्तविक प्रयोक्ता शर्तों के अधीन हैं और वास्तविक उपयोक्ता की आवश्यकता से अधिक है, का हस्तांतरण केवल संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है। सहायक दस्तावेजों के साथ निम्नलिखित सूचना, हस्तांतरण के लिए मंजूरी के अनुरोध सहित, सम्बंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी :-

(i) आयातित सामग्री के हस्तांतरण के कारण;

(ii) जिसको हस्तांतरित किया जाना है उस व्यक्ति का नाम, पता, आयातक-निर्यातक कोड संख्या तथा औद्योगिक प्राधिकार पत्र पंजीकरण, यदि कोई हो;

(iii) आयातित माल का विवरण, मात्रा और मूल्य तथा जिसका हस्तांतरण करने की अनुमति मांगी गई है;

(iv) किए गए आयात से संबंधित आयात प्राधिकार पत्र और आगमपत्र की प्रतियां;

(v) क्रेता और विक्रेता के बीच हस्तांतरण की शर्तें जिस पर सहमति बनी है ।

(ख) ऐसे मामले जहाँ पूर्व अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित नहीं हैः-

(i) मुक्त रूप से आयातित माल के आयातक द्वारा बिक्री अथवा अन्यथा के मामले में।

(ii) वास्तविक प्रयोक्ता शर्त सहित आयातित माल हेतु, बशर्ते ऐसा माल हस्तांतरण की वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के बिना मुक्त रूप से आयातित हो।

(iii) आयात की तिथि से दो वर्ष की अवधि के पश्चात वास्तविक प्रयोक्ता शर्त वाले माल हेतु ।

(iv) आयातित आग्नेयास्त्रों के हस्तांतरण हेतु, (क) आयात 10 वर्ष बाद अथवा (ख) आयातक के 60 की आयु प्राप्त कर लेने पर, बशर्ते कि अंतरिती अस्त्र–शस्त्र अधिनियम और उसके अधीन बन नियमों में दी गई शर्तें पूरी करता हो।

(v) प्रसिद्ध निशानेबाजों (जिन्हें आईटीसी (एचएस) 2017 के अध्याय 93 की नीति शर्त 3 में यथा परिभाषित) के लिए आयातित हथियार (आग्नेयशस्त्रों) के हस्तांतरण जो किसी उभरते निशानेबाज के रवेल के क्षेत्र में निशानेबाजी करने के उद्देश्य हेतु या राष्ट्रीय रायफल एसोसिएशन आफ इण्डिया (एनआरएआई) अथवा रवेल विभाग, युवा कार्य एवं रवेल मंत्रालय द्वारा आयात के दो वर्ष पश्चात प्रमाणित किया जाना चाहिए। तदुपरांत हस्तांतरिती पहली बिक्री की तिथि से एक वर्ष के पश्चात निशानेबाजी को जारी रखने के एकमात्र उद्देश्य हेतु एनआरएआई अथवा रवेल विभाग द्वारा प्रमाणित किए जाने पर किसी खरीददार को हस्तांतरित/पुनः बेच सकता है। ऐसा हस्तांतरण/बिक्री भास्त्र अधिनियम,1959 तथा राज्य/स्थानीय पुलिस द्वारा लागू अन्य नियमों/विनियमों के प्रावधानों के अधीन होगा। एनआर-एआई/रवेल विभाग अपेक्षित रिकार्ड का रखरखाव करेंगे।

प्रतिबंधित मदों का आयातः

2.50 'प्रतिबंधित' मदों का आयात

आईटीसी (एचएस) में "प्रतिबंधित" के रूप में उल्लिखित मदों के आयात या निर्यात के लिए प्राधिकार पत्र की मंजूरी हेतु आवेदन पत्र, **एएनएफ-2ड** में निर्धारित दस्तावेजो सहित डीजीएफटी मुख्यालय को एक प्रति भेजते हुए क्षेत्रीय प्राधिकरण को भेजा जा सकता है। वास्तविक आवेदन को कोषागार रसीद/डिमांड ड्राफ्ट के साथ संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा इसकी स्वःअभिप्रमाणित दूसरी प्रति संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकरण को प्रस्तुत आवेदन के प्रमाण सहित डीजीएफटी को भेजी जानी चाहिए।

2.51 निर्यात आयात सुविधा समिति

(क) प्रतिबंधित मद प्राधिकार पत्र विदेश व्यापार महानिदेशक या उनकी ओर से इस संबंध में प्राधिकृत कोई अन्य क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा दिया जा सकता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय/क्षेत्रीय प्राधिकारी, प्राधिकार पत्र देते समय सुविधा समिति की सहायता और सलाह ले सकते हैं। तकनीकी प्राधिकारियों से भी लिखित में सलाह लेकर सहायता ली जा सकती है । सुविधा समिति में संबंधित तकनीकी प्राधिकरणों और विभागों/मंत्रालयों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।

(ख) यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निदेश दिया जाता है तो प्रतिबंधित मद के लिए आयात प्राधिकार पत्र, आवेदक द्वारा लिखित रूप से बताये गये विकल्प के अनुसार किसी पत्तन या हवाई अड्डे अथवा आई.सी.डी अथवा एल.सी.एस. के माध्यम से आयात हेतु जारी किये जाएंगे। प्राधिकार पत्र धारक आयात प्राधिकार पत्र को प्राधिकार पत्र में निर्दिष्ट पत्तन पर पंजीकृत करवायेगा और इसके बाद उक्त प्राधिकार पत्र के मद्दे सभी आयात केवल इसी पत्तन के माध्यम से किये जाएंगे जब तक कि प्राधिकार पत्र धारक किसी अन्य विनिर्दिष्ट पत्तन से आयात करने के बारे में संबंधित सीमा शुल्क प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं कर लेता।

(ग) निर्यात आयात सुविधा समिति (ईएफसी) सामान्यतः महीन में एक बार बैठक करेगी। जहां मामले को ईएफसी में तकनीकी प्राधिकारियों और संबंधित विभागों/मंत्रालयों से टिप्पणियों के अभाव में आस्थगित कर दिया गया है और तत्पश्चात एजेंसी (एजेंसियों) से बिना किसी भिन्न दृष्टिकोण के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है/हो गए हैं, अध्यक्ष, ईएफसी के अनुमोदन से प्राधिकार–पत्र जारी किया जाएगा और ईएफसी की अनुवर्ती बैठक में कार्योत्तर आधार पर अनुमोदन हेतु मामले को रखा जाएगा।

2.52 होटलों, रेस्तराओं, ट्रेवल एजेन्टों, टूर- आपरेटरों और अन्य विनिर्दिष्ट श्रेणियों द्वारा अपेक्षित प्रतिबंधित मदों का आयात

महानिदेशक, पर्यटन, भारत सरकार की सिफारिशों के आधार पर होटलों, रेस्तराओं, ट्रेवल एजेन्टों और टूर आपरेटरों द्वारा अपेक्षित आईटीसी(एचएस) में आयात के लिए प्रतिबंधित के रूप में उल्लिखित मदें प्राधिकार पत्र के मद्दे अनुमत होंगी।

(क) महानिदेशक, पर्यटन, भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पर्यटन होटलों सहित होटल, पिछले लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान होटल और पर्यटन उद्योग से संबंधित आवश्यक माल के आयात के लिए, विदेशी पर्यटकों से उनके द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा के 25 प्रतिशत मूल्य तक के आयात प्राधिकार पत्र के पात्र होंगे।

(ख) भारत सरकार के पर्यटन महानिदेशक द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रेवल एजेंटों, टूर संचालकों, रेस्तराओं तथा पर्यटन परिवहन संचालकों और साहसिक/वन्य जीव जैसे पर्यटन के लिए अन्य यूनिट और कन्वेन्शन यूनिट को गत लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान उनके द्वारा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा के 10 प्रतिशत मूल्य का आयात प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के पात्र होंगे और ऐसे प्राधिकार पत्र ट्रैवल तथा पर्यटन उद्योग को उनकी व्यावसायिक प्रयोग के लिए अपेक्षित कार्यालय एवं अन्य उपकरणों सहित अनिवार्य वस्तुओं, जिनका आयात प्रतिबंधित है उनका आयात करने के लिए दिए जाएंगे।

(ग) पैरा **2.52** (क) तथा **2.52** (ख) के अन्तर्गत किसी भी लाइसेंसिंग वर्ष की आयात हकदारी के लिए पूरी अथवा उसके एक भाग को आगे ले जाया जा सकता है तथा दो आगामी लाइसेंसिंग वर्षों की आयात हकदारी में जोड़ा जा सकता है।

(घ) ऐसी आयातित वस्तुएं विदेश व्यापार महानिदेशालय की अनुमति से 2 वर्षों के बाद हस्तांतरित की जा सकती हैं। आयातित माल के पुनर्निर्यात के मामले में हस्तांतरण के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी । तथापि पुनर्निर्यात, आईटीसी (एचएस) की अनुसूची-II में यथा अपेक्षित सभी शर्तों अथवा लाइसेंस की आवश्यकताओं अथवा अनुमति के अधीन किया जाएगा ।

(ड.) पैराग्राफ **2.52** (क) और **2.52** (ख) के अधीन प्राधिकार पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन आयात निर्यात **प्रपत्र 2ड** में महानिदेशक विदेश व्यापार को निदेशक, पर्यटन विभाग, भारत सरकार के जरिए देना होगा जो इस आवेदनपत्र को अपनी सिफारिश के साथ संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को अग्रेषित करेंगे।

2.53 सरकार की यूनिटों द्वारा अनुसंधान एवं विकास के लिए प्रतिबंधित मदों का आयात

अनुसंधान एवं विकास प्रयोजन के लिए जीवित जानवरों को छोड़कर सभी प्रतिबंधित मदों और एस टी ई के माध्यम से अनुमत मदों का आयात सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसंधान और विकास यूनिटों द्वारा प्राधिकार पत्र के बिना किया जा सकता है।

2.54 धात्विक छीजन और स्क्रैप का आयात

किसी प्रकार के धात्विक छीजन, स्क्रैप का आयात इस शर्त के अधीन होगा कि उसमें खतरनाक, जहरीला छीजन, रेडियोएक्टिव दूषित छीजन/स्क्रैप जिसमें रेडियोएक्टिव सामान, किसी प्रकार के हथियार, गोला बारुद, माइन्स, गोलियों के खोल जिंदा या चला हुआ बारुद या किसी भी प्रकार की अन्य विस्फोटक सामग्री हो चाहे वह प्रयोग की गई हो या नहीं, नहीं होगी ।

(क) निम्नलिखित प्रकार के धात्विक छीजन और स्क्रैप का आयात कुछ शर्तों के अधीन होगा, जिनका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैः

क्र.सं.	एग्जिम कोड	मद ब्यौरा
1	72041000	कास्ट आयरन का छीजन और स्क्रैप
2.	72042190	अन्य
3.	72042920	हाई स्पीड स्टील का
4.	72042990	अन्य
5.	72043000	टिन वाले लोहे या स्टील का छीजन और स्क्रैप
6.	72044100	टर्निंग्ज, शेविंग्ज, चिप्स, मिलिंग वेस्ट, सॉ डस्ट, फिलिंग्स, ट्रिमिंग्स और स्टैपिंग्स, चाहे गठ्ठर मे हो या नहीं

7.	72044900	अन्य
8.	72045000	दोबारा पिघलने वाले स्क्रैप इनगोट्स
9.	74040012	कॉपर स्क्रैप
10.	74040022	ब्रास स्क्रैप
11.	75030010	निकल स्क्रैप
12.	76020010	ऐल्यूमिनियम स्क्रैप
13.	79020010	जिंक स्क्रैप
14.	80020010	टिन स्क्रैप
15.	81042010	मैगनीशियम स्क्रैप

(ख) 'मुक्त रूप' से आयातित (खंडित रुप में) धात्विक छीजन और स्क्रैप का आयात निम्नलिखित शर्तों के अधीन भारत के सभी पत्तनों से अनुमत किया जाएगाः-

(i) माल की निकासी के समय आयातक को सीमा शुल्क प्राधिकारी को परिशिष्ट-2छ में दिए गये किसी भी जाँच और प्रमाणन अभिकरणों से प्राप्त परिशिष्ट-2ज में दिये गये प्रपत्र के अनुसार इस आशय का पोतलदान पूर्व जाँच प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि इस खेप में किसी भी प्रकार के रेडिऐशन स्तर के लिए जाँच कर ली गई है और स्क्रैप में प्राकृतिक रूप से आधिक्य में रेडिएशन स्तर (गामा और न्यूट्रान) शामिल नहीं है । यह प्रमाण पत्र स्क्रैप पर अधिकतम रेडिएशन स्तर के साथ बैकग्राउंड रेडिएशन स्तर के मान को दर्शाएगा; और

(ii) आयातक निर्यातक के साथ हुए करार की प्रति प्रस्तुत करेगा जिसमें यह दर्शाया गया हो कि इस खेप में किसी भी रुप में कोई रेडियो एक्टिव दूषित सामग्री नहीं है ।

(ग) होदाईडेह, यमन और बंदार अबास, ईरान से आयात केवल खंडित रूप में होगा।

(घ) पैरा 2.54 (क) में उल्लिखित अखंडित, संकुचित और टूटे रुप में धात्विक छीजन और स्क्रैप का आयात निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाएगाः-

(i) माल की निकासी के समय आयातक को सीमा शुल्क प्राधिकारी को परिशिष्ट-2छ में दिए गये किसी भी जाँच और प्रमाणन अभिकरणों से प्राप्त परिशिष्ट-2ज में दिये गये प्रपत्र के अनुसार इस आशय का पोतलदान पूर्व जाँच प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि इस खेप में किसी भी प्रकार के हथियार, बारूद,माइन्स, शैल्स, कार्ट्रिजेज या किसी भी रूप में विस्फोटक सामग्री चाहे प्रयुक्त हुई हो या नहीं, विद्यमान नहीं है और रेडिऐशन स्तर के लिए इस खेप की जाँच कर ली गई है और इसमें प्राकृतिक बैकग्राउण्ड के आधिक्य में रेडिएशन स्तर (गामा और न्यूट्रान) शामिल नहीं है । प्रमाण पत्र में स्क्रैप पर अधिकतम रेडिएशन स्तर के साथ बैकग्राउंड रेडिएशन स्तर के मान को दर्शाया जाएगा ।

(ii) आयातित मद (मदें) ऐसे वर्गीकरण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय रुप से स्वीकृत मानदंड के अनुसार धात्विक अपशिष्ट/स्क्रैप/ पुराने दोषपूर्ण है ।

(iii) आयातक और निर्यातक के बीच समझौते की प्रति जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि इस खेप में किसी भी प्रकार के हथियार, बारुद, माइन्स, शेल्स, कार्ट्रिजेज, रेडियो एक्टिव कंटैमिनेटेड अथवा अन्य रुप में विस्फोटक सामग्री, चाहे प्रयुक्त हुई हो अथवा नहीं नहीं है।।

(iv) स्क्रैप का आयात केवल निम्नलिखित नामित पत्तनों द्वारा किया जा सकेगा और ईओयू तथा एसईजैड के मामले में भी कोई छूट नहीं दी जाएगीः

1. चैन्नई 2. कोचीन 3. इन्नोर 4. जे.एन.पी.टी. 5. काण्डला 6. मोर्मूगाव 7. मुम्बई 8. न्यू मैंगलोर 9. पारादीप 10. तूतीकोरिन 11. विशाखापट्नम 12. पिपावा 13. मुन्द्रा 14. कोलकाता

(v) निम्नलिखित शर्तों के अधीन अखंडित धात्विक अपशिष्ट और स्क्रैप के आयात के लिए केवल प्रविष्टि समुद्री पत्तनों को नामित और अधिसूचित किया जाएगाः

(i) अखंडित धात्विक स्क्रैप के आयात के लिए नामित किसी भी समुद्री पत्तन को पर्याप्त सरक्षा युक्त रेडिएशन पोर्टल मॉनीटर और कंटेनर स्कैनर अधिस्थपित करना होगा। उपर्युक्त पूरा कर लेने वाले समुद्री पत्तन को निरीक्षण और प्रमाणन के लिए क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क कार्यालय मे सम्पर्क करना होगा। सीमा शुल्क कार्यालय एईआरबी से प्रमाणन प्राप्त कर लेने के बाद आवश्यक मंजूरी प्रदान करेगा। सीमा शुल्क कार्यालय से मंजूरी मिलने के बाद विदेश व्यापार महानिदेशालय ऐसे पत्तन को अखंडित स्क्रैप के आयात के लिए नामोद्दिष्ट पत्तन के रूप में अधिसूचित करेगा।

(ii) मौजूदा नामोद्दिष्ट समुद्री पत्तन नामतः चेन्नई, कोचिन, इन्नोर, जेएनपीटी, कांडला, मर्मूगांव, मुम्बई, न्यू मंगलोर, पारादीप, तुतीकोरिन, विशाखापत्तनम, पिपाव, मुन्द्रा और कोलकाता को 31 मार्च, 2018 तक अखंडित स्क्रैप के आयात के लिए अनुमति होगी और तब तक उन्हे रेडिएशन पोर्टल मानीटर और कंटेनर स्कैनर अधिष्ठापित और प्रचालित करना होगा। ऐसे समुद्री पत्तनों जो समय–सीमा का पालन नहीं करते हैं, की 01.04.2018 से अखंडित धात्विक स्क्रैप के आयात के प्रयोजन हेतु मान्यता रद्द कर दी जाएगी।

(iii) इसके अलावा, कोई भी आईसीडी अखंडित धात्विक स्क्रैप की मंजूरी कर सकता है बशर्ते यह उपरोक्त नामोद्दिष्ट किसी भी समुद्री पत्तनों या समय–समय पर अधिसूचित/नामोद्दिष्ट किए जाने वाले किसी नए पत्तन से गुजरता हो जहां रेडिएशन पोर्टल मानीटर और कंटेनर स्कैनर प्रचालन में है तथा सीमाशुल्क कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार खेप जोखिम आधारित स्कैनिंग/मानीटरिंग के अधीन है।

(iv) उपर्युक्त के बावजूद आयात खेप उद्गम देश से निरीक्षण–पूर्व प्रमाणपत्र के अधीन होंगी। तथापि, अखंडित धातु स्क्रैप के आयात से जुड़े जोखिम के मूल्यांकन के आधार पर अखंडित धातु स्क्रैप के आयात की मंजूरी अभिशासित करने वाले उपर्युक्त तंत्र के कियान्वयन के साथ पोतलदान–पूर्व निरीक्षण प्रमाणन (पीएसआईसी) की आवश्यकता की समीक्षा की जाएगी।

2.55 पोतलदान पूर्व निरीक्षण एजेंसी (पीएसआईए) को मान्यता देना और पोतलदान–पूर्व निरीक्षण प्रमाण पत्र (पीएसआईसी) जारी करना।

(क) पीएसआईए के लिए मान्यता हेतु आवेदन आयात निर्यात **प्रपत्र 2ठ** में निर्धारित प्रपत्र में करना होगा। अनुलग्नकों और दस्तावेजों सहित आयात निर्यात **प्रपत्र 2ठ** में आवेदन की स्कैन की हुई प्रतिलिपि डाक द्वारा भेजने के अलावा विदेश व्यापार महानिदेशालय को ईमेल (psia-dgft@nic.in पर) द्वारा भेजी जाएगी।

(ख) भारत में स्थित आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क 7500/– रू0 होगा और विदेश में स्थित आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क 200 अमेरिकी डालर होगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा समय–समय पर शुल्क में संशोधन किया जा सकता है।

(ग) अन्तर–मंत्रालयी समिति द्वारा आवेदन–पत्रों पर विचार किया जाएगा।

(घ) मान्यताप्राप्त पीएसआईए को तीन वर्षों की अवधि के लिए **परिशिष्ट–2छ** के तहत अधिसूचित किया जाएगा। 3 वर्ष पूरा होने पर पीएसआईए को आगे मान्यता प्राप्त करने के लिए नया आवेदन करना होगा।

(ड.) पीएसआईए **परिशिष्ट–2ज** में दिए गए प्रपत्र में पोत–लदान पूर्व निरीक्षण प्रमाणपत्र (पीएसआईसी) जारी करेगी। पीएसआईसी में पीएसआईए का विशिष्ट रूप से अंकित हॉलोग्राम भी होगा।

(च) पीएसआईए उन देशों में भी अपने निरीक्षकों की तैनाती करके निरीक्षण कर सकती है जहां इसका पूर्णकालिक सुव्यवस्थित शाखा कार्यालय नहीं है किन्तु जो इसके प्रचालन के क्षेत्र में आता है। तथापि, अन्य देशों में ऐसे निरीक्षणों के लिए पीएसआईए को ईमेल (psia-travel-dgft@gov.in पर) भेजकर तथा निरीक्षक द्वारा किए गए दौर/निरीक्षण का ब्यौरा पीएसआईसी में प्रस्तुत करके विदेश व्यापार महानिदेशालय को पूर्व में सूचित करना होगा।

(छ) आवेदक आयात निर्यात **प्रपत्र–2ठ** की क्रम सं.9 के अंतर्गत यथा अपेक्षित बैंक गारंटी के बिना प्रारंभ में अपने आवदन–पत्र प्रस्तुत कर सकते है। उनके आवेदन–पत्र केवल बैंक गारंटी प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर अस्वीकार नहीं किए जाएंगे। तथापि, आवेदकों को विदेश व्यापार नीति/प्रक्रिया पुस्तक, 2015–20 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हे पीएसआईए के रूप में अधिसूचित किए जाने से पूर्व बैंक गारंटी या कोई समतुल्य वित्तीय दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

2.56 पीएसआईए और आयातक की जिम्मेवारी और देयता

(क) पीएसआईए में गलत घोषणा या पीएसआईए के रूप में मान्यता के लिए आवेदन–पत्र में गलत घोषणा के मामले में पीएसआईए पर मान्यता के निलंबन/निरस्तीकरण के अलावा यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(ख) आयातक और निर्यातक संयुक्त रूप से तथा अलग–अलग यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवार होंगे कि आयात की गई सामग्री पीएसआईसी म की गई घोषणा के अनुसार है। किसी गलत घोषणा के मामले में उनपर यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(ग) पीएसआईए को पीएसआईसी की स्कैन की हुई प्रतिलिति (पीडीएफ फार्मेट में) को डीजीएफटो की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा और ईमेल (psia-dgft@gov.in पर) करना होगा। यह प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र **परिशिष्ट–2ज** में जारी किया जाएगा।

(घ) पीएसआईए को निम्नलिखित कार्यकलापों/ब्यौरों को विधिवत रूप से कैप्चर करते हुए किए गए निरीक्षण का फोटोग्राफ लेना होगा या वीडियो बनाना होगाः

(i) निरीक्षण का समय, तारीख के साथ पीएसआईए निरीक्षक (अनिवार्य) और निर्यातक/आयातक का प्रतिनिधि, यदि उपलब्ध है (वैकल्पिक) के साथ निरीक्षण स्थल की फोटोग्राफ या वीडियो क्लीपिंग (कम से कम 1 फोटोग्राफ या क्लीपिंग);

(ii) निरीक्षण के लिए प्रयुक्त जांच उपकरण (उपकरणों) के फोटोग्राफ या वीडियो क्लीपिंगः

(iii) कंटेनर की संख्या दर्शाते हुए कंटेनरों को भरने की प्रक्रिया के फोटोग्राफ या वीडियो क्लीपिंग (कम से कम प्रति कंटेनर 1 फोटोग्राफ या वीडियो क्लीपिंग);

(iv) सील करने की प्रकिया के फोटोग्राफ या वीडियो क्लीपिंग (प्रति कंटेनर कम से 1 फोटोग्राफ या वीडियो क्लीपिंग)।

(ड.) पीएसआईए द्वारा फोटोग्राफ और/या वीडियो क्लीपिंग [उपर्युक्त 2.56 (ख) के अनुसार] तथा पीएसआईसी डिजिटल हस्ताक्षर के द्वारा डीजीएफटी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा या पीएसआईए के पंजीकृत ई–मेल के द्वारा psicdgft@gov.in पर भेजा जाएगा। जब तक डीजीएफटी की वेबसाइट लिंक को प्रचालित किया जाता है तब तक पीएसआईसी और फोटोग्राफ/वीडियो विदेश व्यापार महानिदेशालय को (psiadgft@gov.in पर) ईमेल किया जाएगा।

2.57 अन्य प्रकार के धात्विक छीजन और स्क्रैप का आयात

अन्य प्रकार की धात्विक छीजन और स्क्रैप का आयात आईटीसी (एचएस) की शर्तों के प्रावधानों के अनुसार अनुमत किया जाएगा।

2.58 पुराने और दोषपूर्ण माल का आयात

पुराने और दोषपूर्ण, चीथड़े, पैट बोतलें/छीजन और समुद्री जहाजों के लिए आयात नीति आईटीसी (एचएस) में उल्लिखित है।

2.59 निरीक्षण एवं प्रमाणन अभिकरणों की सेवाएँ

सीमाशुल्क विभाग अथवा अन्य केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के प्राधिकरण पूंजीगत वस्तुओं की बाकी मियाद और मूल्य/खरीदने की कीमत को प्रमाणित करने के लिए परिशिष्टो एवं आयात निर्यात प्रपत्र के **परिशिष्ट 2झ** में निरीक्षण तथा प्रमाणन अभिकरणों की सेवा प्राप्त कर सकते हैं।

प्रशुल्क दर कोटा स्कीमः

2.60 प्रशुल्क दर कोटा स्कीम के अन्तर्गत आयात की प्रक्रिया

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 21/2002-सीमाशुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2002 तथा अधिसूचना सं. 33/2010 सीमाशुल्क, दिनांक 12.3.2010 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। इनके अनुसार चार मदों अर्थात् (1) स्किम्ड और संपूर्ण दुग्ध चूर्ण, बच्चों के लिए दुग्ध से बने खाद्य पदार्थ आदि (0402.10 अथवा 0402.21) और व्हाईट बटर, बटर ऑयल, एनहाइड्रस मिल्क फैट (0405) (2) मक्का (कार्न); अन्य (1005.90) (3) कच्चा सूरजमुखी बीज अथवा कुसुम्भ तेल अथवा उनके भाग (1512.11) और (4) रिफाइंड रेप, कोल्जा अथवा सरसो का तेल, अन्य (1514.19 अथवा 1514.99) के आयात की एक वित्तीय वर्ष में, सीमाशुल्क की ऐसी रियायती दर तथा मात्रा तक, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, अनुमति हैः-

विवरण	एचएस सं0	विश्व व्यापार संगठन के अनुसार कोटा दर का आना/ जाना (प्रतिशत)	भारतीय प्रशुल्क के अनुसार कोटा दर के आने/जाने का (प्रतिशत)	अधिसूचना	टीआरक्यू (मि.टन में)
मलाई रहित दूध पाउडर/ हो दूध पाउडर	040210	15/60	15/60	12/12-सीमाशुल्क क्र.सं.7	10,000
	040221	15/60	15/60	12/12- सीमाशुल्क क्र.सं.7	
मक्का (दाना) बीज गुणवत्ता के अलावा	100590	15/60	0/50	12/12- सीमाशुल्क क्र.सं.37/38	5,00,000
कच्चा सूर्यमुखी बीज तेल तथा सेफफ्लावर सीड तेल	151211	50/300	50/75	12/12-सीमाशुल्क क्र.सं. 60/61	1,50,000
रेप, कोल्जा अथवा सरसो का तेल	151419	45/75	45/10	12/12-सीमाशुल्क क्र.सं.64/66	
	151499	45/75	45/10	12/12-सीमाशुल्क क्र.सं.64/66	1,50,000
मक्खन और अन्य वसा	040510	उपलब्ध नहीं	0/30	12/12-सीमाशुल्क क्र.सं.9	15,000
	04059010		0/30	12/12-सीमाशुल्क क्र.सं.9	
	04059020		0/30	12/12-सीमाशुल्क क्र.सं.9	
मक्खन और अन्य वसा	040520	उपलब्ध नहीं	0/40	12/12-सीमाशुल्क क्र.सं.9	15,000
	04059090		0/40	12/12-सीमाशुल्क क्र.सं.9	

2.61 कोटे के आवंटन के लिए पात्र कंपनियाँ

(क) दुग्ध चूर्ण (प्रशुल्क कोड संख्या 0402.10 अथवा 0402.21): तथा व्हाइट बटर, बटर ऑयल, एनहाइड्रस मिल्क फैट (0405): राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड (एनडीडीबी), राज्य व्यापार निगम (एसटीसी), राष्ट्रीय सहकारी दुग्ध संघ (एनसीडीएफ), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड), खनिज और धातु व्यापार निगम (एमएमटीसी), भारतीय परियोजना और उपकरण निगम लिमिटेड (पीईसी) और मसाला व्यापार निगम लिमिटेड (एसटीसीएल) ।

(ख) मक्का (कार्न) (प्रशुल्क कोड संख्या 1005.90): भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड), राज्य व्यापार निगम (एसटीसी), खनिज और धातु व्यापार निगम (एमएमटीसी), भारतीय परियोजना और उपकरण निगम लिमिटेड (पीईसी), मसाला व्यापार निगम लिमिटेड (एसटीसीएल) और राज्य सहकारी विपणन संघ।

(ग) कच्चे सूरजमुखी के बीज अथवा कुसुम्भ तेल अथवा उनके भाग (प्रशुल्क कोड संख्या 1512.11) और रिफाइन्ड रेप, कोल्जा, कैनोला या सरसों का तेल, अन्य (प्रशुल्क कोड संख्या 1514.19 या 1514.99): राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड (एनडीडीबी), राज्य व्यापार निगम (एसटीसी), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड), मसाला व्यापार निगम लिमिटेड (एसटीसीएल) और केन्द्रीय भण्डारण निगम (सीडब्ल्यूसी), राज्य सहकारी विपणन संघ और राज्य सहकारी नागरिक आपूर्ति निगम।

2.62 कोटा प्राप्त करने हेतु लागू शर्तें

सभी पात्र कंपनियाँ नीचे दी गई शर्तों के अधीन कोटा प्राप्त करने की पात्र हैं।

(i) सभी पात्र कंपनियाँ, जो उपर्युक्त कोर्ट को प्राप्त करने के इच्छुक है विदेश व्यापार महानिदेशालय के कार्यालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 में, **एएनएफ 2ड** में निर्यात आयात सुविधा समिति को आवेदन कर सकते हैं। पूरे भरे हुए आवेदन पत्र निर्धारित दस्तावेजों सहित कोटा वर्ष के प्रत्येक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 1 मार्च, तक कार्यालय में पहुँच जाने चाहिए।

(ii) आयात वित्तीय वर्ष के 31 मार्च से पूर्व पूरा हो जाना चाहिए अर्थात् इस तारीख से पूर्व सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा खेप की निकासी कर दी जानी चाहिए।

(iii) चूँकि, मक्के (कार्न) का आयात एस टी ई के तहत है, कोटे के आवंटी अर्थात् इस मद के लिए पैरा 2.61 (ख) में नामित एजेंसियाँ को भी, विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 2.20 के अनुसार सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 21/2002 दिनांक 1/3/2002 की क्रम संख्या 21 (ख) में दर्शाई आवंटित मात्रा के लिए आयात प्राधिकार पत्र प्रदान किया जाएगा।

(iv) परिशिष्टों और **आयात निर्यात प्रपत्रों** के **परिशिष्ट 2ट** में शामिल प्रक्रिया के अनुसार इन आवेदनों के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

(V) विदेश व्यापार महानिदेशालय की निर्यात सुविधा समिति (ईएफसी) मूल्यांकन करेगी और कोटा वर्ष के प्रत्येक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक आवेदकों के मध्य कोटा आवंटित करेगी।

प्रदर्शनियां एवं नमूने:

2.63 राष्ट्रीय और अन्तर-राष्ट्रीय प्रदर्शनियों या मेलों और प्रदर्शनियो के लिए अपेक्षित प्रदर्शित वस्तुएँ

(क) प्रदर्शनी-वस्तुओं जो मुक्त रूप से आयातित/निर्यातित की जाती है का आयात/निर्यात जिसमें प्रदर्शनियो, मेलों अथवा इस प्रकार के शो और डिस्पले में पुनः निर्यात/पुन आयात आधार पर छह महीनों के लिए विदेशी/भारतीय प्रदर्शकों के लिए अस्थायी तौर पर दिखाने के लिए अपेक्षित निर्माण तथा सज्जा सामग्रियां शामिल हैं उन्हें सीमाशुल्क विभाग अथवा एटीए कार्नेट को एक अनुबंध पत्र/प्रतिभूति प्रस्तुत करके बिना प्राधिकार पत्र के अनुमत किया जाएगा।

(ख) पुनः निर्यात/पुनः आयात के लिए छः माह से आगे अवधि बढ़ाने पर विचार सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा गुण-दोष के आधार पर किया जाएगा । प्रदर्शित वस्तुओं से संबंधित पेंट, प्रिंट सामग्री, पैम्पलेट, साहित्य आदि जैसे उपभोज्यों के पुनः निर्यात/पुनःआयात की आवश्यकता नहीं है ।

2.64 नुमाइशी मदों की बिक्री

(क) प्रतिबंधित मदें: अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनी/मेलों के लिए आयातित आई टी सी (एच एस) में उल्लिखित प्रतिबंधित मदों के प्रदर्शों की बिक्री,प्रभावी सीमाशुल्क का भुगतान करने पर प्राधिकार पत्र के बिना, बाण्ड अवधि के भीतर पुनः निर्यात की अनुमति होंगी, बशर्ते कि प्रत्येक प्रदर्श के लिए ऐसे प्रदर्शों की निर्धारित सीमा 5 लाख रु. (सीआईएफ) हो।

(ख) मुक्त रूप से आयात की जाने वाली मदें:- तथापि, जिन प्रदर्शित मदों का मुक्त आयात किया जाता है उनकी, लागू सीमा शुल्क के भुगतान पर पुनः निर्यात की अनुमत बाण्ड अवधि के भीतर बिक्री की जाएगी।

(ग) यदि आयातक के नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों के कारण प्रदर्शनी के लिए लाई गई वस्तुओं का बांड अवधि के अंदर पुनः निर्यात या बिक्री नहीं की जाती है तो सीमाशुल्क प्राधिकारी गुण-दोष आधार पर बंध पत्र अवधि में वृद्धि कर सकते हैं।

2.65 नमूनों का आयात

(क) सब्जियों के बीज, मधुमक्खी और नई औषधियों को छोड़कर, आई टी सी (एच एस) में प्रतिबंधित मदों के वास्तविक, तकनीकी और व्यापार नमूनों के आयात के लिए किसी प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। चाय उद्योग से सम्बद्ध किसी भी व्यक्ति को प्राधिकार पत्र के बिना एक खेप में 2000 रुपए (लागत बीमा भाड़ा मूल्य) तक चाय के नमूनों के आयात की अनुमति होगी।

(ख) सभी निर्यातकों के लिए 300,000 रुपए तक नमूनों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति सीमा-शुल्क अधिसूचना के नियम एवं शर्तों के अनुसार दी जाएगी ।

2.66 नमूनों/नुमाइशी वस्तुओं का निर्यात

(क) मुक्त रूप से निर्यात की जाने वाली मदों के वास्तविक व्यापार और तकनीकी नमूनों का निर्यात बिना किसी सीमा के अनुमत होगा।

(ख) ऐसे नमूनों या नुमाइशी वस्तुएँ, जो निर्यात के लिए प्रतिबंधित हों, के निर्यात के लिए आवेदन पत्र **एएनएफ 2थ** के अनुसार विदेश व्यापार महानिदेशक को प्रस्तुत किए जाएं ।

निर्यातः

2.67 निर्यात नीति

निर्यात से संबंधित नीति, विदेश व्यापार नीति के अध्याय-2 में दी गई है । इसके अलावा, आईटीसी (एच एस) के परिशिष्ट 1 अनुसूची-2 में उन मदों को विनिर्दिष्ट किया गया है जिनका किसी प्राधिकार पत्र के बिना निर्यात किया जा सकता है, जो कि इस संबंध में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगा ।

2.68 उपहार/पुर्जे/प्रतिस्थापन माल

विदेश व्यापार नीति में उपहार के निर्यात के लिए निर्धारित सीमा/अवधि से अधिक में उपहारों, देशी/आयातित वारण्टी स्पेयर्स और प्रतिस्थापन माल, उपहार के निर्यात के लिए आवेदन पत्र विदेश व्यापार महानिदेशक को **एएनएफ 2थ** में प्रस्तुत किया जा सकता है।

2.69 सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम (एमएसएमआई) क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों का निर्यात

लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों के संबंध में लघु उद्योग एककों से भिन्न अन्य एककों को नई क्षमताओं का सृजन करने या इनमें विस्तार करने की अनुमति है बशर्ते कि उन्होंने यथा विनिर्दिष्ट निर्यात दायित्व सहित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त कर लिया हो । ऐसे लाइसेंसधारी को इस संबंध में विधिक वचनबद्धता क्षेत्रीय प्राधिकारी तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय को प्रस्तुत करनी होगी। निर्यात दायित्व को विदेश व्यापार महानिदेशालय/संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा मानीटर किया जाएगा।

2.70 डाक द्वारा निर्यात

डाक द्वारा निर्यात के मामले में समुद्र/वायु मार्ग द्वारा निर्यात के लिए निर्धारित दस्तावेजों के स्थान पर निर्यातक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगेः

(क) परिशिष्ट 2प में ई-बीआरसी के अनुसार निर्यात और वसूली का बैंक प्रमाणपत्र।
(ख) संबद्ध डाक रसीद ।
(ग) सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा विधिवत सत्यापित बीजक।

2.71 निर्यात दस्तावेज़ों का सीधे लेन-देन

उन मामलों में जहाँ निर्यातक भारतीय रिज़व बैंक की अनुमति से दस्तावेज का सीधे (प्राधिकृत डीलर के माध्यम से नहीं) लेन-देन करता है, तो उसे निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे :-

(क) दस्तावेज़ों के सीधे लेन-देन की अनुमति हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमति (स्तर धारकों हेतु आवश्यक नहीं है) ;

(ख) बीआरसी के बदले में आयकर विभाग के फार्म-10ज के अनुसार विदेश से स्वदेश में धन प्रेषण प्रमाणपत्र (एफआईआरसी) की प्रति तथा

(ग) शिपिंग बिलों/बीजक के ब्यौरे देने का विवरण जिसके मद्दे एफआईआरसी जारी किया गया था ।

स्कोमटः

2.72 निर्यात प्राधिकार पत्र/प्रमाणपत्र/गैर स्कोमट मदों हेतु अनुमति पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन-पत्र

(क) निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण की अनुसूची-2 में उल्लिखित प्रतिबंधित मदों [विशेष रसायनों, आर्गेनिज्म, सामग्रियों, उपस्कर और प्रौद्योगिकियों (स्कोमैट) को छोड़कर] के संबंध में निर्यात प्राधिकार पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र, आयात-निर्यात **फार्म 2ढ** में उसमें उल्लिखित दस्तावेजों के साथ विदेश व्यापार महानिदेशक को दिया जाए। निर्यात सुविधा समिति, निर्यात प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए गुणावगुण के आधार पर आवेदन पत्रों पर विचार करेगी ।

(ख) यदि निर्यातक को डीजीएफटी द्वारा लिखित में सूचित किया गया है अथवा वह यह जानता है अथवा उसका यह विश्वास है कि स्कोमेट में शामिल नहीं किए गए किसी मद के प्रयोग में संभावित जोखिम है अथवा इसे जनसंहार हेतु हथियार अथवा इनकी मिसाइल प्रणाली अथवा सैन्य वास्तविक प्रयोग आतंकवादी और देशद्रोहियों सहित में परिवर्तित किया जा सकता है, तो ऐसी मद का निर्यात निषिद्ध अथवा पैरा 2.73 में उल्लिखित स्कोमेट मदों हेतु दी गई प्रक्रिया के अनुसार लाइसेंस प्राप्त करने के अधीन अनुमत किया जा सकता है।

टिप्पणीः ''सैन्य उपयोग'' का अर्थ स्कोमेट की श्रेणी 5ड़ या 6 में सूचीबद्ध वस्तुएं भाामिल हैं या इन श्रेणियों में सूचीबद्ध सैन्य उपयोग, विकास या उत्पादन के लिए वस्तुएं हैं।

2.73 स्कोमेट प्राधिकार-पत्र हेतु आवेदन।

(क) निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरणों की अनुसूची 2 के परिशिष्ट 3 में उल्लिखित प्रतिबंधित मदों [विशेष रसायन, आर्गेनिज्म, पदार्थ, उपकरण एवं प्रौद्योगिकी (स्कोमैट)] के संबंध में निर्यात प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र विदेश व्यापार महानिदेशालय (मुख्यालय) को **आयात-निर्यात प्रपत्र 2ण** में उसमें निर्धारित दस्तावेजों के साथ किया जा सकता है।

(ख) तथापि, ऐसे आवेदन डीजीएफटी की वेबसाईट पर अनिवार्य रूप से आईकन ई-काम के अंतर्गत आनलाईन भरे जाने हैं। आनलाईन आवेदन हेतु यूनिफार्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) http://dgft.gov.in/CallModule.asp?sch =SCOMET है। आनलाईन आवेदन प्रस्तुत करते समय अन्तिम प्रयोक्ता प्रमाण पत्र (ईयूसी) सहित अपेक्षित दस्तावेज पीडीएफ फाइलों के रूप में अपलोड किए जाने चाहिए। आपूर्ति की सभी इकाईयों अर्थात विदेशी खरीददार, अन्तिम प्रयोक्ता मध्यवर्ती/खेपकर्ता (यदि वे विदेशी खरीददार तथा अन्तिम प्रयोक्ता से भिन्न हो) से **परिशिष्ट 2ध** में वास्तविक अन्तिम प्रयोक्ता प्रमाणपत्र (पत्रों) को छोडकर हाथ से भरकर आवेदन करना आवश्यक नहीं है, जिसे इलेक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करने के अतिरिक्त डीजीएफटी (मुख्यालय) के स्कोमेट अनुभाग को हार्ड कापी में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(ग) अभिलेखों का रखरखावः

प्रत्येक स्कोमेट प्राधिकार–पत्र धारक को यथा लागू निर्यात अथवा आयात की तिथि से 5 वर्षों की अवधि हेतु निम्नलिखित अभिलेखों का दस्ती या इलेक्ट्रानिक रूप में रखरखाव करना होगाः

(क) स्कोमेट प्राधिकार पत्र हेतु आवेदन करते समय सभी दस्तावेज प्रस्तुत करना।
(ख) क्रेता/खेप प्राप्तकर्ता/वास्तविक प्रयोक्ता अथवा डीजीएफटी अथवा संबंधित सरकार अभिकरण से किया गया पत्राचार
(ग) संबंधित संविदाएं,
(घ) संबंधित लेखा पुस्तिकाएं
(ड.) संबंधित वित्तीय अभिलेख
(च) स्कोमेट सूची की किसी मद हेतु प्राधिकार पत्र हेतु आवेदन अथवा पण्य वर्गीकरण अनुरोध के संबंध में किसी सरकारी अभिकरण से किया गया कोई पत्राचार
(छ) पोत लदान बिल, प्रविष्टि बिल तथा लदान बिल सहित पोत लदान दस्तावेज

2.74 अंतर्मंत्रालीय कार्य समूह

विदेश व्यापार महानिदेशालय (मुख्यालय) में स्थित अन्तर मंत्रालयीय कार्य समूह (आईएमडब्ल्यूजी) नीचे दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पर निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण की अनुसूची-2 के परिशिष्ट-3 में यथा विनिर्दिष्ट स्कोमेट मदों के निर्यात के आवेदनों पर विचार करेगाः

I. स्कोमेट सूची पर निर्यात मदों या प्रौद्योगिकी के लिए प्राधिकार पत्र हेतु आवेदनों पर निम्नलिखित सामान्य मानदंडों के आधार पर विचार किया जाता हैः

(क) अन्तिम प्रयोक्ता के व्यक्तिगत ब्यौरे, मद या प्रौद्योगिकी के अन्तिम प्रयोक्ता की घोषणाओं की विश्वसनीयता, आपूर्तिकर्ता से अन्तिम प्रयोक्ता को मद की सुपुर्दगी और मद या प्रौद्योगिकी क्षमता जिसमें इसके निर्यात का समय शामिल है जो अन्तिम प्रयोग के लिए योगदान देता है कि यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेश नीति के लक्ष्यों और उद्देश्यों, वैश्विक निशस्त्रीकरण के लक्ष्यों व उद्देश्यों या भारत के वे दायित्व जो अन्तर्राष्ट्रीय संधियों/समझौता के तहत जिनकी यह देश के पक्षकार हैं, के अनुरुप नहीं है;

(ख) मूल्यांकित खतरे कि निर्यातित मदें आतंकवादी,आतंकवादी समूहों और देशद्रोहियों के हाथों में जा सकती हैं;

(ग) प्राप्तकर्त्ता राज्य द्वारा किए गए निर्यात नियंत्रण उपाय;

(घ) हथियारों और उनकी सुपुर्दगी से संबंधित प्राप्त कर्त्ता राज्य के कार्यक्रमों की क्षमताएँ और उद्देश्य;

(ड.) मद (मदों) के अन्तिम प्रयोग (प्रयोगों) का मूल्यांकन;

(च) विचारणीय मामले के तहत संगत द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय समझौते के प्रावधानों की व्यवहारियता जिसमें भारत एक पक्ष हो या समर्थक जिसमें परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, आस्ट्रेलिया समूह और वाइसनार व्यवस्था (और इसकी संवेदन ाील सूची या अति संवेदन ाील सूची) के समय–समय पर अपडेट किए गए दि ाा–निर्दे ा और नियंत्रण सूचियाँ सम्मिलित हैं परन्तु सीमित नहीं हैं।

II. आवेदन पत्र **परिशिष्ट 2ध** के अनुसार एक अंतिम प्रयोक्ता प्रमाण पत्र के साथ होना चाहिए, जिसमें यह प्रमाणित हो किः-

(क) मद का प्रयोग सिर्फ बताए गए उद्देश्य के लिए किया जाएगा और ऐसे प्रयोग को भारत सरकार की मंजूरी के बिना बदला नहीं जाएगा, न ही मदों को संशोधित अथवा दुहराया जाएगा;

(ख) भारत सरकार की मंजूरी के बिना न तो मदों को या न ही उनकी प्रतिकृति अथवा व्युत्पन्न को पुनर्हस्तांतरित किया जाएगा;

(ग) अन्तिम प्रयोक्ता, वैसे प्रमाणन उपलब्ध कराएगा जैसा कि भारत सरकार द्वारा आवश्यक होगा।

III. अंतिम प्रयोक्ता प्रमाण-पत्र आयात की जाने वाली मद का नाम, आयातक का नाम, संबंधित वस्तुओं का विशिष्ट अंतिम प्रयोग और खरीद आदेश/संविदा के विवरण को दर्शाएगा।

IV. भारत सरकार प्राप्तकर्ता के राज्य से अंतिम प्रयोग और गैर पुनः स्थानांतरण सहित अतिरिक्त औपचारिक आश्वासन जो उपयुक्त माने जाते हो, को भी प्राप्त कर सकती हैं।

V. (क) आई टी सी (एच एस) की अनुसूची 2 के परिशिष्ट-3 में वस्तु पहचान नोट की श्रेणी-0 और नोट–2 में दी गई मदों के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी परमाणु उर्जा विभाग है। परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा परमाणु उर्जा अधिनियम, 1962 के तहत लागू दिशानिर्देश अधिसूचित हैं। श्रेणी-0 की कुछ मदों के लिए, प्राप्तकर्त्ता राज्य से औपचारिक आश्वासनों में किसी नाभिकीय विस्फोट उपकरण में न प्रयोग किया जाना भी शामिल है। श्रेणी-0 की कुछ मदों के निर्यात के लिए प्राधिकार पत्र प्रदान नहीं किया जाएगा, जब तक की हस्तांतरण अतिरिक्त रुप से उचित संरक्षण के तहत और

उचित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु उर्जा एजेंसी (आई ए ई ए) रक्षोपाय अथवा हस्तांतरणीय मदों के किसी भी अन्य पारस्परिक सहमति नियंत्रणों के तहत नहीं होगी।

(ख) आईटीसी (एचएस) को अनुसूची 2 के परिशिष्ट 3 में श्रेणी 6 में दी गई मदों के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकरण रक्षा उत्पादन विभाग है। श्रेणी 6 में उल्लिखित मदों का निर्यात रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा जारी मौजूदा मानक संचालन प्रक्रिया द्वारा संचालित किया जाता है। आईटीसी (एचएस) की अनुसूची 2 के परिशिष्ट 3 में ' पण्य पहचान टिप्पण' की टिप्पणी 3 में शामिल मदों का निर्यात निषिद्ध है।

VI. मदों अथवा तकनीक के निर्यात के लिए प्राधिकार पत्रों में अतिरिक्त अन्तिम प्रयोग शर्तें निर्धारित की जाएँ, जो दिशा परिवर्तन की संभावना रखती हों अथवा उसके विकास अथवा विनिर्माण में प्रयोग हों अथवा व्यापक विध्वंस के हथियारों की सुपुर्दगी में सक्षम प्रक्रिया के रुप में प्रयोग हो।

VII. सिर्फ प्रदर्शन अथवा प्रदर्शनी के उद्देश्य के लिए स्कोमैट सूची (श्रेणी 0,1 और 2 के तहत सूची को छोड़कर) की मदों के निर्यात के लिए प्राधिकार पत्रों हेतु किसी अन्तिम प्रयोग अथवा अन्तिम प्रयोक्ता प्रमाणन की आवश्यकता नहीं है। तथापि, प्रदर्शन अथवा प्रदर्शनी हेतु किसी वर्ग में 'प्रौद्योगिकी' के लिए कोई निर्यात प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया जाएगा। आईएमडब्ल्यूजी जहां भी आव यक समझेगा, तकनीकी एजेंसियों से टिप्पणियां मांगेगा।

VIII. ईरान को निर्यात हेतु स्कोमेट सूची की श्रेणी 0,3 (3घ के अतिरिक्त), 4,5 और 7 की मदों हेतु प्राधिकार पत्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 2231 (2015) के अनुलग्नक ख में उल्लिखित संबंद्ध प्रावधानों के अधीन होगा। लाइसेंसिंग प्राधिकरण अर्थात डीजीएफटी अथवा परमाणु ऊर्जा विभाग, जैसा मामला हो, आईएमडब्ल्यूजी प्रक्रिया अर्थात लागू आतंरिक प्रक्रिया के पूरा होने पर विदेश मंत्रालय के निरस्त्रीकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामले (डी एवं आईएसए) प्रभाग, जैसा आवश्यक हो, से स्वीकृति प्राप्त करेगा।

IX. अतंर–मंत्रालयी कार्य दल की सामान्यतः प्रत्येक माह में एक बार बैठक होगी। ऐसे मामले में जो आईएमडब्ल्यूजी में आस्थगित किया जाता है और तदोपरांत सभी संबंधित अभिकरणों से अनापत्ति प्रमाण पत्र/पत्रों के बिना किसी असहमति के प्राप्त होने पर प्राधिकार पत्र को अध्यक्ष, आईएमडब्ल्यूजी की स्वीकृति से जारी किया जाएगा तथा मामले को आईएमडब्ल्यूजी के समक्ष इसकी अगली बैठक में कार्योत्तर आधार पर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे मामला/मामले जिन पर आईएमडब्ल्यूजी में निर्णय नहीं लिया जा सका हो उन्हें प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु समुचित निर्णय लेने के लिए महानिदेशक, विदेश व्यापार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

2.75 व्यापक विध्वंस हथियार अधिनियम (डब्ल्यूएमडी एक्ट) की अनुप्रयोज्यताः

जो मदें स्कोमेट सूची में शामिल नहीं हैं उनका निर्यात भी व्यापक विध्वंस के हथियारों और उनकी सुपुर्दगी प्रणाली (गैर कानूनी गतिविधियों की निषिद्धता) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अधीन नियंत्रित होगा।

टिप्पणीः1- प्राधिकार-पत्र की किसी शर्त के उल्लंघन में निर्यात अथवा निर्यात के प्रयास दीवानी और/अथवा फौजदारी अभियोजन को आमंत्रित करेगा।

टिप्पणी:2- विदेश में प्रदर्शन अथवा प्रदर्शनी के लिए स्कोमैट सूची की मदों के निर्यात के लिए प्राधिकार पत्र छः माह तक की अवधि में पुनः आयात शर्त के अधीन है। निर्यातक विदेश में प्रदर्शित ऐसी मदों के लिए निर्यात प्राधिकार-पत्र के लिए आवेदन करने के हकदार होगें। विदेश में प्रदर्शनी के दौरान प्रदर्शनीकर्त्ता ने मद को बिक्री के लिए रखा हो, तो ऐसी बिक्री बिना वैध प्राधिकार-पत्र के नहीं होगी।

टिप्पणी:3- स्कोमैट सूची की श्रेणी-2 में निर्यात की मदें, समय-समय पर जारी अन्य लागू दिशा निर्देशों द्वारा भी नियंत्रित होंगी।

टिप्पणी:4- निर्यातक यह अनुरोध कर सकते है कि केवल ऐसी शर्तें ही लगाई जाएँ जो स्कोमेट सूची की मदों के निर्यात पर सरकार - से - सरकार समझौते के अधीन है।

टिप्पणी:5- प्रौद्योगिकी (निर्यात और आयात मदों आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के परिशिष्ट -3 की शब्दावली में प्रविष्टि प्रौद्योगिकी" को भी देखें): स्कोमेट सूची की मद के निर्यात का अनुमोदन, मद की स्थापना, संचालन, रख-रखाव और मरम्मत के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रौद्योगिकी के लिए उसी अन्तिम प्रयोक्ता को निर्यात के लिए प्राधिकृत करता है।

2.76 डीटीए से एसईजेड में स्कोमैट मदों की आपूर्ति

डीटीए से एसईजैड के स्कोमैट मदों की आपूर्ति के लिए किसी निर्यात प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। तथापि, डीटीए से एसईजैड में सभी स्कोमैट मदों को सभी आपूर्तियां संबंधित एसईजैड विकास आयुक्त को आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्तियों के होने के एक सप्ताह के अंदर निर्धारित प्रपत्र [निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के परिशिष्ट-3 का अनुलग्नक 1] में सूचित की जानी चाहिए। डीटीए से एसईजैड में ऐसी आपूर्तियों की एक वार्षिक रिपोर्ट विकास आयुक्त (डीसी), एसईजैड निर्धारित प्रपत्र [निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के परिशिष्ट-3 का अनुलग्नक 2] में स्कोमैट सैल, विदेश व्यापार महानिदेशालय (मुख्यालय), वाणिज्य विभाग, उद्योग भवन, मौलाना आजाद रोड़, नई दिल्ली-110011 को भेजी जाएगी। एसईजैड के विकास आयुक्त द्वारा एक रिपोर्ट पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान की गई आपूर्तियों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 15 मई तक दायर की जानी चाहिए। तथापि, निर्यात प्राधिकार-पत्र अपेक्षित होगा यदि स्कोमैट मदों को एसईजैड से देश के बाहर अर्थात अन्य देश (एसईजैड नियमावली, 2006 के नियम 26 का संदर्भ लें) वास्तविक रूप से निर्यात किया जाना है।

2.77 स्कोमैट निर्यात नियंत्रण प्रणाली के संबंध में आउटरीच कार्यक्रम

विदेश व्यापार महानिदेशालय प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों व व्यापार ऐसोसिएशनों के सहयोग से व्यापार से संबंधित आयातक/निर्यातक के मध्य विशेष रुप से स्कोमेट मदों के संबंध में प्रभावी जागरुकता के लिए इन्डस्ट्री आउटरीच कार्यक्रम का नियमित आधार पर आयोजन करेंगे।

2.78 साईट का दौर, साइट पर जाँच और रिकार्ड/दस्तावेजों को देखने हेतु किसी व्यवस्था अथवा समझौते में शामिल होने के लिए आवेदनों को प्रस्तुत करने/मूल्यांकन करने के लिए प्रक्रिया/दिशा निर्देश ।

निर्यात और आयात मदों के आईटीसी(एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची-2 के परिशिष्ट-3 में यथाउल्लिखित किसी ऐसी व्यवस्था या समझौते, जिसमें किसी विदेशी सरकार अथवा विदेशी तृतीय पक्ष द्वारा, स्वयं या किसी भारतीय पक्ष के माध्यम से, साइट का दौरा, साइट पर जाँच और रिकार्ड/दस्तावेजों को देखने की व्यवस्था है, में शामिल होने के लिए आवेदन आयात निर्यात प्रपत्र 2त में, उसमें निर्धारित दस्तावेजों सहित विदेश व्यापार महानिदेशालय (मुख्यालय) नई दिल्ली, को प्रस्तुत किये जायेंगे । विदेश व्यापार महानिदेशालय में अन्तरमंत्रालयीय कार्य समूह (आईएमडब्ल्यूजी) निम्नलिखित दिशा-निर्देशों/सामान्य मानदण्डों के आधार पर इन आवेदनों पर विचार करेगाः-

I. साइट का दौरा, साइट पर जाँच और रिकार्ड/दस्तावेजों को देखने हेतु किसी व्यवस्था अथवा समझौते में शामिल होने के लिए आवेदनों का मूल्यांकन करते समय अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाएगाः-

(क) व्यवस्था/समझौता जिसके तहत साइट का दौरा, साइट पर जाँच या रिकार्ड/ दस्तावेजों को देखा जाना प्रस्तावित है, का प्रयोजन।

(ख) संबंधित पक्षों का परिचय पत्र और ब्यौरे ।

(ग) अंतिम प्रयोक्ता का परिचय-पत्र, मदों अथवा प्रौद्योगिकी के अंतिम प्रयोग की घोषणा की विश्वसनीयता, आपूर्तिकर्ता से अंतिम प्रयोक्ता को मद के स्थानान्तरण की श्रृंखला की सत्यता, और मद अथवा प्रौद्योगिकी की उन अंतिम प्रयोगों में योगदान की क्षमता पर, इसके निर्यात के समय सहित, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा विदेश नीति के लक्ष्यों और उद्देश्यों, वैश्विक निशस्त्रीकरण के उद्देश्यों अथवा उन संधियों के अन्तर्गत जिसमें एक पक्ष सरकार है, इसके दायित्वों के अनुरुप नहीं है ।

(घ) व्यवस्था/समझौते के परिणामस्वरुप दोहरे प्रयोग वाली मदों और प्रौद्योगिकी के आतंकवादियों, आतंकवादी गुटों और गैर-सरकारी व्यक्तियों के हाथों में पड़ने का संभावित जोखिम।

(ड.) यदि साइट का दौरा साइट पर जाँच अथवा रिकार्ड/दस्तावेज़ को देखना किसी विदेशी सरकार अथवा इसके किसी प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) द्वारा किया जाना है तो निम्नलिखित बातों को ध्यान रखा में जाएगा : -

(i) विदेशी सरकार द्वारा किए गए निर्यात नियंत्रण उपाय;

(ii) हथियार और उनकी सुपुर्दगी के संबंध में विदेशी सरकार के कार्यक्रमों की क्षमताएं और उद्देश्य।

(च) संबंधित द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों, जिसमें एक पक्ष भारत है, की व्यवहार्यता।

(छ) साइट का दौरा, साइट पर जाँच अथवा रिकार्ड/दस्तावेज देखने से भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा और दूसरे किसी देश से संबंधों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव, यदि कोई हो, का मूल्यांकन ।

(ज) विदेशी पक्षों के, आतंकवादी संगठनों और उनके अपने देश अथवा किसी दूसरे देश के गैर-सरकारी व्यक्तियों से संभावित संबंधों का मूल्यांकन ।

II. साइट का दौरा, साइट पर जाँच या रिकार्ड/दस्तावेजों को देखने हेतु व्यवस्था या समझौते के लिए निम्नलिखित शर्तों के मद्दे अनुमति दी जाएगीः-

(क) साइट का दौरा, साइट पर जाँच या रिकार्ड/दस्तावेजों को देखने की अनुमति उन उद्देश्य, उन साईट्स और उन क्रिया कलापों तक सीमित रहेगी जिनके लिए उसे अनुमति प्रदान की गई है/जो प्राधिकार-पत्र में उल्लिखित है ।

(ख) साइट का दौरा, साइट पर जाँच या रिकार्ड/दस्तावेजों को देखने की अनुमति केवल उन व्यक्तियों को होगी जिसका उल्लेख प्राधिकार-पत्र में किया गया है ।

(ग) साइट का दौरा, साइट पर जाँच या रिकार्ड/दस्तावेजों को देखना प्राधिकार-पत्र में उल्लिखित अवधि के दौरान पूरा करना होगा।

(घ) निर्यातक/आयातक साइट के दौरे, साइट पर जाँच या रिकार्ड/दस्तावेजों को देखने का एवं उन व्यक्तियों का जो इसके दौरान आये, रिकार्ड रखेगा, और भारत सरकार द्वारा माँगे जाने पर यह विवरण प्रस्तुत करेगा ।

(ड.) दौरे के दौरान किन्हीं वस्तुओं, सेवाओं और प्रौद्योगिकियों,और ड्रॉईंग्स, विनिर्देशन शीटों आदि सहित किसी दस्तावेज का आदान प्रदान नहीं किया जाएगा ।

(च) भारत सरकार द्वारा मांगे जाने पर निर्यातक/आयातक को कोई भी अन्य आश्वासन देना पड़ेगा ।

(छ) अनुमति में निर्धारित की गई कोई अन्य शर्त ।

III. व्यापक विध्वंस के हथियार अधिनियम, 2005 के प्रावधान भी ऐसी व्यवस्था या समझौते पर लागू होंगे जिसके तहत साईट का दौरा, साईट पर जाँच या रिकार्ड/ दस्तावेजों को देखना शामिल है ।

IV. लाइसेंस की किसी भी शर्त का उल्लघंन होने पर कानून के अनुसार सिविल/आपराधिक अभियोग चलाया जाएगा ।

2.79 पुनः आदेश जारी करने हेतु प्राधिकार-पत्र का निर्गम

स्कोमेट मदों के निर्यात हेतु पुनः आदेश जारी करने के लिए प्राधिकार हेतु आवेदनों पर चेयरमैन आईएमडब्ल्यूजी द्वारा स्वीकृति दी जाएगी और पूर्वव्यापी आधार पर स्वीकृति के लिए आगामी बैठक में आईएमडब्ल्य्जी के समक्ष मामले को लाया जाएगा। स्वीकृति निम्नलिखित भार्तों के पूरा होने पर ही जाएगीः

(i) (क) तकनीकी ब्यौरे के साथ उत्पाद (ख) निर्यातक (ग) विदेशी क्रेता (घ) प्रेषिती अथवा मध्यवर्ती, यदि कोई हो (ड.) अन्तिम प्रयोक्ता (च) अन्तिम प्रयोग (छ) गंतव्य देश, समान होंगे।

(ii) पुनः निर्यात प्राधिकार पत्र के निमित्त अनुमत मात्रा संगत उत्पाद, अन्तिम प्रयोक्ता द्वारा यथाप्रमाणित, के संबंध में अन्तिम प्रयोक्ता की वार्षिक विनिर्माण क्षमता के अधीन मूल प्राधिकार पत्र की मात्रा के दोगुने से अधिक नहीं होगी।

(iii) मूल स्कोमेट प्राधिकार पत्र के आईएमडब्ल्यूजी के द्वारा अनुमोदन की तारीख से दो वर्ष के भीतर प्रस्तुत किए गए आवेदन ही पुनः प्राधिकार पत्र के लिए पात्र होंगे।

(iv) मूल प्राधिकार पत्र के निमित्त दो पुनः प्राधिकार पत्र की सीमा होगी।

(v) (i) से (iv) के अनुसार पुनः आदेश मार्ग के तहत विचारार्थ आवेदन के साथ पात्रता शर्तों पर अधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

2.79क स्कोमेट मदों के भंडारण और बिक्री हेतु निर्यात प्राधिकार पत्र जारी करना।

'स्टाकिस्ट' का संदर्भ विदेशी इकाई स है जिसे भारतीय प्रमुख/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई द्वारा स्कोमेट मदों का मूलतः निर्यात किया जाता है। स्टॉकिस्ट इकाई को भारतीय निर्यातक की सहायक/प्रधान कम्पनी होना चाहिए। भंडारण एवं बिक्री प्रयोजन हेतु स्कोमेट मदों के निर्यात हेतु प्राधिकार पत्र जारी करने के आवेदनों का मूल्यांकन/विचार निम्नलिखित निर्धारिया शर्तों के अधीन आईएमडब्ल्यूजी द्वारा किया जाएगा।

(क) **स्टाकिस्ट को 'भडांरण एवं बिक्री' के प्रयोजन हेतु स्कोमेट मदों के निर्यात के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदनः**

(i) भारत में निर्यात केवल प्रधान कम्पनी/पूर्णतः स्वामित्व की सहायक कम्पनी से विदेश में इसकी सहायक कम्पनियों/प्रधान कम्पनी को उनके वास्तविक प्रयोग सह वास्तविक प्रयोक्ता प्रमाण पत्र (ईयूसी) आधार पर भडांरण एवं बिक्री प्रयोजनों (परिशिष्ट–2छ(iii) के अनुसार) हेतु अनुमत होगा जब इसे सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण मामलों की दृष्टि से उपयुक्त समझा जाए। उन देशों की विस्तृत सूची, जिनमें स्टाकिस्ट द्वारा निर्यात किया जाएगा को भडांरण और बिक्री प्रयोजनों हेतु ईयूसी में दर्शाए जाने की आवश्यकता है। निर्यातक और स्टॉकिस्ट के बीच के संबंध के बारे में दस्तावेजी प्रमाण आवेदन के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(ii) भडांरण एवं बिक्री प्राधिकार पत्र धारक को भारत से किए गए निर्यात स्टाकिस्ट की वस्तु सूची, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 31 दिसम्बर तक अंतिम वास्तविक प्रयोक्ता को किए गए हस्तांतरण का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक पस्तुत करना होगा। समेकित विवरण को भडांरण एवं बिक्री प्राधिकार पत्र के समाप्त होने से तीन माह की अवधि में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

(iii) प्राधिकार पत्र के तहत स्टाकिस्ट इकाई से निर्यात की गई वस्तुओं को अंतिम वास्तविक प्रयोक्ता को प्राधिकार पत्र की वैध अवधि के अंदर हस्तांतरित किया जाना चाहिए। प्राधिकार पत्र का प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.80 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार पुनर्वैधीकरण किया जा सकता है।

(iv) 'भंडारण और बिक्री' उद्देश्य हेतु स्कोमेट मदों के निर्यात के लिए प्राधिकार पत्र हेतु किसी भी आवेदन पर स्कोमेट सूची के श्रेणी 0.1ग और 6 में आने वाले मदों के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

(v) 'भंडारण और बिक्री' उद्देश्य हेतु निर्यात प्राधिकार पत्र किसी भी श्रेणी में 'प्रौद्योगिकी' के लिए जारी नहीं किया जाएगा।

(ख) **वास्तविक प्रयोक्ता (प्रयोक्ताओं) को स्टॉकिस्ट से पुनः निर्यात/पुनः हस्तांतरण के लिए अनुमति हेतु आवेदन**

(i) वास्तविक प्रयोक्ता को स्टॉकिस्ट इकाई से मदों के पुनः निर्यात/पुनः हस्तांतरण हेतु आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों (इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों के रूप में संदर्भित किया गया) के साथ एएनएफ–2ण (क) के अनुसार डीजीएफटी (मुख्यालय) को प्रस्तुत किया जाएगाः

(क) परिशिष्ट–2छ (i)/2छ (ii), जैसा लागू हो के अनुसार आपूर्ति श्रृंखला में प्रत्येक लिंक से अन्तिम प्रयोक्ता/अन्तिम प्रयोग प्रमाणपत्र

(ख) क्रय आदेश (आदेशों)/बीजक (बीजकों)

(ग) स्थानांतरित होने वाले उत्पाद का तकनीकी विनिर्देश (केवल तभी जब स्टॉकिस्ट द्वारा उत्पाद में कोई मूल्य वर्धन होगा)

(ii) स्टॉकिस्ट द्वारा उसी देश के भीतर पुनः हस्तांतरणः

(क) उसी देश में, वास्तविक प्रयोक्ता सहित इकाई (इकाईयों) को स्टॉकिस्ट इकाई (जिनके लिए मद मूलतः भारतीय मूलधन/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी द्वारा निर्यात किए गए) द्वारा इन मदों को आगे किसी भी हस्तातंरण के लिए, स्टॉकिस्ट इकाई आपूर्ति श्रृंखला में प्रत्येक लिंक से अपेक्षित दस्तावेजों को प्राप्त करेगा और ऐसे हस्तांतरण के लिए पूर्व अनुमति मांगने हेतु डीजीएफटी (मुख्यालय) को प्रस्तुत करने के उददेश्य हेतु भारतीय आवेदक/लाइसेंसधारी को उसे अग्रेषि करेगा। आईएमडब्ल्यूजी, तथापि उसी देश के भीतर ऐसे बिक्री/हस्तांतरण के लिए जोखिम मूल्यांकन के आधार पर पूर्व अनुमति की इस शर्त में छूट दे सकता है।

(ख) स्टॉकिस्ट इकाई द्वारा उसी देश में बिक्री/हस्तांतरण के मामले में, जहां आईएमडब्ल्यूजी पूर्व अनुमति की शर्त में छूट देने पर सहमत है, वहां आवश्यक दस्तावेजों को भारतीय आवेदक/लाइसेंसधारी द्वारा ऐसे हस्तांतरण के 3 महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे मामले में, आपूर्ति श्रृंखला में कोई भी लिंक देश के बाहर की इकाई नहीं होनी चाहिए और मद देश के भीतर रहने चाहिए।

(ग) देश एक स्वतंत्र सार्वभौम इकाई को निरूपित करेगा जो राजनीतिक भूगोल में एक विशिष्ट इकाई है। अतः आर्थिक संघ अथवा सीमाशुल्क संघ के भीतर हस्तांतरण 'उसी देश को हस्तांतरण' के रूप में पात्र नहीं होगा।

(iii) स्टॉकिस्ट द्वारा देश के बाहर पुनः निर्यातः

टपने देश के बाहर के इकाई (इकाईयोंको) को स्टॉकिस्ट द्वारा पुनः निर्यात के लिए आवेदन को स्टॉकिस्ट इकाई द्वारा ऐसे हस्तांतरण के लिए पूर्व अनुमति मांगने हेतु डीजीएफटी (मुख्यालय) को प्रस्तुत करने के उद्दश्य के लिए आपूर्ति श्रृंखला में सभी लिंक्स से आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदक/लाइसेंसधारी को अग्रेषित किया जाएगा।

(iv) पुनरावर्ती आदेश के लिए वास्तविक प्रयोक्ता को स्टॉकिस्ट इकाई से स्कोमेट मदों के पुनः निर्यात/पुनः हस्तांतरण के लिए आवेदनों पर आईएमडब्ल्यूजी द्वारा स्वचालित आधार पर विचार किया जाएगा, जो शर्तों के अधीन है कि, उत्पाद तकनीकी विनिर्देशनः विदेशी क्रेताः

प्रषिती या मध्यस्थ, यदि कोई है के साथ हो, वास्तविक प्रयोक्ता, वास्तविक प्रयोग और गंतव्य का देश, पहले की अनुमति के समान होगा।

2.79ख भण्डारण और बिक्री के अधीन स्कोमेट मदों के पुरजां हेतु निर्यात प्राधिकार पत्र को जारी करना।

आवेदक के अनुरोध पर, स्कोमेट के तहत पुरजो के लिए निर्यात अनुमति पर मुख्य मद/उपकरण हेतु आवेदन के साथ आईएमडब्ल्यूजी द्वारा विचार किया जा सकता है। तदनुसार, पुरजो क निर्यात हेतु अनुमति मांगने वाले आवेदक न्यायोपित और उसके तर्कसंगत मूल्यांकन के बाद मुख्य उपकरण हेतु आवेदन में पुरजो की आवश्यकता को दर्शात और उसके लिए औचित्य प्रदान करे।

2.80 स्कोमेट प्राधिकार पत्र का पुनः वैधीकरण

स्कोमेट मदों के लिए निर्यात लाइसेंस का पुनः वैधीकरण प्रकिया पुस्तक के पैरा 2.20 (ख) के अनुसार क्षेत्रीय प्राधिकार द्वारा किया जा सकता है।

2.81 स्कोमेट श्रेणी 6 की मदों का निर्यात

पैराग्राफ 2.73 से 2.80 में शामिल होने के बावजूद, स्कोमेट श्रेणी 6 के मदों क निर्यात की अनुमति रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र के मद्दे दी जाएगी। प्राधिकार पत्र की मंजूरी रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा इस उद्देदश हेतु जारी किए गए मानक संचालन प्रकिया (एसओपी) द्वारा शासित होंगे।

2.82 टिप्पणियों/अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु घटनाक्रम

आईएमडब्ल्यूजी के सदस्य डीजीएफटी (मुख्यालय) द्वारा आवेदनों के अग्रेषण की तारीख से 30 दिन के भीतर डीजीएफटी को अपनी लिखित टिप्पणियों/विचार/अनापत्ति प्रस्तुत करने का प्रयास करेगें। यदि नियत अवधि के भीतर कोई टिप्पणी/विचार/अनापत्ति प्राप्त नहीं होती है तो इन मामलों को निर्णय लेने हेतु आईएमडब्ल्यूजी के समक्ष, जैसा उचित प्रतीत हो, रखा जाएगा।

राज्य व्यापार उद्यमों (एसटीई) के माध्यम से निर्यातः

2.83 एसटीई के तहत मदों का निर्यात

एसटीई व्यवस्था के तहत आईटीसी (एचएस), 2012 में उल्लिखित मदों के निर्यात हेतु **एएनएफ-2ढ** के तहत एफटीपी के पैरा 2.20 के अनुसार डीजीएफटी को आवेदन किया जा सकता है।

निर्यातकों के लिए प्रावधान/कारोबार और व्यापार करने हेतु अन्य प्रावधानः

2.84 स्तरधारकों के लिए निःशुल्क निर्यात

स्तर धारक निर्यात संवर्धन के लिए निःशुल्क आधार पर मुक्त रूप से निर्यात योग्य मदों का निर्यात करने के पात्र होंगे जोकि पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निर्यात प्राप्ति के 10 लाख रू या 2 प्रतिशत की वार्षिक सीमा, जो भी कम हो, के अधीन होगा। फार्मा निर्यात हेतु, वार्षिक सीमा पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निर्यात प्राप्ति 2 प्रतिशत होगी। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे कि यूएन और डब्ल्यूएचओ–पीएएचओ के स्वास्थ कार्यक्रमों के लिए

सरकारी सहायता और वैक्सीन की आपूर्ति और जीवनदायी दवाओं के मामले में पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निर्यात प्राप्ति 8 प्रतिशत तक होगी। ऐसी निःशुल्क लागत वाली आपूर्तियां शुल्क वापसी अथवा किसी भी निर्यात संर्वधन स्कीम के तहत कोई अन्य निर्यात प्रोत्साहन के लिए हकदार नहीं होगी।

2.85 बीमा कवर के जरिए भुगतान पर लाभ की स्वीकार्यता

(i) ईसीजीसी कवर के जरिए किए गए भुगतान पर विदेश व्यापार नीति के तहत लाभ हेतु विचार किया जाएगा।

(ii) साधारण/निजी बीमा कम्पनियों के जरिए भुगतानः

भारत में साधारण बीमा और निजी अनुमोदित बीमा कम्पनियों द्वारा पारगमन हानि हेतु बीमा कवर की राशि को विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत निर्यात हेतु प्राप्त भुगतान के रूप में माना जाएगा।

(क) बीमा एजेंसी के जरिए निर्यात आय प्राप्त करने वाले आवेदक को संबंधित बीमा एजेंसी द्वारा जारी किए गए भुगतान के साक्ष्य के साथ संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी से सम्पर्क करना होगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी दावे के प्रामाणिक आवेदक से संतुष्ट होने के पश्चात् अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार (ईडीआई) का अनुमोदन प्राप्त करेगा और मामले की प्रक्रिया हेतु डीजीएफटी की ईडीआई प्रणाली में मूल्य (ईबीआरसी के बजाए) अपलोड करेगा।

(ख) यदि बीमा एजेसी द्वारा जारी भुगतान के साक्ष्य में दावा मूल्य का उल्लेख विदेशी मुद्रा और भारतीय रूपया दोनो में हो, तो क्षेत्रीय प्राधिकारी प्रक्रिया हेतु विदेशी मुद्रा मूल्य का प्रयोग करेगा। यदि दावा मूल्य का उल्लेख केवल समतुल्य भारतीय रूपए में ही हो तो क्षेत्रीय प्राधिकारी इस भारतीय रूपये के मूल्य को बीमा दावे के निपटान की तारीख को लागू विदेशी मुद्रा (सीबीईसी द्वारा प्रकाशित), का उपयोग करके समतुल्य अमरीकी डॉलर में बदल देगा।

2.86 अपरिवर्तनीय साख पत्र

उन मामलों में जहाँ आवेदक अपरिवर्तनीय साखपत्र (या विनिमय बिल जो बिना शर्त बैंक द्वारा भुनाया/सह-स्वीकृत/ बैंक द्वारा गारंटी दी गयी हो) के मद्दे शुल्क क्रेडिट स्क्रिप/ई ओ के निष्पादन हेतु आवेदन करता है तथा निर्यात और प्राप्ति से संबंधित बैंक प्रमाणपत्र में निर्यातक बैंक द्वारा पुष्ट और प्रमाणित किया जाता है तो निर्यात आय का भुगतान प्राप्त कर लिया गया माना जाएगा। स्तर-धारकों के लिए अपरिवर्तनीय साख-पत्र पर्याप्त रहेगा।

2.87 निर्यात आय वसूली को आर बी आई द्वारा बट्टे खाते में डालना

विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात आय की प्राप्ति पर जोर नहीं दिया जाएगा, यदि गुण-दोष के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक अथवा अन्य अधिकृत बैंक (इस प्रयोजन हेतु भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा अधिकृत) प्राप्ति की आवश्यकता को बट्टे खाते में डाल देता है और निर्यातक भारत के संबंधित विदेशी मिशन से क्रेता से निर्यात प्राप्तियों की गैर-वसूली के बारे में प्रमाण -पत्र प्रस्तुत कर देता है । तथापि, यह स्वयं द्वारा बट्टे खाते में डाले गए मामलों पर लागू नहीं होगा ।

2.88 एक स्कीम से दूसरी स्कीम में शिपिंग बिल की ईपी प्रति में परिवर्तन

यदि सीमाशुल्क प्राधिकारी, लिखित रूप में कारणों को दर्ज करने के बाद, किसी स्कीम- पोतलदान बिल की ई.पी. प्रति के परिवर्तन की अनुमति देते हैं जिस पर उस स्कीम का लाभ नहीं लिया गया है, निर्यातक उस स्कीम के तहत लाभ पाने का हकदार होगा जिसमें पोतलदान को बाद में परिवर्तित किया गया है।

2.89 निर्यात आय की ऑफसेटिंग

किसी भी निर्यात संवर्धन स्कीम के अन्तर्गत प्राधिकार पत्र धारक किसी देय या इक्विटी निवेश के मद्दे अपनी निर्यात आय को ऑफसेट प्राप्तियों के रुप में प्रयोग कर सकता है बशर्ते कि भारतीय रिजर्व बैंक का विशेष अनुमोदन लिया गया हो । ऐसे मामलों में, ऑफसेटिंग निर्यात आय की प्राप्ति के बराबर होगी तथा निर्यातक को निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगेः-

(क) बैंक प्राप्ति प्रमाणपत्र की एवज में **परिशिष्ट-2ठ**

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक की विशेष अनुमति ।

गुणवत्ता प्रमाणन संबंधी प्रावधानः

2.90 गुणवत्ता प्रमाणन

यह निरन्तर कोशिश रही है कि निर्यात उत्पाद का विनिर्माण करने वाले एककों/निर्यात उत्पाद में गुणवत्ता मानदण्डों को बढ़ावा दिया जाए ।

गुणवत्ता प्रमाणन प्रदान करने हेतु अधिकृत एजेंसियाँः

(क) गुणवत्ता प्रमाणन देने के लिए जिन्हें प्राधिकृत किया गया है, ऐसे अभिकरणों की सूची **परिशिष्ट-2झ** में दी गई है ।

(ख) आईएसओ 9000 (श्रृंखला) और आई एस ओ 14000 (श्रृंखला) के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद् के तहत नैशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फार सर्टिफिकेशन बाडीज (एनएबीसीबी) से मान्यता प्राप्त अधिकरणों को इस नीति के तहत प्राधिकृत माना जायेगा। ऐसे मान्यता प्राप्त अभिकरणों की सूची www.qcin.org वैबसाईट पर उपलब्ध है और **परिशिष्ट-2झ** में दी गई है।

(ग) एजेंसियों को आईएसओ (9000) श्रृंखला और आईएसओ 14000 श्रृंखला के लिए निम्नलिखित के अतिरिक्त वर्गीकरण पर मान्यता दी गई हैः

(i) गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस)-
http://www.qcin.org/nabcb/accreditation/reg.bod qms.php
गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए

(ii) पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस)-

http://www.qcin.org/nabcb/accreditation/reg.bod ems.php
पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए।
इन एजेंसियों को एएएनएफ के **परिशिष्ट-2झ** में सूचीबद्ध किया गया है।

(घ) **परिशिष्ट-2झ** में अपना नाम लिखवाने के इच्छुक अभिकरण **परिशिष्ट-2झ** के अनुलग्नक-I के अनुसार डीजीएफटी को अपना आवेदन कर सकते है ।

2.90क औषध सूत्रीकरण के निर्यात के लिए खोज–बीन प्रणाली

औषध सूत्रीकरण के निर्यात के लिए खोज–बीन प्रणाली के कार्यान्वयन की प्रक्रिया निम्नलिखित हैः

(i) औषध सूत्रीकरण के विनिर्माता अथवा निर्यातक अपने उत्पादों की खोज–बीन को सुकर बनाने हेतु विभिन्न पैकेजिंग स्तरों पर **जीएस1 वैश्विक स्तर** के अनुसार बारकोड का मुद्रण करेंगे। इसका ब्यौरा इस प्रकार हैः

(क) प्रारंभिक स्तरः

14 अंकीय वैश्विक व्यापार मद संख्या (जी.टी.आई.एन) के प्रारूप में अद्वितीय और **सार्वभौम वैश्विक उत्पाद पहचान** कोड का कूटलेखन करते हुए द्विआयामी (2डी) बार कोड का बैच सं0, समाप्ति की तारीख और प्राथमिक पैक की अद्वितीय क्रम संख्या सहित समावेश। प्रारंभिक स्तर पर बार कोड लेबल लगाए जाने पर अगली अधिस्चना तक छूट प्राप्त है, तथापि, अगली अधिसूचना तक **वैकल्पिक आधार पर** ऊपर उल्लिखित ब्यौरे को पढ़ने योग्य रूप में मुद्रण किया जाना अपेक्षित है।

(ख) द्वितीयक स्तरः

एक अथवा द्वि–आयामी (1डी अथवा 2 डी) बारकोड को सम्मिलित करना जिसमें द्वितीयक पैक की बैच संख्या, अंतिम तिथि तथा एक विशिष्ट क्रम संख्या के साथ 14 अंकों की वैश्विक व्यापार मद संख्या (जीटीआईएन) के प्रारुप में विशिष्ट और सार्वभौमिक वैश्विक उत्पाद पहचान कोड उल्लिखित किया गया हो। तथापि, मोनो कार्टनों के मामले में विनिर्माता अथवा निर्यातक अगली अधिसूचना तक वैकल्पिक आधार पर एक प्रारंभिक पैक वाले मोनो कार्टन पर बारकोड मुद्रित करेंगे।

(ग) तृतीयक स्तरः

एक आयामी (1डी) बारकोड को सम्मिलित करना जिसमें तृतीयक पैक की बैच संख्या, अंतिम तिथि तथा एक विशिष्ट श्रेणी संख्या अर्थात क्रमिक पोतलदान कंटेनर कोड (एसएससीसी) के साथ 14 अंकों की वैश्विक व्यापार मद संख्या (जीटीआईएन) के प्रारुप में विशिष्ट एवं सार्वभौमिक वैश्विक उत्पाद पहचान कोड उल्लिखित किया गया हो।

(ii) एसएसआई तथा गैर एमएसआई विनिर्माताओं हेतु पैरेंट–चाईल्ड संबंधः

विनिर्माता अथवा निर्यातक त्रि–स्तरीय पैकेजिंग अर्थात् प्रारंभिक द्वितीयक तथा तृतीयक पैकेजिंग तथा इनकी आपूर्ति संख्या में संचालन हेतु आंकड़ों की देख–रेख पैरेंट–चाईल्ड संबंध के रूप में करेंगे।

(iii) पैरेंट चाइल्ड संबंध के डाटा का रख–रखाबः

ऊपर पैरा (ii) में उल्लिखित आँकड़ों को बिक्री या वितरण हेतु संरूपण जारी किए जाने से पहले विनिर्माता अथवा निर्यातक अथवा उसकी पदनामित एजेंसी द्वारा भारत सरकार के केन्द्रीय पोर्टल (http://dava.gov.in) पर अपलोड किया जाएगा।

(iv) शुद्धता, पूर्णता और केन्द्रीय पोर्टल पर डाटा समय पर अपलोड करने की जिम्मेवारी विनिर्माता अथवा निर्यातक की होगी।

(v) उपर्युक्त नियम (i) से (iv) निर्यात प्रयोजनों के लिए विनिर्मित उन औषध संरूपणों के लिए लागू नहीं होंगे, जिनमें आयातक देश की सरकार ने विशिष्ट आवश्यकता का अधिदेश दिया है तथा निर्यातक डीसीजीआई और उसके नामिती की विधिवत अनुमति से अपने प्रपत्र में बारकोड प्रिन्ट कराने के विकल्प का लाभ लेना चाहता है। तथापि, तृतीयक स्तर की पैकेजिंग में आयात देश की आवश्यकता, यदि कोई हो, के अलावा उपर्युक्त (i) (ग) के अनुसार बार कोड की अतिरिक्त प्रिन्टिंग होगी।

(vi) गैर–लघु उद्योग इकाइयों द्वारा दिनांक 31.03.2016 तक विनिर्मित उत्पाद और लघु उद्योग इकाइयों द्वारा दिनांक 31.03.2017 तक विनिर्मित उत्पादों को केन्द्रीय पोर्टल पर डाटा अपलोड करने की आवश्यकता से छूट होगी।

(vii) गैर लघु उद्योग इकाइयों द्वारा दिनांक 01.04.2016 को या उसके बाद विनिर्मित सभी औषधों तथा दिनांक 01.04.2017 को या उसके बाद की विनिर्माण तारीख वाले लघु उद्योग इकाइयों के सभी औषध का तभी निर्यात किया जा सकता है, जब तृतीयक और द्वितीयक दोनों पैकेजिंग में यथा लागू बारकोड हो तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा यथा निर्धारित संगत आंकड़ा केन्द्रीय पोर्टल पर अपलोड किया जाए।

स्पष्टीकरण :

(क) इस नियम के प्रयोजन हेतु,

(i) औषध संरूपण का अर्थ ऐसे संरूपण से है जो औषध एवं सौन्दर्य सामग्री अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके तहत निर्मित नियमावली के तहत औषध नियंत्रण प्राधिकारी से प्राप्त लाइसेंस के अंतगत विनिर्मित हो और आयातकर्ता देश के खाद्य एवं औषध प्रशासन के पास ''औषध'' के रूप में पंजीकृत हो।

(ii) प्रारंभिक पैकेजिंग का अर्थ ऐसे पैकेज से है जो सक्रिय घटक के साथ प्रत्यक्ष वास्तविक सम्पर्क में है।

(iii) द्वितीय पैकेजिंग का अर्थ एक अथवा एक से अधिक प्रारंभिक पैक्स युक्त कार्टन और एक प्रारंभिक पैक युक्त मोनो कार्टन समाविष्ट है।

(iv) तृतीय पैकेजिंग का अर्थ एक अथवा एक से अधिक द्वितीय पैकेजिंग युक्त शिपर है।

(ख) विशेष रियायत (रियायतें) यदि कोई है, को प्रदान करने के संबंध में सभी प्रासंगिक दिशा–निर्देश, डेटा आवश्यकता/रखरखाव की प्रक्रिया केन्द्रीय पोर्टल पर अपलोड है और इस अधिसूचना के तहत जारी स्पष्टीकरण आदि केन्द्रीय पोर्टल अर्थात् http://dava.gov.in पर उपलब्ध हो जाएगी।

(ग) औषध विनिर्मातकों/निर्यातकों की यह जिम्मेवारी होगी कि जैसी स्थिति हो वह सीमाशुल्क प्राधिकारी को संतुष्ट करें कि निर्यात खेप अधिसूचना की शर्तों की पूर्ति कर रहा है।

निर्यात संवर्धन परिषद् (ईपीसी)/पण्य बोर्डः

2.91 पंजीकरण प्राधिकरण

(क) इस संबंध में पंजीकरण प्राधिकरण डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित एक निकाय है जिसका उद्देश्य आयातकों/निर्यातकों को आरसीएमसी जारी करके अपने सदस्य के रूप में पंजीकृत करना है।

(ख) अधिसूचित पंजीकरण प्राधिकरणों की सूची **परिशिष्ट-2न** पर है।

(ग) वर्तमान में आरसीएमसी हेतु पंजीकरण प्राधिकरणों के रूप में कार्य कर रहे ईपीसी पंजीकरण प्राधिकरणों के रूप में कार्य करते रहेगें और अपने सदस्यों को 31 मार्च 2016 तक आर.सी.एम.सी जारी करते रहेगें। अपने उत्पाद समूह के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में कार्य करते रहने की इच्छा रखने वाले ईपीसी को उन शर्तों का अनुपालन करना और 31 मार्च 2016 से पहले पूरा करना होगा जैसा कि नीचे दिए गए पैरा 2.92 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

2.92 पंजीकरण प्राधिकरणों के रूप में ईपीसी के लिए मानदण्ड

ईपीसी को वस्तुतः लोकतान्त्रिक और सहभागी स्वरूप का बनाने तथा बेहतर अभिशासन और पार दर्शिता लाभ के उद्देश्य से पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में कार्य करने हेतु मानदण्ड निर्धारित किया जा रहा है जो इस प्रकार हैः-

(क) **ई-वोटिंगः** उपाध्यक्ष और कार्यकारी समिति के सदस्यों के पदों के निर्वाचन हेतु इलेक्ट्रोनिक मतदान अनिवार्य होगा जिससे कि व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

(ख) **निर्वाचित प्रमुखों का कार्यकालः** एक निर्वाचित प्रमुख का कार्यकाल दो वर्ष के लिए होगा। ईपीसी के अध्यक्ष का निर्वाचन उपाध्यक्ष के माध्यम से होगा तथापि कोई सदस्य जो अध्यक्ष तथा/अथवा उपाध्यक्ष के पद पर रहा हो, अधिक से अधिक चार वर्ष के अन्तराल के पश्चात् उसी परिषद में उपाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कर सकता है।

(ग) **केन्द्र सरकार के निर्देशः** पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में कार्य कर रहे ईपीसी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के संवर्धन और विकास संबंधी केन्द्र सरकार के सभी निदेशों का पालन करेगें।

2.93 पंजीकरण - सह - सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी)

(क) निर्यातक, **एएनएफ-2ग** में दिए गए प्रपत्र में आवेदन करके स्वयं को पंजीकृत करवा सकता है और ई पी सी का सदस्य बन सकता है । सदस्यता मिल जाने पर आवेदक को **परिशिष्ट-2द** में दिए गए प्रपत्र में संबंधित ई पी सी का पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र

दिया जाएगा । यदि कोई निर्यातक विनिर्माता निर्यातक के रुप में पंजीकरण करवाना चाहता है तो उसे इस आशय का सबूत देना होगा ।

(ख) भावी/सम्भावित निर्यातक भी आवेदन करके स्वयं को पंजीकृत करवा सकते हैं और ईपीसी के सहयोगी सदस्य बन सकते हैं ।

2.94 पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करना

(क) पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करते समय निर्यातक को आवेदन में अपने मुख्य व्यापार की घोषणा करनी होगी। निर्यातक को उस परिषद से पंजीकरण सह सदस्यता प्राप्त करना होगा जो उसके मुख्य व्यापार के उत्पाद से संबंधित हो ।

(ख) यदि निर्यात उत्पाद ऐसा है कि वह किसी निर्यात संवर्धन परिषद/पण्य बोर्ड आदि में शामिल नहीं है तो इसके संबंध में पंजीकरण सह सदस्यता फियो से प्राप्त की जाएगी। आगे यदि बहु-उत्पाद निर्यातक जो किसी भी निर्यात संवर्धन परिषद में पंजीकृत नही हैं, जहाँ मुख्य व्यापार समझने योग्य नहीं है, वहाँ निर्यातक के पास फेडरेशन ऑफ इण्डियन एक्सपोर्टर्स आर्गेनाइजेशन (फियो) से पंजीकरण सह-सदस्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का विकल्प रहेगा।

(ग) जिन बहु उत्पाद निर्यातकों के मुख्यालय/पंजीकृत कार्यालय उत्तर पूर्व राज्यो में स्थित हो वे आरसीएमसी सैलक व वन्य उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (एपीडा, स्पाइस बोर्ड और टी बोर्ड के द्वारा देखे जाने वालो उत्पादों के अतिरिक्त) से प्राप्त करेंगे।

(घ) जम्मू-कश्मीर राज्य से हथकरघा एवं हस्तशिल्प के निर्यातकों के लिए पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निदेशक, हथकरधा, जम्मू-कश्मीर सरकार को प्राधिकृत किया गया है।

2.95 आर सी एम सी की वैधता अवधि

आर सी एम सी लाइसेंसिंग वर्ष, जिसमें यह जारी किया गया है, के 1 अप्रैल से वैध होगा और लाइसेंसिंग वर्ष, के 31 मार्च के अन्त तक पाँच वर्ष के लिए वैध होगा, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो ।

2.96 आरसीएमसी धारक के व्यापारिक संविधान में परिवर्तन के संबंध में सूचना देना

(क) निर्यातक का स्वामित्व, संविधान, नाम या पते में परिवर्तन होने पर आर सी एम सी धारक को ऐसा परिवर्तन होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर पंजीकरण प्राधिकारी को इस परिवर्तन के बारे में बताना जरुरी होगा। तथापि, पंजीकरण प्राधिकारी गुण - दोष के आधार पर विलम्ब को नज़रअंदाज़ कर सकता है ।

(ख) निर्यातक विभिन्न वस्तुओं के निर्यात की तिमाही विवरणी/ ब्यौरे संबंधित पंजीकरण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा । तथापि, स्तर धारक फियो द्वारा निर्दिष्ट प्रपत्र में फियो को तिमाही विवरणी भी भेजेंगे ।

2.97 पंजीकरण रद्द करना

पंजीकरण प्राधिकारी पंजीकरण की शर्तों का उल्लंघन करने पर निर्दिष्ट अवधि के लिए आर सी एम सी धारक का पंजीकरण रद्द कर सकता है । इस प्रकार पंजीकरण रद्द करने से पहले, आर सी एम सी धारक को पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और प्रस्तावित पंजीकरण रद्द करने के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त अवसर दिया जाएगा । पंजीकरण रद्द किए जाने पर संबंधित ई पी सी इसके बारे में सभी क्षेत्रीय प्राधिकारियों को सूचित करेगा ।

2.98 पंजीकण रद्द करने के विरूद्ध अपील

यदि किसी व्यक्ति को आरसीएमसी जारी किए जाने के संबंध में पंजीकरण प्राधिकारी के निर्णय से कोई दिक्कत है तो वह विदेश व्यापार महानिदेशालय या इनकी ओर से पदनामित किसी अधिकारी को उक्त निर्णय लिए जाने के विरुद्ध 45 दिन के भीतर अपील कर सकता है और अपील प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

2.99 विदेश व्यापार महानिदेशालय के निर्देश

विदेश व्यापार महानिदेशालय निर्यातक को पंजीकृत करने या उसका पंजीकरण रद्द करने के बारे में पंजीकरण प्राधिकारी को निर्देश दे सकता है अथवा विदेश व्यापार (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबंधों, इसके तहत बनाये गए नियमों और आदेशों, विदेश व्यापार नीति या इस प्रक्रिया पुस्तक को कार्यान्वित करने के लिए अन्य कोई निर्देश जारी कर सकता है।

अन्य सामान्य प्रावधानः

2.100 आयातकों/निर्यातकों के लिए पहचान पत्र

(क) विदेश व्यापार महानिदेशालय मुख्यालय और क्षेत्रीय प्राधिकारियों से प्राधिकार पत्र तथा अन्य दस्तावेजों को प्राप्त करने की सुविधा के लिए आयातकों और निर्यातकों को प्रोपराइटर/ साझेदारों/निदेशकों और प्राधिकृत कर्मचारियों (तीन से अधिक नहीं) को **एएनएफ-2ख** में पहचान पत्र (**परिशिष्ट 2ब** में 3 वर्षों के लिए वैध) जारी किए जा सकते हैं।

(ख) इसके अलावा, आवेदक फर्म द्वारा संबंधित कर्मचारियों को अपने लैटर हैड पर पहचान पत्र भी जारी कर सकती हैं। ये पहचान पत्र संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होंगे। तथापि, आवेदक द्वारा पहचान पत्र के लिए आवेदन **एएनएफ-2ख** में प्रस्तुत करना होगा और अन्य मानदण्डों को पूरा करना होगा।

(ग) लिमिटेड कंपनियों के मामले में, क्षेत्रीय प्राधिकारी प्रति कम्पनी तीन से अधिक पहचान पत्र जारी करने का अनुमोदन दे सकता है । पहचान पत्र गुम होने के मामले में, एक स्व-घोषणा के आधार पर डुप्लीकेट कार्ड जारी किया जा सकता है । क्षेत्रीय प्राधिकारी लिखित रूप में कारण दर्ज करने के बाद बहुप्रयोजन पहचान पत्र जारी कर सकता है।

2.101 अधिकृत अधिकारियों के साथ साक्षात्कार

अधिकारी अपने विवेकानुसार आयातक/निर्यातक के प्राधिकृत प्रतिनिधि को भी साक्षात्कार के लिए बुला सकते हैं। साक्षात्कार/स्पष्टीकरण ई.मेल के माध्यम से भी माँगे जा सकते हैं।

2.102 अधिकृत हस्ताक्षरी

निर्यातक/आयातक की ओर से क्षेत्रीय प्राधिकरण सहित विदेश व्यापार महानिदेशालय को किए जाने वाले पत्र व्यवहार में फर्म/कम्पनी द्वारा ऐसे पत्र व्यवहार करने हेतु विधिवत रूप से अधिकृत व्यक्ति का नाम, हस्ताक्षर, ईमेल आईडी अवश्य होना चाहिए।

अधिमान्य व्यापारिक समझौतेः

2.103 मुक्त व्यापारिक समझौते (एफटीए)/अधिमान्य व्यापारिक समझौते (पीटीए)

(क) भारत हमेशा पारदर्शी,साम्य, समोवशी, पूर्वानुमेय, गैर-अधिमान्य और नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली का पक्षधर रहा है। इस संबंध में भारत के व्यापारिक समझौतों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भारतीय अर्थव्यवस्था के नपे-तुले और सुदृढ़ प्रदर्शन के रूप में देखा जा सकता है। अक्तूबर-2014 की स्थिति के अनुसार भारत ने 10 मुक्त व्यापारिक समझौतों और 6 सीमित अधिमान्य व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत की लगभग 18 अन्य मुक्त व्यापारिक समझौतों पर बातचीत चल रही है।

(ख) भारत द्वारा हस्ताक्षर किए गए एफटीए की सूची इस प्रकार हैः

(i) भारत-श्रीलंका एफटीए
(ii) दक्षिण एशिया मुक्त व्यापारिक समझौते पर समझौता (साफ्टा)
(iii) अनधिकृत व्यापार पर नियंत्रण के उद्देश्य को भारत और नेपाल सरकार के बीच सहयोग का संशोधित समझौता।
(iv) व्यापार, वाणिज्य और पारगमन पर भारत-भूटान समझौता
(v) भारत-थाइलैंड एफटीए-अर्ली हार्वेस्ट स्कीम (ईएसएच)
(vi) भारत-सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए)
(vii) भारत-आसियान सीईसीए (माल, सेवा एवं निवेश)
(viii) भारत-दक्षिण कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए)
(ix) भारत-जापान सीईपीए
(x) भारत-मलेशिया सीईसीए

(ग) भारत द्वारा हस्ताक्षर किए गए अधिमान्य व्यापारिक समझौता (पीटीए) की सूचीः

(i) एशिया प्रशांत व्यापारिक समझौता (एपीटीए)
(ii) व्यापारिक प्राथमिकताओं की वैश्विक प्रणाली (जीएसटीपी)
(iii) भारत-अफगानिस्तान पीटीए
(iv) भारत-मर्कोसुर पीटीए
(v) भारत-चिली पीटीए
(vi) सार्क अधिमान्य व्यापारिक समझौता (साप्टा)

(घ) भागीदार देशों के साथ उक्त समझौते और उनके लागू होने की तारीख की सूची **परिशिष्ट-2क** में दी गई है।

2.104 एकपक्षीय टैरिफ प्राथमिकताएँ

इन स्कीमों के तहत विकसित और विकासशील दोनों देश अल्प विकसित देशों सहित विकासशील देशों से निर्यात को एक पक्षीय टैरिफ प्राथमिकताएँ देते हैं। इनमें से कुछ स्कीमें इस प्रकार हैः

(क) तरजीहों की सामान्यकृत प्रणाली (जीएसपी):

(क) जीएसपी एक गैर अनुबंधीय व्यवस्था है जिसके द्वारा औद्योगिक (विकसित) देश एकतरफा तौर पर और गैर-आदान प्रदान के आधार पर विकसित देशों को प्रशुल्क छूट दे सकती हैं। निम्नलिखित देश अपनी जी एस पी स्कीम के तहत प्रशुल्क तरजीहें उपलब्ध कराते हैंः (i) संयुक्त राज्य अमेरिका (ii) न्यूजीलैंड (iii) बेलारूस (iv) यूरोपीय संघ (v) जापान (vi) रूस (vii) कनाडा (viii) नार्वे (ix) आस्ट्रेलिया (केवल एलडीसी को) (x) स्विटरजरलैंड

(ख) लाभ दिलाने की शर्तों और प्रक्रियाओं सहित इन देशों की जीएसपी स्कीमों में सैक्टरों/उत्पादों और टैरिफ लाइनों के ब्यौरे हैं जिसके तहत ये लाभ उपलब्ध हैं। ये स्कीमें समय-समय पर नवीकृत और संशोधित की जाती हैं । सामान्यतः जीएसपी प्रदान करने वाले देशों के सीमाशुल्क कार्यालय लाभान्वित देशों के निर्यातकों द्वारा विधिवत रूप से भरे हुए फार्म 'क' (उद्गम के जीएसपी नियमों हेतु निर्धारित) में अपेक्षित सूचना मांगते हैं जो प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा प्रमाणित हो। उद्गम का जीएसपी उद्गम प्रमाणपत्र जारी करने वाली एजेंसियों की सूची **परिशिष्ट-2ग** में दी गयी है ।

(ग) यूरोपीयन संघ (ईयू) ने 1.1.2017 के बाद से जीपीएस के तहत मूल के नियमों को प्रमाणित करने के लिए स्वयं–प्रमाणन योजना लागू की है। 1.1.2017 से पंजीकृत निर्यातक प्रणाली (आरईएक्स) के तहत लागू की गई है, आईईएक्स संख्या वाले निर्यातकों को जीएसपी योजना के तहत ईयू को निर्यात किए जाने वाले अपने सामान के मूल पर स्वयं प्रमाणित बयान करने में सक्षम हो जाएगा। आरईएक्स पर पंजीकरण बिना किसी शुल्क या चार्ज के है और यह प्रणाली परिशिष्ट–2ग में सूचीबद्ध सक्षम प्राधिकरणों द्वारा मूल के प्रमाण पत्र (पपत्र–क) के जारी करने की वर्तमान प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। इस योजना का विवरण अनुबंध–1 से परिशिष्ट–2ग पर है।

(ख) अत्यंत अल्प विकसित देशों के लिए शुल्क मुक्त प्रशुल्क तरजीह (डीएफटीपी) स्कीमः

(क) अत्यंत अल्प विकसित देशों (एलडीसी) के लिए शुल्क मुक्त, कोटा मुक्त (डीएफक्यूएफ) पहुंच के लिए अधिदेश 2005 के हाँगकाँग अधिकार प्राप्त घोषणा के पैरा-47 से प्राप्त हुआ है। भारत एलडीसी के लिए अपनी शुल्क मुक्त प्रशुल्क तरजीह (डीएफटीपी) स्कीम के माध्यम से यह सुविधा प्रदान करने वाला पहला विकासशील देश बन गया है और यह स्कीम पांच वर्षों से प्रशुल्क कटौतियों के साथ अगस्त 2008 में आरंभ हुई। इस स्कीम में प्रशुल्क लाइनों के संबंध में अधिमानी बाजार पहुंच की व्यवस्था है जिसमें सभी एलडीसी के वैश्विक निर्यात का 92.5 प्रतिशत हिस्सा है।

(ख) तत्पश्चात् 2014 में इस स्कीम को कवरेज के साथ-साथ इसको सरलीकरण के संदर्भ में बदलाव किया गया। यह कदम अनेक एलडीसी द्वारा उनके निर्यात सहित और उत्पत्ति प्रक्रियाओं की नियमावली के सरलीकरण के क्षेत्रों पर अतिरिक्त उत्पाद कवरेज हेतु अनुरोध के प्रत्युत्तर में उठाया गया है। नई विस्तारित डीएफटीपी स्कीम के तहत् भारत कुल निशुल्क लाईनों के 96.4 प्रतिशत भाग पर शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान कर रहा है जिससे अपवर्जन और सकारात्मक सूचियों के लगभग 3.6 प्रतिशत लाईनों तक ही रोका जा रहा है। इस संबंध में विस्तृत ब्यौरे के लिए वाणिज्य विभाग की वेबसाइटः http:commerce.gov.in/trade/international tpp DFTP.pdf. और सीमाशुल्क विभाग की अधिसूचना सं0.8/2014, दिनांक 1 अप्रैल 2014 का संदर्भ लिया जा सकता है।

2.105 उद्गम प्रमाणपत्र (सीओओ)

(क) उद्गम प्रमाण पत्र (सीओओ) किसी देश से आयातित माल के उद्गम का प्रमाण स्थापित करने का साधन है ।

(ख) उद्गम प्रमाण पत्र की दो श्रेणियाँ हैं अर्थात्
(i) तरजीही और
(ii) गैर-तरजीही ।

2.106 उद्गम की नियमावली (तरजीही)

(क) उद्गम की नियमावली ऐसी नियमावली है जिसके द्वारा किसी माल के उद्गम का निर्धारण कारोबारी भागीदार को निर्यात के प्रयोजन हेतु किया जाता है। एफटीए, पीटीए अथवा एकपक्षीय प्रशुल्क रियायत के तहत् प्रशुल्क रियायत किसी आयातकर्त्ता देश द्वारा तभी प्रदान की जाती है जब उद्गम की इस निर्धारित नियमावली का पालन किया जाता है। उद्गम नियमावली से कारोबार संबंधी आंकडों के आकलन तथा करोबार संबंधी उपचारात्मक उपायों के निर्धारण और अधिरोपण में भी आसानी होती है।

(ख) उद्गम नियमावली के निर्धारण में इस्तेमाल होने वाल प्रमुख मानदण्ड इस प्रकार हैंः
(i) पूर्णतः प्राप्त
(ii) प्रशुल्क वर्गीकरण में परिवर्तन
(iii) मूल्य वर्धन
(iv) गैर न्यूनतम प्रचालन

(ग) भारत के एफटीए, पीटीए और जीएसपी के निर्यात हेतु उद्गम प्रमाणपत्र जारी करने के लिए विनिर्दिष्ट एजेंसियाँ अधिकृत हैं। ये एजेंसियाँ उद्गम नियमावली, किसी समझौते के अन्तर्गत आने वाली मदों की सूची, प्रशुल्क प्राथमिकता की सीमा, पात्रता का सत्यापन और प्रमाणन सहित उद्गम प्रमाणपत्र संबंधी सेवाएं भी प्रदान करेंगी। विभिन्न एफटीए/पीटीए के तहत् इन अधिकृत एजेंसियों की सूची **परिशिष्ट-2ख** में दी गई है।

(घ) निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) ऐसी एजेंसी है जो रिक्त प्रमाणपत्र के मुद्रण हेतु अधिकृत है। ईआईसी की वेबसाइट (www.eicindia.gov.in) में उद्गम प्रमाणपत्र जारी करने हेतु प्रक्रिया संबंधी ब्यौरे (शुल्क सहित) उपलब्ध हैं।

2.107 एफटीए/सीईसीए के अधीन टीआरक्यू

सरकार समय-समय पर विभिन्न एफटीए/सीईसीए प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के तहत आयात हेतु अपनी वचनबद्धताएं पूरा करती हैः तदनुसार डीजीएफटी समय-समय पर टीआरक्यू के प्रशासन हेतु प्रक्रिया अधिसूचित करता है।

मौजूदा प्रशुल्क कोटा इस प्रकार हैः

विवरण	**एचएस सं.**	**डब्ल्यूटीओ के अनुसार कोटा दर से कम/अधिक**	**भारतीय प्रशुल्क के अनुसार कोटा दर से कम/अधिक**	**अधिसूचना**	**टीआरक्यू**
श्रीलंका से वनस्पति, बेकरी शॉर्टनिंग और मार्जरीन	1516,1517 या 1518 (15161000, 15171010, 15179030 और 15180040 से भिन्न जो आयात हेतु निषिद्ध है।)	-	-	सं0.2/2007-सीमाशुल्क दिनांक 5 जनवरी 2007	*2,50,000 मी.टन
श्रीलंका से काली मिर्च	0904	-	-	सं0.2/2007-सीमाशुल्क दिनांक 5 जनवरी 2007	*2500 मी.टन
श्रीलंका से सूखा नारियल	08011100	-	-	सं0.2/2007-सीमाशुल्क दिनांक 5 जनवरी 2007	*500 मी.टन
श्रीलंका से आयात की जाने वाली पोशाक और इनकी अनुषंगी वस्तुएँ	61,62	-	5 प्रतिशत/10 प्रतिशत	26/2000-सीमाशुल्क सूची 3	8 मिलियन पीस
श्रीलंका से	2101	-	5 प्रतिशत/30	26/2000-	15 मिलियन

आयतित चाय और इससे तैयार वस्तुएं			प्रतिशत	सीमाशुल्क सूची 4	किग्रा0
नेपाल से वनस्पति वसा (वनस्पति)				22/2007-सीमाशुल्क 5 जून 2007	एक लाख मी.टन
नेपाल से अक्रिलिक यार्न				22/2007-सीमाशुल्क 5 जून 2007	10,000 मी.टन
नेपाल से तांबा उत्पाद	अध्याय 74 आईटीसी (एचएस) और 8544			22/2007-सीमाशुल्क 5 जून 2007	10,000 मी.टन
नेपाल से जिंक आक्साईड				22/2007-सीमाशुल्क 5 जून 2007	2500 मी.टन
* आयात की अनुमति **परिशिष्ट 2क के अनुलग्नक-I** में यथानिर्धारित व्यवस्थाओं/प्रक्रिया के अधीन दी जाएगी।					

2.108 उद्गम (गैर तरजीही) के नियम

(क) उद्गम (गैर-तरजीही) के नियमों का मानदंड निम्नानुसार हैः-

(I) माल को विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.31 में 'विनिर्माण' की परिभाषा के अनुसार निर्यातक कंपनी द्वारा विनिर्मित होना चाहिए; और

(II) यदि आयतित निविष्टियाँ (शुल्क प्रदत्त अथवा शुल्क मुक्त) का उपयोग निर्यात उत्पाद के उत्पादन के लिए हुआ हो तो निर्यात उत्पाद को तभी भारत में उद्गम होने वाला माना जाएगा (गैर अधिमान्य) जब आयतित निविष्टियाँ निम्नलिखित प्रक्रियाओं/परिचालनों से होकर गुजरती होः

(i) सामान्य प्रचालन जिसमें धूल हटाना, फटकना अथवा जाँच करना, छांटना, वर्गीकृत करना, मिलाना (वस्तुओं का सेट बनाना सहित), धुलाई करना, रंगना, काटना शामिल हैं;

(ii) पैकिंग में बदलाव करना और अलग-अलग करना और माल को जोड़ना;

(iii) सामान्य कटिंग, स्लाइसिंग और पुनः पैकिंग अथवा बोतल, फ्लास्क, बैग, बक्सों में भरना, कार्ड अथवा बोर्ड पर फिक्स करना और अन्य सभी सामान्य पैकिंग कार्य;

(iv) परिवहन और भण्डार (जैसे सुखाना, फ्रिज में रखना, लवण-जल में रखना, हवादार बनाना, फैलाना, ठण्डा करना, लवण, सल्फर डाईआक्साईड अथवा अन्य जलीय घोलों में रखना, टूटे हुए भागों को हटाना और इसी तरह के कार्य) के दौरान उत्पादों को अच्छी स्थिति में संरक्षण सुनिश्चत करने हेतु कार्य;

(v) उत्पादों अथवा उनकी पैकिजिंग पर चिन्ह, लेबल, अथवा अन्य विशेष संकेत लगाना;

(vi) उत्पादों का सामान्य मिलान करना;
(vii) पूर्ण उत्पाद बनाने हेतु उत्पादों के पूर्जों को सामान्य रूप से जोड़ना;
(viii) पुर्जो को अलग-अलग करना;
(ix) पशु वध जिसका अभिप्राय पशुओं की हत्या है; तथा
(x) जल व अन्य पदार्थ के साथ मात्र विलयन करना जिससे उत्पादों की विशेषताएं भौतिक रूप से परिवर्तित नहीं होती है।

(ख) सरकार ने भी गैर-तरजीही उद्गम का प्रमाणपत्र (सीओओ) जारी करने के लिए कुछ एजेंसियों को नामित किया है। उद्गम के प्रमाणपत्र सामान के उद्गम के साक्ष्य हैं और ये तरजीही प्रशुल्क का कोई अधिकार नहीं देते । इन अधिसूचित एजेंसियों की सूची **परिशिष्ट–2ड.** में दी गई है। इसके अलावा, तरजीही उद्गम प्रमाणपत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत एजेंसियाँ गैर-तरजीही उद्गम प्रमाणपत्र भी जारी करने हेतु प्राधिकृत हैं।

(ग) सभी निर्यातकों जिन्हें उद्गम प्रमाणपत्र (गैर-तरजीही) प्रस्तुत करना है, को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ **परिशिष्ट–2ड.** में उल्लिखित एजेंसियों में से किसी को आवेदन करना होगाः-

(i) निर्यात उत्पाद में प्रयुक्त मात्रा/निविष्टियों के उद्गम/उपभोज्यों के ब्यौरे ।
(ii) बीजक की दो प्रतियाँ ।
(iii) संबंधित बीजक के लिए पैकिंग सूची दो प्रतियों में।
(iv) संबंधित अभिकरण द्वारा यथा निर्धारित प्रति प्रमाण पत्र शुल्क 100/- रु0 से अधिक न हो।

(घ) उद्गम प्रमाण पत्र (गैर तरजीही) मंजूर करने से पूर्व एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि उपर्युक्त (क) में परिभाषित मानदंड के अनुसार वस्तुएँ भारतीय मूल की हैं । प्रमाणपत्र **परिशिष्ट–2ड. के अनुलग्नक II** में दिये गये प्रपत्र के अनुसार जारी किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रमाणपत्र में कोई शुद्धि/पुनः टंकन नहीं किया गया है। **परिशिष्ट–2ड.** में सूचीबद्ध होने की इच्छुक एजेन्सी **परिशिष्ट–2ड. के अनुलग्नक-I** के अनुसार डीजीएफटी को अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकती है।

(ड.) **गैर-अधिमानी-स्व-प्रमाणनः** विनिर्माता निर्यातक जो स्तर धारक भी हों **परिशिष्ट–2ड. के अनुलग्नक III** के अनुसार अपने माल को भारत से उद्गम होने को स्व-प्रमाणित करने के पात्र होगें बशर्ते उनका माल निविष्टि परिवर्तन मानदण्ड को पूरा करता हो।

2.109 स्व-प्रमाणन हेतु अनुमोदित निर्यातक स्कीम (एईएस)

स्कीम का ब्यौरा एएएनएफ के परिशिष्ट 2च में दिया गया है।

नीति व्याख्या और रियायतः

2.110: पीआईसी को आवेदन

विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.57(ख) के तहत नीति व्याख्या समिति (मुख्यालय में) के एएनएफ–2च में दिए गए किसी भी नीति प्रावधान की व्याख्या के लिए आवेदन किया जाएगा।

2.111: पीआरसी को आवेदन

(क) विदश व्यापार नीति के पैरा 2.58 के तहत नीति रियायत समिति (पीआरसी) के लिए आवेदन, निर्धारित शुल्क और दस्तावेजों के साथ एएनएफ–2ड. के अनुसार किया जाएगा, इसकी प्रति टिप्पणी के लिए संबंधित आरए को भी दी जाएगी। इसी प्रकार एफटीपी के पैरा 2.59 के तहत किसी भी अधीनस्थ प्राधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी समिति के निर्णय या निर्णय/आदेश की समीक्षा के लिए आवेदन, एएनएफ–2ड. में विदेश व्यापार महानिदेशालय में जमा करना आवश्यक है।

(ख) विदेश व्यापार महानिदेशक, सभी अपर महानिदेशकों, सभी संयुक्त महानिदेशकों, सदस्य के रूप में मुख्यालय में नीति प्रभाग के प्रभारी के साथ पीआरसी के अध्यक्ष होगें और जब आवश्यक हो, समिति विशिष्ट विशेषज्ञता/अनुभव के साथ सह–चयन सदस्य कर सकती है।

अध्याय-3

भारत से निर्यात की स्कीम

3.01 भारत से व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात संबंधी स्कीम (एमईआईएस)

(क) भारत से व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात संबंधी स्कीम (एमईआईएस) के लिए नीति विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 में दी गई है।

(ख) निर्यात (ई-कामर्स का प्रयोग करते हुए, कूरियर अथवा विदेशी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से माल के निर्यात के अलावा) पर एमईआईएस के तहत प्रतिफल का दावा करने के लिए एक आवेदन-पत्र विदेश व्यापार महानिदेशालय की वेबसाइट http://dgft.gov.in पर संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को एएनएफ 3क में डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग कर ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। संबंधित पोतलदान बिलों और ईबीआरसी को ऑन लाइन आवेदन-पत्र के साथ लिंक करना होगा।

(ग) यदि आवेदन ईडीआई पत्तनों के माध्यम से किए गए निर्यात के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तब क्षेत्रीय प्राधिकारी नीचे पैरा 3.01 (ज) के प्रावधानों के तहत दस्तावेजों का छोड़कर किसी अन्य दस्तावेज की वास्तविक रूप से माँग नहीं करेगा, अतः आरए को निम्नलिखित दस्तावेजों की हार्ड कॉपी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगीः जैसे, डीजीएफटी को आवेदन-पत्रों की हार्ड प्रति, ईडीआई पोतलदान बिल, इलेक्ट्रॉनिक बैंक प्राप्ति प्रमाण-पत्र (ई-बीआरसी) और आरसीएमसी। आवेदक को एचबीपी के पैरा 3.03 के तहत निर्धारित तरीके से उतराई का प्रमाण सौंपना होगा।

(घ) यदि गैर ईडीआई पत्तनों के माध्यम से किए गए निर्यात के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तब आवेदक को गैर–ईडीआई पोतलदान बिलों को निर्यात संवर्धन प्रति सौंपनी होगी। आवेदक को एचबीपी के पैरा 3.03 के तहत निर्धारित तरीके से उतराई का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। आवेदक जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, स्क्रिप का दावा करने के लिए निर्धारित दस्तावेजों में से किसी की भी स्कैन की हुई प्रति अपलोड करेंगे। तथापि, आवेदक को इस मामले में भी डीजीएफटी को आवेदनों, इलैक्ट्रॉनिक बैंक प्राप्ति प्रमाण-पत्र (ई–बीआरसी) और आरसीएमसी को हार्ड प्रति सौंपने की आवश्यकता नहीं होगी।

(ड.) आवेदक गैर–ईडीआई पोतलदान बिलों के मामले में निर्यात के प्रत्येक पत्तन के लिए अलग आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगा। ईडीआई पोतलदान बिलों के मामले में आवेदक केवल एक आवेदन–पत्र पस्तुत करेगा जिसमें विभिन्न ईडीआई पत्तनों के पोतलदान बिल होगे। तदनुसार भिन्न–भिन्न ईडीआई पत्तनों से पोतलदान के लिए अलग–अलग आवेदन–पत्रों की आवश्यकता नहीं होगी।

(च) आरए में गैर–ईडीआई पोतलदान बिलों को प्रक्रियाबद्ध करनाः यदि गैर ईडीआई पोतलदान बिल अथवा पोतलदान बिल सीमाशुल्क विभाग से संदेश विनिमय के माध्यम से प्राप्त नहीं होते हैं, तो संबंधित आरए स्क्रिप प्रदान करने से पहले निर्यातक द्वारा दिए गए विवरणों से मूल पोतलदान बिलों की जांच करेगा।

(छ) ईडीआई पोतलदानों के लिए किसी हस्तलिखित प्रविष्टि की अनुमति नहीं हैः ईडीआई पोतलदान बिलों के लिए, आनॅलाइन प्रणाली में पोतलदान बिलों के विवरण की कोई हस्तलिखित प्रविष्टि अनुमत नहीं की जाएगी। आरए द्वारा ईडीआई पोतलदान बिलों के विवरण की दोबारा जांच के बिना प्रतिफल प्रदान किए जाएगें।

(ज) आरए इलेक्ट्रानिक रूप से प्राप्त की गई फाइलों को प्रक्रियाबद्ध करेगा और इलेक्ट्रानिक दस्तावेजों की उपयुक्त समीक्षा के बाद स्क्रिप जारी की जाएंगी। जाँच के पश्चात् यदि अधिकारी को किसी आवेदन में गलत वर्गीकरण/मिथ्या घोषणा का पर्याप्त संदेह हो, तो ऐसे मामलों में अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारी/कार्यालय प्रमुख के अनुमोदन के पश्चात् जाँच के लिए मूल दस्तावेजों की माँग कर सकता है। ऐसे दस्तावेजों की प्राप्ति के पश्चात् अधिकारी को दावे पर 7 कार्य दिवसों के भीतर अवश्य निर्णय ले लेना चाहिए। ऐसे मामलों जिनमें दावा अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो सकारण आदश जारी किया जाएगा।

(झ) दस्तावेज जिन्हें मूल रूप में सौंपे जाने की आवश्यकता नहीं है, आवेदक द्वारा स्क्रिप के जारी होने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए लिए रख लिए जाएंगे अथवा जैसाकि विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.19(ख) के तहत निर्धारित किया गया है।

(ञ) लाइसेसिंग प्राधिकारी ऐसे दस्तावेजों को मूल रूप में तीन वर्षों के अंदर किसी भी समय मंगवा सकता है। यदि आवेदक लाइसेसिंग प्राधिकारी द्वारा मांगे गए मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो आवेदक स्क्रिप जारी होने की तिथि से प्रदान किए गए प्रतिफलों को सीमा-शुल्क अधिनियम 1961 की धारा 28कक के तहत निर्धारित दर पर ब्याज के साथ वापस करेगा।

(ट) एमईआईएस के तहत प्रतिफलों का दावा करने के लिए उत्पाद की पात्रता, संबंधित आईटीसी (एचएस) कोड और बाजार (परिशिष्ट 3ख में दिए अनुसार) एचबीपी के पैरा 9.12 के अनुसार अनुमत निर्यात तिथि से निर्धारित किए जाएंगे।

3.02 ई-कामर्स का प्रयोग कर कूरियर अथवा विदेशी डाक घरों के माध्यम से माल का निर्यात करने के लिए आवेदन

(क) निर्यातक द्वारा एएनएफ 3घ में डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग करते हुए आवेदन-पत्र आनॅलाइन दायर किया जाएगा। आवेदक एचबीपी के पैरा 3.03 के तहत निर्धारित तरीके से उतराई का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे।

(ख) आवेदक निर्यात के प्रत्येक पत्तन के लिए अलग आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगा।

(ग) आरए स्क्रिप प्रदान करने से पहले प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की वास्तविक रूप से स्वयं जांच करगा।

3.03 उतराई का प्रमाणः

(क) जहाँ भी एमईआईएस के तहत प्रतिफल जिन देशों में उपलब्ध है, प्रतिफल का दावा करने के लिए उतराई का प्रमाण-पत्र सौंपने की आवश्यकता नहीं होगी।

(ख) उतराई के प्रमाण के रूप में दस्तावेजों को अपलोड/प्रस्तुत किया जानाः-

व्यापार करने में सुविधा प्रदान के उपाय के रूप में, अधिसूचित बाजार में निर्यात खेप की उतराई के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित तरीके से डिजिटली रूप से अपलोड किया जा सकता हैः-

(i) कोई निर्यातक अपने डिजिटल हस्ताक्षर के तहत पैरा 3.03 (ग) (i) में यथा उल्लिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति अपलोड कर सकता है।

(ii) स्तरधारक जो कि तीन स्टार, चार स्टार अथवा पांच स्टार निर्यात सदन की श्रेणी में आते हैं, पैरा 3.03 (ग) (iv) में यथा उल्लिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियों को अपलोड कर सकत है।

(iii) अन्य सभी मामलों में, वास्तविक प्रति मूल रूप में निर्यातकों की सभी श्रेणियों द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।

(ग) आवेदक को अधिसूचित बाजार में निर्यात खेप पहुँचने के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत अथवा अपलोड करना होगाः-

(i) विनिर्दिष्ट बाजार में आयातक द्वारा प्रस्तुत प्रविष्टि के आयात बिल की स्वयं प्रमाणित प्रति, या
(ii) पत्तन प्राधिकारियों द्वारा जारी सुपुर्दगी आदेश, या
(iii) मालवाहक द्वारा जारी आगमन सूचना, या
(iv) निर्यात कार्गो का गन्तव्य फोकस बाजार में आगमन प्रमाणित करते हुए, मालवाहक (शिपिंग लाइन/एअर लाइन आदि या भारत में उसके मान्यता प्राप्त एजेंट) द्वारा उनकी प्रमाणित ट्रैकिंग रिपोर्ट, या
(v) जमीनी अधिसूचित बाजार हेतु, पत्तन से जमीनी अधिसूचित मार्केट में वस्तुओं के परिवहन की रेल/लॉरी रसीदें, या
(vi) कोई अन्य दस्तावेज जो संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को सन्तुष्ट करे कि माल अधिसूचित बाजार में रख दिया गया है/पहुँच गया है।

(घ) उपर्युक्त (iv) और (vi) के मामले में, माल वाहक के मान्यता प्राप्त एजेंट को यह प्रमाणित करना होगा कि वह ट्रैकिंग रिपोर्ट/दस्तावेज जारी होने की तारीख को संबंधित वस्तुओं के वाहक का मान्यता प्राप्त एजेंट है ।

(ड.) इसके अलावा, उपर्युक्त (vi) के तहत कोई अन्य दस्तावेज जारी होने के मामले में मान्यता प्राप्त एजेंट को यह बताना होगा कि उसने इस बात की पुष्टि कर ली है कि माल वाहक के बैकअप डाटा बेस में उपलब्ध जानकारी के आधार पर संबद्ध अधिसूचित बाजार में वस्तुएँ पहुँचने का प्रमाण दिया गया है और उसने इसकी जाँच कर ली है तथा तदनुसार दस्तावेज जारी किया है ।

(च) ई-कामर्स का प्रयोग कर किए गए निर्यातों के मामले में, निर्यातक एक्सप्रैस आपरेटर लैंडिग प्रमाण-पत्र/आनलाइन वेब ट्रैकिंग प्रिंट आउट प्रस्तुत कर सकता है जिसमें यह दर्शाया गया हो कि एयरवे बिल सं. एएनएफ-3घ के अनुलग्नक (ख) के अनुसार है।

3.04 भारत से सेवा निर्यात की स्कीम (एसईआईएस)

(क) भारत से सेवा निर्यात की स्कीम (एसईआईएस) के लिए नीति एफटीपी के अध्याय-3 में दी गई है।

(ख) प्रदान की गई पात्र सेवाओं के लिए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप प्रदान करने के लिए आवेदन-पत्र एएनएफ 3ख में डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग करके वार्षिक आधार पर एक वित्तीय वर्ष के लिए आनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा।

(ग) आरए उपयुक्त जांच के बाद आनलाइन प्राप्त आवेदन-पत्रों को प्रक्रियाबद्ध करेगा।

एमईआईएस और एसईआईएस के लिए लागू समान प्रक्रियात्मक विशेषताएं, जब तक विशेष रूप से प्रदान न किया गया हो।

3.05 अन्तरवर्ती प्रबंधः-

(क) मौजूदा विदेश व्यापार नीति की अधिसूचना की तिथि तक निर्यात किए गए माल अथवा प्रदान की गई सेवाएं, जो कि पहले की विदेश व्यापार नीति (नीतियों) के अध्याय 3 के तहत स्क्रिप जारी करने के लिए पात्र थीं और ऐसे माल के निर्यात अथवा प्रदान की गई सेवाओं के निमिन्न मौजूदा विदेश व्यापार नीति की अधिसूचना की तिथि को या बाद में स्क्रिप के लिए आवेदन किया गया है तो आवेदन क्षेत्राधिकारो आरए को एचबीपी 2009-2014 में यथा निर्धारित दस्तावेजों के साथ करना होगा।

(ख) हटा दिया गया हैं।

(ग) आवेदक एफपीएस/एमएलएफपीएस/एफएमएस/वीकेजीयूआई/एसएफआईएस/एसएचआई एस/आईईआईएस तथा कृषि ढांचागत प्रोत्साहन स्कीम स्क्रिप के संबंध में तदनुरूपी प्रकिया पुस्तक में निर्धारित आवेदन पत्र में और निर्धारित तरीके से आवेदन करना जारी रखेंगे।

3.06 क्षेत्राधिकार से संबंधित आर ए/संबंधित आर ए

(क) आवेदक को एमईआईएस और एसईआईएस के तहत आवेदन-पत्र/आवेदन-पत्रों को सौंपने के लिए आईईसी पर पृष्ठांकित कारपोरेट कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय/मुख्यालय/शाखा कार्यालय के पते के आधार पर क्षेत्राधिकार से संबंधित आरए को चुनने का विकल्प होगा। इस विकल्प का चुनाव वित्तीय वर्ष की शुरूआत में करना होगा। एक बार यदि एक विकल्प का प्रयोग कर लिया जाता है तो उस वर्ष से संबंधित दावों के लिए कोई परिवर्तन अनुमत नहीं किया जाएगा। इसे समझने के लिए, यदि एक आवेदक ने 2015-16 के दौरान किए गए निर्यात के लिए प्रतिफल का दावा करने के लिए आरए चेन्नई का चुनाव किया है तो 2015-16 के लिए किए गए निर्यात के लिए सभी दावे, आवेदन-पत्र की तिथि को ध्यान में रखे बगैर, केवल आरए चेन्नई को ही किए जाएगे।

(ख) एमईआईएस का क्षेत्राधिकार

1	2	3
क्र० सं०	इकाई	क्षेत्राधिकार के संबंधित आरए
(i)	ऐस आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) धारक जिनकी डीटीए / ईएचटीपी / बीटीपी / एसटीपी में अथवा इनमें से एक से अधिक में इकाइयाँ हों।	डीजीएफटी का क्षेत्राधिकार से संबंधित आरए जैसाकि परिशिष्ट 1क में दिया गया है।
(ii)	ऐसे आईईसी धारक जिनकी एसईजेड / ईओयू में अथवा दोनों में इकाइयाँ हों।	विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के संबंधित विकास आयुक्त जैसाकि परिशिष्ट 1क में दिया गया है।
(iii)	ऐसे आईईसी धारक जिनकी ऊपर (i) और (ii) दोनों में इकाइयाँ हों।	श्रेणी (i) और (ii) में अविस्थित इकाइयाँ कॉलम–3 में दिए गए संबंधित क्षेत्राधिकारों पर लागू होगी।

(ग) एसईआईएस (वार्षिक आधार पर एकल आवेदन) हेतु क्षेत्राधिकार

1	2	3
क्र० सं०	इकाई	क्षेत्राधिकार के संबंधित आरए
(i)	ऐसे आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) धारक जिनकी केवल डीटीए में केवल इकाइयाँ हो।	डीजीएफटो का क्षेत्राधिकार से संबंधित आरए जैसाकि परिशिष्ट 1क में दिया गया है।
(ii)	ऐसे आईईसी धारक जिनकी केवल एसईजेड में इकाइयाँ हो।	विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के संबंधित विकास आयुक्त जैसाकि परिशिष्ट 1क में दिया गया है।
(iii)	ऐसे आईईसी धारक जिनकी कई एसईजेड में इकाइयाँ हों	सभी इकाइयों के लिए उस एसईजेड के विकास आयुक्त को एकल आवेदन जहाँ उन्होंने अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित की है।
(iv)	ऐसे आईईसी धारक जिनकी डीटीए और एसईजेड दोनों में इकाइयाँ हों।	सभी अलग–अलग इकाइयों के लिए डीजीएफटी के क्षेत्राधिकार से संबंधित आरए को एकल आवेदन जैसाकि परिशिष्ट 1क में दिया गया है।

3.07 इस प्रक्रिया-पुस्तक के अध्याय-2 और 9 में निहित प्रावधानों की प्रयोजनीयता

इस प्रक्रिया-पुस्तक के अध्याय-2 और 9 में निहित प्रावधान एमईआईएस और एसईआईएस पर लागू होंगे।

3.08 स्क्रिप का पंजीकरण का पत्तनः-

(क) एमईआईएस के तहत पंजीकण का पत्तन निम्नानुसार होगाः-

(i) एमईआईएस के तहत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप (अलग-अलग समेत) पंजीकरण के एकल पत्तन के साथ जारी किया जाएगा जो ईडीआई पत्तनों जहां से निर्यात किया जाता है, में से कोई एक पतन होगा गैर–ईडीआई पत्तनों से पोतलदान के मामले में, एमईआईएस के तहत डयूटी क्रेडिट स्क्रिप (अलग–अलग समेत) पंजीकरण के एकल पत्तन से जारी किया जाएगा जो निर्यात का पत्तन होगा।

(II) ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप को निर्यात के पत्तन पर पंजीकरण करवाया जाना अपेक्षित होगा। इसे ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के प्रयोग को अनुमत करने से पहले किया जाना है। एक बार ईडीआई पत्तन पर पंजीकृत होने के बाद, आयात के लिए किसी ईडीआई पत्तन और टेलीग्राफिक विमुक्ति सलाह (टीआरए) प्रक्रिया के तहत मैनुअल पत्तन पर स्क्रिप को स्वतः ही प्रयोग किया जाएगा।

(iii) यदि पंजीकण का पत्तन एक मैनुअल पत्तन है, तो किसी अन्य पत्तन पर आयात के लिए टीआरए की आवश्यकता होगी।

(iv) एसईजेड के गैर–ईडीआई पत्तन होने के कारण स्क्रिप का पंजीकरण एसईजेड के पत्तन पर किया जाएगा तथा यदि स्क्रिप धारक दूसरे पत्तन से आयात के लिए स्क्रिप का उपयोग करना चाहता है तो संबंधित विकास आयुक्त टेलिग्राफिक रिलीज एडवाइस (टीआरए) जारी करेगा।

(ख) यदि भारत से सेवा निर्यात की स्कीम के तहत स्क्रिप का आवेदन किया गया है, आवेदक किसी पंजीकरण के पत्तन के रुप में किसी भी का चुनाव कर सकता है और इसका आवेदन-पत्र के उपुयक्त कॉलम में उल्लेख कर सकता है। आरए ऐसे पंजीकरण के पत्तन के साथ स्क्रिप को जारी करेगा। ऐसी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप को ड्यूटी क्रेडिट के ऐसे पंजीकरण के पत्तन पर पंजीकृत करवाया जाना आवश्यक होगा। एक बार ईडीआई पत्तन पर पंजीकृत करवाने के बाद,स्क्रिप को स्वतः ही आयात के लिए किसी ईडीआई पत्तन पर और टेलीग्राफिक विमुक्ति सलाह (टीआरए) प्रक्रिया के तहत किसी मैनुअल पत्तन पर प्रयोग किया जा सकता है। यदि पंजीकण का पत्तन एक मैनुअल पत्तन है, तो किसी अन्य पत्तन पर आयातों के लिए टीआरए की आवश्यकता होगी।

3.09 विभाजित स्क्रिपों हेतु सुविधा

(क) आवेदन के समय, अनुरोध पर, न्यूनतम 5 लाख रुपये और उसके गुणकों की शर्त के अधीन विभाजित शुल्क क्रेडिट स्क्रिप प्रमाणपत्र भी जारी किया जा सकता है ।

(ख) एक बार डयूटी क्रेडिट स्क्रिप जारी होने के बाद विभाजन का अनुरोध उसी पंजीकरण के पत्तन पर अनुमत होगा जैसा कि मूल स्क्रिप में दिया गया है । उपयुक्त प्रक्रिया ईडीआई समर्थित पत्तनों के संबंध में ही लागू होगी ।

(ग) गैर ईडीआई पत्तनों के माध्यम से निर्यात के मामले में स्क्रिप जारी होने के बाद विभाजन

की सुविधा अनुमत नहीं होगी ।

3.10 सनदी लेखाकार/कंपनी सचिव/लागत लेखाकार द्वारा दस्तावेजों को अपलोड करने की सुविधा

(क) प्रतिफल स्कीमों के लिए कागजरहित प्रक्रिया की तरफ अग्रसर होने के लिए सनदी लेखाकार/कंपनी सचिव/लागत लेखाकार द्वारा हस्ताक्षर किए गए दस्तावेजों को डिजीटल रूप से अपलोड करने के लिए एक इलैक्ट्रॉनिक प्रक्रिया विकसित की जा रही है। ऐसे दस्तावेज जैसे एएनएफ-3ख, एएनएफ-3ग और एएनएफ-3घ के साथ संलग्न अनुलग्नक, जिन्हें फिलहाल इन हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है, को इस प्रक्रिया द्वारा सुगम बनाया जा सकता है।

(ख) जब तक इन अनुलग्नकों को डिजीटल रूप में अपलोड करना अनिवार्य है एएनएफ-3ख, एएनएफ-3ग, एएनएफ-3घ के साथ संलग्न ऐसे अनुलग्नक आरए को वास्तविक रूप से प्रस्तुत किए जाते रहेगे।

(ग) निर्यातक ऐसी सुविधा प्रारम्भ किए जाने के बाद उनके ऑनलाइन आवेदनों के साथ डिजीटल रूप से अपलोड किए गए अनुलग्नकों को लिंक करेंगे।

3.11 प्राइवेट/पब्लिक बाण्डेड गोदामों से आयात

विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 2.36 और राजस्व विभाग की अधिसूचना के नियमों एवं शर्तों की पूर्ति के अधीन प्राइवेट/पब्लिक बाण्डेड गोदामों से आयात के लिए हकदारी का उपयोग किया जा सकता है ।

3.12 खराब/अनुपयुक्त माल का पुनः निर्यात

आयात किया गया माल जिसे खराब अथवा प्रयोग के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, उसका राजस्व विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार पुनः निर्यात किया जा सकता है। जहाँ आयात के लिए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप का उपयोग किया गया है, उन मामलों में सीमा शुल्क विभाग उपयोग की गई स्क्रिप, पुनः निर्यातित माल के आयात की तिथि और ऐसे माल का आयात करते हुए डेबिट की गई राशि का ब्यौरा देने वाला एक प्रमाण-पत्र जारी करेगा। इस प्रमाण-पत्र के आधार पर, आवेदन करने पर, संबंधित आरए द्वारा डेबिट की गई धनराशि की 98 प्रतिशत की सीमा तक पंजीकरण के उसी पत्तन और खराब/अनुपयुक्त माल के आयात की तारीख को शेष उपलब्ध अवधि की समतुल्य अवधि हेतु वैध एक नई स्क्रिप जारी की जाएगी।

3.13 वैधता अवधि एवं पुनर्वैधीकरण

अध्याय 3 के तहत दिनांक 01.01.2016 को या इसके पश्चात् जारी शुल्क क्रेडिट स्क्रिप जारी करने की तिथि से 24 महीनों की अवधि के लिए वैध होगी और उस तिथि तक वैध होनी चाहिए जिस पर शुल्क का वास्तविक डेबिट किया गया है। शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के पुनर्वैधीकरण की अनुमति नहीं होगी जब तक कि यह प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 2.20(ग) के अधीन शामिल न हो ।

3.14 ई-कॉमर्स का प्रयोग करने वाले कूरियर अथवा विदेशी डाकघरों के माध्यम से माल के निर्यात सहित एमईआईएस के तहत प्रतिफलों का दावा करने के लिए ईडीआई और गैर–ईडीआई पोतलदान बिलों पर आशय की घोषणा की प्रकिया

(क) (i) ईडीआई पोतलदान बिलः प्रत्येक मद के सामने पोतलदान बिलों के ''प्रतिफल'' कालम ''वाई'' (हां के लिए) अंकित करना/चिन्ह लगाना जो कि अनिवार्य है, इस स्कीम के तहत प्रतिफल का दावा करने के आशय की घोषणा करना पर्याप्त होगा। यदि निर्यातक विदेश व्यापार नीति के अध्याय–3 के तहत प्रतिफल के लाभ का दावा नहीं करना चाहता है, तो निर्यातक ''एन'' (नही ं के लिए) का निशान लगाएगा। विदेश व्यापार नीति के अध्याय–4 (शुल्क वापसी सहित), अध्याय–5 या अध्याय–6 की किसी भी स्कीमों के तहत निर्यात पोतलदानों के लिए भी एसे अंकित करने/चिन्हित करने की आवश्यकता होगी।

(ii) गैर–ईडीआई पोतलदान बिलः गैर–ईडीआई पोतलदान बिलों के मामले में निर्यात पोतलदान के लिए एमईआईएस के तहत प्रतिफल का दावा करने के लिए पात्र होने के लिए पोतलदान बिलों पर निम्नलिखित घोषणा करने की आवश्यकता होगीः '' हम भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की स्कीम (एमईआईएस) के तहत प्रतिफलों का दावा करना चाहते हैं'' । ऐसी घोषणा विदेश व्यापार नीति के अध्याय–4 (शुल्क वापसी सहित), अध्याय–5 या अध्याय–6 की किसी भी स्कीम के तहत निर्यात पोतलदानों के लिए भी आवश्यक होगी।

(ख) जब भी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी नए उत्पाद/माल को अथवा नए बाजारों को शामिल करने का निर्णय लिया जाता है, तो ऐसे प्रतिफलों का लाभ उठाने के लिएः-

(i) ऐसे बाजारों में, ऐसे उत्पादों/माल के निर्यात के लिए इस आशय की घोषणा करने के लिए अधिसूचना/सार्वजनिक सूचना की तारीख से एक महीने की छूट अवधि की अनुमति होगी।

(ii) एक माह की छूट अवधि के बाद, सभी निर्यात (ऐसे उत्पादों/माल के अथवा ऐसे बाजारों को) के पोतलदान बिलों की सभी श्रेणियों पर आशय की घोषणा शामिल करनी होगी।

(iii) उत्पादों/बाजारों की अधिसूचना/सार्वजनिक सूचना की तिथि से पहले किए गए निर्यातों के लिए, ऐसी घोषणा की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि ऐसे निर्यात पहले ही किए जा चुके हैं।

3.15 ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स प्राप्त करने हेतु आवेदन करने की अंतिम तारीख

(क) एमईआईएस के तहत ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप प्राप्त करने के लिए आवेदन इस अवधि के अंदर प्रस्तुत किए जाएंगेः

(i) अनुमत निर्यात (एलईओ) तिथि से बारह माह तक अथवा

(ii) इस तिथि से तीन माह तकः

(1) सीमा शुल्क विभाग द्वारा डीजीएफटी सर्वर पर ईडीआई पोतलदान बिलों को अपलोड करना

(2) गैर–ईडीआई पोतलदान बिलों के लिए पोतलदान बिलों की प्रिंटिंग/विमुक्ति। ऐसे पोतलदान जिनके लिए दावा प्रस्तुत किया जा रहा है, जो भी बाद में हो।

(ख) एसईआईएस के लिए, आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि दावा अवधि के संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत से 12 माह तक होगी।

3.16 एमईआईएस के तहत ईडीआई पत्तनों और गैर-ईडीआई पत्तनों से पोतलदान के लिए आवेदन-पत्र

(क) ईडीआई पत्तनों और गैर ईडीआई पत्तनों से पोतलदानों को एक आवेदन-पत्र में क्लब नहीं किया जा सकता।

(ख) ईडीआई समर्थित पत्तनों के लिए पंजीकरण का पत्तन कोई भी पत्तन होगा, जहां से निर्यात किया जाता ह।

(ग) गैर–ईडीआई पत्तन के माध्यम से निर्यात के मामले में, पंजीकरण का पत्तन निर्यात के लिए संबंधित गैर–ईडीआई पत्तन रहेगा। तदनुसार, प्रत्येक गैर–ईडीआई पत्तन के लिए अलग आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

(घ) कई आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं और पूरक कटौती लागू नहीं होगी। तथापि, एक आवेदन-पत्र अधिकतम 50 पोतलदान बिलों के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।

3.17 जोखिम प्रबंधन प्रणाली

जोखिम प्रबंधन प्रणाली से संबंधित नीति विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.19 में दी गई है। जोखिम प्रबंधन प्रणाली निम्नानुसार कार्य करेगीः-

(क) डीजीएफटी मुख्यालय में कम्प्यूटर प्रणाली, यादृच्छिक आधार पर और समय–समय पर डीजीएफटी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर प्रत्येक आरए के लिए 10 प्रतिशत मामलों का चयन करेगी जहाँ पर पूर्व माह में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक स्क्रिप/स्तरधारक प्रमाणपत्र जारी कर दिए गए है।

(ख) चुने गए ऐसे मामलों की सूची एनआईसी द्वारा संबंधित आरए को माह की 15 तारीख तक भेजी जाएगी।

(ग) तत्पश्चात संबंधित आरए, माह की 30 तारीख तक विस्तृत परीक्षण के लिए मूल /वास्तविक, दस्तावेजों की मांग करेगा।

(घ) आवेदक मांगे गए दस्तावेजों को अगले 15 दिनों में सौंपने के लिए बाध्य होगा।

(ड.) संबंधित आरए उसके बाद ऐसे दस्तावेजों की जांच अगले 15 दिनों में करेगा। यदि कोई कमी पायी जाती है तो आवेदक आरए द्वारा संप्रेषण की तिथि से अगले एक माह में उसमें त्रुटि सुधार करेगा। प्रतिफलों का अधिक लाभ उठाने के मामले में,

आवेदक विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.19 में यथा निर्धारित ब्याज के साथ आधिक्य दावे की वापसी करेगा।

(च) यदि आवेदक उपरोक्त यथा निर्धारित तरीके से अपेक्षित दस्तावेजों को सौंपने /कमियों को ठीक करने/आधिक्य दावे की वापसी करने में असफल रहता है अथवा जोखिम प्रबंधन प्रणाली संबंधी किसी पत्राचार का, पत्राचार की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर कोई प्रत्युत्तर नहीं देता है, तो आरए एफटीडीआर अधिनियम और नियमों के अनुसार कार्रवाई शुरू करेगा।

3.18 स्तर प्रमाण पत्र

विदेश व्यापार नीति के अध्याय-3 में स्तर धारक के लिए नीति दी गई है ।

3.19 स्तर प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन-पत्र

(क) एफटीपी 2009-14 के तहत एक आईईसी धारक को जारी स्तर प्रमाण-पत्र 30 सितम्बर 2015 तक अथवा विदेश व्यापार नीति, 2015–20, जो भी पहले हो, के तहत ऐसे आईईसी धारक को स्तर प्रमाण-पत्र जारी किए जाने तक, वैध रहेगी।

(ख) आवेदकों को इस नीति के तहत एएनएफ-3ग में स्तर की पहचान करने के लिए एक आवेदन आनलाइन प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। संबंधित निर्धारित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति आवेदक द्वारा, जब तक कि अन्यथा निर्धारित न हो, अपलोड की जाएगी।

(ग) स्तर प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन नीचे दी गई तालिका में यथा दर्शाए अनुसार कंपनी और मुख्यालय के मामले में पंजीकृत कार्यालय द्वारा क्षेत्राधिकार प्राप्त क्षेत्रीय प्राधिकारी/विकास आयुक्त (डी सी) को डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत किया जा गयाः

क्र.सं.	**श्रेणी**	**स्तर प्रमाण-पत्र को जारी करने/रिन्यू करने के लिए प्राधिकारी**
1.	एसईजैड/ईओयू यूनिट के साथ-साथ डीटीए यूनिट में निर्यात वाले आईईसी धारक। ईएचटीपी / एसटीपी / बीटीपी	क्षेत्राधिकार के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी जैसाकि परिशिष्ट 1क में दर्शाया गया है।
2.	केवल एसईजैड/ईओयू यूनिट वाले आईईसी धारक	क्षेत्राधिकार के अनुसार संबंधित विकास आयुक्त जैसाकि परिशिष्ट 1क में दर्शाया गया है।
3.	केवल डीटीए यूनिट वाले आईईसी धारक	क्षेत्राधिकार के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी जैसाकि परिशिष्ट 1क म दर्शाया गया है।

3.20 स्तर प्रमाण-पत्र की वैधताः

(क) इस विदेश व्यापार नीति के तहत जारी स्तर प्रमाण-पत्र उस तिथि से, पांच वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा, जिस तिथि से पहचान के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया था,

(ख) 31.3.2020 के बाद वैध स्तर प्रमाण-पत्र लागू रहेंगे, यदि बाद की विदेश व्यापार नीति के प्रावधान उसे स्तर प्रदान करना जारी रखते हों।

3.21 खातों का रख-रखाव

स्तर धारक अपने निर्यात और आयात के खाते का उसी प्रकार सही और उचित लेखा रखेगा जिसके आधार पर उसे यह मान्यता दी गई है। रिकार्ड स्तर प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए रखे जाएंगे। ये खाते संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी या विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा नामित किसी अन्य प्राधिकारी को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएँगे ।

3.22 प्रमाण पत्र की अस्वीकृति/ निलम्बन/ निरस्तीकरण

संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा स्तर प्रमाण पत्र अस्वीकृत/निलम्बित/रद्द किया जा सकता है यदि स्तर धारक या अन्य कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि निम्नलिखित कार्य करता हैः-

(क) लगाए गए निर्यात दायित्व को पूरा करने में असफल रहता है;
(ख) प्राधिकार पत्र में रद्दोबदल करता है;
(ग) किसी प्राधिकार पत्र को प्राप्त करने के लिए गलत विवरण देता है या भ्रष्ट या छल कपट करने में एक पक्ष बनता है;
(घ) विदेश व्यापार नीति के अधीन विदेश व्यापार (विकास व विनियमन) अधिनियम अथवा उसके अधीन बने नियमों या आदेशों सीमा-शुल्क अधिनियम 1962, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम 1944, फेमा अधिनियम 1999 और कोफेपोसा अधिनियम 1974 का उल्लंघन करता है;
(ड.) इस निदेशालय द्वारा अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने में असफल रहता है;

इस पैराग्राफ के अधीन कोई कार्रवाई करने से पहले स्तर धारक को समुचित अवसर दिया जाएगा ।

3.23 अपील

आवेदक, जो स्तर प्रमाण पत्र के निलम्बन या रद्द के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, वह 45 दिनों के भीतर महानिदेशक, विदेश व्यापार को अपील कर सकता है। उस संबंध में विदेश व्यापार महानिदेशक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

अध्याय - 4

शुल्क छूट/माफी स्कीम

4.01 नीति

शुल्क छूट/माफी स्कीम से संबंधित नीति विदेश व्यापार नीति के अध्याय-4 में विनिर्दिष्ट की गई है।

4.02 सामान्य प्रावधान

(i) आईईसी धारक द्वारा अग्रिम प्राधिकार पत्र/परिधान सामग्री और वस्त्र की सहायक सामग्री के निर्यात हेतु विशेष अग्रिम प्राधिकार पत्र/वार्षिक आवश्यकता हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र/ शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डी एफ आई ए) की मंजूरी के लिए आवेदन परिशिष्ट-1क के अनुसार संबंधित क्षेत्राधिकार प्राप्त क्षेत्रीय प्राधिकारी को आनलाइन (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित) प्रस्तुत किया जा सकता है। आवेदक आईईसी धारक का पंजीकृत कार्यालय अथवा मुख्यालय अथवा शाखा कार्यालय अथवा विनिर्माण यूनिट हो सकता है ।

(ii) आवेदक आनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय आयात निर्यात प्रपत्र 4क में यथा निर्धारित दस्तावेजों, यदि कोई हो, को अपलोड करेगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी को वास्तविक प्रतिलिपि प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।

(iii) यदि कोई आवेदक तदर्थ मानदंड/मानदंड मानकीकरण के निर्धारण के लिए परिशिष्ट 4ड. में दिए अनुसार इलेक्ट्रानिक रूप में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो केवल उन्हीं दस्तावेजों को डीजीएफटी मुख्यालय में संबंधित मानदंड समिति को वास्तविक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है।

4.03 आवेदक का ब्यौरा

जहां आवेदक कोई शाखा कार्यालय या विनिर्माण यूनिट है, आवेदक के इलेक्ट्रानिक आरसीएमसी और आईईसी में शाखा कार्यालय या विनिर्माण यूनिट का नाम होना चाहिए।

4.04 अग्रिम प्राधिकार पत्र

आवेदक एएनएफ 4क में आनलाइन आवेदन प्रस्तुत करेगा। प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 4.07 के अनुसार तदर्थ मानदंड या स्वघोषणा आधार पर समान प्रपत्र प्रयोग किया जाएगा जहां मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन) अधिसूचित किए गए हैं।

4.05 निर्यात के लिए अन्यथा निषिद्ध मदों के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र

(i) आईटीसी (एचएस) अनुसूची-2 के अध्याय-7 और अध्याय-15 के तहत शामिल मदों जो निर्यात हेतु निषिद्ध हैं, को अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के अंतर्गत निर्यात हेतु अनुमत किया जा सकता है। प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 4.06 के अनुसार अधिसूचित सिओन/मानदंड समिति द्वारा मानदंडों के पूर्व-निर्धारण के अंतर्गत आयात-पूर्व शर्त के अध्यधीन निर्यात की अनुमति होगी। केवल ईडीआई पत्तनों के माध्यम से आयात और निर्यात की अनुमति होगी।

(ii) ऐसी मदों के लिए जारी अग्रिम प्राधिकार पत्रों की निर्यात दायित्व अवधि (ईओपी) आयात खेप की मंजूरी की तारीख से 90 दिनों की होगी तथा निर्यात दायित्व की अवधि में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। ऐसा आयात वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन होगा तथा जॉब कार्य सहित किसी प्रयोजन के लिए आयातित कच्चे माल का अंतरण नहीं किया जाएगा। निर्यात दायित्व पूरा नहीं किए जाने/निर्धारित मूल्य संवर्धन प्राप्त नहीं किए जाने के मामले में, लागू शुल्क और ब्याज के अलावा आयातित माल के सीआईएफ मूल्य के पांच गुना के बराबर दंड जो निर्यात दायित्व में कमी के अनुरूप हों, लगाया जाएगा। प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.49 के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होंगे।

4.06 मानदंड निर्धारण

(i) उन मामलों में जहां मानदंड अधिसूचित नहीं किए गए हैं, अथवा जहां आवेदक अग्रिम प्राधिकार पत्र हेतु आवेदन करने से पहले तदर्थ मानदंड निर्धारित कराने का इच्छुक हो सिओन/तदर्थ मानदंड निर्धारण के लिए एएनएफ 4ख में आवेदन निर्धारित दस्तावेज समेत डीजीएफटी मुख्यालय में संबंधित मानदंड समिति (एनसी) को आनलाइन अपलोड किया जाएगा। प्रत्येक मानदंड समिति द्वारा देखरेख किए जा रहे उत्पाद समूह के साथ मानदंड समितियों और मानदड निर्धारण से संबंधित पत्राचार हेतु संबंधित ईमेल पता का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

डीजीएफटी मुख्यालय में मानदंड समिति (एनसी)	**निम्नलिखित आईटीसी एचएस अध्याय के तहत निर्यात उत्पादों के मानदंडों का निर्धारण/परिशोधन/संशोधन**	**संबंधित मानदंड समिति के साथ सम्पर्क हेतु ईमेल पता**
एनसी-1	81 से 84, 86 से 93	nc1.dgft@nic.in
एनसी-2	72 से 76, 78 से 80, 85	nc2.dgft@nic.in
एनसी-3	29, 30	nc3.dgft@nic.in
एनसी-4	27,28, 31 से 38, 44 से 49, 68 से 71	nc4.dgft@nic.in
एनसी-5	41 से 43, 50 से 67	nc5.dgft@nic.in
एनसी-6	1 से 26, 94 से 98	nc6.dgft@nic.in
एनसी-7	39, 40	nc7.dgft@nic.in

(ii) आवेदक सम्पर्क के लिए वैध ईमेल पता दर्शाएगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि यह ईमेल पता सक्रिय है।

(iii) मानदंड समितियों के निर्णय डीजीएफटी की वेबसाइट (http://dgft.gov.in) पर आवधिक रूप से उपलब्ध रहेंगे तथा आवेदक स्वयं को प्राप्त प्राधिकार पत्र के संबंध में मानदंड निर्धारण की स्थिति को स्वयं को अद्यतन करेगा।

(iv) निर्यातक/ईपीसो निर्यात उत्पाद के लिए सिओन/तदर्थ मानदंड के निर्धारण के लिए संबंधित मानदंड समिति को आंकड़ा उपलब्ध कराएंगे। मानदंड समिति सम्पूर्ण आंकड़ा क प्राप्त होने के बाद सिओन या तदर्थ मानदंडों को निर्धारित करने का प्रयास करेगी। इस पैरा के अधीन

निर्धारित तदर्थ मानदंड निर्यातक द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर केवल एक प्राधिकार पत्र के लिए वैध होगा जिसके लिए यह आवेदन किया गया है और दुबारा प्राधिकार पत्र जारी नही किया जाएगा। तथापि, मानदंड समिति ऐसे मानदंड के तहत आगे प्राधिकार पत्र देने के लिए इन तदर्थ मानदंडों के निर्धारण की तारीख से अधिकतम 2 वर्षों की बढ़ायी गई वैधता अवधि को विनिर्दिष्ट कर सकती है।

(v) मानदंड समितियां सिओन की अधिसूचना के लिए सिफारिशी प्राधिकरण के रूप में भी कार्य करेंगी तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय समय-समय पर ऐसे मानदंड अधिसूचित कर सकता है।

(vi) उद्योग जगत/विनिर्माताओं/ईपीसी के लिए पिछले तीन वर्षों का उत्पादन एवं खपत आंकड़ा प्रदान करना अनिवार्य है जिसकी सिओन के निर्धारण के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा मांग की जाए। अन्यथा, आवेदकों को स्व-घोषणा आधार पर दुबारा अग्रिम प्राधिकार-पत्र लेने के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम का लाभ लेने की अनुमति नहीं होगी। मानदंड समिति राजस्व विभाग (सीबीईसी) से भी आंकड़े की मांग कर सकती है।

(vii) मानदंडों के निर्धारण हेतु वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक संस्थानों से विशेषज्ञों को मानदंड समिति के सदस्यों के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

4.07 स्वघोषित प्राधिकार पत्र जहां सिओन नहीं है

(i) क्षेत्रीय प्राधिकारी आवेदक के स्वघोषणा के आधार पर अग्रिम प्राधिकार पत्र भी जारी कर सकता है जहां सिओन निर्धारित नहीं है। इस प्रकार दावा किया गया अपशिष्ट मानदंड समिति द्वारा निर्धारित अपशिष्ट मानदंड के अध्यधीन होगा। आवेदक मानदंड समिति के निर्णय का अनुपालन करने का वचन देगा। इससे संबंधित प्रावधान विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.03 और 4.11 में दिए गए हैं।

(ii) संशोधन/अस्वीकृति के मामले में आवेदक मानदंड समिति के निर्णय को डीजीएफटी की वेबसाइट पर डालने की तारीख से तीस दिनों के भीतर राजस्व विभाग द्वारा यथा अधिसूचित शुल्क और ब्याज का भुगतान करेगा।

(iii) विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.11 में सूचीबद्ध मदों के लिए क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा इस पैराग्राफ के तहत कोई प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

4.08 निविष्टि के रूप में एसेटिक एनहाइड्राइड, एफेड्रीन और स्यूडो इफेड्रीन से संबंधित मामले

(i) जहाँ आयात के लिए निविष्टि के रुप में ऐसेटिक एनहाइड्राइड, इफेड्रिन और स्यूडो इफेड्रिन की आवश्यकता है, ऐसे मामलों में आवेदन संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए जाएँगे । आवेदन आनलाइन प्रस्तुत करने के बाद आवेदक द्वारा ऐसे आवेदनों की प्रिन्टेड प्रतियाँ (क) भारत के औषध नियंत्रक, निर्माण भवन, नई दिल्ली, (ख) स्वापक आयुक्त, केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, ग्वालियर और (ग) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के संबंधित जोनल निदेशक को भी पृष्ठांकित की जाएगी। आवेदक को यह घोषणा करनी होगी कि आवेदक निर्धारित रिकार्डों/दस्तावेजों का रखरखाव करेगा और समय-समय पर विधि द्वारा यथा निर्धारित समय के भीतर संगत प्राधिकारियों को निर्धारित रिकार्ड/विवरणियाँ भी प्रस्तुत करेगा।

(ii) क्षेत्रीय प्राधिकारी ऐसे अग्रिम प्राधिकार पत्र की प्रति उपर्युक्त तीनों एजेंसियों को पृष्ठांकित करेगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी यह शर्त भी पृष्ठांकित करेगा कि आयात करने से पूर्व, भारत के भेषज नियंत्रक एवं स्वापक आयुक्त से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा।

4.09 स्वच्छता आयात परमिट की आवश्यकता वाले मामले

(i) जहाँ, स्वच्छ, शीतित और प्रशीतित माँस, मुर्गियों के उत्तक अथवा अंग, सूअर, भेड़, बकरी; अण्डे और अण्डे का चूर्ण; दुग्ध व दुग्ध उत्पाद; गाय, भेड़ और कैप्राइन के भ्रूण, अण्डाणु अथवा शुक्राणु; तथा पशु से उत्पन्न पालतू पशुओं के खाद्य उत्पादों सहित किसी भी प्रकार के माँस और माँस उत्पादों का एक निविष्टि के रुप में आयात करने हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत माँग की गई है, क्षेत्रीय प्राधिकारी, अग्रिम प्राधिकार पत्र जारी करते समय, यह शर्त पृष्ठांकित करेगा कि इन निविष्टियों में से किसी के भी आयात से पूर्व, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन विभाग (डी ए एच डी एफ) से स्वच्छता आयात परमिट प्राप्त करना होगा ।

(ii) क्षेत्रीय प्राधिकारी प्राधिकार पत्र की एक प्रति डी ए एच डी एफ, कृषि भवन, नई दिल्ली को भी पृष्ठांकित करेगा ।

4.10 एक से अधिक यूनिटों वाले आवेदकों हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र

(i) विनिर्माण प्रयोजन हेतु कंपनी की एक यूनिट से दूसरी यूनिट को अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत आयातित या प्राप्त किसी शुल्क मुक्त माल का हस्तांतरण क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क प्राधिकारी को पूर्व सूचना के साथ किया जाएगा। ऐसी हस्तांतरित निविष्टि पर कोई सेनवेट लाभ का दावा नहीं किया जाएगा ।

(ii) हटा दिया गया है।

(iii) हटा दिया गया है।

(iv) हटा दिया गया है।

(v) आयातित शुल्क मुक्त निविष्टियों को पत्तन/स्वदेशी आपूर्तिकर्ता के परिसर से प्राधिकार पत्र/सह-प्राधिकार-पत्र धारक के फैक्टरी या परिसर अथवा सहायक विनिर्माता की फैक्टरी में ले जाया जाएगा (जिनका नाम प्राधिकार पत्र में पृष्ठांकित या क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा अनुमत है) तथापि, अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत आयातित अथवा खरीदे गए ऐसे शुल्क मुक्त माल को आयात के पत्तन पर सीमाशुल्क प्राधिकारी को बंधपत्र और अन्य दस्तावेज/घोषणा प्रस्तुत करने तथा राजस्व विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार अन्य प्रावधानों के अधीन पत्तन से परियोजना प्राधिकारी की परियोजना स्थल तक सीधे ले जाया जा सकता है ।

4.11 निःशुल्क और भुगतान किए गए माल हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र

विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.19 के अनुसार प्राधिकार पत्र में अग्रिम प्राधिकार पत्र की विनिमय नियंत्रण प्रति पर क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट पृष्ठांकन किया जाएगा जिसमें निःशुल्क आपूर्तित माल के प्रति शुल्क वापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी । अपशिष्ट को छोड़कर सभी आयातित निवेशों को निर्यात उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त किया जाएगा ।

4.12 हकदारी

प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.07 के तहत जारी किए जाने वाले एक या एक से अधिक प्राधिकार पत्रों का अधिकतम सीआईएफ मूल्य निम्नानुसार होगाः

(i) स्तर धारकों के लिए - पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य और/या पिछले वर्ष के निर्यात और/या आपूर्ति के एफ ओ आर मूल्य का 300 प्रतिशत।

(ii) स्तर धारकों के अलावा - पिछले वर्ष के निर्यात और/या आपूर्ति के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य और/या एफ ओ आर मूल्य का 300 प्रतिशत या 10 करोड़ रु. इसमें से जो भी अधिक हो।

(iii) मानदंड समिति द्वारा मानदंड निर्धारित कर दिए जाने के बाद उपर्युक्त उप-पैराग्राफ (i) और (ii) में उल्लिखित मूल्य सीमाएं प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.07 के तहत जारी अग्रिम प्राधिकार पत्रों पर लागू नहीं होंगी। मानदंड समिति द्वारा मानदण्ड के निर्धारण के बाद ऐसे प्राधिकार पत्रों का मूल्य बढ़ाया जा सकता है यदि अग्रिम प्राधिकार पत्र सीआईएफ मूल्य को उपर्युक्त उप-पैरा (i) और (ii) के अधिकतम मूल्य तक सीमित कर जारी किया गया हो।

(iv) ऐसे मामलों में "तदर्थ मानदंड निर्धारित" श्रेणी के तहत संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किए जाएँगे तथा आवेदन की प्रतियाँ मानदंडों के निर्धारण/पुष्टि हेतु मानदंड समिति को भेजने की जरुरत नहीं होगी। मानदण्डों की पुष्टि के पहले जहाँ आवेदन पहले ही अग्रेषित कर दिया गया है, पक्षकार के इस तरह के मामलों में क्षेत्रीय प्राधिकारी उसके बाद मानदण्ड समिति द्वारा पुष्ट मानदण्ड के अनुसार मामले को अंतिम रूप देगी।

(v) ऐसे मामलों में प्राधिकार पत्र धारक मानदंड समिति द्वारा बाद में अनुमोदन की आवश्यकता के बिना मानदंड समिति द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार प्राधिकार पत्रों हेतु पात्र होगा । ऐसे मामलों में आवेदक "तदर्थ मानदंड निर्धारित" श्रेणी के तहत संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

(vi) जहाँ मानदंड समिति ने पैरा 4.07 के तहत प्राप्त प्राधिकार पत्र के संबंध में उसी निर्यात और आयात उत्पाद हेतु मानदंडों की पहले ही पुष्टि कर दी है, ऐसे मानदंड पुष्टि की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए वैध होंगे। ये आवेदक ही ऐसे तदर्थ मानदंडों पर आधारित दुबारा प्राधिकार पत्र का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तथापि, दूसरे निर्यातक को ऐसे तदर्थ मानदंड के आधार पर क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र नहीं दिया जा सकता है।

(vii) जहां आवेदक ने "जवाबदेही शर्त के साथ निवल दर निवल आधार" पर संघटकों के लिए आवेदन किया है और ऐसे मामले सभी निर्यात उत्पादों के लिए सामान्य टिप्पणी के पैराग्राफ-6 के अन्तर्गत आते हैं तो इन्हें मानदंड निर्धारण के लिए मानदंड समिति के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, निर्यातक निर्यात/आपूर्ति दस्तावेजों जैसे

पोतलदान बिल, निर्यात बिल, जीएसटी नियमावली के तहत निर्धारित निर्यात/आपूर्तियों हेतु कर बीजक में "जवाबदेही शर्त के साथ निवल दर निवल आधार" पर आयातित ऐसी निविष्टियों के ब्यौरे स्पष्ट रूप से दर्शाएंगे जिसमें यह साक्ष्य हो कि इन आयातित निविष्टियों का निर्यात किया गया है।

4.13 हकदारी से अधिक प्राधिकार पत्र

आवेदक सीमाशुल्क से छूट प्राप्त करने हेतु सीमाशुल्क प्राधिकारी को 100 प्रतिशत बैंक गारण्टी प्रस्तुत करके पैरा 4.12 में उल्लिखित हकदारी से अधिक प्राधिकार पत्र हेतु हकदार होगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र पर इस आशय का विशिष्ट पृष्ठांकन किया जाएगा। यह प्रावधान स्तरधारकों के लिए भी लागू होगा।

4.14 मानदंड/तदर्थ मानदंड निर्धारण के लिए आवेदन और आनलाइन अन्तर-मंत्रालयी परामर्श

(i) आवेदक द्वारा आनलाइन प्रस्तुत आवेदन को डीजीएफटी मुख्यालय में संबंधित मानदंड समिति द्वारा तीन दिनों के भीतर संबंधित तकनीकी/प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक संस्थाओं या किसी अन्य एजेंसी को इलेक्ट्रानिक रूप से भेजा जाएगा।

(ii) संबंधित तकनीकी/प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक संस्थाओं या कोई अन्य एजेंसी, जैसा भी मामला हो, 45 दिनों के भीतर अपने विचार/टिप्पणी/सिफारिश इलेक्ट्रानिक रूप से/आनलाइन भेज सकते हैं। यदि 90 दिनों के भीतर कोई टिप्पणी नहीं प्राप्त होती है तो मानदंड समिति रिकार्ड में उपलब्ध तथ्य के आधार पर अपना मत बना सकती है।

4.15 वचनबद्धता

आवेदक यह वचन देगा कि वह मानदंड समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों का पालन करेगा तथा तदनुसार बिना किसी संदेह के निम्नलिखित कार्रवाई करेगाः

(i) मानदंड समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार राजस्व विभाग द्वारा यथा अधिसूचित ब्याज के साथ बचाए गए सीमा शुल्क का भुगतान करेगा । तथापि, यदि मानदंड समिति एक, अधिक या सभी निविष्टियों के लिए कम मानदंड की अनुमति देती है तो प्राधिकार पत्र धारक के पास अतिरिक्त अप्रयुक्त निविष्टि के अनुपात में अतिरिक्त निर्यात दायित्व का विकल्प होगा।

(ii) यदि मानदंड समिति द्वारा आवेदन अस्वीकृत किया जाता है, तो प्राधिकार पत्र धारक राजस्व विभाग द्वारा यथा अधिसूचित लागू निविष्टियों पर बचाए गए सीमा शुल्क का, ब्याज सहित भुगतान करेगा। स्वदेशी रूप से खरीदी गई निविष्टियों के मामले में भुगतान की जाने वाली राशि, घरेलू आपूर्तिकर्ता द्वारा सीमा शुल्क/कर/उपकर पर ली गई छूट/रिफंड पर आधारित होगी।

(iii) यदि निविष्टियां मुक्त रूप से आयात की जाने वाली नहीं है तो आवेदक प्रक्रिया-पुस्तक के पैरा 4.49 (क)(ii) के अनुसार धनराशि जमा करेगा। यह राशि उपर्युक्त उप-पैरा (i) की राशि के अलावा है।

4.16 मानदंड समिति द्वारा मानदंडों के निर्धारण हेतु समय-सीमा

(i) हटा दिया गया है।

(ii) जिन मामलों में मानदंड समिति या मानदंड समिति में प्रतिनिधित्व वाले तकनीकी प्राधिकारी को अपेक्षित दस्तावेज/सूचना न देने के कारण तदर्थ/मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के निर्धारण के आवेदन को रद्द कर दिया जाता है, वहाँ प्राधिकार पत्र धारक को राजस्व विभाग द्वारा यथा अधिसूचित ब्याज सहित सीमाशुल्क तथा पैरा 4.49 (क)(ii) के अनुसार राशि का भुगतान करना होगा। यदि उक्त उत्पाद के लिए मानक निविष्टि उत्पाद मानदण्ड अधिसूचित है, तो मानक निविष्टि उत्पाद मानदण्ड अपशिष्ट मानदण्ड और निर्यात दायित्व निश्चित करने के प्रयोजन हेतु लागू कर दिए जाएंगे।

(iii) पैराग्राफ 4.12 के अनुसार अग्रिम प्राधिकार पत्र देने हेतु आवेदक की हकदारी अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत आवेदक द्वारा आवेदित निविष्टि की मात्रा कम होने तथा मानदंड समिति द्वारा मानदंडों के निर्धारण से पूर्व पूरे किए गए निर्यात दायित्व के मामलों में, पैराग्राफ 4.12 में यथा उल्लिखित प्राधिकार पत्र की हकदारी विगत प्राधिकार पत्रों के संबंध में निर्यात दायित्व की पूर्ति दर्शाने वाले दस्तावेजी प्रमाण (शिपिंग बिल/निर्यात बिल की प्रतियाँ/जीएसटी नियमावली के तहत निर्धारित आपूर्ति हेतु कर बीजक) प्रस्तुत करने पर पुनः उनके खाते में डाली जाएगी । तथापि, ऐसे मामलों में मानदंडों के निर्धारित होने तक बांड मुक्त करने/बांड निष्क्रिय करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4.17 अभ्यावेदन के लिए समय-सीमा

आवदेक मानदंड के निर्धारण के संबंध में मानदंड समिति के निर्णय के विरुद्ध डीजीएफटी की वेबसाइट पर निर्णय डालने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर अभ्यावेदन प्रस्तुत करेंगे। 90 दिनों के बाद के अभ्यावेदन पर 5000/- रु. के संघटन शुल्क का भुगतान करेगा।

4.18 भेषज उत्पादों के लिए प्रावधान

क्षेत्रीय प्राधिकारी गैर-उल्लंघन (एनआई) प्रक्रिया के द्वारा विनिर्मित भेषज उत्पादों के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र जारी कर सकता है। उक्त उत्पाद के लिए मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिऑन) अथवा तदर्थ मानदंड (प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 4.07 के अनुसार स्वघोषित आधार पर) के उपलब्ध होने या नहीं होने पर भी विनिर्माता निर्यातक इस प्रावधान का लाभ उठा सकता है। "विनियमित बाजारों की संबंधित एजेंसी द्वारा यथा अनुमोदित, गैर-उल्लंघन प्रक्रिया के तहत अनुमत निविष्टि संयोजन" निर्यातक विशिष्ट और देश विशिष्ट होगा और केवल तभी उपलब्ध होगा जब निर्यात उसी देश के लिए हो ।

4.19 आवेदन और प्रक्रिया

(i) पैरा 4.18 के तहत अग्रिम प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन आयात और निर्यात प्रपत्र 4ड. में उसमें अपलोड किए गए दस्तावेजों सहित संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को आनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा।

(ii) उत्पाद के विनिर्माण के लिए गैर-उल्लंघन प्रक्रिया के तहत अनुमत निविष्टि संयोजन को

प्रत्येक निविष्टि के ब्यौरे और आवेदक के संक्षिप्त रूप नए औषध आवेदन (एएनडीए)/औषध मास्टर फाइल (डीएमएफ) में दी गई इसकी मात्रा के समुचित सत्यापन के बाद चार्टर्ड इंजीनियर (रसायन) द्वारा प्रमाणित किया जाएगा । चार्टर्ड इंजीनियर (रसायन) प्रक्रिया पुस्तक में निर्धारित परिशिष्ट 4ठ के अनुसार ब्यौरे को प्रमाणित करेगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी आवेदन में दिए गए ब्यौरे के अनुसार तथा आवेदन के साथ प्रस्तुत चार्टर्ड इंजीनियर के प्रमाण पत्र के अनुसार निविष्टियों की आवश्यकता की पुनः जाँच करेगा और प्राधिकार पत्र जारी करेगा । क्षेत्रीय प्राधिकारी ऐसे आवेदन को मानदंड समिति को अग्रेषित नहीं करेगा और क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार अनुमत निविष्टि और निर्यात उत्पाद को गैर-उल्लंघन प्रक्रिया के तहत अनुमत निविष्टि संयोजनों के रूप में माना जाएगा ।

4.20 प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.18 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की विमुक्ति

उप पैराग्राफ (च) को छोड़कर प्रक्रिया पुस्तक, 2015-20 के पैराग्राफ 4.49 में उल्लिखित प्रावधान लागू रहेंगे। क्षेत्रीय प्राधिकारी गैर-उल्लंघन प्रक्रिया के द्वारा विनिर्मित भेषज उत्पाद (उत्पादों) के लिए जारी प्रत्येक अग्रिम प्राधिकार पत्र के मद्दे विमुक्ति अथवा बाँड में छूट की अनुमति देने से पहले क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित और प्रमाणित परिशिष्ट-4झ के ब्यौरे से प्राधिकार पत्र में दी गई/अनुमत निविष्टियों के ब्यौरे की तुलना करेगा। सत्यापन प्रक्रिया के फलस्वरूप यदि यह पाया जाता है कि प्राधिकारी पत्र धारक ने आयात की गई मात्रा की तुलना में कम मात्रा की खपत की है तो प्राधिकार पत्र धारक अप्रयुक्त आयातित माल पर राजस्व विभाग द्वारा यथा अधिसूचित ब्याज सहित सीमा-शुल्क भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा अथवा निर्यात दायित्व अवधि के भीतर अतिरिक्त निर्यात करेगा । तथापि, सीमा शुल्क घटक के लिए प्राधिकार पत्र धारक के पास विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 के अंतर्गत जारी मान्य ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स प्रस्तुत करने का भी विकल्प होगा।

4.21 प्रकिया पुस्तक के पैरा 4.18 के तहत जारी प्राधिकार पत्रों हेतु उचित लेखे का रखरखाव

प्रत्येक प्राधिकार पत्र धारक परिशिष्ट 4झ में यथा निर्धारित प्रत्येक प्राधिकार पत्र के मद्दे शुल्क मुक्त आयातित/स्वदेशी रूप से खरीद की गई निविष्टियों की खपत और उपयोग का सही और उपयुक्त लेखे का रखरखाव करेगा । क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित और प्रमाणित, परिशिष्ट 4झ प्रपत्र में यह रिकार्ड विमुक्ति/बाँड में छूट प्राप्त करने के लिए आवेदन संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा । क्षेत्रीय प्राधिकारी प्रत्येक प्राधिकार पत्र के मद्दे विमुक्ति अथवा बाँड में छूट की अनुमति देने से पहले परिशिष्ट -4झ के ब्यौरे से प्राधिकार पत्र में अनुमत निविष्टियों के ब्यौरे की तुलना करेगा । ऐसे रिकार्डों को विमुक्ति की तारीख से न्यूनतम तीन वर्षों की अवधि के लिए रखा जाएगा।

4.22 तदर्थ मानदण्डों का मानकीकरण

(क) मानदण्डों के मानकीकरण के लिए, एएनएफ 4ख में सम्पूर्ण आंकड़ों सहित आनलाइन आवेदन किया जाएगा। ऐसे आवेदन डीजीएफटी मुख्यालय में संबंधित मानदंड समिति को किए जा सकते हैं।

(ख) मानदंड समिति द्वारा मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के तहत वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के साथ ईधन के आयात की अनुमति भी दी जा सकती है, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों:-

(i) ईंधन के आयात की सुविधा केवल कैप्टिव पावर प्लांट वाले विनिर्माताओं को दी जायेगी।

(ii) उन मामलों में जहाँ ईधन को विशिष्ट तौर पर मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के तहत अनुमति है, उसे अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत अनुमति दी जाएगी । तथापि, यदि मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्ड के तहत ईंधन की अनुमति नहीं है, तो मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के तहत आने वाले उत्पादों के लिए सामान्य ईंधन नीति के अनुसार ईंधन की अनुमति दी जाएगी या उपर्युक्त पैरा 4.07 के तहत अनुमति दी जाएगी ।

(iii) नये क्षेत्रों के लिए ईधन हकदारी के निर्धारण के लिए तथा प्रक्रिया पुस्तक में ईधन हेतु सामान्य टिप्पणी के अनुसार मौजूदा हकदारी के संशोधन के लिए आवेदन आयात निर्यात प्रपत्र 4ख में अपेक्षित डाटा सहित मानदंड समिति को आनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा।

(iv) यदि कोई आवेदक किसी निर्धारित दस्तावेज को अपलोड नहीं कर सकता है, तो इन दस्तावेजों को वास्तविक रूप में संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है।

4.23 मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्ड का संशोधन

डीजीएफटी मुख्यालय में संबंधित मानदंड समिति को आयात निर्यात प्रपत्र 4ख में मौजूदा मानक निविष्टि उत्पादन मानदंडों में संशोधन के लिए आनलाइन आवेदन कर सकते हैं ।

4.24 निर्यात मद और निविष्टि का संशोधन

(i) सिओन अथवा तदर्थ मानदण्ड के अन्तर्गत निर्यात मद अथवा निविष्टि या निविष्टि की मात्रा के संशोधन हेतु निर्यातक आयात निर्यात प्रपत्र 4ख में आनलाइन आवेदन किया जाएगा।

(ii) आवेदक को संशोधन हेतु औचित्य बताना होगा तथा क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यालय प्रमुख के विशेष अनुमोदन के साथ इसपर विचार करेगा । निविष्टि में किसी मुख्य परिवर्तन अथवा तदर्थ मानदण्ड अथवा सिओन के तहत अनुमत अधिक छीजन के लिए आवेदन के मामले में इसे पुष्टि के लिए मानदंड समिति को भेजा जाएगा।

4.25 मानदण्ड समिति द्वारा सिओन का संशोधन

मानदंड समिति ऐसे सिओन की पहचान करेगी, जिनमें उसके विचार से पुनरीक्षण की आवश्यकता है । निर्यातकों को ऐसे पुनरीक्षण के लिए दिए गए आयात निर्यात फार्म 4ख में संशोधित डाटा देना होगा। उद्योग/निर्यातक (निर्यातकों) के लिए यह अनिवार्य है कि सिओन के पुनरीक्षण के लिए, विदेश व्यापार महानिदेशालय/ईपीसी को उत्पादन और खपत के आँकड़े आदि उपलब्ध करवाएँ। अन्यथा, आवेदक को अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम का लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी ।

4.26 अग्रिम प्राधिकार पत्र का विवरण

अग्रिम प्राधिकार पत्र में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित को विर्निदिष्ट किया जायेगा:-

(क) विनिर्देशनों, जहां लागू हो, सहित आयात और निर्यात/आपूर्ति की जानेवाली मदों का नाम और विवरण;

(ख) आयात की जानेवाली प्रत्येक मद की मात्रा अथवा जहां कहीं मात्रा नहीं बताई जा सकती, मद का मूल्य बताया जाएगा । जहां कही भी मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड में प्रत्येक निविष्टि की मात्रा और मूल्य सीमाकारी कारक है तो वह लागू होगा;

(ग) आयातों का कुल लागत बीमा भाड़ा मूल्य; और

(घ) निर्यात/आपूर्तियों का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य/रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य और मात्रा।

4.27 प्राधिकार पत्र की प्रत्याशा में अथवा प्राधिकार पत्र जारी किए जाने पश्चात निर्यात/आपूर्ति

(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र के लिए ई डी आई द्वारा तैयार फाइल संख्या जारी करने की तारीख से किए गए निर्यात/आपूर्तियों को निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए स्वीकार किया जाएगा। जारी प्राधिकार पत्र के साथ निर्यातों/आपूर्तियों से संबंध स्थापित करने के लिए फाइल संख्या अथवा प्राधिकार पत्र संख्या के साथ पोतलदान/आपूर्ति दस्तावेज पृष्ठांकित करना होगा । निर्यात/आपूर्ति दस्तावेज (दस्तावेजों) में छूट प्राप्त सामग्री/खपत की गई निविष्टियों का ब्यौरा भी होना चाहिए।

(ख) यदि आवेदन अनुमोदित हो, तो क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख को प्रभावी निविष्टि/उत्पादन मानदंडों के आधार पर प्राधिकार पत्र जारी किया जायेगा। यदि बीच की अवधि (अर्थात् आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि और प्राधिकार-पत्र जारी करने की तिथि) में मानदंडों में परिवर्तन हो जाता है, तो प्राधिकार-पत्र, मानदंडों में संशोधन अधिसूचित किए जाने तक पहले से किए गए अनंतिम निर्यातों/आपूर्तियों के अनुपात में जारी किया जाएगा। निर्यात के शेष हिस्से के लिए, प्राधिकार पत्र के जारी होने की तारीख को प्रभावी नीति/प्रक्रिया लागू होगी।

(ग) स्कोमैट मदों का निर्यात प्राधिकार पत्र के प्रति अनुमत नहीं होगा जब तक कि आवेदक द्वारा अपेक्षित स्कोमैट प्राधिकार-पत्र प्राप्त न कर लिया जाए ।

(घ) प्राधिकार पत्र की प्रत्याशा में किए गए निर्यात/आपूर्तियां आयात–पूर्व शर्त के साथ निविष्टियों के लिए पात्र नहीं होंगी।

4.28 निर्यातक जोखिम

अग्रिम प्राधिकार पत्र मिलने की प्रत्याशा में किए गए निर्यात/आपूर्तियाँ पूर्णतः निर्यातक की जिम्मेदारी और जोखिम पर होंगी।

4.29 आवेदन के निरस्त होने के मामले में वापसी की स्वीकार्यता

यदि अग्रिम प्राधिकार पत्र हेतु आवेदन को क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत अथवा संशोधित किया जाता है तो सीमाशुल्क प्राधिकारी राजस्व विभाग के नियमों के अनुसार अग्रिम प्राधिकार पत्र के अंतर्गत प्रस्तुत पोतलदान बिलों के लिए शुल्क वापसी की अनुमति प्रदान कर सकता है।

4.30 अन्तरवर्ती आपूर्तियों हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र अथवा डी एफ आई ए

(क) अन्तरवर्ती आपूर्ति के लिए अग्रिम लाइसेंस अथवा डीएफआईए की मंजूरी के लिए आवेदन, अग्रिम पाधिकार–पत्र अथवा डीएफआईए धारक अन्तिम निर्यातक (वास्तविक/मान्य) के साथ पारस्परिक करार के आधार पर दिया जा सकता है। ऐसे अनुरोध पर संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा।

(ख) अन्तरवर्ती आपूर्ति के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र अथवा डीएफआईए अन्तरवर्ती विनिर्माता द्वारा आपूर्ति की गई मदों के सीधे आयात के लिए अंतिम निर्यातक के प्राधिकार पत्र/निर्यातक को अवैध घोषित करने के बाद जारी किया जाएगा । ऐसे मामले में, अंतिम प्राधिकार पत्र धारक को अवैधीकरण पत्र की एक प्रति दी जाएगी तथा उसकी एक प्रति मध्यवर्ती आपूर्तिकर्ता के साथ-साथ मध्यवर्ती आपूर्तिकर्ता के क्षेत्रीय प्राधिकारी को भी भेजी जाएगी । ऐसे मामले में, प्राधिकार पत्र धारक के पास अग्रिम प्राधिकार पत्र/ (अथवा अंतिम निर्यातक) अथवा डीएफआईए को अन्तरवर्ती उत्पाद की आपूर्ति करने अथवा सीधे निर्यात (वास्तविक/मान्य) करने का विकल्प होगा। अंतिम निर्यातक (डी एफ आई ए अथवा अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक) द्वारा निर्यात के पत्तन को सीधे उत्पाद (उत्पादों) की आपूर्ति भी अन्तरवर्ती आपूर्तिकर्ता कर सकता है। ऐसे मामलों में शिपिंग बिल पर पृष्ठांकित अन्तरवर्ती आपूर्तिकर्ता के नाम के साथ अंतिम निर्यातक का नाम होगा।

(ग) अन्तरवर्ती आपूर्तिकर्ता के लिए अग्रिम प्राधिकार की सुविधा उन मामलों में भी उपलब्ध होगी जहाँ अन्तरवर्ती आपूर्तिकर्त्ता ने अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए वाले निर्यातक द्वारा निर्यात दायित्व पूरा करने पर सामग्री की आपूर्ति कर दी है या करना चाहता है जहाँ से अवैधीकरण पत्र जारी किया गया था।

(घ) अवैधीकरण पत्र में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किया जाएगाः

(i) आपूर्तिकर्ता का नाम, पता और जीएसटीआईएन;

(ii) अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक/डीएफआईए धारक की प्राप्तकर्ता यूनिट का जीएसटीआइएन और पता जहां निविष्टियों को प्रसंस्कृत किया जाएगा;

(iii) नाम, विनिर्देशन सहित विवरण, जहां लागू हो, और मदों की मात्रा; और

(iv) खरीद की जाने वाली प्रत्येक मद का मूल्य।

4.31 <u>अग्रिम निर्मुक्ति आदेश (एआरओ)</u>

स्वदेशी स्रोतों/एसटीई से निविष्टियों की खरीद करने के लिए एआरओ प्राप्त करने के लिए संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को एएनएफ 4क में आवेदन आनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा।

4.32 एआरओ जारी करने हेतु दिया जाने वाला विवरण

(क) एआरओ के लिए आवेदन में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगाः

(i) आपूर्तिकर्ता का नाम, पता और जीएसटीआईएन;

(ii) अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक/डीएफआईए धारक की प्राप्तकर्ता यूनिट का जीएसटीआइएन और पता जहां निविष्टियों को प्रसंस्कृत किया जाएगा;

(iii) नाम, विनिर्देशन सहित विवरण, जहां लागू हो, और मदों की मात्रा; और

(iv) खरीद की जाने वाली प्रत्येक मद का मूल्य।

(ख) एआरओ अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए के साथ या उसके बाद जारी किया जा सकता है और इसकी वैधता अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए की वैधता के साथ सह–समाप्य होगी।

(ग) *हटा दिया गया है।*

4.33 हटा दिया गया है।

4.34 ***हटा दिया गया है।***

4.35 सह-विनिर्माता/जाबकर्त्ता/सह लाइसेंस धारक की सुविधा

(क) आयातित माल प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.10 की शर्त के अधीन अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक या जाबकर्ता/सहविनिर्माता के किसी भी एकक में प्रयुक्त हो सकता है बशर्ते कि उसका पृष्ठांकन क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र में किया गया है । यदि आवेदक किसी विनिर्माता अथवा जाबकर्ता का नाम प्राधिकार पत्र में जोड़ना चाहता है, वह आवेदन कर सकता है। जहाँ अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्यात से पहले आयात एक शर्त है और प्राधिकार-पत्र धारक किसी अन्य विनिर्माता अथवा जाबकर्ता के जरिए सामग्री संसाधित करवाना चाहता है वहाँ ऐसा पृष्ठांकन अनिवार्य होगा ।

(ख) क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा किए गए ऐसे पृष्ठांकन पर, प्राधिकार पत्र धारक और सह-प्राधिकार पत्र धारक संयुक्त रुप से और अलग-अलग निर्यात दायित्व पूरा करने के लिए उत्तरदायी होंगे । सह-प्राधिकार पत्र धारक में से कोई एक माल का आयात अपने नाम अथवा संयुक्त नाम से कर सकता है । उनके संयुक्त नाम में बैंक गारण्टी/ विधिक बचनबद्धता भी प्रस्तुत की जाएगी ।

(ग) यदि प्राधिकार पत्र धारक जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकृत है, तो क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र के पृष्ठांकन के बदले जीएसटी नियमावली के अनुसार क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय द्वारा पृष्ठांकित जाबकर्ता के नामों को प्राप्त करने का विकल्प होगा। यदि प्राधिकार पत्र धारक विनिर्माता निर्यातक जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं है/पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है, वहां संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी से प्राधिकार पत्र में सहायक विनिर्माता के नाम के पृष्ठांकन के पश्चात जाब वर्क की अनुमति होगी। तथापि, प्राधिकार पत्र धारक आयातित मदों और निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए पूर्णतया जिम्मेदार होगा ।

4.36 बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता की स्वीकृति

(क) प्राधिकार पत्र जारी करते समय संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी आवेदक द्वारा संबंधित आयात निर्यात प्रपत्र में दी गई वचनवद्धता की स्वीकृति को अग्रिम प्राधिकार पत्र के पीछे पृष्ठांकित करेगा। प्राधिकार पत्र धारक प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.28 की शर्तों के अनुसार बैंक गारन्टी/विधिक वचनबद्धता, जैसा भी मामला हो, का निष्पादन करेगा।

(ख) यदि बैंक गारण्टी/विधिक वचन बद्धता विमुक्त कर दी गयी है, तो अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक, जोएसटी अधिनियमों के प्रावधानों के तहत निर्धारित जाब कार्य विनियमन के अनुसार वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन किसी विनिर्माता से शुल्क मुक्त निविष्टियों का प्रसंस्करण करा सकता है और इस संबंध में सीमा शुल्क प्राधिकारी को सूचित करेगा । तथापि, हस्तान्तरणीय डी

एफ आई ए धारक के मामले में ऐसे प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे ।

4.37 पंजीकरण का पत्तन

(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र नीचे विनिर्दिष्ट किसी भी समुद्र पत्तन या वायुपत्तन अथवा आई सी डी अथवा एल सी एस के माध्यम से आयात और निर्यात के प्रयोजन के लिए जारी किया जाएगा । प्राधिकार पत्र धारक प्राधिकार में विनिर्दिष्ट पत्तन पर प्राधिकार पत्र को पंजीकृत करेगा और उसके बाद उस प्राधिकार पत्र के प्रति सभी आयात तब तक केवल उसी पत्तन से करेगा जब तक कि वह उस पत्तन के सीमाशुल्क प्राधिकारी से किसी दूसरे विशिष्ट पत्तन के माध्यम से आयात करने की अनुमति नहीं ले लेता । तथापि, निर्यात किसी भी एक विनिर्दिष्ट पत्तन के माध्यम से किया जा सकता है ।

समुद्रो पत्तनः

बेदी (रोजी-जामनगर सहित), चेन्नई, दाहेज, धरमतार, इन्नौर, (तमिलनाडु), हल्दिया, हजिरा (सूरत), जामनगर, काकीनाडा, कांडला, कट्टुपल्ली समुद्री पत्तन (तमिलनाडु), कोच्चि, कोलकाता, कृष्णापतनम, मंगलौर, मारमागोवा, मुल्द्वारका, मुम्बई, मुन्ध्रा, नागापट्टिनम, न्हावाशेवा, ओरवा, पारादीप, पीपावाव, पोरबंदर, सिक्का, सूरत (मग्दल्ला), तुतीकोरीन, वदिनार, विशाखापत्तनम।

वायु पत्तनः

अहमदाबाद, बंगलौर, भुवनेश्वर, कालीकट हवाईअड्डा (केरल), चेन्नई, कोयम्बटूर एयर कार्गो परिसर, डबोलिम (गोवा), दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ,(अमौसी), मुम्बई, नागपुर, राजासांसी (अमृतसर), श्रीनगर, त्रिवेन्द्रम, वाराणसी, विशाखापट्टनम ।

आईसीडीः

आगरा, अहमदाबाद, अनापार्थी, अरक्कोनाम (तमिलनाडू), बंगलौर, बाबरपुर, भदोही, भटिण्डा, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, भूसावल, चेट्टीपलयम (तमिलनाडू), छेहराटा (अमृतसर), कोयम्बटूर, दादरी, दिल्ली, दीघी(पुणे), दप्पर, डेरा बस्सी, धन्नाद राऊ (इंदौर जिला),दौलताबाद, (वंजारवाड़ी और मालीवाडां), दुर्गापुर (निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क), फरीदाबाद, गढ़ी हरसारु, गुंटूर, गुवाहाटी (अमीनगाँव), हैदराबाद, इंरूगुर गॉव (तमिलनाडू) जयपुर, जालंधर, जमशेदपुर, जोधपुर, कलिंगानगर और तुम्ब गॉव (तालुका उम्बरगॉव, जिला वलसाड), कानपुर, करूर, खेड़ा (पिथमपुर, धार जिला), कोटा, कुंडली, लोनी (जिला गाजियाबाद), लुधियाना, मदुरै, मल्लनपुर, मांडीदीप (जिला रायसेन), मेरीपलम, गुंटूर जिला (आन्ध्र प्रदेश), मिराज, मोरादाबाद, नागपुर, नासिक, पिम्परी (पुणे) पीतमपुर (इंदौर), पातली (गुड़गांव), पांडिचेरी, रायपुर, रेवाड़ी, रूद्रपुर (नैनीताल), सेलम, सिंगनालुर, सूरजपुर, सूरत, तालेगांव (जिला पुणे), थूडियालूर (तमिलनाडु), तिरूपुर, तोडियारपेट (टीएनपीएम) तुतीकोरीन, उदयपुर, वडोदरा, वाराणसी, वीरापंडी (तमिलनाडु), वालूज (औरंगाबाद), होसुर (तमिलनाडु) और नाट्टकम (कोट्टयम तालुका और जिला)

एलसीएसः

अगरतला, अमृतसर रेल कार्गो, अटारी, चेंगराबंदा, दावकी, घोजाडांगा, हिली, जोगबनी, महादीपुर,

नौतनवा (सोनौली) नेपाल गंज रोड, पेट्रापोल, रानाघाट, रक्सौल, सिंघावाद, सूतरखंडी

एसईजैडः

केन्दीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित कोई भी एस ई जैड आयात एवं निर्यात के लिए निर्दिष्ट पत्तन हो सकता है।

(ख) सीमाशुल्क आयुक्त, किसी अन्य समुद्री पत्तन/वायु पत्तन/आईसीडी या एससीएस से आयात की अनुमति दे सकता है ।

(ग) पंजीकरण पत्तन के अलावा किसी वायु पत्तन/समुद्री पत्तन/आई सी डी/एलसीएस से आयात के लिए, पंजीकरण के पत्तन पर सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा आयात पत्तन के सीमाशुल्क प्राधिकारी को टेलीग्राफिक रिलीज सलाह (टी आर ए) जारी किया जाएगा। तथापि टी आर ए की यह आवश्यकता अपेक्षित नहीं होगी यदि पंजीकरण का पत्तन और आयात का (के) पत्तन ई डी आई समर्थित है और प्राधिकार पत्र धारक ने अपना प्राधिकार पत्र पंजीकृत करवाया है ।

4.38 प्राधिकार पत्रों को मिलाने (क्लबिंग) की सुविधा

(i) 31 मार्च, 2009 को या इससे पहले जारी किए गए प्राधिकार पत्रों को कोई क्लबिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) क्लबिंग हेतु अनुरोध एएनएफ–4ग में उस संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी, जिसने प्राधिकार पत्र जारी किया है, को करना होगा।

(iii) अग्रिम प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग की सुविधा ऐसे प्राधिकार पत्रों के मोचन/नियमितीकरण हेतु ही उपलब्ध होगी तथा आगे किसी आयात अथवा निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iv) क्लबिंग की सुविधा विदेश व्यापार नीति 2009–14 और 2015–20 की अवधि के दौरान जारी वार्षिक आवश्यकताओं हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्रों के लिए उपलब्ध होगी, जहां कही भी निर्यात एवं आयात मानक निविष्ट उत्पाद मानदंड (सिओन) के अनुसार निर्यात और आयात हुआ हो।

(v) क्लबिंग के लिए केवल प्राधिकार पत्रों की अनुमति होगी जिनके तहत सदृश शुल्क छूट का लाभ की लिया गया है। ऐसे प्राधिकार पत्र अलग–अलग वित्तीय वर्ष के हो सकते हैं।

(vi) यदि किसी प्राधिकार पत्र की निर्यात दायित्व अवधि के बाहर निर्यात किया जाता है तो संघटन शुल्क का भुगतान करने पर प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.42 के अनुसार ऐसे प्राधिकार पत्र की क्लबिंग के पहले निर्यात दायित्व में विस्तार की अनुमति दी जाएगी।

(vii) केवल ऐसे प्राधिकार पत्रों को क्लब किया जाएगा जहां सबसे पहले जारी किए गए प्राधिकार पत्र की प्रारंभिक/विस्तारित निर्यात दायित्व अवधि के भीतर सभी प्राधिकार पत्रों के तहत निर्यात किया गया है।

(viii) क्लबिंग की केवल तभी अनुमति होगी जब प्रथम प्राधिकार पत्र में उल्लिखित निर्यात दायित्व की पूर्ति में कोई कमी है तथा अत्यधिक निर्यात अनुवर्ती प्राधिकार–पत्रों के तहत किए जाते हैं। तथापि, इस शर्त पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए जब प्राधिकार पत्रों की वैधता अवधि

(आयात के लिए) साथ–साथ चलती है तथा उत्तरवर्ती प्राधिकार पत्र के तहत किया गया आयात प्रथम प्राधिकार पत्र की वैधता (आयात के लिए) के भीतर आता है एवं प्रथम प्राधिकार पत्र की वैधता अवधि के भीतर किया गया ऐसा आयात यथानुपात आधार पर समान आधार पर या प्रथम प्राधिकार पत्र में किए गए आयात की सीमा से अत्यधिक है। प्रथम प्राधिकार की वैधता समाप्त होने के बाद जारी अनुवर्ती प्राधिकार पत्रों को क्लब किए जाने की अनुमति नहीं होगी।

(ix) अलग–अलग निर्यात दायित्व अवधि के साथ जारी प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग की भी अनुमति होगी।

(x) सबसे पहल जारी प्राधिकार पत्र की प्रारंभिक या विस्तारित निर्यात दायित्व अवधि की समाप्ति के बाद किए गए निर्यात के लेखांकन पर ऐसे प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग के बाद निर्यात दायित्व की पूर्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

(xi) निविष्टियों जो सभी प्राधिकार पत्रों के लिए सामान्य है, को ही क्लब किया जाएगा और सिऑन/मानदंड समिति द्वारा निर्धारित तदर्थ मानदंडों के अनुसार शुल्क मुक्त निविष्टियों का हिसाब किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, सभी प्राधिकार पत्रों में शामिल सभी निविष्टियों का समान होना आवश्यक नहीं है।

(xii) क्लबिंग करने पर निर्यात उत्पाद के लिए विदेश व्यापार नीति और प्रक्रियाओं में यथा निर्धारित न्यूनतम मूल्य वर्धन को बनाए रखना होगा। क्लबिंग करने पर यदि मूल्य या मात्रा में कमी पायी जाती है तो उसे प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैरा 4.49 के प्रावधानों के तहत विनियमित किया जाएगा।

(xiii) क्लबिंग के बाद प्राधिकार पत्रों को सभी प्रयोजनों के लिए एक प्राधिकार पत्र के रुप में मान्य माना जाएगा। प्राधिकार पत्रों को क्लब करने के बाद परिकलित कुल सीआईएफ और कुल एफओबी के आधार पर मूल्य संवर्धन की गणना की जाएगी।

(xiv) उन प्राधिकार पत्रों के संबध में किसी क्लबिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां क्षेत्रीय प्राधिकारी को किसी गलत तथ्य/धोखा की जानकारी मिलती है। इसके अलावा, उन प्राधिकार पत्रों को क्लब करने की अनुमति नहीं होगी जहां क्षेत्रीय प्राधिकारी/सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा ईओडीसी/मोचन पत्र पहले ही जारी कर दिया गया है या न्यायनिर्णय आदेश पहले ही जारी कर दिया गया है।

(xv) परिशिष्ट–30क (एफटीपी 2009–14 के तहत जारी)/परिशिष्ट 4ञ (एफटीपी 2015–20 के तहत जारी) के अंतर्गत शामिल प्राधिकार पत्रों तथा 18 महीने से कम ईओपी के साथ जारी प्राधिकार पत्रों को क्लब करने के लिए अतिरिक्त प्रावधानः

(क) क्लब किए जाने हेतु प्रस्तावित किसी भी प्राधिकार पत्रों में क्लब किए गए प्राधिकार पत्रों की निर्यात दायित्व अवधि की गणना सबसे पहले किए गए आयात की तारीख से की जाएगी।

(ख) ऐसे प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग की अनुमति दी जाएगी बशते सभी निर्यात क्लब किए जाने हेतु प्रस्तावित किसी भी प्राधिकार पत्रों में सबसे पहले किए गए आयात की तारीख से गणना की गई प्रारंभिक/विस्तारित निर्यात दायित्व अवधि के भीतर पूरे किए जाते ह।

4.39 अग्रिम प्राधिकार पत्र के मूल्य में वृद्धि/कमी

(क) अग्रिम प्राधिकार के संबंध में, संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी (अपनी वित्तीय शक्तियों के अनुसार) निम्न हेतु आवेदनों पर विचार कर सकता है :-

(i) अग्रिम प्राधिकार पत्र के लागत बीमा भाड़ा मूल्य में वृद्धि/कमी करने के लिए;

(ii) लागत बीमा भाड़ा मूल्य में वृद्धि/कमी, निविष्टियों की मात्रा, पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य और अग्रिम प्राधिकार पत्र के निर्यात की मात्रा। तथापि, ऐसी वृद्धि के बाद मूल्य संवर्धन विदेश व्यापार नीति और इसके तहत निर्धारित प्रक्रिया पुस्तक में (निर्यात उत्पाद हेतु) निर्धारित न्यूनतम मूल्य संवर्धन से कम नहीं आता तथा निविष्टि उत्पादन मानदण्डों और विदेश व्यापार नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया हो जिसके अनुसार अग्रिम प्राधिकार-पत्र जारी किया गया था ।

(ख) तथापि, विदेश व्यापार नीति 2004-09 के अधीन 27.8.2009 से पहले जारी किए गए अग्रिम प्राधिकार पत्र (पत्रों) के मामले में, प्राधिकार पत्र के मूल्य मे किसी बढ़ोत्तरी के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी :-

(i) जहाँ 27.8.09 को या उसके बाद से निर्यात किए गए हैं, सीआईएफ/एफओबी मूल्यों में बढ़ोत्तरी, निर्यात के उस हिस्से के लिए न्यूनतम 15 प्रतिशत मूल्य संवर्धन अथवा मौजूदा प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट 4घ में निर्धारित मूल्य संवर्धन जो भी कम हो, के अधीन होगी ।

(ii) जहाँ कहीं 27.8.09 से पहले निर्यात किए गए हैं, सीआईएफ/एफओबी मूल्य में बढ़ोत्तरी, 15 प्रतिशत न्यूनतम मूल्य संवर्धन अथवा मौजूदा प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट 4घ में निर्धारित मूल्य संवर्धन अथवा मूल अग्रिम प्राधिकार पत्र के आवेदन में घोषित मूल्य संवर्धन, जो भी कम हो, के अधीन होगी ।

(ग) मूल्य और मात्रा में यथानुपातिक वृद्धि हेतु आवेदन निर्यात से पूर्व या बाद में किया जा सकता है । उन मामलों में जहाँ उक्त उत्पाद के निर्यात से पूर्व मानक निविष्टि उत्पादन मानदंडों में परिवर्तन किया गया हो, संशोधित मानक निविष्टि उत्पादन मानदंडों पर हकदारी की गणना करने के बाद यथानुपातिक वृद्धि प्रदान की जाएगी ।

(घ) प्राधिकार पत्र के सीआईएफ अथवा एफओबी के मूल्य में वृद्धि/प्राधिकार पत्र के मूल्य में कमी/ईओपी को बढ़ाने/प्राधिकार पत्र के पुनः वैधीकरण के लिए, क्षेत्रीय प्राधिकारी को आयात निर्यात प्रपत्र 4घ में आवेदन किया जाएगा।

4.40 वृद्धि के लिए आवेदन शुल्क

वृद्धि के लिए लगने वाला आवेदन शुल्क मूल और अन्तिम प्राधिकार पत्र के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के अन्तर पर लगेगा। तथापि, कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा, यदि प्राधिकार पत्र के मूल्य को कम किया जा रहा हो अथवा आवेदक ने अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए के लिए पहले ही अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए हेतु अधिकतम शुल्क 100,000 रुपये जमा किए हैं ।

4.41 प्राधिकार पत्र का पुनःवैधीकरण

(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र के आयात के लिए वैधता अवधि प्राधिकार पत्र के जारी किए जाने की तारीख से 12 माह के लिए होगी।

(ख) एफटीपी के अध्याय–7 के तहत आपूर्तियों के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र की वैधता परियोजना के निष्पादन की संविदा अवधि की सह–मियादी होगी अथवा प्राधिकार पत्र जारी किए जाने की तारीख से 12 माह, जो भी बाद में हो, के लिए होगी।

(ग) क्षेत्रीय प्राधिकारी मूल प्राधिकार पत्र धारक के अनुरोध पर विचार कर सकते हैं और मूल प्राधिकार की समाप्ति की तारीख से छः महीनें की अवधि के लिए एक पुनर्वैधीकरण कर सकते हैं । प्राधिकार पत्र के पुनर्वैधीकरण के लिए आवेदन, आयात-निर्यात प्रपत्र 4घ में देना होगा।

(घ) 27.8.2009 (विदेश व्यापार नीति 2004-09) से पहले जारी किए गए अग्रिम प्राधिकार-पत्र के पुनः वैधीकरण के मामले में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मूल्य वर्धन 15% (और विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.09 में उल्लिखित विवरणों के अनुसार) अथवा अग्रिम प्राधिकार-पत्र में यथानिर्धारित पर, जो भी अधिक हो, बनाए रखा जाए । तथापि, परिशिष्ट-4घ के अनुसार मूल्य संवर्धन वाले उत्पादों के लिए अग्रिम प्राधिकार-पत्रों हेतु मूल्य संवर्धन परिशिष्ट 4घ में उल्लिखित मूल्य संवर्धन अथवा अग्रिम प्राधिकार-पत्र में यथा उल्लिखित, जो भी अधिक हो, के अनुसार होगा।

4.42 निर्यात दायित्व (ईओ) अवधि और इसका विस्तार

(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत निर्यात दायित्व पूरा करने की अवधि प्राधिकार पत्र जारी करने की तारीख से 18 माह के लिए होगी जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो । अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत निर्यात दायित्व पूरा करने की अवधि प्राधिकार पत्र जारी करने की तारीख से आरंभ होगी, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।

(ख) एफटीपी के अध्याय–7 के तहत भारत में परियोजनाओं को अथवा विदेश की परियोजनाओं को आपूर्तियों के मामले में निर्यात दायित्व अवधि परियोजना के पूरा होने की संविदा अवधि की सह मियादी होगी, अथवा 18 माह की होगी, जो भी अधिक हो।

(ग) रक्षा, सैन्य भंडार, एयरोस्पेस और परमाणु ऊर्जा की श्रेणी में आने वाली मदों की निर्यात दायित्व अवधि प्राधिकार पत्र जारी किए जाने की तारीख से 24 माह के लिए अथवा निर्यात आदेश की संविदा अवधि की सह–मियादी होगी, जो भी अधिक हो।

(घ) परिशिष्ट–4ञ के तहत जारी प्राधिकार पत्रों के लिए निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार की निर्धारित निर्यात दायित्व अवधि के अधिकतम आधे से अधिक अवधि के लिए अनुमति दी जाएगी। ऐसे मामले में यदि किया गया निर्यात प्रारंभिक निर्यात दायित्व अवधि के भीतर 50% से अधिक है तो पूरा नहीं किए गए पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.5% प्रति माह को दर से और जहां प्रारंभिक निर्यात दायित्व अवधि के भीतर 50% से कम निर्यात किया गया है, 1% प्रति माह की दर से संयोजन शुल्क लगाया जाएगा।

(ड.) क्षेत्रीय प्राधिकारी अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक द्वारा निर्यात दायित्व अवधि को समाप्ति की तारीख से छः माह तक के लिए निर्यात दायित्व अवधि के एक विस्तार हेतु किए गए अनुरोध पर विचार कर सकता है, जो निर्यात दायित्व में हुई कमी के 0.5 प्रतिशत के संयोजन शुल्क के भुगतान के अधीन होगा। प्राधिकार पत्र धारक को एक स्वघोषणा क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी जिसमें यह बताना होगा कि अप्रयुक्त आयातित/स्वदेशी निविष्टियां आवेदक के पास उपलब्ध है।

(च) पहले विस्तार के पश्चात् छः माह के अतिरिक्त विस्तार, जैसा कि ऊपर (ख) में दिया गया है, पर क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता है बशर्ते कि प्राधिकार पत्र धारक ने मात्रा तथा मूल्य की दृष्टि से न्यूनतम 50 प्रतिशत का निर्यात दायित्व समानुपाती आधार पर पूरा कर लिया है। यह निर्यात दायित्व के अधूरे एफओबी मूल्य पर 0.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से संयोजन शुल्क के भुगतान के अधीन होगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा और किसी विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह प्रावधान एफटीपी 2009–2014 के दौरान जारी अग्रिम प्राधिकार पत्रों पर भी लागू होगा। तथापि, 6 माह प्रत्येक के केवल दो विस्तार जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, की अनुमति संयोजन शुल्क के भुगतान के अधीन दी जा सकती है तथा किसी भी परिस्थिति में क्षेत्रीय प्राधिकारी निर्यात दायित्व अवधि की समाप्ति की तारीख से 12 माह के पश्चात् कोई विस्तार नहीं प्रदान करेगा। दूसरे निर्यात दायित्व विस्तार हेतु आवेदन फाइल करते समय प्राधिकार पत्र धारक द्वारा क्षेत्रीय प्राधिकारी को एक स्वघोषणा प्रस्तुत करनी होगी जिसमें यह बताना होगा कि अप्रयुक्त आयातित/स्वदेशी निविष्टियॉ आवेदक के पाए उपलब्ध है।

(छ) हटा दिया गया है।

(ड.) जब कभी किसी उत्पाद के निर्यात पर रोक/प्रतिबंध लगाया जाता है, रोक लगाने से पूर्व पहले से जारी अग्रिम प्राधिकार पत्र के संबंध में निर्यात दायित्व अवधि रोक की अवधि के समकक्ष अवधि के लिए बिना किसी समझौता शुल्क के स्वतः बढ़ जाएगी ।

4.43 निर्यात खेप हेतु अनंतिम स्वीकृति

सीमाशुल्क कार्यालय निर्यात खेप की अस्थायी निकासी की अनुमति दे सकता है जब प्राधिकार पत्र धारक संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को निर्यात दायित्व बढ़ाने के लिए आवेदन किये जाने का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करें।

4.43क अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के तहत आयातित माल का पुनः निर्यात

राजस्व विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के तहत आयातित माल के दोषपूर्ण तथा उपयोग हेतु अनुपयुक्त पाए जाने पर, पुनः निर्यात किया जा सकता है। प्राधिकार पत्र धारक को ऐसे दोषपूर्ण माल के पुनः निर्यात से पहले उस क्षेत्रीय प्राधिकारी को सूचित करना होगा, जिसने प्राधिकार पत्र जारी किया है।

4.44 निर्यात दायित्व की मानीटरिंग

(क) क्षेत्रीय प्राधिकारी, जिसके साथ अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक द्वारा विधिक वचनबद्धता निष्पादित की गई है, निर्यात दायित्व की मॉनीटरिंग करने के लिए वह एक मास्टर रजिस्टर में दायित्व अवधि प्रारंभ होने और समाप्त होने की तारीख और अन्य विवरणों का उचित रिकार्ड रखेगा। इसके अलावा इस सूचना को कम्प्यूटर प्रणाली में डालकर पुस्तक के रूप में रखरखाव किया जा सकता है।

(ख) निर्यात दायित्व की अवधि समाप्त होने की तारीख से दो महीने के भीतर प्राधिकार पत्र धारक, प्राधिकार पत्र के मद्दे पोतलदान बिलों का ब्यौरा जोड़कर आनलाइन आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(ग) ईओडीसी आवेदन की ऑनलाइन फाइलिंग के मामले में तिमाही आधार पर मान्य निर्यात/जीएसटी नियमावली के तहत निर्धारित आपूर्तियों के लिए कर बीजक के मामले में निर्यातक डीजीएफटी की आनलाइन प्रणाली में संबंधित फाइल सं./प्राधिकार पत्र सं. तथा संबंधित पोतलदान बिल सं./निर्यात बिल/बीजकों को लिंक करके सभी किए गए निर्यातों को आनलाइन लिंक करेंगे।

(घ) एफटीपी के अध्याय–7 के अंतर्गत गैर ईडीआई पोतलदान बिलों तथा आपूर्तियों के मामले में निर्यातक डीजीएफटी की वेबसाइट पर निर्यात दायित्व की अवधि के समाप्त होने की तिथि से दो महीनों के भीतर सभी संबंधित विवरण को मैनुअल रूप से जारी करेगा। पोतलदान बिलों की प्रतियों को निर्यात दायित्व को पूरा करने की अंतिम तिथि से दो मास की अवधि के भीतर सत्यापन हेतु संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। यदि कोई आवेदक किसी निर्धारित दस्तावेज को अपलोड नहीं कर सकता है, तो इन दस्तावेजों को वास्तविक रूप में संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है।

(ड.) ई-बीआरसी को निर्यात दायित्व को पूरा करने/प्राप्ति की अंतिम तिथि अथवा आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा को भुनाने की निर्धारित अवधि के अनुसार इन पोतलदान बिलों से लिंक किया जाएगा। उक्त अवधि के समाप्त होने तक ई-बीआरसी को प्रस्तुत न करने पर क्षेत्रीय प्राधिकरण कोई कार्रवाई नहीं करेगा बशर्ते निर्यातक द्वारा निर्यात दायित्व को पूरा करने की पुष्टि करने हेतु अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हों।

(च) यदि निर्यात दायित्व को पूरा करने अथवा संबंधित सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करने में प्राधिकार पत्र धारक असफल रहता है, तो क्षेत्रीय प्राधिकारी आगे प्राधिकार पत्र देने की मनाही, प्राधिकार पत्र की शर्त तथा वचनबद्धता को लागू करने संबंधी कार्यवाही कर सकता है जिसमें दोषी निर्यातक को आगे प्राधिकार पत्र जारी करने से इन्कार करना शामिल है।

4.45 वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र

(क) ऐसे प्राधिकार पत्रों के लिए पात्र निर्यातक संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को 'आयात निर्यात फार्म 4क' में आवेदन करेगें। ऊपर दिए गए अग्रिम प्राधिकार पत्र पर लागू सभी प्रावधान निम्नलिखित को छोड़कर लागू होगेः

(i) छूट प्राप्त सामग्री का इस्तेमाल करने वाले निर्यात उत्पाद समूह के अन्तर्गत आने वाले किसी उत्पाद का निर्यात करने की प्राधिकार पत्र धारक को छूट प्राप्त होगी ।

(ii) पात्रता हकदारी के भीतर, निर्यातक किसी एक लाइसेंसिंग वर्ष में एक या अधिक प्राधिकारों के लिए आवेदन कर सकता है बशर्ते पंजीकरण के एक पत्तन के मद्दे, उसी उत्पाद समूह के लिए पाँच से अधिक प्राधिकार पत्र जारी नहीं किए गए हों। प्राधिकार पत्र की एक बारगी वृद्धि/कटौती उपलब्ध होगी ।

(iii) एक लाइसेंसिंग वर्ष में एक अथवा अधिक प्राधिकार पत्रों के प्रति निर्यात दायित्व पूरा होने पर निर्यातक की हकदारी, उस लाइसेंसिंग वर्ष के लिए प्राधिकार पत्र के मद्दे निर्यात दायित्व पूरा होने के बराबर राशि तक पुनः जीवित मान ली जाएगी।

(iv) ऐसे निर्यात उत्पाद जिनका सिओन नहीं है उनके लिए वार्षिक आवश्यकता हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र उपलब्ध नहीं होगा। इसके अलावा जहां सिओन निर्धारित है परंतु निविष्टि 4ञ में सूचीबद्ध है तो अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत कोई निर्यात नहीं किया जाएगा।

(ख) प्राधिकार पत्र के मद्दे आयात खेप की निकासी के समय निर्यातक निम्नलिखित निविष्टियों के संबंध में तकनीकी विशेषताओं, गुणवत्ता और विनिर्देशनों का उल्लेख करेगा जिसे सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित आगम बिल/बीजक में पृष्ठांकित किया जाएगा।

"एलाय स्टील, स्टेनलेस स्टील, कापर एलाय, सिंथेटिक रबर, बीयरिंग्स सॉल्वेंटस परफ़यूम्स/सुगंधित तेल/ एरोमैटिक्स रसायन, सरफेक्टेन्ट्स, सम्बद्ध फैब्रिक्स और संगमरमर।"

4.45क निर्यात एवं आयात का आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के अध्याय–61 और 62 के तहत शामिल परिधान सामग्री और वस्त्र की सहायक सामग्री के निर्यात हेतु विशेष अग्रिम प्राधिकार पत्र

(i) निर्यात एवं आयात का आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के अध्याय–61 और 62 के तहत शामिल परिधान सामग्री और वस्त्र की सहायक सामग्री के निर्यात हेतु विशेष अग्रिम प्राधिकार पत्र संबंधी नीति विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.04क में निर्धारित की गई है।

(ii) प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.05, 4.06, 4.10, 4.11, 4.12 (v) और (vi), 4.21, 4.24, 4.25, 4.26, 4.29, 4.35, 4.36, 4.37, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.43क, 4.44, 4.46, 4.47(ख), 4.49, 4.50, 4.51, 4.52 के प्रावधान इस स्कीम पर लागू होंगे जब तक कि वे इस स्कीम के असंगत न हो जाएँ।

4.46 निर्यात दायित्व की पूर्ति

प्राधिकार पत्र धारक, संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकरण को एएनएफ 4च में आनलाइन आवेदन प्रस्तुत करेगा तथा निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए निर्धारित दस्तावेज अपलोड करेगा।

4.47 विमुक्ति/गैर बंध प्रमाण पत्र

(क) **बॉण्ड से छूट:** यदि प्राधिकार पत्र धारक आयातित निविष्टियों/स्वदेशी रूप से अधिप्राप्त कच्चे माल का प्रयोग करके पहले निर्यात करता है (आयात करने से पहले) तो ऐसे मामले में प्राधिकार-पत्र धारक किए गए निर्यात तथा इसे प्राप्त भुगतान का साक्ष्य प्रस्तुत करके बाण्ड शर्त से छूट की मांग कर सकता है। यदि किया गया निर्यात प्राधिकार पत्र में निर्धारित निर्यात दायित्व से कम है तो यथानुपात आधार पर बाण्ड शर्त से छूट के अनुरोध पर भी विचार किया जा सकता है।

(i) ऐसे अनुरोध के लिए आवेदक को पोतलदान बिलों और ई-बीआरसी को संलग्न करके आनलाइन आवेदन करना होगा। एएनएफ 4च में निर्धारित अन्य दस्तावेजों की स्केन्ड प्रति भी अपलोड करनी होगी। यदि मान्य निर्यात या गैर-ईडीआई पत्तनों से निर्यात के मामले में ई-बीआरसी को छोड़कर वास्तविक रूप में आनलाईन आवेदन का संदर्भ देते हुए निर्यात/आपूर्ति के प्रमाण हेतु दस्तावेजों को संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के पटल पर प्रस्तुत

किया जाएगा।

(ii) हटा दिया गया है।

(iii) यदि निर्यात दायित्व पूरा कर लिया गया है, क्षेत्रीय प्राधिकारी एक बांड से छूट प्रमाण-पत्र (बी डब्ल्यूसी) जारी करेगा और बांड से शर्त में छूट को अनुमत करते हुए, प्राधिकर पत्र के पंजीकरण के पत्तन पर, पोतलदान बिल (बिलों की संख्या), तिथि (तिथियों), पोतलदान बिल (बिलों) के अनुसार भारतीय रूपयों में एफओबी मूल्य और विचारार्थ पोतलदान के संबंध में निर्यात उत्पाद के विवरण संबंधी विवरणों को संलग्न करते हुए सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को एक प्रति संलग्न करेगा। बांड की ऐसी छूट सीमा-शुल्क अधिकारियों को सीमा-शुल्क विभाग की अधिसूचना के अनुसरण में नहीं रोकेगी।

(iv) ऐसे निर्यात के लिए बॉण्ड की छूट देते हुए क्षेत्रीय प्राधिकारी निर्यातित उत्पाद के उत्पादन में उपभोग की गई निविष्टियों की पुनः पूर्ति के लिए पृष्ठांकन की तारीख से छः माह की अवधि के लिए प्राधिकार पत्र को मान्यता दे सकता है, बशर्ते कि आवेदक ने एएनएफ 4घ में विशेष अनुरोध कर रखा हो तथा पुनः मान्यकरण हेतु अपेक्षित शुल्क का भुगतान कर रखा हो। आगे यह इस शर्त के अधीन होगा कि आवेदक ने प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैरा 4.41(क) के अनुसार पहले पुनः मान्यकरण प्राप्त नहीं किया था। इस पैरा के तहत अनुमत पुनः मान्यकरण सहित प्राधिकार पत्र की वैधता की अधिकतम अवधि प्राधिकार पत्र जारी करने की तारीख स 24 माह से अधिक नहीं होगी।

(v) क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा बांड से छूट प्रमाण-पत्र की एक प्रति पंजीकरण के पत्तन पर डाक द्वारा सीमा शुल्क विभाग को पृष्ठांकित की जाएगी जब तक कि डीजीएफटी और सीबीईसी के बीच संदेश आदान- प्रदान के तहत ईडीआई तरीके के माध्यम से यह प्रणाली शुरू न हो जाए।

(ख) **निर्यात दायित्व विमुक्ति प्रमाण-पत्र (ईओडीसी):-**

(i) प्राधिकार-पत्र धारक निर्यात एवं आयात के पूरा होने पर एएनएफ-4च में एक आनलाईन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगा जैसा कि उपरोक्त (क) (i) में दिया गया है। ऐसे मामलों में, यदि निर्यात दायित्व की पूर्ति कर ली गई है, क्षेत्रीय प्राधिकारी, प्राधिकार-पत्र धारक को एक ईओडीसी/मोचन प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है और सीमा शुल्क प्राधिकारियों को प्राधिकार के पंजीकरण के पत्तन पर निर्यात दायित्व की पूर्ति का प्रमाण देते हुए जैसा कि उपरोक्त पैरा (क) में दर्शाया गया है, निर्यात दायित्व की पूर्ति के प्रमाण के उन विवरणों को दर्शाते हुए एक प्रति अग्रेषित कर सकता है।

(ii) क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा ईओडीसी की एक प्रति पंजीकरण के पत्तन पर डाक द्वारा सीमा शुल्क विभाग को पृष्ठांकित की जाएगी जब तक कि डीजीएफटी और सीबीईसी के बीच संदेश आदान–प्रदान के तहत ईडीआई तरीके के माध्यम से यह प्रणाली शुरु न हो जाए।

(ग) साधारणतया, बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता से छूट सीमा शुल्क प्राधिकारियों को आकस्मिक रोक लगाने अथवा सीमा शुल्क अधिनियम के अनुसार तदनुसार किसी गलत बयानी, गलत घोषणा और पता लगाई गई चूक के विरूद्ध कार्रवाई करने से नहीं रोकेगी।

(घ) ऐसे प्रमाण-पत्र की प्रमाणिकता डीजीएफटी की वेबसाइट (dgft.gov.in) अथवा डीजीएफटी के जोनल कार्यालयों की वेबसाइटों की सहायता से जांची जाएगी। डीजीएफटी के जोनल कार्यालय उनके द्वारा और उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी ऐसे ईओडीसी प्रमाण पत्रों का विवरण अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर प्रत्येक माह डालेंगे।

(ड.) क्षेत्रीय प्राधिकारी विधिवत रूप से भरे हुए परिशिष्ट-4ज और 4झ को न सौपने के मामले में जैसा कि नीचे दिए गए पैराग्राफ 4.51 में निर्धारित किया गया है अथवा तदनुसार परिशिष्ट-4ज और 4झ में घोषित और प्रस्तुत किए गए विवरणों में किसी गलतबयानी, गलत घोषणा अथवा पता लगाई गई चूक के लिए प्राधिकार-पत्र धारक के विरूद्ध कार्रवाई करेगा। इस संबंध में क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा मोचन प्रमाणपत्र में पृष्ठांकन किया जाएगा।

4.48 26.8.2009 तक जारी किए गए प्राधिकार पत्रों के लिए परिवर्ती व्यवस्था

(क) 26.8.2009 तक जारी वार्षिक जरुरतों हेतु अग्रिम लाइसेंसों सहित अग्रिम लाइसेंस समय-समय पर यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 (आर ई 2001) के अध्याय-7, 31.3.2002 को यथा अधिसूचित प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1(2002-2007) के अध्याय 4 तथा 31.8.2004 को यथा अधिसूचित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1 (2004-2009) के अध्याय–4 और 27.08.2009 को यथा अधिसूचित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड–1 (2009–14) के अध्याय–4 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होंगे। सम्बंधित प्रावधान निर्यात दायित्व अवधि को जोड़ने और उसके विस्तार पर लागू नहीं होंगे, जो उपर्युक्त पैरा क्रमशः 4.38 और 4.42 (ड.) के प्रावधानों और डी जी एफ टी द्वारा यथा अधिसूचित किसी अन्य प्रावधान द्वारा शासित होंगे ।

(ख) जिन मामलों में अप्रयुक्त माल पर सीमाशुल्क देय है, वह उस पर राजस्व विभाग द्वारा यथा अधिसूचित ब्याज सहित देय होगा ।

4.49 वास्तविक चूक का विनियमन

निर्यात दायित्व को पूरा करने में यदि वास्तविक चूक हो जाती है तो उस मामले में क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित तरीकों से विनियमन किया जा सकता है :-

(क) यदि निर्यात दायित्व मूल्य के अनुसार पूरा किया गया है, लेकिन मात्रा के अनुसार उसमें कमी है तो प्राधिकार पत्र धारक विनियमन के लिए निम्नलिखित को भुगतान करेगाः-

(i) सीमा शुल्क प्राधिकारी को राजस्व विभाग द्वारा यथा अधिसूचित ब्याज के साथ आयातित माल/स्वदेशी रूप से प्राप्त माल के अप्रयुक्त मूल्य पर सीमा शुल्क देगा। निर्यातकों के पास विदेश व्यापार नीति के तहत जारी वैध ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स के माध्यम से सीमा-शुल्क अदा करने का विकल्प रहेगा। तथापि, ब्याज/जुर्माना नकद रूप से दिया जाना अपेक्षित होगा।

(ii) यदि आयात की मद प्रतिबंधित है, अप्रयुक्त आयातित सामग्री के सीआईएफ मूल्य के 3 प्रतिशत की राशि के बराबर राशि को "शीर्ष लेखा: 1453, विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन तथा उपशीर्ष 102" में डाला जाएगा। तथापि इस उप

पैरा के प्रावधान लागू नहीं होंगें यदि आयात/घरेलू खरीद की तारीख को अप्रयुक्त माल मुक्त रुप से आयात योग्य हों।

(ख) यदि निर्यात दायित्व मात्रा के अनुसार पूरा कर लिया है लेकिन मूल्य के अनुसार इस में कमी आ गई है तो प्राधिकार पत्र धारक पर न्यूनतम निर्धारित मूल्य संवर्धन प्राप्त करने पर जुर्माना नहीं लगाया जायेगा। तथापि, मूल्य संवर्धन यदि निर्धारित न्यूनतम मूल्य संवर्धन से नीचे आ जाता है तो प्राधिकार पत्र धारक खजाना रसीद के माध्यम से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की प्राधिकृत शाखा में अथवा ईएफटी प्रणाली अथवा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य में कमी के 1 प्रतिशत राशि के बराबर भारतीय रुपये में जमा करेगा।

(ग) मूल्यवार कमी की गणना, निर्यात की वास्तविक मात्रा के सन्दर्भ में और आयातों की यथानुपात मात्रा के सन्दर्भ में तथा लागत बीमा भाड़ा मूल्य के संदर्भ में अर्जित पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य पर की जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि निर्यात निष्पादन मात्रावार केवल 50% है लेकिन आयात अनुमत पूर्ण लागत बीमा भाड़ा मूल्य के लिए है तो मूल्यवर्धन की गणना यथानुपात अर्थात आयात के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के 50% के संदर्भ के आधार पर की जाएगी । तदनुसार, उसका यह तात्पर्य होगा कि जहाँ प्राधिकार पत्र धारक निर्यात निष्पादन करने में असमर्थ हो, वहाँ मूल्यवार कमी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा ।

(घ) यदि निर्यात दायित्व की प्रतिपूर्ति मात्रात्मक और मूल्यात्मक दोनों ही शर्तों के अनुसार पूरा नहीं होता है तो प्राधिकार पत्र धारक ऊपर उल्लिखित (क) (ख) और (ग) के अनुसार विनियमन के लिए भुगतान करेगा।

(ड.) यदि निर्यातक, निर्यात दायित्व को पूर्ण रुप से पूरा करने में असमर्थ है और उसने प्राधिकार पत्र के अधीन कोई आयात नहीं किया है तो प्राधिकार पत्र धारक के पास पोतलदान बिलों को शुल्क वापसी पोतलदान बिलों में परिवर्तित करने के लिए सीमाशुल्क प्राधिकारी से अनुमति लेने के बाद शुल्क वापसी हेतु आवेदन करने और लाइसेंस रद्द करवाने का विकल्प होगा।

(च) क्षेत्रीय प्राधिकारी सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित और सत्यापित परिशिष्ट 4ज के सम्बद्ध अंशों को पिछले लाइसेंसिंग वर्ष के शुरु में प्राधिकार (प्राधिकारों) के अधीन आयातित वास्तविक मात्रा और प्राधिकार (प्राधिकारों) में अनुमत मानदण्डों से तुलना करेगा। इस सत्यापन प्रक्रिया में यदि यह पाया जाता है कि प्राधिकार पत्र धारक ने आयातित से कम मात्रा की खपत की है, तो प्राधिकार पत्र धारक आयातित माल के अप्रयुक्त मूल्य पर यथा अधिसूचित ब्याज सहित सीमा-शुल्क का भुगतान करना होगा या निर्यात दायित्व की अवधि के भीतर अतिरिक्त निर्यात करना होगा ।

(छ) उन मामलों में वास्तविक चूक का नियमितीकरण जहां आयात–पूर्व शर्त के साथ गैर–पंजीकृत स्रोतों से औषधियों के आयात के लिए प्राधिकार पत्र जारी किया गया था। आयात–पूर्व शर्त के साथ जारी गैर–पंजीकृत स्रोतों से औषधियों का आयात निम्नलिखित तरीके से नियमित किया जाएगाः

(i) प्राधिकार पत्र धारक मानदंडों के अनुसार पूर्ण आयतित मात्रा की खपत को दर्शानेवाले दस्तावेजों को पस्तुत करेगा। यदि निर्यात दायित्व पूरा करने में कमी है और अप्रयुक्त आयातित मात्रा प्राधिकार पत्र धारक के पास है तो प्राधिकार पत्र धारक प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैरा 4.

43 क के अनुसार अप्रयुक्त आयातित मात्रा को उनकी उपस्थिति में विध्वंस करने का प्रमाण देते हुए क्षेत्राधिकारी केन्द्रीय उत्पाद/सीमाशुल्क प्राधिकारी से प्रमाण पत्र या उस मात्रा का पुनः उसी आपूर्तिकर्ता को निर्यात करने का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

(ii) औषधियों की अप्रयुक्त मात्रा का उपयोग करके निर्यात दायित्व अवधि के समाप्त होने के बाद मुक्त पोतलदान बिलों/समान प्राधिकार पत्र के अधीन किए गए निर्यात को भी विध्वंस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के एवज में स्वीकार किया जाएगा बशर्ते निर्यात किए गए औषध के सही–सही विवरण और तकनीकी विशिष्टता अग्रिम प्राधिकार पत्र में वर्णित निर्यात मद के समान हों। तथापि, प्राधिकार पत्र धारक अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत आयातित अप्रयुक्त मात्रा पर सीमा शुल्क का भुगतान करेगा। निर्यात दायित्व अवधि से बाहर किए गए निर्यात के लिए ही विध्वंस प्रमाण पत्र से छूट पर विचार किया जाएगा, देय शुल्क और ब्याज की देयता से छूट पर विचार नहीं किया जाएगा।

4.50 निर्यात दायित्व में वास्तविक चूक के मामले में सीमाशुल्क और ब्याज की अदायगी

(क) बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता को विनियमित या लागू करने के संबंध में प्राधिकार पत्र धारक से राजस्व विभाग द्वारा यथा अधिसूचित वसूल किया जाने वाला ब्याज सहित सीमाशुल्क, प्राधिकार पत्र धारक क्षेत्रीय/सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा की गई माँग के 30 दिनों के भीतर निर्धारित टी.आर.चालान में संबंधित सीमाशुल्क राजस्व के "मुख्य शीर्ष 0037- सीमाशुल्क" और उपशीर्ष 001- आयात शुल्क" में जमा करेगा और क्षेत्रीय/सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास तत्काल इस आशय का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा । निर्यातक राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वयं/अपनी गणना के आधार पर सीमा-शुल्क और ब्याज की स्वतः अदायगी कर सकता है।

(ख) भुगतान का तरीकाः भुगतान के निम्नलिखित तरीके उपलब्ध हैं-

(i) सीमा शुल्क प्राधिकारियों को टीआर चालान के माध्यम से नकद अदायगी।

(ii) संबंधित प्रतिफल/शुल्क छूट स्क्रिप के तहत अनुमत माल के संबंध में विदेश व्यापार नीति 2009-2014 के अध्याय-3 (एसएचआईएस, एसएफआईएस और एआईआई एस स्क्रिप्स को छोड़कर) अथवा इस विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 अथवा निर्यात-पश्च ईपीसीजी शुल्क छूट स्कीम स्क्रिप के तहत जारी वैध शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्स के माध्यम से सीमा शुल्क की अदायगी।

(ग) निर्यातक टीआर चालान 006 पर अथवा ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप (स्क्रिप्स) के पीछे जिसके तहत सीमा शुल्क की अदायगी स्वीकार की गई है/ डेबिट की गई है, सीमा शुल्क प्राधिकारियों से एक पृष्ठांकन प्राप्त करेगा और उसे शुल्क गणना शीट के साथ आरए के पास अपने मामले के नियमितीकरण के समय प्रस्तुत करेगा।

(घ) क्षेत्रीय प्राधिकारी मामले का मोचन करने से पहले अधिक आयात की मात्रा की जांच करेगा। आरए प्राधिकार-पत्र धारक द्वारा गणना की गई देयता और क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा की गई गणना में अंतर के कारण को सूचित करने के बाद लाइसेंस धारकों को सीमाशुल्क की बकाया राशि अदा करने का निदेश दे सकता है। ऐसे मामले में, शुल्क और ब्याज की शेष राशि, यदि कोई है, प्राधिकार-पत्र धारक द्वारा मामले का नियमितीकरण करने के लिए 30 दिनों के अंदर अदा की जाएगी।

(ड.) सीमा शुल्क प्राधिकारी को ब्याज विलम्बित शुल्क राशि की अदायगी की तिथि पर लागू दर पर टीआर चालान 006 के माध्यम से नकद रूप में अदा किया जाएगा।

(च) प्राधिकार-पत्र धारक से उक्त दस्तावेजी प्रमाण प्राप्त होने पर, क्षेत्रीय प्राधिकारी मामले का मोचन करेगा, ईओडीसी/मोचन पत्र पर भुगतान किए गए शुल्क के ब्यौरे को पृष्ठांकित करेगा और पंजीकरण के पत्तन पर अथवा प्राधिकार-पत्र धारक की फैक्ट्ररी पर क्षेत्राधिकार वाले सीमा शुल्क के आयुक्त, जैसा भी मामला हो, सीमा शुल्क प्राधिकारी को की गई वसूली/जमा के विवरण के बारे में सूचित करेगा।

(छ) तथापि, नियमितीकरण के लिए शुल्क की अदायगी, ब्याज और अन्य बकाया, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा की जा सकने वाली कार्रवाई से परे होंगे।

4.51 खातों का समुचित रख-रखाव

प्रत्येक अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक परिशिष्ट 4ज या 4झ में यथा निर्धारित प्रत्येक प्राधिकार पत्र के अधीन शुल्क मुक्त आयातित/घरेलू स्रोत से प्राप्त वस्तुओं के इस्तेमाल और खपत का सही और उचित हिसाब रखेगा। प्रत्येक लाइसेंसिंग वर्ष के शुरु में उन सभी प्राधिकार पत्रों के लिए जो पिछले लाइसेंसिंग वर्षों में विमुक्त किए गये हैं, इन रिकार्ड्स को सम्बंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को भेजना होगा। तथापि, 13-5-2005 को या इसके बाद जारी प्राधिकारों हेतु इन रिकार्ड्स को उक्त प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा। इन रिकार्ड्स को विमुक्ति की तिथि से कम से कम 3 वर्ष के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

4.52 पोतलदान बिलों और/अथवा बैंक वसूली प्रमाण-पत्र/ई-बीआरसी की निर्यात संवर्धन प्रति खो जाने के मामले पर विचार करना

(क) जिन मामलों में पोतलदान बिल/मूल बी.आर.सी. की मूल ई.पी.प्रति खो गई हो तो अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी.एफ.आई.ए. स्कीम अथवा डी.एफ.आई.एफ. के तहत हस्तान्तरणीयता के पृष्ठांकन के, ई.ओ.डी.सी., बैंक गारंटी न देने/विधिक वचनबद्धता की शर्त संबंधी अनुरोध पर विचार किया जा सकता है बशर्ते मूल दस्तावेजों के स्थान पर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएँः

(i) मूल के स्थान पर पोतलदान बिल की डुप्लीकेट/सीमाशुल्क प्रमाणित/स्व सत्यापित प्रति; मूल के स्थान पर बीआरसी की डुप्लीकेट/बैंक प्रमाणित प्रति;

(ii) बचाये गये शुल्क के 1 प्रतिशत के बराबर आवेदन शुल्क। तथापि, सरकारी एजेंसियों द्वारा ऐसा दस्तावेज खो दिये जाने पर कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा बशर्ते इसका दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किया गया है।

(iii) निर्यातक द्वारा दस्तावेज खोने के बारे में स्वः घोषणा और यदि बाद में ये दस्तावेज मिल जाते हैं तो इसे संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को तत्काल वापिस करने के संबंध में एक शपथ-पत्र ।

(iv) निर्यातक को इस आशय का एक क्षतिपूर्ति बाण्ड प्रस्तुत करना होगा कि वह पोतलदान बिलों/बी.आर.सी. खो जाने के अधीन उपयोग में लाये गये/अनुमत शुल्क मुक्त आयात हकदारी का उपयोग करने पर सरकार को होने वाली वित्तीय हानि की क्षतिपूर्ति करेगा।

(ख) सीमाशुल्क प्राधिकारी, बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता को निष्कृत करने अथवा "बैंक गारंटी ना देने/विधिक वचनबद्धता शर्त" के पृष्ठांकन के पश्चात निकासी करने अथवा हस्तान्तरणीयता का पृष्ठांकन करने से पहले ऐसे पोतलदान बिलों की सत्यता की जाँच करेगा और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे जहाजरानी बिल के अधीन कोई दोहरा लाभ तो नहीं उठाया गया है। यह विशिष्ट शर्त संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा ईओडीसी पर पृष्ठांकित की जाएगी।

शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) स्कीम

4.53 नीति

शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार (डीएफआईए) स्कीम से सम्बन्धित नीति विदेश व्यापार नीति के अध्याय 4 में दी गई है ।

4.54 आवेदन-पत्र

(क) 'आयात निर्यात फार्म 4छ' में आवेदन, आवेदन पत्र में निर्धारित दस्तावेजों के साथ संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(ख) इस प्रक्रिया-पुस्तक के पैराग्राफ 4.26, 4.27, 4.28, 4.48, 4.49(ड.) और 4.49(च) तथा 4.52 के प्रावधान डीएफआईए स्कीम के लिए भी लागू होंगे।

(ग) निर्यात के पूरा होने और धनराशि की प्राप्ति के पश्चात् हस्तांतरणीय शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु अनुरोध संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को निर्यात की तारीख से बारह माह की अवधि के भीतर अथवा निर्यात संबंधी धनराशि के प्राप्त होने की तारीख से छः माह (अथवा आरबीआई द्वारा प्राप्ति हेतु अनुमत अतिरिक्त समय) के भीतर, जो भी बाद में हो, किया जा सकता है।

(घ) प्रकिया पुस्तक के पैरा 9.02 के अनुसार आवेदक फाइल सं. के सृजन की तारीख से 24 माह के बाद भी आवेदन कर सकता है।

4.55 खण्डित डीएफआईए हेतु सुविधा

हस्तांतरणीयता माँगने के अनुरोध पर प्रत्येक 10 लाख रु. के न्यूनतम लागत - बीमा - भाड़ा मूल्य और उसके गुणकों के अधीन डीएफआइए के अलग- अलग प्राधिकार भी जारी किए जा सकते हैं । प्रत्येक अलग-अलग प्राधिकार हेतु 1000/- रु0 का शुल्क अदा किया जाएगा। अलग-अलग डी एफ आई ए की अनुमति उसी पंजीकरण के पत्तन से होगी जोकि मूल डी एफ आई ए पर अंकित है ।

4.56 डीएफआईए स्कीम के तहत आयातित माल का पुनः निर्यात

(i) हस्तांतरणीय डीएफआईए के अधीन आयातित माल, जिसे खराब या उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, उसे राजस्व विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पुनः निर्यात किया जा सकता है। ऐसे मामलों में यदि ऐसे माल का आयात के बाद उपयोग नहीं किया गया है तो सम्बन्धित सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा डीएफआईए के अधीन डेबिट किए गए लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य क 95 प्रतिशत तक एक प्रमाणपत्र तैयार किया जाएगा जिसमें धनराशि और निर्यातित माल का विवरण और मूल डीएफआईए का ब्यौरा शामिल हो ।

(ii) प्रमाणपत्र के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा एक नया डीएफआईए जारी किया जाएगा। इस प्रकार जारी किया किया नया डीएफआईए में पंजीकरण का समान पत्तन होगा और वह ऐसे खराब/अनुपयुक्त सामान के आयात की तारीख को उपलब्ध शेष अवधि क समतुल्य अवधि के लिए वैध होगा ।

4.57 आयात और इसके उपयोग के उचित खातों का रख रखाव

मूल डीएफआईए धारक परिशिष्ट 4ज में यथा निर्धारित प्रत्येक प्राधिकार पत्र के अधीन शुल्क मुक्त आयातित/घरेलू स्रोतों से प्राप्त माल के उपयोग और खपत का सही और उचित लेखा जोखा रखेगा। इन रिकार्डों को बाण्ड से छूट/विमुक्ति/निर्यात दायित्व के निष्पादन/ हस्तान्तरणीयता के लिए अनुरोध सहित सम्बन्धित क्षेत्रीय प्राधिकारी को भेजना होगा। इन रिकार्डों को विमुक्ति की तिथि से कम से कम 3 वर्ष की अवधि तक सुरक्षित रखना होगा।

रत्न और आभूषण क्षेत्र

4.58 सामान्य प्रावधान

रत्न पुनःपूर्ति प्राधिकार पत्र और स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम के आभूषणों की स्कीम से संबंधित नीति विदेश व्यापार नीति में दी गई है। नामित एजेंसी प्रमाण पत्र सहित रत्न एवं आभूषण के लिए निर्यात संवर्धन स्कीम के संबंध में आवेदन परिशिष्ट-4क के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के पास किया जाएगा ।

4.59 पुनःपूर्ति प्राधिकार पत्र हेतु आवेदन

(क) पुनःपूर्ति प्राधिकार पत्र के लिए आनलाइन आवेदन परिशिष्ट-4ज के अनुसार किया जाएगा तथा संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के पास परिशिष्ट 4क के अनुसार उसमे निर्धारित दस्तावेजों को अपलोड किया जाएगा ।

(ख) आवेदन उस माह से छ माह के भीतर प्रस्तुत करना चाहिए जिस माह के दौरान निर्यात आय प्राप्त की गई है । माह के दौरान निर्यात से प्राप्त आय के लिए पूरे महीने के लिए समेकित आवेदन प्रस्तुत करना होगा ।

(ग) यदि पोतलदान बिलों की ईपी प्रति और सीमा शुल्क कार्यालय से अधिप्रमाणित बीजक नामित एजेंसियों को सौंप दिए जाते है, तो निर्यातक उसकी एक स्व प्रमाणित प्रति और नामित एजेंसी से यह प्रमाणित करते हुए एक प्रमाण पत्र सौंपेगा जिसमें जड़े हुए आभूषणों के मामले में जुड़ाव का कैरेट/मूल्य प्रमाणित किया गया हो।

(घ) जिस मामले में भुगतान अग्रिम रुप से प्राप्त हो गया है और निर्यात बाद में किया जाता है तो पुन:पूर्ति प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन, जिस महीने के दौरान निर्यात किया गया है उससे छः महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

(ड.) यह स्पष्ट किया जाता है कि अग्रिम भुगतान मामले में, जिस माह निर्यात किया गया है और निर्यात करने के बाद जिस माह निर्यात आय आंशिक रुप से या पूर्णरूप से प्राप्त की जाती है उस माह को पुन:पूर्ति प्राधिकार पत्र हेतु आवेदन पत्र दाखिल करने के प्रयोजन के लिए छः माह की अवधि में नहीं गिना जाएगा ।

4.60 छीजन मानदण्ड

स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम के आभूषणों तथा उससे बनी वस्तुओं के लिए अधिकतम छीजन या विनिर्माण हानि नीचे दी गई है:

क्रम सं.	**निर्यात की मदें**	**निर्यात मद में सोने/चांदी/प्लेटिनम के संदर्भ में छीजन का प्रतिशत**	
		सोना/प्लेटिनम	**चांदी**
क)	सोना और काले मनकों/बनावटी नगीना, घनाकार जिरकोनिया, हीरे, कीमती और अर्द्ध-कीमती नगीनों सहित मंगलसूत्र जैसे सहज आभूषण, वस्तुएं और आभूषण	2.5 %	3.2 %
ख)	जड़ित जेवर और उनकी वस्तुएं	5.0 %	5.0 %
ग)	स्वदेशी रूप से विनिर्मित (गैर-मैकेनाईज्ड प्रक्रिया द्वारा) माउटिंग्स एवं फाइनडिंग्स	2.5 %	3.2 %
घ)	एक पूर्ण रूप से मैकेनाईज्ड और गैर जड़ित प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित कोई आभूषण/वस्तुएं	0.9 %	0.9 %
ड.)	जड़ित आभूषण में प्रयुक्त माउटिंग्स, चाहे आयातित अथवा स्वदेशी रूप से प्राप्त/विनिर्मित हों	1.8 %	1.8 %
च)	सोने/चांदी/प्लेटिनम के पदक और सिक्के (वैध मुद्रा प्रकार के सिक्कों को छोड़कर)	0.2 %	0.2 %
छ)	मैकेनाईज्ड प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित फाइनडिंग्स और माउनटिंग्स	0.9 %	0.9 %

4.61 मूल्य संवर्धन

आभूषण निर्यात स्कीम के तहत मूल्य संवर्धन का परिकलन विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.38 के अनुसार किया जाएगा। न्यूनतम मूल्य संवर्धन निम्नानुसार होगाः

क्रम सं.	**निर्यात की मदें**	**न्यूनतम मूल्यवर्धन**
क)	सामान्य स्वर्ण/प्लेटिनम/चॉदी के आभूषण, संबंधित वस्तुएं और आभूषण जैसे मंगलसूत्र जिसमें जड़ित स्वरुप के आभूषण को छोड़कर सोने और काले मनके/बनावटी नगीने हों	3.5 %
ख)	जड़ित सोने/प्लेटिनम/चॉदी के सभी प्रकार के आभूषण और तत्संबंधी वस्तुएं	6.0% (रंगीन रत्न नगीनों के साथ जड़ित के लिए) और 7.0% (हीरों के साथ जड़ित के लिए)
ग)	एक पूर्ण रूप से मैकेनाईज्ड प्रक्रिया से विनिर्मित कोई आभूषण/वस्तुएं	2.0 %
घ)	सोने/चॉदी/प्लेटिनम के पदक और सिक्के (वैध मुद्रा प्रकार के सिक्कों को छोड़कर)	1.5 %
ड.)	मैकेनाईज्ड प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित सोने/चांदी/प्लेटिनम के फाइनडिंग्स/माउन्टिंग्स	2.5 %

4.62 हकदारी

इन धातुओं से बनायी गई वस्तुओं के निर्यात के प्रति स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम की मात्रा की हकदारी में अनुमत छीजन/विनिर्माण क्षति सहित निर्यात की मद में स्वर्ण/चादीं/प्लेटिनम की मात्रा होगी । जड़ित आभूषण के मामले मे कीमती धातु की मात्रा का आकलन जुड़ाव के भार को घटाकर किया जाएगा।

4.63 पारगमन में रत्न और आभूषण खो जाना

देश के बाहर निर्यातित रत्न और आभूषण मदों की खेप, जो निर्यात के बाद रास्ते में खो गए हैं तथा ऐसे निर्यातों के लिए जहाँ विदेशी मुद्रा प्राप्त हो चुकी हो अथवा बीमा दावा कर लिया गया हो, वे भी पुनःपूर्ति प्राधिकार पत्र के पात्र होंगे ।

4.64 रत्न और आभूषण पुनः पूर्ति प्राधिकार पत्र

(क) रत्न पुनःपूर्ति प्राधिकार पत्र, रत्न एवं आभूषण उत्पादों के निर्यात में प्रयुक्त बहुमूल्य पत्थरों, अर्ध-बहुमूल्य तथा सिन्थेटिक पत्थरों और मोतियों के आयात के लिए वैध होगा । इसके साथ-साथ यह प्राधिकार पत्र समग्र लागत बीमा भाड़ा मूल्य के भीतर प्राधिकार पत्र के मूल्य के 5% तक आभूषणों के खाली बक्सों के आयात के लिए भी वैध होगा। जड़ित स्वर्ण/चांदी/ प्लेटिनम आभूषणों/वस्तुओं के निर्यात के प्रति जारी रत्न पुनःपूर्ति प्राधिकार पत्र, समग्र लागत बीमा भाड़ा

मूल्य के भीतर प्राधिकार पत्र के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 10 प्रतिशत तक के पन्ना के अतिरिक्त कट और पालिश किए गए बहुमूल्य/अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के आयात के लिए भी वैध होगा ।

(ख) रत्न पुनःपूर्ति प्राधिकार पत्र परिशिष्ट–4च में निर्धारित पुनःपूर्ति दर के अनुसार जारी किया जाएगा तथा जड़े हुए आभूषण के मामले में शेष एफओबी मूल्य संबंधी पुनःपूर्ति का मानदंड परिशिष्ट–4छ के अनुसार हागा।

4.65 अभिकरण कमीशन

स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम आभूषण स्कीम का लाभ लेने वाले निर्यातक को आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अधीन अभिकरण कमीशन देने की अनुमति है। मूल्य संवर्धन का परिकलन अभिकरण कमीशन को घटा कर किया जाएगा ।

4.66 पोतलदान बिल और बीजक पर पृष्ठांकन

आभूषणों के निर्यात के समय,सीमाशुल्क प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए गए पोतलदान बिल और बीजक में मद का विवरण, इसकी शुद्धता, स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम अंश का भार, इस पर दावा किए गए छीजन, स्वर्ण/चाँदी/ प्लेटिनम अंश का कुल भार तथा दावा किए गए छीजन तथा स्वर्ण/चाँदी के लिए 0.995/0.999 शुद्धता और प्लेटिनम के लिए 0.9999 शुद्धता में इसकी समकक्ष मात्रा तथा इसका मूल्य, निर्यात का एफ ओ बी मूल्य, प्राप्त मूल्य परिवर्धन के ब्यौरे होने चाहिए । निर्यात के लिए इन प्रत्येक धातुओं से निर्मित सभी या कुछ मदों के संबंध में इस्तेमाल किए गए स्वर्ण/ चाँदी/प्लेटिनम की शुद्धता यदि वही है तो निर्यातक को स्वर्ण/ चाँदी/ प्लेटिनम का कुल भार और ऐसी ही मदों, जिनकी शुद्धता वही है, के अन्य ब्यौरे भी देने होंगे । जड़ित मदों के मामलों में, पोतलदान बिल में विनिर्माण में इस्तेमाल किए गए बहुमूल्य/अर्ध बहुमूल्य पत्थरों/हीरों/मोतियों का भार और मूल्य तथा स्वर्ण/चाँदी के मिश्रण में इस्तेमाल की गई किसी अन्य बहुमूल्य धातु का भार/मूल्य के ब्यौरे भी होने चाहिए ।

4.67 निर्यात की शर्तें

सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्यात की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि पोतलदान बिल और बीजक में पृष्ठांकन ठीक से किया गया हो तथा प्राप्त किया गया मूल्य संवर्धन विदेश व्यापार नीति में निर्धारित मूल्य संवर्धन से कम न हो ।

4.68 निर्यात का प्रमाण

(क) निर्यातक को जहां कहीं अपेक्षित हो, निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करके स्वर्ण/ चाँदी/प्लेटिनम आभूषणों और इसकी वस्तुओं के निर्यात का प्रमाण देना होगा :-

(i) पोतलदान बिल की ई पी प्रति,
(ii) जीएसटी नियमावली के तहत यथा निर्धारित निर्यात/आपूर्तियों के लिए सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा सत्यापित कर बीजक,
(iii) परिशिष्ट 2प में दिए गए प्रपत्र में वसूली का बैंक प्रमाण पत्र/ई–बोआरसी

(ख) विदेशी क्रेता द्वारा आभूषणों के व्यक्तिगत सामान के मामले में निर्यात हकदारियों का दावा करने के लिए निर्यात के सबूत के तौर पर निर्यातक/विक्रेता को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें:-

(i) भारतीय विक्रेता द्वारा प्रस्तुत किए गए पोतलदान बिल की प्रति

(ii) विदेशी क्रेता के आगमन के समय सीमाशुल्क कार्यालय को उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए मुद्रा घोषणा प्रपत्र की एक प्रति ; और

(iii) बैंक से विदेशी मुद्रा नकदी प्रमाणपत्र।

(ग) इसके अलावा, स्वीकृति के प्रति दस्तावेज (डी ए)/सुपुर्दगी पर नकद (सीओडी) आधार पर व्यक्तिगत सामान की भी अनुमति है । निर्यात हकदारी का दावा करने हेतु निर्यातक को निर्यात के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत करने होंगेः
(i) भारतीय विक्रेता द्वारा प्रस्तुत किए गए पोतलदान बिल की प्रति; और
(ii) निर्यात और विदेशी मुद्रा प्राप्ति का बैंक प्रमाणपत्र/ई–बोआरसी

(घ) इस संबंध में सीमाशुल्क विभाग द्वारा जारी निर्देशों का आवश्यक परिवर्तनों सहित अनुपालन किया जाना चाहिए।

4.69 शुद्धता/परिशुद्धता का परिवर्तन

परिशुद्धता के रुप में समतुल्य मात्रा के अनुसार स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम की मात्रा के परिवर्तन के लिए निम्नलिखित फार्मूला अपनाया जाएगा :-

(i) जहां स्वर्ण वस्तुओं का कैरेट में निर्यात किया गया है, वहाँ स्वर्ण की मात्रा को निर्यातित स्वर्ण के कैरेट की संख्या से गुणा, 24 से भाग किया जाएगा और इसके बाद पुनः 0.995/ 0.999/0.900 से भाग किया जाएगा ताकि क्रमशः 0.995/ 0.999/0.900 की परिशुद्धता के रुप में स्वर्ण की समकक्ष मात्रा तक पहुँचा जा सके, और

(ii) जहां कहीं निर्यात की वस्तु की शुद्धता, परिशुद्धता के रुप में व्यक्त की गई है, वहां स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम की मात्रा को निर्यातित स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम की परिशुद्धता द्वारा गुणा किया जाएगा और इसके पश्चात 0.995/0.999/0.900 से भाग किया जाएगा ताकि स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम की क्रमशः 0.995/ 0.999/0.900 परिशुद्धता की बराबर मात्रा तक पहुँचा जा सके।

4.70 नामित अभिकरणों द्वारा स्वर्ण/चाँदी/ प्लेटिनम जारी करना।

नामित अभिकरणों/भारतीय रिजर्व बैंक के प्राधिकृत बैंकों द्वारा आभूषणों के निर्यातक को स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम केवल 10 ग्राम या स्वर्ण के संबंध में दस तोला छड़ों के गुणकों में जारी किया जाएगा। तथापि, निर्यातकों को चाँदी केवल 1 किग्रा गुणकों में जारी की जाएगी। स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम का कोई भी शेष, निर्यातक को उसकी भावी हकदारी सहित उपलब्ध रहेगा । नामित अभिकरणों द्वारा स्वर्ण/चाँदी 0.995 परिशुद्धता में और प्लेटिनम 0.900 या इससे अधिक परिशुद्धता में जारी की जाएगी।

4.71 भुगतान की शर्तें

स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम आभूषणों और इसकी वस्तुओं का निर्यात अपरिवर्तनीय साख-पत्र के अधीन, सुपुर्दगी पर नकद भुगतान के आधार पर, स्वीकृति के प्रति दस्तावेज (डीए) आधार पर या विदेशी मुद्रा में अग्रिम भुगतान अथवा निर्यातित आभूषण/वस्तुओं में स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम अंश की प्रतिपूर्ति के आधार पर होगा ।

4.72 निर्यात का पत्तन

स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम आभूषणों और इसकी वस्तुओं संबंधी स्कीमों के अधीन निर्यात की अनुमति मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, बंगलौर, कोच्चि, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, डेबोलिन एअरपोर्ट, गोवा, हैदराबाद और सूरत (सूरत हीरा बोर्स) स्थित सीमाशुल्क सदनों के जरिए वायु भाड़े और विदेशी डाकघर द्वारा दी जाएगी । प्रति खेप 20 लाख रुपए मूल्य के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य तक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि, कोयम्बटूर, दिल्ली, जयपुर, बंगलौर, अहमदाबाद और हैदराबाद स्थित सीमा-शुल्क सदनों के माध्यम से कूरियर द्वारा भी निर्यात अनुमत होगा।

4.73 डाक द्वारा निर्यात

डाक द्वारा रत्न और आभूषण पार्सल के निर्यात की नीति विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.48 दी गयी है । निर्यात के समय, निर्यातक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :-

(i) विदेशी डाकघर में प्रस्तुत किया गया जीएसटी नियमावली के तहत यथा निर्धारित निर्यात/आपूर्तियों के लिए पोतलदान बिल या कर बीजक,

(ii) नामित अभिकरणों से प्रमाण पत्र जिसमें वह मूल्य दर्शाया गया हो जिस पर स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम बुक किया गया था या तुरन्त बिक्री आधार पर या ऋण के आधार पर दिया गया था।

(iii) जीएसटी नियमावली के तहत यथा निर्धारित निर्यात/आपूर्तियों के लिए कर बीजक की तीन प्रतियाँ ।

4.74 प्रमाणन/ग्रेडिंग और पुनःआयात हेतु कटिंग और पॉलिश किए गए हीरों का निर्यात

0.25 और इससे अधिक कैरेट के हीरों के प्रमाणन/ग्रेडिंग के लिए निम्नलिखित अधिकृत प्रयोगशालाएं हैं:

(1) इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंरटीट्यूट (आईजी)-हाँगकाँग।

(2) अमेरिकन जेम सोसाइटी लैबोरेट्रीज (एजीएस लैबोरट्रीज), 8917 वेस्ट सहारा एवेन्यू, लास वेगास, नीवाडा 89117;

(3) सेन्ट्रल जेम लैबोरेटरी मियागी बिल्डिंग, 5-15-14 यूनो टेटोकू, टोक्यो, जापान;

(4) डायमण्ड ट्रेडिंग कम्पनी, मेडनहेड, यूके;

(5) यूरोपीयन जेमोलॉजिकल लैबोरटरी (ईजीएल), यूएसए;

(6) जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका (जीआईए), यूएसए;

(7) होज रोड वुअर डायमण्ड, एंटवर्प, (एचआरडी);

(8) इंटरनेशनल डायमण्ड लैबोरेट्रीज डीएमसीसी, दुबई;

(9) द् रॉबर्ट मुआवैड कैम्पस, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट (आईजीआई) यूएसए;

(10) वर्ल्ड डायमण्ड सेंटर ऑफ डायमण्ड्स हाई काउंसिल, एंटवर्प, बेल्जियम;
(11) जीआईए हाँगकाँग लैबोरेटरी लि0, हाँगकाँग;
(12) जेमोलॉजिकल रिसर्च (थाईलैंड) क0लि, बैंकॉक;
(13) जीआईए एज़्केशन एंड लैबोरेटरी (प्रा0) लि0, जोहानेसबर्ग;
(14) जीआईए एजुकेशन एंड लैबोरेटरी, गोबोरोन (बोत्सवाना);
(15) फोरवरमार्क एनवी, एंटवर्प, बेल्जियम;
(16) इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट (आईजी)-एंटवर्प, बेल्जियम;

4.75 प्रमाणन/ग्रेडिंग और पुनःनिर्यात के लिए हीरों का आयात

(क) विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.42 में इस सुविधा का उल्लेख किया गया है। हीरों के आयात के समय प्रविष्टि बिल में हीरों का माप/विशिष्टियों सहित विस्तृत विवरण होगा । ग्रेडिंग/ प्रमाणन के बाद पुनःनिर्यात के समय, जहाँ तक हीरों के माप और अन्य विशिष्टियों/ब्यौरों का संबंध है, प्रविष्टि बिल का ब्यौरा पोत लदान बिल में पृष्ठांकित होना चाहिए, ताकि आयातित हीरों और पुनः निर्यात किए जाने वाले हीरों के मध्य एक स्पष्ट सहसंबंध स्थापित किया जा सके । इसके अतिरिक्त, पोत लदान के समय पोत लदान बिल सहित जी आई ए (अथवा किसी अन्य अनुमोदित एजेन्सी) के साथ एक अलग स्वप्रमाणित प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा ताकि आयात को दस्तावेजों तथा जी आई ए (अथवा किसी अन्य अनुमोदित एजेन्सी) प्रमाणपत्र के अनुसार निर्यातों के बराबर किया जा सके ।

(ख) ऐसे सभी मामलों में, जी आई ए (अथवा इस संबंध में अनुमोदित कोई अन्य एजेन्सी) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई गई प्रक्रिया के अनुसार जी आर छूट प्राप्त करेगी ।

(ग) आयातित हीरों का पुनःनिर्यात, आयात (आयातों) की तारीख से 3 माह की अधिकतम समयावधि के भीतर पूरा करना होगा । आयात के समय एजेन्सी इस बारे में सीमाशुल्क कार्यालय को वचनबद्धता प्रस्तुत करेगी । जीआईए (अथवा इस संबंध में अनुमोदित कोई अन्य एजेन्सी) आगामी तिमाही अवधि के अन्त में, माह की 25 तारीख तक, आयात के पत्तन पर, सीमाशुल्क प्राधिकारी को एक तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, ताकि निर्धारित समयावधि के भीतर निर्यात सुनिश्चित किया जा सके ।

4.76 0.25 और इससे अधिक कैरेट के हीरों के प्रमाणन/ग्रेडिंग के लिए प्रयोगशालाओं का सूचीकरण/प्राधिकार-पत्र

प्रयोगशालाओं के सूचीकरण हेतु आवेदन निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए आवेदन की जांच करने हेतु रत्न और आभूषण संवर्धन परिषद् (जीजेईपीसी) के पास प्रस्तुत किए जाने चाहिए। जीजेईपीसी प्रामाणिक आवेदकों के सत्यापन के पश्चात् अपनी स्पष्ट सिफारिश के डीजीएफटी के सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन के लिए आवेदन अग्रेषित करेगा। डीजीएफटी द्वारा सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन के पश्चात् जीजेईपीसी प्रयोगशाला के लिए अपेक्षित उपकरणों, तकनीकी मानव शक्ति और अन्य अवसंरचना की उपलब्धता के सत्यापन हेतु सुविधा का निरीक्षण करेगा जिससे कि यह 0.25 और इससे अधिक कैरेट के हीरों के प्रमाणन/ग्रेडिंग के लिए अधिकृत प्रयोगशाला के रूप में कार्य कर सके। जीजेईपीसी की निरीक्षण रिपोर्ट और सिफारिशों के आधार पर संबंधित प्रयोगशाला को एफटीपी के पैरा 4.42, अथवा 4.43, जैसा भी मामला हो, में शामिल करने हेतु विचार किया जाएगा।

4.77 विदेशी क्रेता द्वारा आपूर्तियों के मद्दे निर्यात

(क) विदेशी क्रेता द्वारा की गई आपूर्ति के प्रत्येक आयात खेप की निकासी से पहले, नामित अभिकरण/स्तर धारक, जिसके पास नामित एजेंसी प्रमाणपत्र हो/**पात्र निर्यातक**, इस आशय का एक बॉण्ड सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास निष्पादित करेगा कि वह करार में निर्धारित अवधि के भीतर ग्राह्य अपशिष्ट को छोड़कर स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम, माउंटिग और फाइंडिंग आदि के सम्पूर्ण आयात के बराबर स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम के आभूषणों या वस्तुओं का निर्यात करेगा।

(ख) स्तर धारक/निर्यातक को सोना/चांदी/प्लेटिनम, मिश्रधातु, सोना/चाँदी/प्लेटिनम की फाइंडिंग्स और माऊंटिंग्स और सादा अर्द्ध निर्मित सोना/चाँदी/प्लेटिनम आभूषणों को प्रत्यक्ष आपूर्ति के मामले में, स्तरधारक/निर्यातक आयातित सोना/चाँदी/प्लेटिनम, मिश्रधातु, सोना/चाँदी/प्लेटिनम की फाइंडिंगस और माऊंटिंग्स और सादा अर्ध निर्मित सोना/चाँदी/प्लेटिनम आभूषणों आदि पर लगने वाले मूल सीमा शुल्क के नियम और विनियमनों के अनुसार बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता, सीमा शुल्क विभाग के पास जमा करानी होगी। सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 3(7) और 3(9) के तहत लगने वाले एकीकृत माल और सेवा कर और मुआवजा उपकर आयात पर अलग से देय होगा।

(ग) सीमा शुल्क विभाग के पास निष्पादित बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी। स्तर-धारक/निर्यातक को प्रत्यक्ष आपूर्ति के संबंध में, निर्यात 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए । निर्यात दायित्व को पूरा न करने/निर्धारित मूल्य संवर्धन प्राप्त न करने की स्थिति में सीमा शुल्क प्राधिकारी, राजस्व विभाग द्वारा यथा अधिसूचित, सीमा शुल्क और ब्याज की वसूली कर सकता है जिसमें बैंक गारंटी/ विधिक वचनबद्धता को लागू करना भी सम्मिलित है। इसके अलावा, आयातक सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई का भी भागी हो सकता है।

4.78 निर्यात प्रक्रिया/सीमाशुल्क का भुगतान

(क) नामित अभिकरण/स्तर धारक जिसके पास नामित एजेंसी प्रमाण पत्र हो/निर्यातक को उस मात्रा पर लगने वाला सीमाशुल्क देना होगा जिसके बारे में यह साबित हो गया है कि निर्यात नहीं किया गया है ।

(ख) सीमाशुल्क प्राधिकारी के जरिए नामित अभिकरण/स्तर धारक जिसके पास नामित एजेंसी प्रमाण पत्र हो/ निर्यातक द्वारा माल की निकासी की जाएगी । उन मामलों में भी जहाँ सहायक कम्पनियों द्वारा निर्यात आदेश प्राप्त किया गया है, नामित अभिकरण द्वारा सीमाशुल्क विभाग के जरिए ही माल निकासी करायी जाएगी, न कि सहायक द्वारा। ऐसे मामलों में, सहायक कम्पनी, नामित अभिकरण को प्रविष्टि का बिल और पोतलदान बिल प्रस्तुत करने के लिए अपने एजेंट के रुप में प्राधिकृत करेगी।

(ग) निर्यात के समय, सीमाशुल्क प्राधिकारी को प्रस्तुत किए गए पोतलदान बिल में निम्नलिखित ब्यौरे भी होने चाहिए :-

(i) सहायक/स्तर धारक जिसके पास नामित एजेंसी प्रमाण पत्र हो/निर्यातक का नाम और पता;

(ii) नामित एजेन्सी/स्तर धारक, जिसके पास नामित एजेंसी प्रमाण पत्र हो, द्वारा स्वीकृति पत्र कि सम्बद्ध सहायक कम्पनी द्वारा प्राप्त आदेश के मद्दे निर्यात किया गया है, नामित एजेन्सी के पास इसके पंजीकरण की तिथि। स्तर धारक, जिसके पास नामित एजेंसी प्रमाण पत्र हो/ निर्यातक द्वारा निर्यातों के मामले में, इस संबंध में स्व घोषणापत्र दिया जाएगा;

(iii) सीमाशुल्क सदन का नाम जिसके माध्यम से सोना/चाँदी/प्लेटिनम/सादा अर्ध–निर्मित सोना/ चाँदी/प्लेटिनम आभूषण का आयात किया गया है और प्रविष्टि बिल संख्या एवं तारीख तथा आयात की तारीख।

(घ) प्रत्येक पोतलदान बिल निर्यात हेतु केवल उस सीमा शुल्क सदन के माध्यम से वैध होगा जहाँ संबंधित नामित अभिकरण/स्तरधारक, जिसके पास नामित एजेंसी प्रमाण पत्र हो/निर्यातक का कार्यालय स्थित है। यदि निर्यात नामित अभिकरण के जरिए किया गया है तो यह पोत लदान हेतु 7 दिन की अवधि के लिए वैध होगा जिसमें वह तारीख भी शामिल है जिस दिन नामित अभिकरण द्वारा पृष्ठांकन किया गया था । यदि निर्यात इस समयावधि में नहीं किया जाता है, तो निर्यातक एक नया पोत लदान बिल दाखिल करेगा।

(ड.) निर्यात के समय निर्यातक निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगाः-

(i) सीमाशुल्क सदन जिसके माध्यम से स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम/ सादा अर्द्ध-निर्मित सोना/चाँदी/ प्लेटिनम आभूषण का तदनुरुप आयात हुआ है, को छोड़कर सीमाशुल्क सदन जहां निर्यात किया गया है, के पोतलदान बिल की दो अतिरिक्त प्रतियों सहित। अन्य मामलों में, पोतलदान बिल की एक अतिरिक्त प्रति;

(ii) माल और सेवा कर नियमों के तहत यथा निर्धारित निर्यात/आपूर्तियों के लिए कर बीजक की तीन प्रतियाँ;

(iii) विदेशी खरीदारों द्वारा भेजी गई मदों की मात्रा और मूल्य को इंगित करने वाला नामित एजेन्सी का प्रमाण पत्र।

(च) सीमाशुल्क प्राधिकरण पोतलदान बिल और सम्बद्ध बीजक की विधिवत सत्यापित दो प्रतियाँ वापिस लौटाएगा । एक प्रति उस व्यक्ति को भेजी जाएगी जिसने दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं और दूसरी प्रति सीमाशुल्क प्राधिकरण द्वारा नामित एजेन्सी/स्तर धारक/ निर्यातक के कार्यालय को भेजी जाएगी ।

(छ) नामित अभिकरण के जरिए निर्यात के मामले में निर्यातक, निर्यात की तिथि से 15 दिन के भीतर उस नामित एजेन्सी को जिसने निर्यात किया है, को निर्यात का प्रमाण प्रस्तुत करेगा जो दस्तावेजों की जाँच करने के पश्चात निर्यातक को स्वर्ण/ चाँदी/प्लेटिनम इत्यादि की अनुमत मात्रा जारी करेगा ।

(ज) उन मदों की अन्तरराष्ट्रीय कीमत में उन पर लगने वाले सीमाशुल्क को जोड़कर उसके बराबर राशि की बैंक गारंटी/विधिक बचनबद्धता प्रस्तुत करके निर्यातक अग्रिम रुप से विदेशी क्रेता द्वारा आपूर्तित स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम इत्यादि को प्राप्त कर सकते हैं । सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 3(7) और 3(9) के तहत लगने वाला एकीकृत माल और सेवा कर और मुआवजा उपकर आयात पर अलग से देय होगा। बैंक गारन्टी/विधिक वचनबद्धता की राशि तभी वापिस की जाएगी जब निर्यातक नामित एजेन्सी को निर्यात का सबूत प्रस्तुत करेगा तथा निर्यात उत्पाद में मदों की अग्रिम आपूर्ति के उपयोग को ध्यान में रखा जाएगा।

(झ) सीमाशुल्क कार्यालय के पास निष्पादित बाँड/बैंक गारण्टी/विधिक बचन बद्धता को छुड़ाने के लिए नामित अभिकरण/स्तर धारक, जिसके पास नामित एजेंसी प्रमाण पत्र हो/निर्यातक, विदेशी खरीदार द्वारा आपूर्तित मदों की मात्रा और मूल्य, तदनुरुप आगम बिल संख्या और तिथि, तदनुरुप किए गए निर्यात संबंधी प्रत्येक शिपिंग बिल की संख्या के ब्यौरे प्रस्तुत करेगा।

4.79 खातों का रखरखाव

नामित अभिकरण/स्तर धारक, जिसके पास नामित एजेंसी प्रमाण पत्र हो, प्रत्येक निर्यात आदेश के निष्पादन के लिए आयातित सोना, चॉदी, प्लैटिनम, माउटिंग्स, फाइडिंग्स, सादा अर्द्ध निर्मित सोना/चाँदी/प्लेटिनम आभूषण इत्यादि, किए गए निर्यात और ऐसे निर्यात के लिए जारी सोना/चाँदी/प्लैटिनम, माउटिंग्स, फाइंडिंग्स इत्यादि का प्रेषण वार पूर्ण लेखा-जोखा रखेगा। इस लेखा जोखा का रख-रखाव निर्यात की तिथि से कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए रखा जाएगा।

4.80 प्रदर्शनियों के जरिए निर्यात/निर्यात संवर्धन दौर/ब्राण्डेड आभूषण के निर्यात

(क) नामित अभिकरण सीमाशुल्क प्राधिकारी के पत्र की मूल प्रति या इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि जिसमें प्रदर्शनी लगाने/ब्राण्डेड आभूषण के निर्यात के लिए सरकारी अनुमोदन हो, प्रस्तुत करेगा । अन्य कोई व्यक्ति सहायक सीमाशुल्क आयुक्त को पत्र की मूल प्रति या इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि जिसम प्रदर्शनी लगाने/निर्यात संवर्धन दौरे/ब्रान्डेड आभूषण के निर्यात के लिए विनिर्दिष्ट जी जे ई पी सी के अनुमोदन हो, प्रस्तुत करेगा।

(ख) पुनः आयात के मामले में, ऐसी मदों के पहुँचने पर निकासी से पहले निर्यात दस्तावेजों के साथ जाँच की जाएगी ।

(ग) निर्यात के निम्नलिखित तरीकों के लिए इस योजना के अन्तर्गत निर्यात निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगाः-

(i) विदेशी प्रदर्शनी में आयोजित/भाग लेने के लिए रत्नों और आभूषणों का निर्यात ।

(क) विदेशों में न बेची गई मदों का प्रदर्शनी के बन्द होने के 60 दिनों के भीतर पुनः आयात किया जाएगा । तथापि यदि निर्यातक पहली प्रदर्शनी के बन्द होने के 45 दिनों के भीतर एक से अधिक प्रदर्शनी में भाग ले रहा है तो दूसरी प्रदर्शनी के बन्द होने की तारीख से 60 दिन गिने जाएंगे। यदि प्रदर्शनी संयुक्त राज्य अमेरिका में होगी, तो ऊपर उल्लिखित समयावधि 60 दिनों के स्थान पर 90 दिन की होगी । विदेश की प्रदर्शनी में आयोजन/भाग लेने के लिए रत्न और आभूषण के व्यक्तिगत सामान के मामले में, ऐसे रत्न और आभूषण का मूल्य 5 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक नहीं होगा । ऐसी प्रदर्शनियों में बेची गई मदों पर सोना/चांदी/प्लेटिनम अंश पुनःपूर्ति के रुप में आयात किए जा सकते हैं ।

(ख) निर्यातक को प्रदर्शनी में विदेश में बेचे गए माल के पुनःपूर्ति अंश के प्रयोजन के लिए सोना/चांदी/प्लैटिनम प्रदर्शनी के बन्द होने की तारीख से 120 दिनों के भीतर नामित

एजेंसी से पुनःपूर्ति ले सकता है।

(घ) विदेशों के निर्यात सवंर्धन दौरे/छायाचित्र प्रदर्शनियों/फैशन प्रदर्शनी हेतु वायु भाड़े/पोस्ट पार्सल मार्ग के जरिए रत्न और आभूषणों को व्यक्तिगत रुप से ले जाना या निर्यात एक मिलियन अमरीकी डालर तक सोना/चांदी/प्लेटिनम आभूषण, कटे और पॉलिश्ड हीरे, कीमती, अर्द्ध-कीमती पत्थर, मोती और नमूनों को व्यक्तिगत रुप से ले जाना/वायु भाड़े/पोस्ट पार्सल मार्ग के जरिए निर्यात के रुप में वस्तुएँ निर्यात संवर्धन दौरे/फोटो प्रदर्शिनी/फैशन प्रदर्शनी और अस्थायी डिस्पले/ विदेश में बिक्री के लिए भी रत्न और आभूषण निर्यात संर्वधन परिषद् के अनुमोदन के साथ अनुमति है बशर्ते कि प्रोमोटर सामान्य बैंकिंग चैनल के जरिए प्रस्थान की तारीख से 45 दिनों के भीतर आभूषण/ सामान या बिक्री से प्राप्त आय को वापिस लाएगा । निर्यात सवंर्धन दौरों के लिए व्यक्तिगत सामान के मामले में, निर्यातक, देश को छोडते समय सीमाशुल्क प्राधिकारी को ऐसे नमूनों को व्यक्तिगत सामान के रुप में घोषित करेगा और सीमाशुल्क के आभूषण मूल्यांकन कर्त्ता द्वारा जारी निर्यात प्रमाणपत्र पर आवश्यक पृष्ठांकन प्राप्त करेगा। ऐसे मामलों में, निर्यातक निर्यात संवर्धन दौरे के बाद 120 दिनों के भीतर या 45 दिनों की निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, जो भी पहले हो, सोना/चांदी/प्लेटिनम विदेश में बेची गई मदों के प्रति पुनःपूर्ति अंश के प्रयोजन के लिए नामित एजेंसी के साथ बुक करेगा।

(ड.) **ब्रान्डेड आभूषण का निर्यात**

(i) ब्रान्डेड आभूषण का निर्यात भी विदेशों में स्थापित अनुमत दुकानों या उनके वितरकों/ एजेन्टों के शोरुम में डिस्प्ले/ ब्रिकी के लिए रत्न एवं आभूषण निर्यात संर्वधन परिषद् के अनुमोदन से अनुमत है । 365 दिनों के भीतर विदेश में न बेची गई मदें पुनः आयात की जाएंगी। विदेशों में बेची गई मदों के प्रति पुनःपूर्ति अंश के उद्देश्य हेतु स्वर्ण/चांदी/ प्लेटिनम को 365 दिनों की निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद निर्यातक 120 दिनों के भीतर नामित एजेन्सी को बुक करेगा।

(ii) ऐसी पुनःपूर्ति के दावे के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएगें:

(i) सीमाशुल्क कार्यालय द्वारा सत्यापित बीजक;
(ii) सरकार/जीजेईपीसी द्वारा जारी अनुमोदन पत्र की प्रति।
(iii) परिशिष्ट-4ण में दिए गए नामित अभिकरण/जी जे ई पी सी से प्रमाणपत्र।

नामित अभिकरणों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों के मामले में,नामित अभिकरणों द्वारा प्रदर्शनी समाप्त होने की तारीख से 60 दिन के भीतर पुनःपूर्ति के रुप में स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम का आयात किया जाएगा।

(च) नामित अभिकरण किए गए निर्यात, विदेश में बेची गई वस्तुओं, वस्तुओं के पुनः आयात और विदेश में खरीदी गई और भारत में आयातित धातुओं का पूरा लेखा-जोखा रखेगा । ऐसा लेखा जोखा प्रदर्शनी समाप्त होने की तारीख से कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए रखा जाएगा।

4.81 नामित अभिकरणों द्वारा आपूर्ति के तहत निर्यात

निर्यातक निम्नलिखित आधार पर स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम को प्राप्त कर सकता है :-

(i) निर्यात पूरा करने के पश्चात पुनःपूर्ति के आधार पर,
(ii) अग्रिम रुप से तत्काल खरीद आधार पर,
(iii) ऋण आधार पर।

4.82 पुनःपूर्ति आधार

(क) निर्यातक बहुमूल्य धातु स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम की बुकिंग के लिए नामित अभिकरण/स्तर धारक, जिसके पास नामित एजेंसी प्रमाणपत्र हो, को आवेदन कर सकता है । नामित अभिकरण के पास बुक बहुमूल्य धातु की मात्रा निर्यात उत्पाद में बहुमूल्य धातु के अंश और स्वीकार्य अपशिष्ट के बराबर होनी चाहिए ।

(ख) आवेदक बुकिंग के समय बहुमूल्य धातु के अनुमानित मूल्य का कम से कम 20% बयाना राशि जमा करेगा जिसे वास्तविक बिक्री के समय समायोजित कर लिया जाएगा ।

(ग) बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र के आधार पर निर्यातक, आभूषण अनुमान आधार पर निर्यात करेंगे । निर्यातक क्रेता के क्रेडिट शर्तों के अन्दर मूल्य निर्धारित करेगा तथा उसकी आय नियत समय अथवा 180 दिन, जो भी पहले हो, प्राप्त करे। निर्यातक जो प्रतिपूर्ति स्कीम के अन्तर्गत अनुमान आधार पर निर्यात कर रहे है, वो उसी दर पर तथा उसी मात्रा के बराबर नामित ऐजेंसी से सोना बुक कर सकते हैं जो उन्होंने क्रेता के साथ बुक किया है। नामित अभिकरण निर्यातक की ओर से निर्धारित दर पर बहुमूल्य धातु खरीदेंगे और इसके पश्चात निर्यातक क्रम संख्या वाला एक खरीद प्रमाण पत्र जारी करेंगे जिसमें स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम की मात्रा तथा लागत बीमा भाड़ा मूल्य डालर में निर्दिष्ट होगा, साथ ही रुपये में भी मूल्य दर्शाया जाएगा। मूल्य वह वास्तविक मूल्य होगा जिस पर नामित अभिकरणों द्वारा स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम खरीदा गया है और इसमें नामित अभिकरणों द्वारा मूल्य परिवर्धन के प्रयोजन के लिए स्वर्ण/ चाँदी/प्लेटिनम के मूल्य पर लगाया गया अनुमत सेवा प्रभार शामिल होगा । नामित एजेंसियों द्वारा निर्यातक हेतु क्रय प्रमाणपत्र की प्रतियों सहित निर्यातक के आवेदन की दूसरी और तीसरी प्रतियाँ संबंधित सीमाशुल्क सदन को तथा लेन देन करने वाली बैंक को भेजी जाएंगी जो सोने के क्रय की पुष्टि करेगी। निर्यातक जो अनुमानित दर पर निर्यात कर रहे हैं वे पुनःपूर्ति तभी लेगें जब आय प्राप्त हो जाएगी ।

(घ) बुकिंग की तारीख से 120 दिन की अवधि के भीतर निर्यात किया जाएगा और बुकिंग की तारीख से 150 दिन की अवधि के भीतर या निर्यात की तारीख से 30 दिन के भीतर, जो भी बाद में हो, बहुमूल्य धातु को निकाला जाएगा ।

4.83 अग्रिम रुप से पूर्णतया खरीद आधार पर

(क) निर्यातक पूर्णतया खरीद आधार पर अग्रिम तौर पर बहुमूल्य धातु की आवश्यक मात्रा प्राप्त कर सकता है बशर्ते कि नामित अभिकरण द्वारा निर्धारित राशि हेतु नामित अभिकरणों को बैंक गांरटी/विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत की गई हो । निर्धारित अवधि के भीतर निर्यात करने में असफल रहने पर नामित अभिकरण बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता, जैसा भी मामला हो, को लागू करेंगे।

(ख) बहुमूल्य धातु की पूर्णरूप से खरीद की तारीख से 90 दिन की अधिकतम अवधि के भीतर निर्यात किया जाएगा ।

4.84 ऋण आधार पर

(क) निर्यातक ऋण आधार पर बहुमूल्य धातु की आवश्यक मात्रा प्राप्त कर सकता है बशर्ते नामित अभिकरण द्वारा निर्धारित राशि हेतु नामित अभिकरणों को सीमा शुल्क हेतु बैंक गारंटी/ विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत की गई हो । सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 3(7) और 3(9) के तहत लगाए जाने योग्य एकीकृत माल और सेवा कर तथा मुआवजा उपकर आयात पर अलग देय होगा। निर्धारित अवधि के भीतर निर्यात करने में असफल रहने पर नामित अभिकरण बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता को लागू करेंगे।

(ख) निर्यातक को ऋण के आधार पर लिए गए स्वर्ण पर यथानिर्दिष्ट दर से राजस्व विभाग द्वारा यथा अधिसूचित ब्याज देना होगा ।

(ग) ऋण आधार पर प्राप्त सोने के रिलीज होने के 90 दिन के अधिकतम अवधि के अन्दर निर्यात पूर्ण करना है । निर्यात दायित्व की पूर्ति हेतु अवधि बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(घ) (i) निर्यातक को नामित अभिकरणों/रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) द्वारा जारी किए गए अनुमानित दर प्रमाणपत्र के आधार पर आभूषण निर्यात की स्वीकृति दी जाएगी । यह दर मौजूदा स्वर्ण/अमेरिकी डालर दर तथा अमेरिकी/भारतीय रुपया दर अनुमानित दर प्रमाण पत्र के आधार पर होगी। नामित एजेसिंयों/जीजेईपीसी द्वारा जारी प्रमाण पत्र पोतलदान की तारीख से 7 कार्य दिवसों से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए ।

(ii) खरीदार और नामित अभिकरणों के साथ निर्धारित की गई दर पर मूल्य संवर्धन को प्राप्त करना होगा ।

(iii) निर्यात की तिथि से 180 दिनों के अन्दर निर्यातकों को मूल्य निर्धारण करने और स्वर्ण ऋण की वापसी की छूट होगी। इस मूल्य के बारे में नामजद अभिकरणों को सूचित किया जाएगा जो दस्तावेजों पर कार्रवाई करने वाले बैंकों को दर की अन्तिम पुष्टि दर्शाने वाला एक प्रमाण पत्र जारी करेगा ताकि इस दर पर निर्यात आय को सुनिश्चित किया जाएगा ।

(ड.) नामित एजेन्सी निर्यातक के ईईएफसी खाते से बहुमूल्य धातु के आयात की लागत का डालर में भुगतान स्वीकार कर सकती है।

4.85 अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत निर्यात

(क) मूल्य संवर्धन मानदंड, निर्यात दायित्व अवधि और चूक के विनियमन को छोड़कर इस प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 4 के अधीन अग्रिम प्राधिकार पत्र के लिए लागू प्रक्रिया इस स्कीम हेतु भी लागू होगी । इस प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 4.61 के अनुसार रत्न और आभूषण मदों का मूल्य संवर्धन होगा ।

(ख) निर्यात दायित्व को प्राधिकार पत्र के तहत प्रत्येक खेप के आयात की तारीख से 120 दिन के भीतर पूरा करना होगा। तथापि, निर्यात दायित्व अवधि स्वर्ण, प्लेटिनम और चांदी के बने हुए फाइंन्डिग, माउंन्टिग के आयात और आभूषणों के निर्यात होने की तारीख से 180 दिन के भीतर होगी। इसके पश्चात निर्यात दायित्व अवधि में वृद्धि की अनुमति नहीं होगी । अग्रिम प्राधिकार पत्र निर्यात पूरा होने के पश्चात पुन:पूर्ति के रुप में स्वर्ण का आयात कर सकता है।

(ग) अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक सीधे आयात के बदले नामित अभिकरणों से स्वर्ण/चाँदी/ प्लेटिनम को प्राप्त कर सकता है । ऐसे मामले में, नामित अभिकरणों द्वारा स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम की आपूर्ति की तिथि से 90 दिनों के भीतर निर्यात दायित्व पूरा किया जाना आवश्यक होगा और नामित अभिकरण प्राधिकार पत्र की विनिमय नियंत्रण प्रति और सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति दोनों सीधे आयात के लिए अवैध कर देगा ।

4.86 वास्तविक चूक का विनियमन

निर्यातक द्वारा निर्यात दायित्व को पूरा करने में वास्तविक चूक के मामलों में, उन बहुमूल्य धातुओं को जिन्हें उसने नामित अभिकरणों से प्राप्त किया है, को नियमित करेगा बशर्ते निर्यातक ने राजस्व विभाग द्वारा यथा अधिसूचित ब्याज सहित सीमाशुल्क का भुगतान किया हो । प्राधिकार धारक के पास विदेश व्यापार नीति के तहत जारी वैध शुल्क क्रेडिट स्क्रिप प्रस्तुत करने का विकल्प होगा । ब्याज/दंडराशि का भुगतान नकद में करना होगा। अग्रिम प्राधिकार पत्र के मामले में, उपरोक्त पैराग्राफ 4.49 में दिए गए उपबन्ध लागू होंगे। यह किसी भी ऐसी कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना होगा जो विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम तथा इसके अधीन जारी, समय-समय पर यथा संशोधित आदेश या नियमों के तहत निर्यातक के विरुद्ध की जा सकती है ।

4.87 उपभोज्यों आदि के आयात हेतु प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र

उपभोज्यों इत्यादि के आयात के लिए आवेदन पत्र, जैसाकि एफटीपी के पैरा 4.36 में दिया गया है, संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को आयात निर्यात प्रपत्र 4ज में ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

4.88 रत्नों और आभूषणों के निर्यात पार्सलों को व्यक्तिगत तौर पर ले जाना

(क) सभी ई ओ यू/एस ई जैड यूनिटों और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि, कोयम्बटूर, बंगलौर, हैदराबाद, जयपुर के हवाई अड्डों के माध्यम से डी टी ए में स्थित सभी फर्मों से भी विदेश जाने वाले यात्रियों द्वारा रत्नों और आभूषणों के पार्सलों को व्यक्तिगत रुप से ले जाने की अनुमति है । निर्यात के व्यक्तिगत तौर पर ले जाने की प्रक्रिया सीमाशुल्क द्वारा निर्धारित होगी। तथापि, निर्यात आय को सामान्य बैकिंग चैनल के जरिये प्राप्त किया जाएगा ।

(ख) विदेश जाने वाले यात्री द्वारा निर्यात के व्यक्तिगत तौर पर ले जाने के मामले में पुनःपूर्ति दावे के लिए दस्तावेज वही होंगे जो ऊपर पैरा 4.82(ग) में दिये गये है । प्राधिकृत कुरियर कम्पनियाँ भी उपरोक्तानुसार काम कर सकती है ।

4.89 रत्नों और आभूषणों के आयात पार्सलों को व्यक्तिगत तौर पर ले जाना

सभी ई ओ यू/ एस ई जैड यूनिटों और दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद और जयपुर के हवाई अड्डों के माध्यम से डी टी ए में स्थित सभी फर्मों से भी भारतीय आयातक/ विदेशी नागरिक द्वारा रत्नों और आभूषणों के आयात पार्सल को व्यक्तिगत रुप से ले जाने की अनुमति है । इसकी प्रक्रिया हवाई भाड़े द्वारा माल के आयात के समान होगी लेकिन जाँच और रिलीज करने के लिए पार्सलों को आयातक/विदेशी नागरिक द्वारा सीमाशुल्क प्राधिकारी को सौंपा जाएगा। इस स्कीम के अन्तर्गत आयातों की निकासी सामान्य सीमाशुल्क निकासी पद्धति के अनुसार होगी।

4.90 नमूनों का शुल्क मुक्त आयात

रत्न और आभूषण मदों के विगत तीन वर्ष के निर्यात कारोबार के औसत के 0.25 प्रतिशत अथवा 3 लाख रुपए तक के रत्न और आभूषण के नमूनों का शुल्क मुक्त आयात, जो भी कम हो, सीमाशुल्क अधिसूचना की शर्तों के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में अनुमत होगा ।

4.91 अस्वीकृत आभूषणों का पुनः आयात

सादे/जड़ित बहुमूल्य पत्थर आभूषणों के निर्यातक को, पिछले लाइससिंग वर्ष (पिछले वर्ष के निर्यात की सनदी लेखाकार के प्रमाणित प्रति के आधार पर) में सीमाशुल्क नियमों और विनियमनों के अनुसार प्रयोग किए गए निवेशों पर प्राप्त किसी शुल्क छूट/वापसी/पुनःपूर्ति लाभ की वापसी के साथ, किए गए निर्यातों के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 2 प्रतिशत तक, अस्वीकृत और खरीदार द्वारा लौटाए गए आभूषण के शुल्क मुक्त पुनः आयात की अनुमति होगी ।

4.92 हीरा और आभूषण डालर लेखा

हीरा और आभूषण डालर लेखा हेतु नीति का विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.50 में उल्लेख किया गया है । इसके संचालन की प्रक्रिया का विस्तृत ब्यौरा अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

4.93 खेप आधार पर हीरे, रत्न और आभूषण का निर्यात तथा आयात

(क) खेप आधार पर हीरे, रत्न और आभूषण के निर्यात के लिए नीति विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.53 में दी गई है।

(ख) इस संबंध में ब्यौरेवार प्रक्रिया संगत सीमा शुल्क नियमों और विनियमनों के द्वारा अभिशासित होगी। खेप आधार पर निर्यातित मदों (पूरे अथवा आंशिक मात्रा में) का पुनः आयात इस शर्त के अधीन होगा कि निर्यातक संगत सीमाशुल्क अधिसूचना के निर्धारित प्रावधानों का पालन करेगा ताकि यह स्थापित हो कि निर्यात किया गया माल वही है।

4.94 नामित एजेंसियों द्वारा कीमती धातु के आयात हेतु दिशानिर्देश/मॉनिटरिंग

नामित एजेंसियों द्वारा कीमती धातु के आयात संबंधी दिशा-निर्देश और मॉनिटरिंग इस प्रकार हैः

(क) हटा दिया गया है।

(ख) बहुमूल्य धातु के आयात तथा इसके वितरण और/अथवा नामित अभिकरणों के द्वारा स्वप्रयोग की मॉनीटरिंग के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखा जाएगा (इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निर्दिष्ट बैंकों से भिन्न):

(i) प्रत्येक नामित अभिकरणों द्वारा प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट 4ड में दिये गए प्रारूप के अनुसार घरेलू उपभोग के प्रयोजन हेतु और मूल्यवर्धित उत्पाद के निर्यात के लिए मूल्यवान धातु के आयात (मात्रा और मूल्य दोनो) और उसके वितरण के

रिकार्ड की देखरेख करना अपेक्षित है। नामित अभिकरणों को आरबीआई और डीजीएफटी के द्वारा निर्धारित दिशानिदेशों/नियमों/प्रक्रियाओं/निदेशों का भी पालन करना होगा। वैयक्तिक सुनवाई के अवसर का में लाभ उठाने के बाद यथा संशोधित, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992, के तहत कार्रवाई के अलावा करने में असफल होने पर नामित अभिकरण प्रमाणपत्र रद्द किया जा सकता है।

(ii) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा निगरानीः

नामित अभिकरणों एमएमटीसी लि., हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लि., राज्य व्यापार निगम लि, पीईसी लिमिटेड, एसटीसीएल लिमिटेड,एमएसटीसी लिमिटेड., डायमन्ड इंडिया लिमिटेड के संबंध में निगरानी रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीएण्डजेईपीसी) के द्वारा होगी। नामित अभिकरण रत्न और आभूषण संर्वधन परिषद (जीजेईपीसी), मुम्बई को प्रत्येक छमाही के 15 दिन के भीतर, प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट 4ड में दिए गए प्रारूप के अनुसार अर्ध वार्षिक रिटर्न फाईल करेगा। इसके बदले में, जीएण्डजेईपीसी अर्ध वार्षिक रिटर्न और नामित अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किए गए आँकडों का संकलन करेगा और नामित अभिकरण के निष्पादन की जाँच- पड़ताल करेगा। तत्पश्चात, जीजेईपीसी प्रत्येक छमाही के एक महीने के भीतर नामित अभिकरण के निष्पादन पर टिप्पणी के साथ उसके संकलित किए गए अर्ध वार्षिक रिटर्न डीजीएफटी (मुख्यालय) को अग्रेषित करेगा। प्रत्येक पूर्ण छमाही के 15 दिनों के भीतर अर्ध वार्षिक रिटर्न जमा न करने पर अथवा फाइलिंग में विलंब के मामले में, जीजेईपीसी चूककर्ता नामित अभिकरण से टिप्पणियाँ माँग सकता है। जीईजेईपीसी चूककर्ता नामित अभिकरण के विरूद्ध उचित कार्रवाई करने के लिए डीजीएफटी मुख्यालय को चूककर्ता नामित अभिकरण के विवरण को भी भेज सकती है।

(iii) डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा निगरानीः

क्षेत्रीय प्राधिकारी जिसने नामित अभिकरण प्रमाणपत्र जारी किया है संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को ऐसे अभिकरणों द्वारा फाइल किए जाने वाले अर्ध वार्षिक रिटर्न्स के आधार पर ऐसे प्रमाणपत्र धारकों के निष्पादन की निगरानी करेगा। नामित अभिकरण प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट 4ड में दिए गए प्रारूप के अनुसार क्षेत्रीय प्राधिकारी को अक्तूबर (अप्रैल से सितम्बर की अवधि के लिए)/अप्रैल (अक्तूबर से मार्च की अवधि के लिए) महीने में अर्ध वार्षिक रिटर्न फाईल करेगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी इन रिटर्नों का समेकन और सत्यापन करेगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी डीजीएफटी को जिन अभिकरणों द्वारा रिटर्न फाइल नहीं किए गए और नामित अभिकरण प्रमाणपत्र के निलंबन/रद्द करने के लिए 30 दिन के भीतर उचित कार्रवाई करने हेतु सूचित करेगा।

(ग) डीजीएफटी मुख्यालय नामित अभिकरण के निष्पादन की भी जब भी आवश्यक हो समीक्षा कर सकता है।

अध्याय - 5

निर्यात संवर्धन पूँजीगत माल (ई.पी.सी.जी.)स्कीम

5.01 नीति

विदेश व्यापार नीति के अध्याय 5 में ईपीसीजी स्कीम से संबंधित नीति दी गई है।

5.02 आवेदन प्रपत्र

किसी पात्र निर्यातक के पंजीकृत कार्यालय या मुख्यालय या शाखा कार्यालय या विनिर्माण एकक द्वारा प्राधिकार पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन, आयात-निर्यात प्रपत्र 5क में निर्धारित दस्तावेजों के साथ संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करने होंगे।

5.03 अंतरसंबध प्रमाणीकरण

(क) संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी परिशिष्ट 5क में आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र सनदी अभियन्ता (सीईसी) से अन्तरसंबंध प्रमाण पत्र के आधार पर ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र जारी करेगा। पूँजीगत माल के अधिष्ठापन के समय उपयुक्त अपशिष्ट, यदि कोई हो, भी नेक्सस प्रमाण-पत्र में चार्टेड इन्जीनियर द्वारा प्रमाणित होगा और इसको जारी करने के समय ईपीसीजी प्राधिकार पत्र की शर्त पत्र में इसका उल्लेख किया जाएगा। ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए चार्टर्ड इंजीनियर केवल अपनी क्षमता के क्षेत्र में कार्य करेगा।

(ख) इसके पश्चात क्षेत्रीय प्राधिकारी ईपीसीजी प्राधिकार पत्र की एक प्रति संबंधित क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय सीमाशुल्क प्राधिकारी को भेजेगा। प्राधिकार पत्र को जारी करने के समय अनुमत अपशिष्ट को लागू शुल्क के भुगतान पर स्क्रैप/अपशिष्ट के रूप में बेचने की अनुमति होगी।

(ग) परिवर्धन करने/हटाने सहित आयात मद (मदों) की सूची में संशोधन हेतु आवेदन यदि कोई है, को संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है बशर्ते कि आयात के लिए प्राधिकार पत्र वैध है। आवेदक को स्वतंत्र सनदी अभियंता से नए अंतरसंबध प्रमाणपत्र के साथ ऐसे संशोधन (संशोधनों) के अनुरोध हेतु औचित्य देना होगा।

(घ) परिवर्धन (परिवर्धनों)/हटाने सहित निर्यात मद (मदों) की सूची में संशाधन हेतु आवेदन, यदि कोई है, को संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है बशर्ते कि प्राधिकार पत्र की निर्यात दायित्व अवधि वैध है और पूंजीगत माल का निर्यात उत्पाद के साथ अंतरसंबध है। आवेदक को स्वतंत्र सनदी अभियंता से नए अंतरसंबध प्रमाणपत्र क साथ ऐसे संशोधन (संशोधनों) के अनुरोध हेतु औचित्य देना होगा।

5.04 पूंजीगत माल के अधिष्ठापन का प्रमाणपत्र

(क) प्राधिकार पत्र धारक आयात पूरा करने के 6 महीने के भीतर क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमाशुल्क

प्राधिकारी या स्वतंत्र सनदी अभियंता से एक प्रमाण-पत्र प्राधिकार पत्र धारक के विकल्प पर प्रस्तुत करेगा जिसमें इस बात की पुष्टि हो कि पूँजीगत माल को प्राधिकार पत्र धारक या उसके सहायक विनिर्माता (विनिर्माताओं) की फैक्टरी/परिसर में अधिष्ठापित कर दिया गया है। क्षेत्रीय प्राधिकारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए 5000/-रू. की संरचना शुल्क के साथ उक्त अवधि को एक बार और 12 महीनें की अधिकतम अवधि के लिए बढ़ाने की अनुमति दे सकता है। जहां प्राधिकार पत्र धारक स्वतंत्र सनदी अभियंता के प्रमाण-पत्र का चयन करता है, वहां वह क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क प्राधिकारी को प्रमाण पत्र की एक प्रति सूचना/अभिलेख के लिए भेजेगा। प्राधिकार पत्र धारक को आईईसी और आरसीएमसी में उल्लिखित अन्य इकाई को इस अवधि के दौरान पूंजीगत माल का नए अधिष्ठापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थानान्तरण करने के लिए अनुमति दी जाएगी।

(ख) कलपुर्जों के आयात के मामले में, प्राधिकार पत्र धारक द्वारा अधिष्ठापन प्रमाण-पत्र आयात की तिथि से तीन वर्षों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

5.05 पंजीकरण पत्तन

आयातों के लिए प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.37 के अनुसार एक मात्र पंजीकरण पत्तन के साथ ईपीसीजी प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा । तथापि, प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 4.37 में विनिर्दिष्ट किसी पत्तन से निर्यात किया जा सकता है ।

5.06 पुर्जों, औजारों, रिफ्रैक्ट्रीज और उत्प्रेरकों का आयात

(क) विदेश व्यापार नीति के पैरा 5.01 के उप-पैरा (क), (iii) और (iv) के तहत शामिल पूंजीगत माल की खरीद के लिए आवेदनों में सनदी अभियंता अथवा क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित, आवेदक की फैक्टरी/परिसर जिसके लिए ऐसे पूंजीगत माल की आवश्यकता है, में अधिष्ठापित संयंत्र/मशीनरी की सूची संलग्न होनी चाहिए।''

(ख) पुर्जों के आयात के मामलों में, ईपीसीजी प्राधिकार पत्र पुर्जों की सूची को विनिर्दिष्ट नहीं करेगा बल्कि निम्नलिखित को दर्शाएगाः

(i) संयंत्र/मशीनरी का नाम जिसके लिए पुर्जों की आवश्यकता है।

(ii) प्राधिकार पत्र के तहत अनुमत बचाए गए शुल्क का मूल्य।

(iii) निर्यात किए जाने वाले उत्पाद का विवरण और निर्यात दायित्व का मूल्य।

(ग) प्राधिकार पत्र धारक स्कीम के तहत आयातित विदेश व्यापार नीति के पैरा 5.01 के उप-पैरा (क), (iii) और (iv) के अन्तर्गत शामिल पूंजीगत माल का स्टॉक और खपत रजिस्टर रखेगा तथा निर्यात दायित्व के अन्तिम मोचन के समय प्राधिकार पत्र धारक इस रजिस्टर के आधार पर संस्थापित पूंजीगत माल में उनके उपयोग की पुष्टि करते हुए स्वतंत्र सनदी अभियंता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।

5.07 ईओयू/पुनर्स्थापित एसईजैड यूनिटों का ई.पी.सी.जी. स्कीम के तहत डीटीए यूनिट

में परिवर्तन

(क) ई.ओ.यू/पुनर्स्थापित एस.ई.जैड एकक, डीटीए यूनिट में परिवर्तन करते समय ई.पी.सी.जी. प्राधिकार पत्र के लिए निर्धारित दस्तावेजों सहित आवेदन कर सकता है। संबंधित विकास आयुक्त से 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' प्रस्तुत करना होगा।

(ख) यूनिट जो ईओयू/एसईजेड स्कीम से ईपीसीजी स्कीम में परिवर्तित होती है, की निर्यात दायित्व अवधि वहो होगी जो विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के पैरा 5.01 के अनुसार सीधे ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक के लिए उपलब्ध है।

(ग) यदि कोई एकल ईओयू/एसईजेड यूनिट ईपीसीजी स्कीम के लिए ईओयू से अलग होना चाहती है तो औसत निर्यात दायित्व के अनुरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होगी और यूनिट को पूंजीगत माल जिसके लिए प्राधिकार पत्र प्राप्त किया गया है, के ह्रासित मूल्य के आनुपातिक बचाए गए शुल्क की राशि के 6 गुने के समतुल्य केवल विशिष्ट निर्यात दायित्व को बरकरार रखना होगा।

(घ) यदि किसी फर्म/कम्पनी की एक यूनिट ईपीसीजी स्कीम के लिए ईओयू से अलग होना चाहती है जबकि अन्य यूनिट (यूनिटें) डीटीए यूनिटें हैं तो फर्म/कम्पनी (अलग होने वाली यूनिट को छोड़कर) को जारी प्राधिकार पत्रों के लिए औसत निर्यात दायित्व अपरिवर्तित रहेगा तथा यूनिट के अलग होने के बाद औसत निर्यात दायित्व फर्म/कम्पनी जो फर्म/कम्पनी की सभी यूनिटों के लिए साथ-साथ चलता है, के कुल निर्यात से अलग हुई यूनिट द्वारा किए गए निर्यात को हटाकर निर्धारित किया जाएगा। ऐसे मामले में, पूंजीगत माल के ह्रासित मूल्य पर आनुपातिक शुल्क बचत राशि के 6 गुने का समतुल्य विशिष्ट निर्यात दायित्व ईपीसीजी स्कीम में जाने वाली यूनिट पर लगाया जाएगा।

5.08 स्वदेशी रूप से विनिर्मित पूंजीगत माल की प्राप्ति

(क) स्वदेशी रूप से विनिर्मित पूंजीगत माल को प्राप्त करने के इच्छुक ई पी सी जी प्राधिकार पत्र धारक, सीधे आयात/अग्रिम निर्गम आदे ा (एआरओ) जारी करने के लिए ईपीसीजी प्राधिकार पत्र को अमान्य कराने के लिए क्षेत्रीय प्राधिकारी को अनुरोध करेगा ताकि प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 7.02 (ग) के साथ पठित विदेश व्यापार नीति के पैरा 7.03 तहत मान्य निर्यात लाभों को प्राप्त किया जा सके।

(ख) यह अनुरोध आवेदन पत्र के साथ अथवा ई.पी.सी.जी. प्राधिकार पत्र की वैधता अवधि के दौरान किया जा सकता है।

(ग) आवेदक पूंजीगत माल के विनिर्माता (विनिर्माताओं) का नाम और पता देगा।

(घ) संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी अवैधीकरण पत्र/एआरओ चार प्रतियों में जारी करेगा ।

5.09 निविष्टियों के आयात हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र जारी करना

ई.पी.सी.जी. प्राधिकार पत्र धारक को पूंजीगत माल की आपूर्ति करने के इच्छुक स्वदेशी विनिर्माता, ई.पी.सी.जी. प्राधिकार पत्र धारक को आपूर्ति के लिए पूंजीगत माल के विनिर्माण के लिए अपेक्षित

संघटकों सहित निविष्टियों के आयात के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए क्षेत्रीय प्राधिकारी को आवेदन कर सकते हैं ।

5.10 निर्यात दायित्व को पूरा करने की शर्ते

विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 5.04 में उल्लिखित शर्तों के अतिरिक्त निर्यात दायित्व पूरा करने के लिए निम्नलिखित शर्ते भी लागू होगीः

(क) सहायक विनिर्माता और निर्यातक का नाम निर्यात दस्तावेजों पर दर्शाया जाएगा।

(ख) ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक या तो सीधा निर्यात अथवा तीसरी पार्टी (पार्टियों) के माध्यम से निर्यात कर सकता है।

(ग) यदि प्राधिकार पत्र धारक एक तृतीय पक्ष के माध्यम से निर्यात करना चाहते हैं तो उनको निर्यात दस्तावेज जैसे पोत लदान बिल/निर्यात बिल इत्यादि में ईपीसीजी प्राधिकार पत्र संख्या के साथ प्राधिकार पत्र धारक और सहायक विनिर्माता, दोनो के नाम, यदि कोई है, दर्शाने होंगे। बीआरसी, जीआर घोषणा, निर्यात आदेश तथा बीजक पत्र तृतीय पक्ष निर्यातक के नाम होने चाहिए। तृतीय पक्ष के माध्यम से निर्यात किया गया माल ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक अथवा सहायक विनिर्माता द्वारा विनिर्मित किया जाना चाहिए जहां प्राधिकार-पत्र के अंतर्गत आयातित **पूंजीगत माल को संस्थापित किया गया है। केवल ऐसे निर्यात स तीसरे पक्ष निर्यातक के खाते से सामान्य बैकिंग चैनल के माध्यम से वसूला गया लाभ प्राधिकार पत्र धारक के खाते में गई राशि निर्यात दायित्व की पूर्ति की गणना की जाएगी।**

(घ) ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक तृतीय पक्ष (पक्षों) के माध्यम से निर्यात दायित्व (ईओ) के निर्वहन हेतु निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करेगाः

(i) संबंधित ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र के मद्दे निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए प्राधिकार-पत्र धारक/सहायक विनिर्माता द्वारा विनिर्मित माल के निर्यात को प्रारंभ करने के लिए प्राधिकार पत्र धारक तथा अंतिम निर्यातक के बीच हुए समझौते की प्रति।

(ii) प्राधिकार पत्र धारक के कारखाने के परिसर से अंतिम निर्यातक/निर्यात के पत्तन को माल प्रेषित किए जाने का प्रमाण अर्थात (क) पोतलदान बिल संख्या, तिथि तथा ईपीसीजी प्राधिकार पत्र संख्या सहित निर्यात के सत्यापन के साथ सीमाशुल्क विभाग द्वारा विधिवत प्रमाणीकरण सहित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा जारी एआरई–I प्रमाणपत्र/जीएसटी नियम के तहत निर्धारित निर्यात के लिए कर बीजक (ख) यदि इकाई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/जीएसटी के साथ पंजीकृत नहीं है तो बीजक पत्र जिसमें प्रेषण के समय संबंधित ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र की संख्या और तिथि का विधिवत उल्लेख किया गया हो।

(iii) प्राधिकार-पत्र धारक के परिसर से तृतीय पक्ष/निर्यात पत्तन को भेजे गए माल की लॉरी रसीद/संभार-तंत्र साक्ष्य।

(iv) स्टांप पेपर पर तृतीय पक्ष द्वारा शपथ-पत्र दिया जाए जिसमें घोषित किया जाए कि निर्यात-कथन में दिए गए विवरण के अनुसार लाइसेंस धारक की ओर से निर्यात दायित्व

को पूरा करने हेतु निर्यात किए जाने वाले उत्पादों का विनिर्माण लाइसेंस-धारक द्वारा किया गया था।

(v) तृतीय पक्ष को आपूर्ति करने पर ऐसे निर्यात के कारण सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से तृतीय पक्ष निर्यातक के खाते से प्राधिकार पत्र धारक के खाते में आय की प्राप्ति होने हेतु वित्तीय साक्ष्य।

(vi) तीसरे पक्ष से दावा-परित्याग प्रमाणपत्र कि वे, उनके द्वारा प्राप्त किसी ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र के निर्यात दायित्व पूरा होने के प्रति प्राप्त आय का प्रयोग नहीं करेंगे।

5.11 निर्यात से आय की प्राप्ति

अध्याय–7 के तहत मान्य निर्यात के अलावा निर्यात आय, मुक्त रुप से परिवर्तनीय मुद्रा में वसूल की जाएगी। वसूली की मुद्रा चाहे जो भी हो, एसईजेड यूनिटों को निर्यात/विकासकर्ता/सह-विकासकर्ता को किया गया निर्यात को निर्यात दायित्व पूरा किया गया समझा जाएगा। एसईजेड इकाइयों को की गई आपूर्ति से प्राप्त आय को एसईजेड इकाई की विदेशी मुद्रा खाते से प्राप्त किया जाएगा।

5.12 औसत निर्यात दायित्व की गणना

औसत निर्यात दायित्व की गणना करते समय वैध निर्यात दायित्व समयावधि (मूल अथवा बढ़ाया गया) के अंदर ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों के लिए विशिष्ट निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए गणना किए गए/गणना किए जा रहे पूर्ववर्ती तीन वर्षों में किए गए निर्यात को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

5.13 औसत निर्यात दायित्व को बनाए रखने से छूट

(क) निम्नलिखित वस्तुओं के निर्यात के मामले में ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक को औसत निर्यात दायित्व के स्तर को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होगी:

(i) हस्तशिल्प,
(ii) हथकरघा,
(iii) कुटीर व अत्यन्त छोटे उद्योग,
(iv) कृषि,
(v) जल कृषि (मत्स्य क्षेत्र सहित), मत्स्योद्योग,
(vi) पशु-पालन,
(vii) पुष्पोत्पादन व बागवानी,
(viii) मुर्गी पालन,
(ix) अंगूरोत्पादन,
(x) रेशमोत्पाद,
(xi) कालीन,
(xii) कॅयर और
(xiii) जूट

(ख) तथापि, औसत निर्यात दायित्व के स्तर को बनाए रखने से यह छूट मछली पकड़ने के ट्रॉलर्स, नौका, पोत, और अन्य ऐसी ही मदों के आयात के लिए अनुमत नहीं होगी।

(ग) उपर्युक्त उप-पैरा (क) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों द्वारा ईपीसीजी स्कीम के तहत औजारों को छोड़कर आयातित माल को, आयात की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए, ऐसे मामलों में भी जहाँ निर्यात दायित्व पूरा कर दिया गया है, हस्तांतरित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5.14 निर्यात दायित्व को ब्लाकवार पूरा करना

(क) ईपीसीजी स्कीम के तहत प्राधिकार पत्र धारक औसत निर्यात दायित्व बनाए रखते समय निर्धारित ब्लाक अवधि में निम्नलिखित अनुपात में विशिष्ट निर्यात दायित्वों को एक विशेष अवधि में पूरा करेगाः

प्राधिकार पत्र जारी करने की तारीख से अवधि	पूरा किया जाने वाला न्यूनतम निर्यात दायित्व
1 से 4 वर्ष का ब्लॉक	50 प्रतिशत
5 और 6 वर्ष का ब्लॉक	बाकी निर्यात दायित्व

(ख) प्राधिकार पत्र धारक निर्यात दायित्व के साथ-साथ औसत निर्यात के पूरा होने पर ब्लॉक पूरा होने के तीन महीने के भीतर डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग करके सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग द्वारा क्षेत्रीय प्राधिकारी को सूचित करेगा।

(ग) जहाँ उन मामलों जिसमें ब्लाक से संबंधित निर्यात दायित्व अपूर्ण भाग के अनुपात में बचाई गई शुल्क की राशि पर 2 प्रतिशत संघटन शुल्क के भुगतान के अधीन क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्रथम ब्लाक के लिए निर्धारित ईओ का विस्तार किया गया है, को छोड़कर प्रथम ब्लाक के ईओ को उपर्युक्त अनुपात के अनुसार पूरा नहीं किया गया है, प्राधिकार-पत्र धारक ब्लाक के समाप्त होने के तीन महीने के भीतर प्रथम ब्लाक के कुल अपूर्ण ईओ पर बचाई गई शुल्क की राशि के अनुपात के सीमाशुल्क (राजस्व विभाग द्वारा यथा अधिसूचित लागू ब्याज सहित) का भुगतान करेगा।

(घ) (i) 1 अप्रैल, 2002 से 31 अगस्त, 2004 तक जारी किए गए प्राधिकार पत्र समय-समय पर यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) (संशोधित संस्करण-02) के पैरा 5.8 के उपबन्धों द्वारा अधिशासित होंगे।

(ii) 1 सितम्बर, 2004 से 17 अप्रैल, 2013 तक जारी प्राधिकार पत्र 17.04.2013 तक यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) (संशोधित संस्करण-12) के पैरा 5.8 के उपबन्धों द्वारा अधिशासित होंगे।

(iii) 18.04.2013 से विदेश व्यापार नीति 2015-20 की अधिसूचना जारी होने तक जारी किए गए प्राधिकार पत्र सार्वजनिक सूचना सं.1 दिनांक 18.04.2013 के जरिए यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक खंण्ड 1 के पैरा 5.8 के उपबंधों द्वारा अधिशासित किए जाएंगे।

(iv) 1 अप्रैल, 2015 से 4 दिसम्बर, 2017 तक जारी किए गए प्राधिकार पत्र सार्वजनिक

सूचना सं. 1 दिनांक 01.04.2015 द्वारा यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 5.14 के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होगा।

5.15 निर्यात दायित्व की निगरानी

प्राधिकार पत्र धारक, निर्यात दायित्व को पूरा करने संबंधी रिपोर्ट संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग करके सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग/ इसकी हार्ड कॉपी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

5.16 10 प्रतिशत शुल्क बचत राशि तक स्वतः कमी/ वृद्धि और निर्यात दायित्व में यथानुपात कमी/वृद्धि

यदि जारी किया गया प्राधिकार पत्र का मालों के आयात के लिए वास्तव में उपयोग किया गया होः-

(क) प्राधिकार पत्र पर दर्शायी गई बचायी गई शुल्क राशि का आधिक्य जो 10 प्रतिशत से अधिक न हो, प्राधिकार-पत्र उस अनुपात द्वारा बढ़ाया हुआ माना जाएगा। सीमाशुल्क प्राधिकारी संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के पृष्ठांकन के बिना, प्राधिकार पत्र के ऐसे माल की निकासी की अनुमति स्वतः ही दे देगा। प्राधिकार-पत्र धारक संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को बचाई गई शुल्क राशि में आयात के एक महीने के भीतर, किए गए अतिरिक्त आयात को शामिल करने के लिए अतिरिक्त फीस देगा। निर्यात दायित्व स्वयं आनुपातिक रुप से बढ़ जाएगा ।

(ख) प्राधिकार-पत्र पर दर्शायी गई बचायी गई शुल्क राशि 10 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में, संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी अपनी प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार, ईपीसीजी प्राधिकार पत्र की बचत शुल्क राशि में वृद्धि को अनुमत कर सकता है। प्राधिकार पत्र धारक सीमाशुल्क प्राधिकारी को अतिरिक्त बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा।

(ग) यदि प्राधिकार-पत्र पर दर्शायी गई बचायी गई राशि शुल्क राशि से कम हो तो, उसका निर्यात दायित्व प्राधिकार पत्र के वास्तविक प्रयोग के सन्दर्भ में यथानुपात आधार पर कम हो जाएगा।

5.17 निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार

(क) **विदेश व्यापार नीति 2015-20 आर ई 2017 की अधिसूचना से पूर्व जारी ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र की निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार प्राधिकार-पत्र जारी होने की तारीख को लागू प्रक्रिया-पुस्तक के संगत प्रावधानों द्वारा अभिशासित होगा।**

(ख) विदेश व्यापार नीति 2015-20 की अधिसूचना से पूर्व जारी ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र की निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार प्राधिकार-पत्र जारी होने की तारीख को लागू प्रक्रिया-पुस्तक के संगत प्रावधानों द्वारा अभिशासित होगा।

(ग) **शून्य शुल्क ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के मामले में संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक एक–एक वर्ष के लिए निर्यात दायित्व अवधि में प्रत्येक दो वर्ष की बढ़ोतरी हेतु अपूर्ण निर्यात दायित्व पर बचाई गई समानुपातिक शुल्क राशि के क्रमशः 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत के बराबर संयोजक शुल्क का भुगतान किए जाने पर अथवा प्रत्येक पहले/दूसरे वर्ष की बढ़ोतरी हेतु प्राधिकार पत्र के तहत लागू कुल निर्यात दायित्व में क्रमशः 10 प्रतिशत और 20 प्रतिशत**

तक निर्यात दायित्व की बढ़ोतरी करने पर, जैसा भी मामला हो, निर्यातक की इच्छा के अनुसार विचार किया जा सकता है। न्यूनतम संयोजन शुल्क 10,000 रू. होगा।

(घ) निर्यात दायित्व की अवधि को बढ़ाने का अनुरोध क्षेत्रीय प्राधिकारी को मूल निर्यात दायित्व **अवधि के समाप्त हो जाने की तिथि से 90 दिनों के अन्दर किया जाएगा। तथापि, क्षेत्रीय प्राधिकारी 5000 रू. के अतिरिक्त संघटन शुल्क के साथ 180 दिनों तक प्राप्त किए गए विस्तार** हेतु अनुरोध पर विचार कर सकते हैं।

5.18 बीआईएफआर/पुनर्वास के अंतर्गत इकाईयों हेतु प्रावधान

(क) हटा दिया गया है।

(ख) हटा दिया गया है।

5.19 औसत निर्यात दायित्व में राहत

(क) उन क्षेत्रों के निर्यातकों को राहत प्रदान करने के लिए जहाँ उस क्षेत्र/उत्पाद समूह का कुल निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 5% से अधिक कम हुआ है, पिछले वर्ष की तुलना में संबद्ध वर्ष में उस विशेष क्षेत्र/उत्पाद समूह के निर्यातों के समानुपात में वर्ष के लिए औसत निर्यात दायित्व को कम किया जा सकता है । तथापि, यदि निर्यात में वर्षों तक लगातार कमी जारी रहती है, तो औसत निर्यात दायित्व में पात्रता की गणना और कमी की गणना का आधार वर्ष उस वर्ष को माना जाएगा, जिसके बाद निर्यात में लगातार कमी आई है ।

(ख) क्षेत्रों/उत्पाद समूहों जिनके लिए इस छूट की अनुमति दी जानी है, पिछले वित्तीय वर्ष समाप्त होने के सात महीनों के अंदर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा सभी क्षेत्रीय प्राधिकारियों को सूचित किया जाएगा और तदनुसार, क्षेत्रीय प्राधिकारी उस क्षेत्र/उत्पाद समूह के निर्यातकों के लिए वार्षिक औसत निर्यात दायित्व का पुनः निर्धारण करेंगे ।

5.20 निर्यात उत्पाद पर रोक के मामले में स्वतः निर्यात दायित्व विस्तार

जब कभी किसी उत्पाद के निर्यात पर रोक/प्रतिबंध लगाया जाता है, ऐसे निर्यात उत्पादों पर रोक लगाने से पूर्व पहले से जारी ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के सम्बंध में निर्यात दायित्व अवधि, बिना किसी संघटन शुल्क के ऐसी रोक की अवधि की समतुल्य अवधि के लिए स्वतः बढ़ जाएगी। प्राधिकार-पत्र धारक को रोक की अवधि के लिए औसत निर्यात दायित्व बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होगी।

5.21 हटा दिया गया है।

5.22 विमुक्ति

(क) निर्यात दायित्व की पूर्ति के प्रमाण के रुप में, प्राधिकार पत्र धारक आयात-निर्यात फार्म 5ख में निर्धारित किए गए दस्तावेजों सहित विमुक्ति आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

(ख) संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी, सन्तुष्ट होने पर, ई.पी.सी.जी प्राधिकार पत्र धारक को निर्यात

दायित्व के निष्पादन का प्रमाणपत्र जारी करेगा और उसकी एक प्रति, सीमाशुल्क प्राधिकारियों को भेजेगा जिनके साथ बैंक गारन्टी/विधिक वचनबद्धता निष्पादित की गई है। प्राधिकार-पत्र धारक द्वारा निर्यात दायित्व पूर्ति के प्रमाण के लिए सौंपे गए दस्तावेजों का ब्यौरा देने वाला एक विवरण प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न किया जाएगा।

(ग) क्षेत्रीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे आवेदन साधारणतया 30 दिनों के भीतर निपटाए जाएँ। यदि कोई कमी है तो उसे एक बार में बताया जायेगा । उसके बाद सभी पत्राचार, सिर्फ उन कमियों के बारे में होंगे । यदि आवश्यक हुआ तो नया पत्राचार 15 दिनों के भीतर किया जाए । एक बार दस्तावेज पूरे हो जाने पर सभी दस्तावेजों/ सूचनाओं के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर निर्यात दायित्व पूरा करना होगा।

(घ) संपूर्ण दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद जो आवेदन 60 दिन की अवधि के बाद भी बकाया हैं उनकी सूचना कारणों सहित डी.जी.एफ.टी. के ईपीसीजी प्रभाग को दी जाएगी।

5.23 वास्तविक चूक को नियमित करना और ईपीसीजी स्कीम से बाहर निकलना

(क) यदि ई.पी.सी.जी प्राधिकार पत्र धारक निर्धारित निर्यात दायित्व को पूरा करने में असफल रहता है तो वह, सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा निर्धारित सीमाशुल्क तथा ब्याज का भुगतान करेगा। ई पी सी जी प्राधिकार पत्र धारक के पास अपनी मर्जी से बाहर होने का विकल्प रहेगा। प्राधिकार पत्र धारक के पास सीमाशुल्क संघटक के भुगतान के लिए विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 या अध्याय 5 के तहत जारी वैध शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्स प्रस्तुत करने का विकल्प होगा।

(ख) प्राधिकार-पत्र धारक प्रक्रिया-पुस्तक के पैरा 4.50 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार स्व-गणना के आधार पर स्वतः ही शुल्क और ब्याज अदा कर सकते हैं।

5.24 अभिलेखों का रख-रखाव

प्रत्येक ई.पी.सी.जी प्राधिकार पत्र धारक विमुक्ति की तारीख से 2 वर्षों की अवधि के लिए, निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए की गई आपूर्ति और प्रदान की गई सेवाओं/निर्यात का सही और उचित लेखा रखेगा ।

5.25 ईपीसीजी स्कीम के तहत आयातित पूंजीगत माल का पुनः निर्यात/मरम्मत/पुनः स्थापन

(क) ई.पी.सी.जी स्कीम के तहत आयातित पूंजीगत माल जिसे खराब अथवा प्रयोग के काबिल नही पाया गया उसे आयात पर शुल्क के भुगतान की तारीख से **3 वर्षों** के भीतर ऐसे माल के सीमा-शुल्क विभाग द्वारा निष्पति की तिथि से विदेशी आपूर्तिकर्त्ता को पुनः निर्यात कर सकते हैं जिसकी अनुमति क्षेत्रीय प्राधिकारी/ सीमाशुल्क प्राधिकारी से लेनी होगी। परिणामस्वरुप निर्यात दायित्व पुनः निर्धारित किया जाएगा।

(ख) आयातित और खराब पाए गए अथवा अन्यथा प्रयोग हेतु उपयुक्त नहीं पाये गए पूंजीगत माल का निर्यात आरए/सीमा शुल्क प्राधिकारी की अनुमति से ऐसे माल की सीमा शुल्क विभाग द्वारा दी गई निकासी तिथि से दो वर्षों के भीतर किया जा सकता है तथा ई.पी.सी.जी. स्कीम के तहत इसके बदले में पूंजीगत माल का आयात किया जा सकता है । ऐसे मामलों में, निर्यात की

अनुमति देते समय, सीमाशुल्क विभाग प्राप्त किए गए शुल्क लाभ को क्रेडिट करेगा जिस ऐसे प्रतिस्थापित पूंजीगत माल का आयात करने के समय पुनः घटा दिया जाएगा।

(ग) ईपीसीजी स्कीम के तहत आयातित पूंजीगत माल आरए/सीमाशुल्क प्राधिकारी की अनुमति से, ऐसे वस्तुओं का सीमाशुल्क विभाग द्वारा दी गई निकासी की तिथि से तीन वर्षों के भीतर विदेशों में मरम्मत के लिए पुनः निर्यात किया जा सकता है। मरम्मत तथा बीमा और भाड़ा पर खर्च किए गए व्यय संबंधी शुल्क संघटक पर दोनों ओर से निर्यात दायित्व के पुनः निर्धारण के लिए विचार किया जाएगा।

5.26 दण्डात्मक कार्रवाई

निर्यात दायित्व या प्राधिकार पत्र की किसी अन्य शर्त को पूरा करने में असफल रहने पर, प्राधिकार पत्र धारक के विरुद्ध विदेश व्यापार (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम, 1992, यथासंशोधित तथा उसके तहत बनाए गए आदेशों और नियमों एवं विदेश व्यापार नीति/प्रक्रिया-पुस्तक तथा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 समय-समय पर यथा संशोधित और प्रचलित किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकती है ।

5.27 ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग

(क) एक ही प्राधिकार पत्र धारक को दो अथवा इससे अधिक ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग की अनुमति दी जाएगी ।

(ख) क्लबिंग के लिए एक आवेदन-पत्र संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को एएनएफ 5ग में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि प्राधिकार-पत्रों पर पृष्ठांकित निर्यात उत्पाद वही/समान है और यदि प्राधिकार-पत्र उसी क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाते हैं तो केवल क्लबिंग की अनुमति दी जाएगी।

(ग) **कुल निर्यात दायित्व क्लब किए गए प्राधिकार-पत्रों के बचाए गए शुल्क की कुल राशि को ध्यान में रखते हुए पुनः निर्धारित किया जाएगा।**

(घ) क्लबिंग करने पर, सभी प्रयोजनों के लिए प्राधिकार पत्र एकल ईपीसीजी प्राधिकार पत्र माना जाएगा। क्लब किए प्राधिकार पत्रों के लिए निर्यात दायित्व अवधि प्रथम प्राधिकार–पत्र जारी होगे की तारीख से मानी जाएगी।

(ड.) इस प्रकार क्लब किए गए प्रत्येक प्राधिकार पत्र के लिए औसत निर्यात दायित्व क्लबिंग के लिए अलग-अलग प्राधिकार पत्र पर लगाए गए औसत निर्यात दायित्वों का अधिकतम होगा ।

(च) क्लबिंग विस्तारित अवधि यदि कोई हो, सहित वैध निर्यात दायित्व अवधि के दौरान अनुमत होगी । तथापि, सभी प्रकार के प्राधिकार पत्रों के मामले में क्लबिंग जहां निर्यात दायित्व अवधि समाप्त हो गई है नियमितीकरण उद्देश्य के लिए अनुमत होगा बशर्ते कि वे उसी नीति गत अवधि में जारी किए गए हों।

(छ) ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग के मामले में, जहां निर्यात दायित्व वैकल्पिक उत्पादों/सेवाओं के निर्यात द्वारा पूरा किया जा सकता है, निर्यात दायित्व पूर्ति/नियमितीकरण के

लिए वैकल्पिक उत्पादों/सेवाओं का अनुपात क्लब किए गए प्राधिकार पत्रों में अनुमत वैकल्पिक उत्पादों/सेवाओं का न्यूनतम प्रति ात तक सीमित होगा।

(ज) 1.4.2007 से पूर्व जारी किए गए ईपीसीजी प्राधिकार पत्र प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 (आर ई-2006) के अध्याय 5 में निहित प्रावधानों द्वारा अभिशासित होंगे। 1.4.2007 और 17.04.2013 के बीच जारी किए गए ईपीसीजी प्राधिकार पत्र प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 (आर ई-2012 यथा सं ोधित) के अध्याय 5 में निहित शर्तों द्वारा अभिशासित होंगे। दिनांक 18.4.2013 से प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 की अधिसूचना तक के दौरान जारी किए गए ईपीसीजी प्राधिकार पत्र दिनांक-18.4.2013 की सार्वजनिक सूचना सं0 1 के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होंगे। प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 की अधिसूचना से प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 (आर ई 2017) की अधिसूचना के बीच जारी किए गए ईपीसीजी प्राधिकार पत्र प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 में शामिल प्रावधानों द्वारा अभिशासित होंगे।

5.28 निर्यात पश्च ईपीसीजी शुल्क क्रेडिट स्क्रिप (स्क्रिप्स)

(क) निर्यातक संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के समक्ष एएनएफ-5क में एक आवेदन-पत्र दायर करते हुए इस योजना के लिए विकल्प चुनते हुए इस विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

(ख) पूंजीगत माल का आयात करते समय निर्यातक द्वारा सभी लागू शुल्क नकद राशि में चुकाए जाएंगे।

(ग) निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करते हुए क्षेत्रीय प्राधिकारी प्राधिकार-पत्र जारी करेगाः-

(i) प्राधिकार-पत्र के मुख्य पृष्ठ पर 'आयात के लिए नहीं' दर्शाना।
(ii) औसत निर्यात दायित्व, यदि कोई है।
(iii) लागू विशिष्ट निर्यात दायित्व के 85% की दर पर विशिष्ट निर्यात दायित्व की गणना मानो आयातों के लिए शुल्क छूट का लाभ उठाना हो; और
(iv) निर्यात दायित्व अवधि जो प्राधिकार-पत्र जारी करने की तिथि से लागू होगी।

(घ) निर्यातक विशिष्ट निर्यात दायित्व अवधि के अंदर पूरा किए गए निर्यात दायित्व के अनुपात में ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप (स्क्रिप्स) को जारी करने के लिए आयात-निर्यात प्रपत्र 5ख में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। केवल ऐसे पहले आवेदन के लिए **पूंजीगत माल, पूंजीगत माल का अन्तर संबंध और स्थापन प्रमाणपत्र (प्रमाण पत्रों)** पर वास्तविक शुल्क अदायगी के प्रमाण को निर्यात दायित्व की पूर्ति के प्रमाण एवं औसत निर्यात दायित्व के रखरखाव के प्रमाण के साथ सौंपा जाएगा। तदनन्तर, केवल अतिरिक्त रूप से पूरा किए गए विशिष्ट निर्यात दायित्व (औसत निर्यात दायित्व के रखरखाव के प्रमाण के साथ) के पूरा किए जाने का प्रमाण विशिष्ट निर्धारित किए निर्यात दायित्व (उपरोक्त ग (iii) जैसा) के संदर्भ में सौंपा जा सकता है जब तक कि पहले सौंपे गए दस्तावेजों/प्रमाणों में कोई अन्य परिवर्तन नहीं है।

(ड.) क्षेत्रीय प्राधिकारी पूरा किए गए निर्यात दायित्व के अनुपात के बराबर मुक्त रूप से हस्तांतरणीय शुल्क क्रेडिट स्क्रिप (स्क्रिप्स) जारी करेगा।

(च) मुक्त रूप से हस्तांतरणीय ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप (स्क्रिप्स) की गणना मूल सीमाशुल्क पर

भुगतान की गई राशि पर आधारित होगी।

(छ) **हटा दिया गया है।**

(ज) मौजूदा ईपीसीजी स्कीम के सभी प्रावधान लागू रहेंगे जब तक कि वे इस स्कीम से असंगत न हों।

(झ) विदेश व्यापार नीति के पैरा 5.12 के तहत आयातित पूंजीगत माल का ऐसे पूंजीगत माल के मद्दे ऑफसेटिंग निर्यात दायित्व के लिए अंतिम निर्यात की तिथि तक निपटान नहीं किया जायेगा।

(ञ) प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 5.25 के प्रावधान के अनुसार खराब अथवा प्रयोग के काबिल नहीं पाये गये पूंजीगत माल के पुनःनिर्यात के मामलों में यदि निर्यातक ऐसे पुनः निर्यात पर शुल्क वापसी का दावा करता है तो विदेश व्यापार नीति के पैरा 5.12 के तहत शुल्क में कोई छूट प्राप्त नहीं होगी।

5.29 हरित प्रौद्यौगिकी उत्पाद

विदेश व्यापार नीति के पैरा 5.10 के तहत शामिल किए गए निर्यात उत्पाद जिसमें हरित प्रौद्योगिकी उत्पाद के लिए 75 प्रतिशत तक घटाया हुआ निर्यात दायित्व का प्रावधान किया गया हैः

(i) वि-केन्द्रीकृत सौर ऊर्जा और ग्रिड से जुड़े हुए उत्पाद के लिए उपस्कर,
(ii) बायो-मास गैसीफायर,
(iii) बायोमास/अपशिष्ट बायलर
(iv) वैपर एबजोरप्शन चिलर्स,
(v) वेस्ट हीट बायलर,
(vi) वेस्ट हीट रिकवरी यूनिटें,
(vii) अनफायर्ड हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर्स,
(viii) विंड टरबाइन,
(ix) सोलर कलेक्टर और उसके हिस्से,
(x) वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स,
(xi) विंड मिल, विंड मिल टरबाइन/इंजिन,
(xii) अन्य जनरेटिंग सैट्स - विंड पावर्ड,
(xiii) इलेक्ट्रिकली आपरेटिड व्हीकल्स-मोटर कारें,
(xiv) इलेक्ट्रिकली आपरेटिड व्हीकल्स-लारिज एंड ट्रक्स,
(xv) इलैक्ट्रिकली आपरेटिड व्हीकल्स- मोटर साइकिल्स/मोपेड्स, और
(xvi) सोलर सैल्स।

अध्याय - 6

निर्यात अभिमुख यूनिट (ईओयू), इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ईएचटीपी), साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपी) स्कीम और बायो टेक्नोलॉजी पार्क (बीटीपी)

6.00 स्कीम

निर्यात अभिमुख यूनिट (ईओयू), इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क (ईएचटीपी) सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क (एसटीपी) व जैव प्रौद्योगिकी पार्क (बीटीपी) स्कीम से संबंधित नीति विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के अध्याय 6 में दी गयी है।

6.01 आवेदन/अनुमोदन/अनुमोदन का नवीकरण

(क) ईओयू स्थापित करने हेतु परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र के आयात-निर्यात प्रपत्र 6क के अनुसार आवेदन की तीन प्रतियां विकास आयुक्त को प्रस्तुत करनी होंगी।

(ख)

(i) ईओयू स्कीम के तहत यूनिटों की स्थापना हेतु प्रस्तावों के आवेदन, परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्रों के **परिशिष्ट-6क** में उल्लिखित मापदन्डों तथा परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्रों के **परिशिष्ट 6ख** में दी गई अनुमोदन संबंधित क्षेत्र विशिष्ट शर्तों के अनुसार 15 दिनों के भीतर यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित अथवा रद्द किया जाएगा । अन्य मामलों में, अनुमोदन बोर्ड द्वारा स्वीकृति देने के बाद विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा ।

(ii) अनुमोदन होने पर एक अनुमति पत्र (एलओपी)/आ ाय पत्र (एलओआई) को विकास आयुक्त/ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाई के नामित अधिकार द्वारा जारी किया जाएगा। एलओपी/एलओआई की प्रारंभिक वैधता 2 वर्श की होगी ताकि इकाई संयंत्र का निर्माण कार्य और म ाीनरी संस्थापित कर सके तथा इस समय तक इकाई को उत्पादन प्रारंभ कर देना चाहिए। यदि इकाई प्रारंभिक 2 वर्शों की वैधता–अवधि में उत्पादन प्रारंभ करने में असमर्थ है तो विकास आयुक्त द्वारा लिखित में वैध कारणों का उल्लेख करते हुए एक वर्श का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। तदोपरांत इकाई अनुमोदन समिति द्वारा एक वर्श का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है ब ार्ते इकाई को स्थापित करने से संबंधित निर्माण सहित दो तिहाई कार्यकलाप पूरे किए गए हों तथा इस संबंध में इकाई द्वारा सनदी अभियंता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए। इसके आगे अतिरिक्त समय यदि आव यक हो, अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रदान किया जाएगा। एक बार इकाई द्वारा उत्पादन भ्रारू करने पर इसके कार्यकलापों हेतु जारी किया गया अनुमति पत्र (एलओपी)/एलओआई (आ ाय पत्र) 5 वर्शों की अवधि के लिए मान्य होगा। इस अवधि को विकास आयुक्त द्वारा एक बार में 5 वर्शों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

(ग) औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता वाले ई ओ यू स्थापित करने के प्रस्तावों को अनुमोदन बोर्ड (परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्रों के **परिशिष्ट 6ग** के अनुसार) और औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा गुण-दोष के आधार पर 45 दिनों के भीतर विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा ।

(घ) साफ्टवेयर टैक्नॉलाजी पार्क/इलैक्ट्रानिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क काम्पलेक्सों को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा उनके किसी संयोजन द्वारा स्थापित किया जा सकता है जो संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग- डीईआईटीवाई) की अन्तर मंत्रालयी स्थायी समिति (आईएमएससी) द्वारा विधिवत अनुमोदित होगा। ईएचटीपी/एसटीपी यूनिट स्थापित करने हेतु आवेदन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में होगा तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामित अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

(ड.) बीटीपी यूनिट केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा इनके किसी भी संयोजन द्वारा स्थापित किया जा सकता है। बीटीपी स्थापित करने हेतु आवेदन जैव प्रौद्योगिकी विभाग को प्रस्तुत करना होगा और ऐसे आवेदन जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों को पूरे करते हों उन्हें अनुमोदित किया जाएगा और डीजीएफटी को अधिसूचना हेतु संस्तुत किया जाएगा। बीटीपी यूनिट को स्थापित करने हेतु आवेदन जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामित अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

(च) तैयार माल, उप-उत्पाद और डीटीए में अपशिष्ट की बिक्री तथा ऐसे अन्य मामले जो आवश्यक हों, के संबंध में एलओपी/एल ओ आई में विनिर्माण मदें/सेवा गतिविधियों, वार्षिक क्षमता, डालरों में प्रथम पांच वर्षों के लिए अपेक्षित वार्षिक निर्यात, निवल विदेशी मुद्रा अर्जन (एनएफई) सीमाओं यदि कोई हो, का उल्लेख होगा और ऐसी शर्तें भी होंगी जा अपेक्षित हों ।

(छ) संबंधित प्राधिकारी द्वारा ईओयू/ ईएचटीपी/ एसटीपी/ बीटीपी यूनिटों को जारी एलओपी/ एलओआई सभी उद्देश्यों हेतु प्राधिकार पत्र माने जाएंगे । ईओयू हेतु एलओपी का मानक प्रपत्र परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र के **परिशिष्ट 6घ** में दिया गया है।

(ज) ई ओ यू के पास अलग एल ओ पी हेतु अलग निर्धारित परिसर होंगे। इसी प्रकार, ईओयू लीज्ड परिसरों पर अनुमोदित की जा सकती है बशर्ते कि लीज सरकारी विभाग/उपक्रम/ एजेंसी से प्राप्त की गयी हो। तथापि, यदि लीज निजी पक्षों से प्राप्त की गयी हो, तो इसकी वैधता एलयूटी की तारीख से 5 वर्षों की अवधि होगी तथा विकास आयुक्त लीज की वास्तविकता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेगा ।

(झ) विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.05 में उल्लिखित अनुमोदन अवधि के पूरा होने पर, स्कीम में बने रहने अथवा उससे बाहर चले जाने का विकल्प यूनिट के पास होगा। जहाँ यूनिटें जारी रहने का विकल्प चुनती है, तो विकास आयुक्त अनुमोदन अवधि को बढ़ा देगा। यदि अनुमोदन अवधि समाप्त होने के छह महीनों की अवधि के भीतर यूनिट से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो विकास आयुक्त ई ओ यू स्कीम के अन्तर्गत अनुमोदन को स्वयं रद्द करने की कार्रवाई करेगा और इस संबंध में आगे कार्रवाई करेगा। जहाँ इकाईयाँ उपर्युक्त निर्धारित 6 माह की अवधि के समाप्त होने के प चात् कार्य जारी रखने का विकल्प चुनती है तो विकास आयुक्त बी और ए के अनुमोदन से अवधि को बढ़ा देगा।

6.02 विधिक वचनबद्धता(एलयूटी)

(क) अनुमोदित ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र के **परिशिष्ट 6ड.** में उल्लिखित प्रपत्र के अनुसार संबंधित विकास आयुक्त/नामित अधिकारी को विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत करेगी।

(ख) सभी ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों का स्थायी ई-मेल पता होना चाहिए । स्थायी ई-मेल पता तथा उपरोक्त ई-मेल आई डी पर डिजीटल हस्ताक्षर न होने की स्थिति में नई यूनिटों हेतु कोई विधिक वचनबद्धता निष्पादित नहीं की जाएगी। ईओयू का स्थायी ई-मेल पता तथा डिजीटल हस्ताक्षर न होने की स्थिति में आगे आयात और डीटीए बिक्री की विकास आयुक्त द्वारा अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.03 माल और सेवाओं का निर्यात

(क) सॉफ्टवेयर यूनिटें, पेशेवर सेवाओं के निर्यात समेत डाटासंचार लिंकों का इस्तेमाल करते हुए अथवा वास्तविक निर्यात के रूप में (जो कूरियर सेवा के माध्यम से भी हो सकता है) निर्यात कर सकती हैं।

(ख) ईओयू को नामित एजेंसी द्वारा जारी नोशनल रेट सर्टीफिकेट के आधार पर आभूषणों का निर्यात करने की अनुमति होगी। यह रेट नोशनल रेट सर्टीफिकेट में प्रचलित स्वर्ण/अमेरिकी डालर दर और अमेरिकी डालर/भारतीय रुपया दर पर आधारित होगा। नामित एजेंसी द्वारा जारी सर्टिफिकेट पोत लदान की तारीख के 7 कार्य दिवसों से पहले का नहीं होना चाहिए।

(ग) निर्यातक को निर्यात करने की तारीख से 180 दिन के भीतर स्वर्ण का मूल्य निर्धारित करने और स्वर्ण ऋण चुकाने की छूट होगी। नामित एजेंसियों को मूल्य की सूचनाएं दी जाएगी जो प्रमाणपत्र जारी करेंगी, जिसमें निर्यात आय की प्राप्ति इस दर पर सुनिश्चित करने हेतु दस्तावेज तैयार करने वाले बैंक की दर की अन्तिम पुष्टि दर्शाई गई हो।

(घ) रत्न और आभूषण तथा आभूषण ईओयू आयातित माल का पुनः निर्यात और घरेलू तौर पर खरीदे माल का निर्यात कर सकती हैं जिसमें आंशिक संसाधन/विनिर्माण से पैदा हुई वस्तुएँ शामिल हैं। इसके अलावा, उपयुक्त शुल्क का भुगतान करके यथा लागू वैध रत्न एवं आभूषण प्रतिपूर्ति के मद्दे डीटीए में आयातित अथवा स्वदेशी तौर पर खरीदे माल के मूल्य के 5% तक अनुपयुक्त/टूटे, कटे और पालिश किए गए हीरों, कीमती और अर्ध-कीमती रत्नों की आपूर्ति भी अनुमत होगी।

6.04 माल का आयात/घरेलू खरीद

घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र से निम्नलिखित पूँजीगत माल के आयात/ खरीद की अनुमति होगी:–

(क) कच्चा माल, संघटक, उपभोज्य, अन्तर्वर्ती, कल-पुर्जे और पैकिंग सामग्री;

(ख) पूँजीगत माल, चाहे नया हो या पुराना हो, जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित और उनके कल-पुर्जे हों:

1. डी जी सैट्स, कैपटिव पावर प्लांट्स, ट्रांसफार्मर्स तथा उपरोक्त सभी के लिए सहायक उपकरण ।
2. प्रदूषण नियंत्रण उपकरण।
3. गुणवत्ता गारंटी उपकरण।
4. सामग्री प्रबंधन उपकरण जैसे फोर्क लिफ्ट्स तथा ओवरहैड क्रेन्स, मोबाइल क्रेन्स, क्रालर क्रेन्स, हाऐस्ट्स और स्टैकर्स

5. अबाधित बिजली आपूर्ति प्रणाली (यूपीएस) संचयन के लिए विशेष रैक्स, संचयन प्रणाली, मोडयूलर फर्नीचर, कम्प्यूटर फर्नीचर, एंटी स्टेटिक कारपेट, टेलीकन्फ्रेन्स उपकरण, सर्वो कन्ट्रोल प्रणाली, एयर-कंडीशनर्स, एयरकंडीशनिंग सिस्टम, विद्युत उपकरण के लिए पैनल और स्पेशल डाटा ट्रान्समीशन केबल।
6. सुरक्षा प्रणालियाँ।
7. टूल्स, जिग्स, फिक्सचर्स, गेजेज, मोल्ड्स, डाइज, उपकरण तथा अनुषंगिक मदें।

(ग) यूनिट के भीतर उपयोग हेतु पूँजीगत माल बनाने के लिए कच्चा माल।

(घ) अन्य जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं-

1. मौजूदा उत्पाद (उत्पादों) हेतु प्रोटोटाइप तथा तकनीकी नमूने तथा उत्पाद विविधीकरण, विकास अथवा मूल्यांकन।

2. ड्राइंग्स, ब्लू प्रिन्ट्स, चार्ट्स, माइक्रो फिल्म और तकनीकी डाटा।

3. पीएबीएक्स, फैक्स मशीनें, प्रोजेक्शन प्रणाली, कम्प्यूटर्स, लैपटाप, सर्वर सहित कार्यालय उपकरण।

(ङ) उक्त मदों के लिए कल-पुर्जे तथा उपभोज्य।

(च) अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन से अन्य कोई मद जो ऊपर उल्लिखित न हो ।

6.05 आभूषण की मरम्मत/पुनर्निर्माण

ईओयू, मरम्मत/पुनर्निर्माण के बाद निर्यात हेतु सादा/जड़ित स्वर्ण/ प्लेटिनम अथवा चाँदी आभूषणों का आयात कर सकती है।

6.06 आयात की शर्तें

ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी द्वारा माल का आयात निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:–

(क) माल का ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बी टी पी परिसरों में आयात किया जाएगा। तथापि, ईओयू में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों और ग्रेनाइट क्षेत्र के एकक क्षेत्राधिकार में आने वाले सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों को पहले ही सूचित करके फार्मों/

फील्डों/खदानों में पूँजीगत वस्तुओं और निविष्टियों की आपूर्ति/हस्तांतरण कर सकते हैं बशर्ते माल का स्वामित्व ईओयू एकक का हो। ग्रेनाइट सैक्टर को खदान स्थल को पूंजीगत माल के मूल्य के 5 प्रतिशत तक हिस्से पूर्जों को ले जाने की भी अनुमति होगी।

(ख) निर्यात अभिमुख एककों और ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी की एककों के लिए सीमा शुल्क/केन्द्रीय उत्पाद भाुल्क संबंधी नियमों के अधीन यथा निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जायेगी तथा सीमा भाुल्क/केन्द्रीय उत्पाद भाुल्क प्राधिकारियों के साथ समुचित बांड निश्पादित किया जाएगा।

(ग) (i) पूँजीगत माल सहित वस्तुओं के उपयोग की अवधि एलओपी की वैधता की सहमियादी होगी।

(ii) तथापि, आयातित चाय का इस्तेमाल आयात की तारीख से छः महीने की अवधि के भीतर करना होगा। इसी प्रकार, मदों (आई.टी.सी. (एचएस) के अध्याय-9 के अन्तर्गत शामिल) के आयात के मद्दे निर्यात दायित्व और नारियल तेल की प्रतिपूर्ति सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा आयात की प्रथम खेप की निकासी दिए जाने की तारीख से 90 दिन के भीतर करना होगा।

(iii) इसके अतिरिक्त, वीए प्रयोजन जैसे क्रशिंग/ग्राइंडिंग/स्टेरेलाइजेशन अथवा मिर्च, छोटी इलायची और लाल मिर्चों के तेल (और सिर्फ साफ करने, ग्रेडिंग और रिपैकेजिंग आदि के लिए नहीं) और ओलियोरेजिन के विनिर्माण के लिए मसालों के आयात के मामले में, निर्यात दायित्व पहली खेप के आयात की तारीख से 120 दिन के भीतर पूरा किया जाएगा। मसालों के आयात के मामले में (काली मिर्च, इलायची, लाल मिर्च को छोड़कर) मसाला तेलों और ओलियोरेसिन के विर्निमाण हेतु निर्यात दायित्व 12 महीनों के भीतर पूरा करना होगा।

(घ) अनुमति पत्र/आशय पत्र जारी किये जाने से पूर्व आयातित/जहाज से भेजी गई/पहुँच चुकी वस्तुएँ ईओयू/ ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी स्कीम के तहत शुल्क मुक्त निकासी हेतु पात्र होंगी बशर्ते सीमा-शुल्क का भुगतान न किया गया हो और वस्तुओं की सीमाशुल्क प्राधिकारी से निकासी न कराई गई हो।

(ड.) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट द्वारा निविष्टियों की खपत मानक निविश्टि उत्पादन मानदण्ड (सियॉन) पर आधारित होगी बशर्ते किः

(i) जहाँ सियॉन को अधिसूचित नहीं किया गया है, अवशिष्ट, स्क्रैप और रैमनेंट्स निवेश की मात्रा के 2 प्रतिशत तक होगीः

(ii) जहाँ सियॉन में दी गई मदों को छोड़ कर अतिरिक्त मदें निवेशों के रूप में अपेक्षित है अथवा जहाँ अपशिष्ट, स्क्रैप और रैमनेन्ट्स निवेश की मात्रा से 2 प्रतिशत अधिक है, ऐसे निवेशों के प्रयोग की अनुमति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर और स्व घोषित मानदण्ड के आधार पर क्षेत्रीय निर्यात आयुक्त द्वारा होगी और विदेश व्यापार महानिदेशालय में मानदण्ड समिति द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित मानदण्डों के अनुसार यूनिट द्वारा स्व घोषित/तदर्थ मानदण्डों पर वचनबद्धता दी जाएगी।

(iii) यथोपरोक्त सियॉन के निर्धारण में कठिनाई के मामले में, अनुमोदन बोर्ड विदेश व्यापार महानिदेशालय में मानदण्ड समिति के साथ विचार विमर्श करके मामला दर मामला निर्णय करेगा।

6.07 अनुमोदित परिसरों के बाहर फैक्स मशीनें/ लैपटॉप/कम्प्यूटर को ले जाना

(क) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट इकाई के परिसर के बाहर, अपनी पसंद के स्थान पर एक फैक्स मशीन लगा सकते हैं बशर्ते कि इसके कार्य स्थल के बारे में सीमा शुल्क/ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों को सूचित किया जाएगा।

(ख) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट शुल्क तथा/अथवा कर मुक्त लैपटाप/कम्प्यूटर और वीडिया प्रोजेक्शन सिस्टम को अस्थायी रुप से इकाई परिसर के बाहर ले जा सकते हैं ताकि इन पर प्राधिकृत कर्मचारी कार्य कर सकें।

(ग) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटें अपने पंजीकृत/प्रशासनिक कार्यालय में राजस्व विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार शुल्क तथा/अथवा कर मुक्त आयातित/प्राप्त निजी कम्प्यूटर, जो दो से ज्यादा न हों, लगा सकतें हैं।

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए सॉफ्टवेयर यूनिटों द्वारा प्राधिकृत सूचना व्यक्ति संचार लिंकों के माध्यम से ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट में स्थापित सुविधा का लाभ ले सकते हैं।

6.08 यूनिट से बाहर के स्थान पर कार्य करने की सुविधा

(i) आईटी से संबंधित ईओयू अथवा (ii) एसटीपी अथवा (iii) ईएचटीपी अथवा (iv) बीटीपी की यूनिटों के व्यक्ति (व्यक्तियों)/ कर्मचारी (कर्मचारियों) निम्नलिखित शर्तों के अधीन उक्त यूनिट से बाहर के स्थान पर कार्य कर सकते हैं:

(i) यूनिट द्वारा ऐसे प्राधिकार-पत्र की अवधि को दर्शाते हुए प्राधिकार-पत्र होना चाहिए।

(ii) कार्य और निरीक्षण करने का उत्तरदायित्व, यदि कोई है चाहे वह यूनिट का हो, जो किसी दुरूपयोग के लिए उत्तरदायी होगा।

(iii) परिणामी उत्पादों/सेवाओं का निर्यात केवल यूनिट के परिसर से किया जाएगा।

6.09 पूँजीगत माल की लीजिंग

लीजिंग कम्पनियों के माध्यम से वित्तपोषित अथवा मुफ्त प्राप्त और/अथवा ऋण/लीज आधार पर आयातित पूँजीगत माल के मूल्य को भी विदेश व्यापार नीति में यथा परिभाषित निवल विदेशी मुद्रा के परिकलन के उद्देश्य हेतु ध्यान में रखा जाएगा।

6.10 निवल विदेशी मुद्रा (एन एफ ई) अर्जन

(क) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटें निवल विदेशी मुद्रा अर्जक होंगी। निवल विदेशी मुद्रा की संगणना विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.04 के अनुसार खण्ड अवधि में संचयी आधार पर निम्नलिखित फार्मूला के अनुसार की जाएगी । केवल अनुज्ञापत्र/ आशयपत्र में विर्निदिष्ट निर्यात हेतु विर्निमाण की मदें निवल विदेशी मुद्रा की संगणना हेतु ध्यान में रखी जाएंगी ।

सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा अर्जन (एन एफ ई) =

'ए' – बी > 0

जहाँ

'एनएफई' निवल विदेशी मुद्रा है;

'ए' ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट के निर्यात का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य है;

'बी' सभी आयातित निविष्टियों का लागत बीमा भाड़ा मूल्य, सभी आयातित पूंजीगत माल का लागत बीमा भाड़ा मूल्य और प्रथम पाँच वर्षों के दौरान कमीशन, रायल्टी, शुल्क, लाभांश, विदेशी उधार पर ब्याज/खुले समुद्र में बिक्री के माध्यम से विदेशी मुद्रा में किए गए सभी भुगतान का मूल्य या किसी अन्य प्रभार का समग्र योग है। इसमें खुले समुद्र पर भारतीय रूपये में किया गया भुगतान भी शामिल होगा।

"निविष्टि" का तात्पर्य कच्चे माल, अन्तर्वर्ती, संघटक, उपभोज्य, कलपुर्जे और पैकिंग सामग्री से है।

(ख) यदि कोई माल अन्य ईओयू/ईएचटीपी/ एसटीपी/ बीटीपी/ एसईजैड यूनिट या भारत में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों या बॉंडेड गोदामों से या बहुमूल्य धातुएं नामित एजेंसियों से प्राप्त है तो ऐसी वस्तुओं का मूल्य 'बी' के अधीन शामिल किया जाएगा।

(ग) यदि किसी लीजिंग कम्पनी से किसी पूँजीगत माल का शुल्क तथा/अथवा कर मुक्त आयात किया जाता है/अथवा लीज किया जाता है, मुफ्त और/अथवा ऋण आधार पर या हस्तांतरण आधार पर प्राप्त किया जाता है तो पूंजीगत माल के लागत बीमा भाड़ा मूल्य को जब तब ये उसके पास रहता है, 'बी' के अधीन यथानुपात शामिल किया जाएगा।

(घ) निवल विदेशी मुद्रा की वार्षिक संगणना के लिए, आयातित पूँजीगत माल का मूल्य और विदेशी तकनीकी जानकारी शुल्क का एकमुश्त भुगतान निम्नानुसार प्राधिकृत किया जाएगाः

प्रथम - दसवां वर्ष = 10 प्रतिशत।

बशर्ते कि उपर्युक्त परिशोधन दरें तभी लागू होंगी जब यूनिट द्वारा यह वचनबद्धता दी जाये कि वह पहले दस वर्ष में डीटीए से बाहर नहीं जाएगी। मौजूदा यूनिटों हेतु, बाहर जाने से पूर्व, अनुपातिक सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क देना होगा जहाँ पहले से दावित मूल्य ह्रास की तुलना में निवल विदेशी मुद्रा कम है।

6.11 खातों का रखरखाव

(क) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट अपने खातों को ठीक ढंग से रखेगी और परिशिष्टों और एएनएफ के अनुलग्नक और परिशिष्ट 6ड. में यथानिर्धारित नियमों के अनुसार विकास आयुक्त/प्रौद्योगिकी विभाग/जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नामित अधिकारी तथा सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों को डिजीटल हस्ताक्षरित तिमाही और वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

(ख) यूनिट, डीटीए में निर्यात, बिक्री/आपूर्ति या अन्य एसईजैड/ ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/ बीटीपी यूनिटों को हस्तांतरित और अपने स्टॉक के शेष माल के माध्यम से सुसंगत मालों के प्रत्येक श्रेणी के शुल्क तथा/अथवा कर मुक्त आयात/प्राप्त माल की कुल मात्रा का हिसाब लगा सकेगी। तथापि, किसी भी समय यूनिटों को अपने निर्यातों के साथ प्रत्येक आयात खेप को सम्बद्ध करने, अन्य एसईजेड/ईओयू/ ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों को हस्तान्तरण करने, डीटीए में बिक्री करने और शेष वस्तुओं को स्टॉक में रखना अपेक्षित है । माल एकरूप है या नहीं उसके बारे में निर्णय यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा लिया जाएगा।

6.12 निवल विदेशी मुद्रा की निगरानी

परिशिष्टों और एएनएफ के परिशिष्ट 6च में उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुसार यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा ईओयू के निष्पादन की निगरानी की जाएगी। ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों के निष्पादन की निगरानी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/जैव प्रौद्योगिकी विभाग, केन्द्रीय उत्पाद/ सीमाशुल्क प्राधिकारी के साथ संयुक्त रुप से करेगा ।

6.13 स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम के स्क्रैप/डस्ट/ स्वीपिंग का मानक छड़ों में परिवर्तन

स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम के स्क्रैप/डस्ट/स्वीपिंग ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी यूनिट से गर्वमैंट ऑफ इण्डिया मिण्ट/प्राइवेट मिण्ट को भेजी जा सकती है और सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इन्हें मानक छड़ों के रूप में लौटाया जा सकता है अथवा सीमाशुल्क प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचित स्वर्ण/ चाँदी/ प्लेटिनम अंश के आधार पर लागू निविश्टियों पर छूट के रूप में प्राप्त सीमा भाुल्क प्र ाुल्क अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत लगाए जाने वाले सीमा भाुल्क के रिवर्सल सहित जीएसटी और प्रतिपूर्ति उपकर के भुगतान पर डीटीए में बेचने की अनुमति दी जा सकती है ।

6.14 डीटीए आपूर्तियाँ

विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.08 में डी टी ए बिक्री के प्रावधान के बावजूद डी टी ए बिक्री उस समय लागू आयात को प्रभावित करने वाले किसी प्रतिबंध अथवा विनियमन के किसी माल के अनुप्रयोग को प्रभावित नहीं करेगा जब ऐसी वस्तुओं का आयात किया गया है। आयातक को कानूनों अथवा नियमों के तहत किन्ही आवश्यकताओं के मद्दे प्रतिबद्धता अथवा अनुपालन से किसी प्रकार की छूट अथवा रियायत भी प्राप्त नहीं होगी ।

6.15 अन्य ईओयू/ईएच टीपी/ एसटीपी/एसईजैड/बीटी पी यूनिटों को आपूर्तियाँ

अन्य ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/एसईजैड/बीटीपी/एसईजैड यूनिटों को आपूर्तियाँ निवल विदेशी मुद्रा के लिए गिनी जाएगी बशर्ते कि ऐसा माल इन यूनिटों द्वारा प्राप्ति के लिए अनुमत हो।

6.16 एक एकक से दूसरे एकक को विद्युत का हस्तांतरण

एक ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट से दूसरे ईओयू/ ईएचटीपी/एसटीपी/एसईजैड यूनिट को कैपटिव पावर प्लान्टों (डीजी सैट) से विद्युत का हस्तांतरण परिशिष्टों और एएनएफ के **परिशिष्ट 6ख** में क्षेत्र विशिष्ट शर्त में विनिर्दिष्ट अनुसार अनुमत होगी ।

6.17 डीटीए से बहुमूल्य /अर्ध बहुमूल्य/ सिंथेटिक पत्थरों की आपूर्ति

डीटीए से ईओयू को बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों, सिंथेटिक पत्थरों और संसाधित मोतियों के आपूर्तिकर्ता प्रक्रिया पुस्तक में उल्लिखित मदों और दरों पर प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र पाने के पात्र होंगे। प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के सम्बद्ध अध्याय में यथा निहित प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया लागू होगी। तथापि, आवेदन संबंधित विकास आयुक्त को प्रस्तुत किया जाए । विदेश व्यापार नीति 2015–20 के अध्याय–7 के तहत ईओयू को की गई ऐसी आपूर्तियों को किसी मान्य निर्यात लाभ के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

6.18 हकदारियों की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र

सभी हकदारियों की मंजूरी के लिए आवेदन संबंधित विकास आयुक्त को प्रस्तुत किया जाए ।

6.19 अन्य निर्यातकों के जरिए निर्यात

कोई निर्यात अभिमुख यूनिट/इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलाजी पार्क/सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क/ बीटीपी की यूनिट अपने विनिर्मित माल/इसके द्वारा विकसित साफ्टवेयर का निर्यात किसी निर्यातक या किसी अन्य निर्यात अभिमुख यूनिट/ इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क/साफ्टवेयर टेकनोलॉजी पार्क/बीटीपी/एसईजेड यूनिट के जरिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जा सकता है:-

(क) माल संबंधित ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट में तैयार किया जाएगा ।

(ख) निवल विदेशी मुद्रा का स्तर अथवा यथानिर्धारित आयातों और निर्यातों से संबंधित अन्य शर्ते संबंधित ईओयू/ ईएचटीपी/ एसटीपी/बीटीपी यूनिट द्वारा पालन की जाएगी।

(ग) इस प्रकार प्राप्त निर्यात आदेश ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी स्कीमों के मानदण्डों के अन्तर्गत ही निष्पादित किए जाएंगे और माल यूनिट से सीधे ही पोत लदान के पत्तन पर भेज दिया जाएगा ।

घ) ऐसे निर्यात के संबंध में ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों द्वारा एन एफ ई को पूरा करने के लिए अन्य ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी/एस ई जेड यूनिट या अन्य निर्यातक को ई ओ यू द्वारा जिस मूल्य पर आपूर्ति की गई है, के आधार पर गणना की जाएगी ।

ड.) सभी निर्यात हकदारियाँ जिसमें स्तरधारक की मान्यता भी शामिल है, निर्यातक के खाते में जोड़े जाएंगे जिसके नाम से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई है। तथापि, ऐसा निर्यात ई ओ यू/ ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी स्कीम के अन्तर्गत दायित्व को पूरा करने के लिए गिना जाएगा ।

6.20 अन्य हकदारियां

(क) निर्यात सदन और व्यापार सदन स्तर प्रदान करने के लिए ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट डी टी ए में मूल कंपनी अथवा विलोमतः के निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के साथ निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य को मिला दिया जाएगा ।

(ख) भारत सरकार द्वारा यथा अधिसूचित क्षेत्रीय मानदण्ड सेवा गतिविधियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर लागू होंगे ।

(ग) प्रशिक्षण प्रयोजन (जिसमें वाणिज्यिक प्रशिक्षण शामिल है) के लिए एसटीपी इकाईयां/ईएचटीपी इकाईयां/साफ्टवेयर ईओयू भी सभी शुल्क तथा/अथवा कर मुक्त उपस्कर/वस्तुओं का उपयोग कर सकती हैं बशर्ते कि इस प्रयोजन के लिए परिसर से बाहर कोई शुल्क तथा/अथवा कर मुक्त उपस्कर/वस्तुएं संस्थापित न हों।

(घ) लौह अयस्क का निर्यात भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अधीन होगा। आई टी सी (एचएस) के अनुसार निर्यात की अन्य शर्तें जैसे न्यूनतम निर्यात मूल्य/ उपभोक्ता पैक आदि में निर्यात की अपेक्षा डीटीए से खरीदे गए कच्चे माल और ईओयू द्वारा प्रसंस्करण/ विनिर्माण के बिना निर्यात के मामले में लागू होगी । वस्त्र मदों का निर्यात द्विपक्षीय समझौते के अन्तर्गत आएगा । काष्ठ आधारित एककों को इमारती लकड़ी/अन्य काष्ठ के उपयोग के संबंध में 1996 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 171 टी.एन. गोडावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत सरकार और अन्य 1995 की रिट सिविल) संख्या 202 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 12.12.1996 के आदेश में दिए गए निदेशों का अनुपालन करना होगा ।

6.21 उप ठेका

(क) अन्य ईओयू या एसईजेड यूनिटों अथवा डीटीए में यूनिटों के माध्यम से ईओयू रत्न और आभूषण यूनिटों द्वारा उप-ठेका निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिया जाएगा :-

(i) उप ठेके पर दिया गया तैयार या अर्ध तैयार माल, जिसमें जड़ित आभूषण भी शामिल हैं, को 90 दिनों के भीतर यूनिट में वापस लाना होगा ।

(ii) किसी कटे और पालिश किए हीरों, बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों (बहुमूल्य, अर्द्धबहुमूल्य और सिंथेटिक पत्थर, जिनपर शून्य शुल्क हो, को छोड़कर) उप-ठेके पर देने की अनुमति नहीं होगी ।

(iii) डीटीए/ईओयू/एसईजैड यूनिटों से सादे स्वर्ण/चाँदी/ प्लेटिनम की बराबर मात्रा के बदले प्राप्त उक्त आभूषण में शामिल स्वर्ण/ चाँदी/ प्लेटिनम के आभूषण, जैसा भी मामला हो।

(iv) ईओयू प्रक्रिया पुस्तक के पैरा-4.60 के अनुसार उप ठेके हेतु अदला-बदली के मद्दे यथा लागू छीजन के लिए पात्र होगा ।

(v) विदे ा व्यापार नीति के अध्याय 7 के तहत डीटीए यूनिट जो स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम के बदले में जॉब कार्य या आभूषण आपूर्ति का कार्य करती है, वह मान्य निर्यात लाभों की पात्र नहीं होगी।

(ख) डीटीए यूनिट से जॉब वर्क करवाने की सुविधा उपलब्ध होगी ब ार्ते जॉबवर्क पूरा होने पर वस्तुओं को यूनिट के परिसर में वापस लाया जाए ।

(ग) जॉब वर्कर के परिसर से तैयार माल के निर्यात की अनुमति होगी बशर्ते कि ऐसे परिसर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/जीएसटी प्राधिकारियों के साथ पंजीकृत हों। जहाँ जॉब वर्कर एसईजैड/ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट है, वहां निर्यात या तो जॉब वर्कर के परिसर अथवा यूनिट के परिसरों से किया जा सकता है । जॉब वर्कर के परिसर से ऐसे उत्पादों के तृतीय पार्टी के माध्यम से निर्यात करने की अनुमति नहीं होगी जैसा कि विदेश व्यापार नीति में उल्लेख किया गया है।

(घ) ईओयू को उप ठेकेदारों के परिसर से मोल्ड्स, जिग्स, टूल्स, फिक्चर्स, टेकल्स, उपकरण, हैंगर्स और पैटर्न और ड्राइंग को हटाने की अनुमति होगी बशर्ते कि इन्हें निर्धारित अवधि के भीतर जॉब कार्य पूरा होने पर यूनिट के परिसर में वापस लाया जाए । इस माल के साथ कच्चा माल भेजा अथवा नहीं भी भेजा जा सकता है।

(ड.) विदेश में उत्पादन प्रक्रिया के उपठेके के मामले में माल का उपठेकेदार के परिसर से निर्यात किया जा सकता है बशर्ते कि माल की निकासी के समय, ईओयू/ईएचटीपी/बीटीपी/एसटीपी यूनिट (i) विदेश में उप-ठेकेदार के परिसर से निकासी किए जाने वाले तैयार माल की सौदा लागत; (ii) विदेश में उप-ठेकेदार को भुगतान किए गए जॉब वर्क प्रभारों; और (iii) अन्तर्वर्ती माल के मूल्य की घोषणा करेगी; इसके साथ दस्तावेज अर्थात (क) तैयार माल का बिक्री मूल्य कांट्रेक्ट/अथवा बीजक (ख) जॉब वर्क कांट्रेक्ट और (ग) अन्तर्वर्ती माल का मूल्य आंकने का आधार भी प्रस्तुत करना होगा। ईओयू/ईएचटीपी/बीटीपी/एसटीपी यूनिट घोषित विदेशी मुद्रा की पूरी वापसी भी सुनिश्चित करेगी जो उपठेकेदार के विदेशी परिसर से तैयार माल के सौदा लागत मूल्य के रूप में होगी।

6.22 ठेका कृषि

कृषि/बागवानी/जलकृषि उत्पादों के उत्पादन/संसाधन में संलग्न ई ओ यू सीमाशुल्क प्राधिकारियों से वार्षिक अनुमति के आधार पर निम्नलिखित शर्तों के मद्दे डीटीए फार्म से उपकरण और साजो सामान निकाल सकती है (**परिशिष्ट 6झ** के अनुलग्नक और एएनएफ में विनिर्दिष्ट):-

(क) ठेके फार्मों से ईओयू द्वारा निविष्टियों की आपूर्ति विदेश व्यापार महानिदेशालय/अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित निविष्टि-उत्पादन मानदंडों के मद्दे होगी ।

(ख) ईओयू और डीटीए किसान (किसानों) के बीच ठेका कृषि समझौता होगा ।

(ग) ईकाई, कृषि/बागवानी/जलकृषि उत्पादों के निर्यात में कम से कम दो वर्षों के लिए संलग्न रहनी चाहिए, अन्यथा उस यूनिट को सीमाशुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उप/सहायक आयुक्त के पास बाहर ले जाने वाले पूंजीगत माल/निविष्टियों के लिए छोड़े गए भाुल्क तथा/अथवा कर के बराबर बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी, जब तक यूनिट दो वर्ष पूरे न कर लें।

6.23 प्रदर्शनियों के माध्यम से निर्यात/निर्यात संवर्धन दौरे

ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटें विकास आयुक्त की अनुमति से विदेशों में प्रदर्शनियाँ आयोजित करने/प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन माल का निर्यात कर सकती है:-

(क) यूनिट, सीमाशुल्क प्राधिकारियों को मूल पत्र या इसकी प्रमाणित प्रति जिसमें विकास आयुक्त का अनुमोदन हो, प्रस्तुत करेगा । रत्न और आभूषण मदों के लिए, उत्पाद की एक स्व प्रमाणित फोटोप्रति भी प्रस्तुत करनी होगी ।

(ख) पुनः आयात के मामले में, आगमन पर ऐसी मदों को, निकासी से पूर्व निर्यात दस्तावेजों के साथ प्रमाणित किया जाएगा ।

(ग) जिन मदें विदेश में बिक्री न की गई हों, प्रदर्शनी समाप्त होने के 60 दिनों के भीतर उनका पुनः आयात किया जाएगा । तथापि, यदि निर्यातक प्रथम प्रदर्शनी के बंद होने के 45 दिनों के भीतर एक से अधिक प्रदर्शनी में, भाग लेना चाहता है तो 60 दिनों की गणना प्रथम प्रदर्शनी के बंद होने की तारीख से की जाएगी। यू.एस.ए. में प्रदर्शनी के मामले में, समयावधि ऊपर उल्लिखित 60 दिनों की बजाय 90 दिन होगी ।

(घ) वस्तुओं को व्यक्तिगत असबाब के रुप में ले जाने/विदेशों में प्रदर्शिनियों में भाग लेने के लिए ऐसे रत्नों और आभूषणों का मूल्य 5 मिलियन अमेरिकी डालर से अधिक नहीं होना चाहिए।

6.24 निर्यात संवर्धन दौरों के लिए रत्न एवं आभूषणों को व्यक्तिगत असबाब के रुप में ले जाना ।

ईओयू द्वारा निर्यात संवर्धन दौरों और विदेशों में अस्थायीप्रदर्शन/ बिक्री के लिए 1 मिलियन अमरीकी डालर तक के स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम के आभूषणों, कटे और पॉलिश किए हुए हीरों, बहुमूल्य, अर्ध बहुमूल्य रत्नों, मनकों और नमूनों के रुप में सामग्री के व्यक्तिगत असबाब की निम्नलिखित शर्तों पर विकास आयुक्त के अनुमोदन से अनुमति होगी :-

(क) ईओयू सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से भेजने की तारीख से 45 दिनों के भीतर माल अथवा प्रत्यावर्तित बिक्री आय को वापस लाएगा ।

(ख) यूनिट देश छोड़ते समय ऐसे नमूनों के व्यक्तिगत असवाब की सीमाशुल्क को घोषणा करेगा और आवश्यक अनुमति प्राप्त करेगा ।

6.25 विदेशों में शोरुम/ शुल्क मुक्त दुकानों के माध्यम से निर्यात

विदेश में स्थापित अनुमत दुकानों या वितरकों/एजेंटों के शोरुम में प्रदर्शनी/बिक्री के लिए भी माल के निर्यात की अनुमति है । मदें जो 180 दिनों के भीतर विदेशों में नहीं बिकती उसका 45 दिनों में पुनः आयात किया जाएगा ।

6.26 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर स्थित शोरुम /फुटकर दुकानों से बिक्री

ईओयू सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माल की बिक्री के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वायु-पत्तनों में शोरुम/फुटकर दुकान स्थापित कर सकते हैं। जो मद 60 दिनों के भीतर विदेशों में नहीं बिकती है उसे निर्यात किया जायेगा या संबंधित ईओयू को लौटा दिया जाएगा ।

6.27 आयात/ निर्यात पार्सलों को व्यक्तिगत असवाब, जिनमें विदेश जाने वाले यात्रियों का असवाब भी शामिल है, के रूप में ले जाना

(क) विदेश जाने वाले यात्रियों द्वारा आभूषणों के व्यक्तिगत असवाब के लिए ईओयू यूनिट द्वारा निर्यात के प्रमाण के तौर पर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएँगे :-

(i) ईओयू द्वारा दाखिल की गई पोत लदान बिल की प्रति ।

(ii) विदेशी खरीददार द्वारा आगमन के समय सीमाशुल्क को प्रस्तुत मुद्रा घोषणा फार्म की एक प्रति।

(iii) बैंक से विदेशी मुद्रा वसूली प्राप्ति/नकदीकरण प्रमाणपत्र ।

(ख) इसके अलावा, विदेश जाने वाले यात्री के व्यक्तिगत असबाब पर स्वीकृति के प्रति दस्तावेज़ (डीए)/सुपुर्दगी पर भुगतान(सीओडी) आधार पर अनुमति होगी। ईओयू को निर्यात के प्रमाण के रुप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :-

(i) पोतलदान बिल की प्रति;

(ii) निर्यात और प्राप्ति का बैंक प्रमाण पत्र ।

(ग) आयात पार्सलों के व्यक्तिगत रूप से ले जाने के लिए वहीं प्रक्रिया अपनायी जाएगी जो वायुभाड़ा द्वारा माल को आयात के लिए होती है इसमें वह पार्सल शामिल नहीं हैं जिसे ईओयू/विदेशी नागरिक द्वारा जाँच और निकासी के लिए सीमाशुल्क के पास लाया जाता है। इस संबंध में सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अनुदेशों का आवश्यक परिवर्तनों के साथ अनुसरण किया जाएगा ।

(घ) विदेश जाने वाले यात्रियों द्वारा पार्ट्स को व्यक्तिगत समान के तौर पर ले जाने की अनुमति होगी यदि ग्राहक के स्थान पर निर्यातित माल की मरम्मत हेतु उनकी आवश्यकता हो । निर्यातों के प्रमाण के तौर पर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :

(i) निर्यातों हेतु सीमाशुल्क कार्यालय से अनुज्ञा पत्र ।

(ii) मूल्य सहित बीजक (भुगतान करने पर अथवा निःशुल्क) ।

6.28 आयातित/स्वदेशी माल का प्रतिस्थापन/मरम्मत

(क) यूनिट पूँजीगत माल की मरम्मत के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारी की अनुमति से इसे विदेश भेज सकता है । इस प्रयोजन के लिए किसी भी विदेशी मुद्रा में भुगतान करने की भी अनुमति होगी। तथापि, देश के भीतर मरम्मत के लिए पूंजीगत माल भेजने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

(ख) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटें अपने रिकार्ड के अनुसार और सीमा शुल्क प्राधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कार्य करेंगी :

(i) मरम्मत/प्रतिस्थापन, जाँच या केलिब्रेशन तथा वापसी के लिए माल का डीटीए/विदेश में हस्तांतरण।

(ii) माल की वापसी के लिए सीमाशुल्क प्राधिकारी को उपयुक्त बचनबद्धता देते हुए ऐसे मामलों में शुल्क तथा/अथवा कर का भुगतान किये बिना प्रतिवर्ष 5 लाख रु. तक के माल का किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला/ संस्थान को गुणवत्ता जाँच/अनुसंधान एवं विकास प्रयोजन के लिए हस्तांतरण किया जा सकता है। तथापि, यदि जाँच के दौरान माल का उपयोग कर लिया गया है/नष्ट हो जाता है तो इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रयोगशाला /संस्थान से सीमा शुल्क प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

6.29 नमूने

(क) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटें अपने रिकार्ड के आधार पर तथा सीमा शुल्क प्राधिकारियों को पूर्व सूचना देकर यदि लागू हो उत्पाद भाुल्क का भुगतान तथा/अथवा यदि निविशिटयों पर लाभ प्राप्त करते हैं, सीमा भाुल्क प्र ुल्क अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत लगाए जाने वाले सीमा भाुल्क के रिवर्सल सहित जीएसटी और प्रतिपूर्ति उपकर का भुगतान करने पर प्रद ान/बाजार संवर्धन हेतु डीटीए में नमूनों की आपूर्ति/विक्रय कर सकती हैं।

(ख) एक निर्धारित अवधि के भीतर नमूनों की वापसी के लिए सीमा भाुल्क प्राधिकारियों को एक उपयुक्त वचनबद्धता देकर भाुल्क तथा/अथवा कर का भुगतान करने अथवा भुगतान किए बगैर नमूनों को हटाया जा सकता है।

(ग) एक ईओयू कूरियर एजेंसियों/डाकघर के माध्यम से निर्यात के सभी अनुमत तरीकों से, किसी सीमा के बिना, मुफ्त नमूनों का निर्यात कर सकता है जिनमें वैक्स मौल्ड, सिल्वर मोल्ड और रबर मोल्ड के नमूने शामिल हैं। विनिर्माता के पास स्थायित्व और अवरोधन नमूने की सांविधिक आवश्यकता हेतु, ईओयू/ईएचटीपी/बीटीपी/एसटीपी यूनिट विदे ा व्यापार नीति के पैरा 6.01(घ)(ii) के अनुसार शुल्क/कर का भुगतान करने अथवा इसके भुगतान के बिना पुनः आयात कर सकती हैं, जो इसके द्वारा निर्यात किए गए हैं, जिसकी सूचना सीमाशुल्क प्राधिकारियों को देनी होगी, तथा ऐसे नमूनों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की निवल विदेशी मुद्रा प्रयोजन हेतु गणना नहीं की जाएगी, यदि कोई हो।

(घ) अपने पास रखे रिकार्डों के आधार पर और सीमाशुल्क प्राधिकारियों को पूर्व सूचना देकर कोई ई.ओ.यू अन्य ई.ओ.यू को 30 दिनों के भीतर वापसी आधार पर प्रदर्शन हेतु नमूने भेज सकता है।

6.30 कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर परिफेरल्स का दान

संबंधित प्राधिकारियों द्वारा ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट को यह अनुमति दी गयी है कि वह आयातित/स्वदेश से खरीदे गये/(खरीदे या उधार लिए गये) कम्प्यूटर और कम्प्यूटर परिफेरल्स जिनमें प्रिन्टर्स, प्लॉटर, स्कैनर, मानिटॅर, की-बोर्ड और स्टोरेज यूनिट शामिल हैं, उनको आयात/खरीद और यूनिट द्वारा उपयोग की गई दो वर्ष के बाद जीएसटी कानून के तहत लागू कर के अलावा किए शुल्क का भुगतान किए बिना किसी मान्यता प्राप्त गैर वाणिज्यिक शिक्षण संस्थाओं, पंजीकृत खैराती अस्पतालों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, सरकारी निधि प्राप्त अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठानों, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के सामुदायिक सूचना केन्द्र, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या केन्द्र शासित क्षेत्र के प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र अथवा स्थानीय निकाय अथवा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या केन्द्र शासित प्रदेश के संगठनों को इस संबंध में जारी सीमा/उत्पाद शुल्क अधिसूचना के अनुसार दान स्वरुप दे सकता है।

6.31 पृथक पहचान

यदि औद्योगिक उद्यम घरेलू यूनिट के साथ साथ ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट दोनों रुप में कार्य कर रहा है तो उसकी दो पृथक पहचान होगी और पृथक-पृथक बैंक खाते होंगे। तथापि इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसकी कोई पृथक कानूनी पहचान हो लेकिन ईओयू/ ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी द्वारा प्रभावी आयात और निर्यात अथवा आपूर्तियों को प्रतिष्ठान की अन्य यूनिटों द्वारा किये गये कार्य से पृथक करना संभव हो।

6.32 ईओयू के लिए यूनिट अनुमोदन समिति

(क) एकक अनुमोदन समिति की संरचना निम्नानुसार होगी :-

विकास आयुक्त	:	अध्यक्ष
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क के क्षेत्राधिकारिक आयुक्त अथवा नामिती	:	सदस्य
संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार अथवा नामिती	:	सदस्य
क्षेत्र के संयुक्त/उप विकास आयुक्त	:	सदस्य
विशेष अतिथि के रूप में किसी विभाग/एजेंसी के कोई अन्य नामित व्यक्ति		

(ख) ईओयू की एकक अनुमोदन समिति की शक्तियाँ और कार्य इस प्रकार होंगेः-

(i) सेवा क्षेत्र में यूनिट स्थापित करने के प्रस्तावों के अलावा ईओयू स्थापित करने हेतु आवेदनों पर विचार करना। (आर एण्ड डी साफ्टवेयर और आई.टी. समर्थित सेवाएं या बीओए द्वारा सौंपी गई किसी अन्य सेवा के अलावा) औद्योगिक (विकास और विनिमयन) अधिनियम, 1951 के अधीन जिन विनिर्माण मदों के लिए औद्योगिक लाइसेंस आवश्यक है उन आवेदनों पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा।

(ii) एसईजैड से ईओयू में यूनिट के परिवर्तन पर विचार करना और अनुमति देना।

(iii) यूनिटों के कार्य निष्पादन की मानिटरिंग करना।

(iv) यूनिट को दी गयी अनुमति, निकासी, लाइसेंस का पर्यवेक्षण और मानिटरिंग तथा विधि के अनुसार समुचित कार्रवाई करना;

(v) यूनिट को दी गयी अनुमति निकासी, लाइसेंस के अधीन उसके कार्य निष्पादन की मानिटरिंग करने के लिए अपेक्षित सूचना मांगना।

(vi) केन्द्रीय सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कार्य को करना।

(vii) राज्य सरकारों या उसकी एजेंसियों द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कार्य को करना।

(viii) ईओयू की स्थापना और प्रचालन के लिए सभी अनुमोदन और निकासी देना।

6.33 ईएचटीपी/एसटीपी/ बीटीपी यूनिटों का अनुमोदन

ईएचटीपी/एसटीपी स्कीम के तहत यूनिटों के मामलें में, संचार प्रौद्योगिक विभाग/निदेशक (एसटीपीआई) द्वारा नामित अधिकारी द्वारा आवश्यक अनुमोदन/अनुमति प्रदान की जाएगी। एसटीपी/ईएचटीपी के मामले में राजपत्र में दिनांक 30-1-2006 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 106 (ई) में उल्लिखित के अनुसार नामित अधिकारी को विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 खण्ड-13 जो खण्ड-11 के साथ पठनीय है, के अधीन प्रदान की गई निर्णय की शक्तियों का प्रयोग करेगा। इसी प्रकार बीटीपी के तहत यूनिटों के मामले में, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामित अधिकारी द्वारा आवश्यक अनुमोदन/अनुमति प्रदान की जाएगी। तथापि, परिशिष्टों और एएनएफ के **परिशिष्ट 6क** में दिए अनुसार, नए यूनिटों को स्वतः अनुमोदन देने के लिए मनोनीत अधिकारी निर्धारित मानदण्डों को अपनाएँगे ।

6.34 ई ओ यू का प्रशासन/विकास आयुक्त/नामित अधिकारी की शक्तियाँ

यूनिटों के संबंध में विकास आयुक्त/नामित अधिकारी की निम्नलिखित शक्तियाँ होगी। विकास आयुक्त का अधिकार क्षेत्र परिशिष्टों और एएनएफ के परिशिष्ट 6ञ में दिया गया हैं।

(1) रुग्ण/बन्द डीटीए यूनिट को ई ओ यू में बदलना;

(2) ईओयू को एसटीपी/ईएचटीपी/बीपीटापी तथा विलोमतः निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बदलना;

(3) विदेशी मुद्रा की दर के घटने बढने के कारण भारतीय रुपये में पूँजीगत माल के मूल्य में वृद्धि करने की अनुमति देना;

(4) केवल बिना लाइसेंस वाले उद्योगों के मामले में बिना सीमा के क्षमता वृद्धि अनुमत करना;

(5) एलओपी में उल्लिखित समान वस्तुओं के लिए ब्रॉंड बैन्डिंग की अनुमति देना अथवा विनिर्माण की मौजूदा पद्धति को बैकवर्ड या फारवर्ड लिंकेज प्रदान करना;

(6) कार्यान्वयन समिति या कम्पनी के नाम परिवर्तन को अधिकृत करना तथा एक कम्पनी से दूसरे में परिवर्तन करना बशर्ते कि नई कार्यान्वयन समिति/कम्पनी, मौजूदा यूनिट की सम्पत्ति और जिम्मेवारी लेने का वचन दे;

(7) एल ओ पी में उल्लिखित स्थापना-स्थल से दूसरे स्थापना-स्थल में परिवर्तन अनुमत करना और या अतिरिक्त स्थान सम्मिलित करना बशर्ते कि अनुमोदन की अन्य शर्तो तथा समझौतों में किसी परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिया जाता है और नया स्थापना-स्थल विकास आयुक्त/नामित अधिकारी के क्षेत्राधिकार के भीतर है;

(8) एलओपी की वैधता अवधि को विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.05(क) के अनुसार एल ओ पी की शुरुआती वैधता अवधि से आगे बढ़ाना (अनुमोदन की शुरुआती अवधि पर जहाँ कहीं भी प्रतिबंध हैं वैसे मामलों के अलावा, जैसे तेल परिशोधन परियोजना की स्थापना करना);

(9) जहाँ कहीं उचित हो, एलओपी को रद्द करना;

(10) दो या अधिक यूनिटों का एक यूनिट में विलय करना बशर्ते कि यूनिटें उसी विकास आयुक्त/नामित अधिकारी के क्षेत्राधिकार में आती हों, यह इस शर्त पर किया जायेगा कि यूनिटों का कार्यकलाप ब्रोंड बैन्डिंग के प्रावधानों के तहत आते है;

(11) राजपत्र अधिसूचना संख्या सां0 आ0 194 (ड.) दिनांक 6.3.2000 में यथा उल्लिखित निर्यात अभिमुख यूनिटों के संबंध में विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, की धारा 11 के साथ् पठित धारा 13 के अन्तर्गत न्याय निर्णय की शक्तियों का प्रयोग करना;

(12) भारतीय रिजर्व बैंक ए.डी. (एमए श्रृंखला) परिपत्र एवी (डीआईआर श्रृंखला परिपत्र संख्या 9 दिनांक 25.10.2001) के अनुसार निर्यात अभिमुख यूनिटों द्वारा साफ्टेक्स फार्म पर घोषित निर्यातों का मूल्यांकन करना;

(13) गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 25022/7/99-एफ 1 दिनांक 20.9.1999 के अनुसार निर्यात अभिमुख यूनिटों द्वारा निम्न स्तर के विदेशी तकनीशियनों को काम में लगाने के लिए रोजगार वीजा प्रदान करने के लिए योग्यता प्रमाण पत्र जारी करना;

(14) पंजीकरण -सह-सदस्यता प्रमाण पत्र

निर्यातोंमुख इकाई/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों के लिए पंजीकरण प्राधिकारी के रुप में काम करना। मसालों के मामले को छोड़कर, विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.44 में दिए गए प्रावधान के अनुसार इनके मामलों में अलग से पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी। मसालों के मामले में, इकाइयों को मसाला बोर्ड के पास स्वयं को पंजीकृत करवाना भी अनिवार्य होगा।

(15) आयातक निर्यातक कोड संख्या

फर्म को यदि पहले आयातक निर्यातक कोड संख्या आवंटित नहीं की गयी है तो निर्यात अभिमुख यूनिटों को उसे आवंटित करना।

(16) ग्रीन कार्ड

विधिक वचन बद्धता के निष्पादन के बाद स्वतः ग्रीन कार्ड जारी करना ।

(17) निर्यातोन्मुखी यूनिटों के संबंध में स्तर प्रमाण पत्र की स्वीकृति देना/नवीनीकरण करना बशर्ते कि घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में इसकी मूल कम्पनी के निर्यात के पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य का मिलाना शामिल न हो।

(18) इसके क्षेत्राधिकार के तहत ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी स्कीम का प्रचार करना ।

6.35 बीओए के अनुमोदन से स्थापना-स्थल में परिवर्तन/ अतिरिक्त स्थापना-स्थल शामिल करना।

बीओए द्वारा एल ओ पी में उल्लिखित स्थान से ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी के स्थापना-स्थल में परिवर्तन तथा मूल डीसी/नामित अधिकारी के क्षेत्रीय अधिकार के बाहर अतिरिक्त/स्थापना-स्थल शामिल किया जा सकता है बशर्ते कि अनुमोदन बोर्ड की शर्तें पूरी हों।

6.36 डीटीए में पूँजीगत माल की निकासी

डीटीए में पुराने माल सहित पूँजीगत माल की निकासी की अनुमति विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.15(ख) के अनुसार दी जाएगी और ऐसी निकासी की तारीख को लागू आयात नीति के अनुसार दी जाएगी।

6.37 मूल्य ह्रास मानदंड

कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर पेरिफेरल्स के मामले में 5 वर्षो में 100 प्रतिशत तक मूल्य ह्रास है तथा अन्य मदों के मामले में यह 10 वर्ष होगा ।

(क) कम्प्यूटर और कम्प्यूटर पेरिफेरल्स परिफरल्स के लिए मूल्यह्रास मानदण्डः

कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर पेरिफेरल्स परिफरल्स के लिए मूल्य ह्रास निम्नवत होगाः-

प्रथम वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 10 प्रतिशत
द्वितीय वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 8 प्रतिशत

तृतीय वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 5 प्रतिशत
चौथे और पाँचवे वर्ष में प्रत्येक तिमाही हेतु 1 प्रतिशत

(ख) अन्य पूँजीगत माल के लिए मूल्यह्रास मानदण्डः

उपरोक्त के अलावा, पूँजीगत माल के लिए ह्रास की दर निम्नवत होगीः-

प्रथम वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 4 प्रतिशत
द्वितीय व तृतीय वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 3 प्रतिशत
चौथे और पॉचवे वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 2.5 प्रतिशत
उसके बाद प्रत्येक तिमाही के लिए 2 प्रतिशत

6.38 परिवर्तन

(क) मौजूदा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र की यूनिटें ई ओ यू/ई एच टी पी/ एस टी पी/बीटीपी यूनिट में परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकती हैं लेकिन पूर्वस्थापित संयंत्र, मशीनरी और उपकरण के लिए स्कीम के तहत शुल्क और करों में कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी। इस प्रयोजन के लिए, घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र का एकक संबंधित विकास आयुक्त/नामित अधिकारी को उसी तरह आवेदन कर सकता है जैसा कि नई यूनिट के लिए लागू होगा । यदि ई पी सी जी स्कीम/अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के तहत निर्यात वचनबद्धता बकाया है तो यह यूनिट प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्टों और एएनएफ के **परिशिष्ट 6ड में उ**ल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण करेगी ।

(ख) मौजूदा ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटें ईओयू में परिवर्तन/ विलय होने विलोमतः के लिए आवेदन कर सकती हैं। ऐसे मामलों में यूनिटें सम्बद्ध स्कीम के तहत लागू शुल्कों और करों की छूट की अनुमति प्राप्त करना जारी रखेंगी । ईओयू के रुप में परिवर्तन को इच्छुक ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटें संबंधित विकास आयुक्त को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामित अधिकारी के माध्यम से जैसा कि नई यूनिट के लिए लागू है, उसी तरह आवेदन कर सकती हैं। वैसे ही ईएचटीपी/एसटीपी /बीटीपी में परिवर्तन की इच्छुक ईओयू संबंधित विकास आयुक्त के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामित अधिकारी को आवेदन कर सकती है।

(ग) विकास आयुक्त के अनुमोदन से निर्यातोन्मुखी यूनिट को विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जा सकता है बशर्ते कि निर्यातोन्मुखी यूनिट, निर्यातोन्मुखी यूनिट स्कीम के तहत यथानुपात दायित्व प्राप्त कर चुकी हो।

6.39 रुग्ण यूनिटों का पुनरुत्थान

उचित प्राधिकारी द्वारा यूनिट को रुग्ण घोषित किये जाने की शर्त पर यूनिट के पुनरुत्थान के प्रस्ताव या अधिग्रहण करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया जा सकता है। रुग्ण यूनिट के पुनरुत्थान के संबंध में दिशा निर्देश परिशिष्टों और एएनएफ के **परिशिष्ट 6ठ** में दिये गये हैं।

6.40 शीघ्र निपटान संबंधी प्रक्रिया

(क) पात्रताः

विदेश व्यापार नीति के तहत स्तरधारक प्रमाणपत्र रखने वाले ईओयू शीघ्र निपटान प्रक्रिया हेतु पात्र होंगे ।

(ख) आयात कार्गो की जाँचः

स्तरधारक यूनिटों को आयात के पत्तन पर आयात कार्गो की जाँच से छूट दी जाएगी । तथापि, सीमाशुल्क आयुक्त/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क क्षेत्राधिकारी आयुक्त यूनिट के स्थापना-स्थल पर यादृच्छिक आधार पर खेपों की जाँच कर सकता है।

(ग) माल की घरेलू खरीद व आयातः

हटा दिया गया है।

(घ) फैक्स मशीन/ कम्प्यूटरों की स्थापनाः

क्षेत्राधिकार प्राप्त सहायक/उप सीमा शुल्क अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त को पूर्व सूचना के तहत बान्डेड परिसरों के बाहर अपने प्रशासनिक/पंजीकृत कार्यालय में एक फैक्स मशीन और 2 कम्प्यूटरों को स्थापित करने हेतु निर्यातोन्मुखी यूनिट पात्र होगी ।

(ड.) डी जी सैटों को प्राप्त करनाः

यूनिट की वास्तविक आवश्यकता से साथ क्षमता के अनुकूल डी जी सेट प्राप्त करने की अनुमति विकास आयुक्त और क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी को सूचित करते हुए दी जायेगी।

(च) पूंजीगत माल को अस्थायी रुप से हटानाः

पात्र निर्यातोन्मुखी यूनिटें क्षेत्राधिकार प्राप्त सहायक/उप सीमा शुल्क अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त को पूर्व सूचना के तहत मरम्मत हेतु अपने पूंजीगत माल अथवा उनके हिस्सों को हटा सकती है ।

(छ) नमूनों को वैयक्तिक रुप से लाना ले जानाः

स्तर धारक निर्यातोन्मुखी यूनिटों द्वारा रत्न और आभूषणों के नमूनों को वैयक्तिक तौर पर लाने ले जाने की अनुमति पैरा 6.24 में निर्धारित सीमा के मद्दे होगी। इसके लिए विकास आयुक्त/सीमा शुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

(ज) जिन कार्याकलापों के लिए अनुमति आवश्यक नहीं हैः

स्तरधारक के निम्नलिखित कार्यकलापों के संबंध में विकास आयुक्त अथवा क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सीमा भ्ाुल्क पाधिकारी की अनुमति आवश्यक नहीं होगी।

तैयार उत्पादों की विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.08(क) के अनुसार डीटीए में बिक्री;
प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 6.24 की शर्तों की पूर्ति के मद्दे प्रदर्शनियों में भाग लेना, निर्यात संवर्धक दौरों के लिए रत्नों और आभूषणों को व्यक्तिगत रुप से ले जाना। तथापि, इसकी पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा ।

6.41 आवेदनों का समयबद्ध निपटान

विकास आयुक्त आवदेनों को शीघ्रता से निपटायेंगे। आवदेनों को निपटाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित समय सीमा को अपनाया जाता है बशर्ते कि आवेदन हर तरह से पूरे हो और उनके साथ निर्धारित दस्तावेज़ संलग्न हों।

क्र0सं0	आवदेन की श्रेणी	निपटान के लिए समय सीमा
1.	अनुमति पत्र/आशय पत्र जारी करना	15 दिन
2.	अनुमति पत्र/आशय पत्र का परिवर्तन	15 दिन
3.	विधिक वचनबद्धता की स्वीकृति	3 दिन
4.	विधिक वचनबद्धता का नवीकरण	3 दिन
5.	ब्राड बैन्डिंग/दिशान्तरण की अनुमति	3 दिन
6.	स्थापना स्थल में परिवर्तन की अनुमति	7 दिन
7.	अग्रिम घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में बिक्री की अनुमति	2 दिन
8.	यूनिटों के विलयन की अनुमति	7 दिन
9.	उत्पादन क्षमता की वृद्धि की अनुमति	3 दिन
10.	अनुमति पत्र को रद्द करना	3 दिन
11.	डिबान्डिंग/एक्जिट की अनुमति	7 दिन
12.	घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र बिक्री की अनुमति	2 दिन
13.	निम्नस्तरीय टेक्नीशियन के लिए रोजगार वीजा हेतु पात्रता प्रमाण पत्र	2 दिन
14.	ग्रीन कार्ड जारी करना	2 दिन
15.	ग्रीन कार्ड का नवीकरण	उसी दिन
16.	पूंजीगत वस्तुओं को लीज पर देने की अनुमति	1 दिन
17.	स्क्रेप/वेस्ट के निपटान की अनुमति	2 दिन
18.	नाम में परिवर्तन की अनुमति	2 दिन
19.	अन्तर यूनिट स्थानान्तरण	2 दिन
20.	वेस्टेज संबंधी माप दण्ड, तदर्थ	2 दिन
21.	पुनः आयात करने की अनुमति	उसी दिन
22.	पुनः निर्यात करने की अनुमति	उसी दिन
23.	माल के प्रतिस्थापन/मरम्मत की अनुमति	उसी दिन
24.	आई.ई.कोड का आवंटन	1 दिन

25.	साफटैक्स फार्म का प्राधिकार	1 दिन
26.	सी.एस.टी दावों की प्रति पूर्ति	7 दिन
27.	जी.एस.पी प्रमाण पत्र जारी करना	उसी दिन
28.	एस.टी.पी.आई, ई.पी.सी.जी में ई.ओ.यू के परिवर्तन की अनुमति	5 दिन
29.	ई.ओ.यू की अन्तिम निकासी की अनुमति	5 दिन
30.	इ.ओ.यू में विस्तार की अनुमति	2 दिन
31.	पूंजीगत माल के मूल्य में वृद्धि करने की अनुमति	2 दिन
32.	प्रद र्नी/दौरों के माध्यम से निर्यात हेतु अनुमति	2 दिन
33.	भुल्क वापसी/अंतिम उत्पाद भुल्क (टीईडी) की प्रतिपूर्ति	7 दिन

अध्याय 7

मान्य निर्यात

7.01 नीति

मान्य निर्यात संबंधी नीति, विदेश व्यापार नीति के अध्याय-7 में दी गई है।

7.01 लाभ का दावा करने हेतु प्रक्रिया

(क) माल के आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता को मान्य निर्यात लाभ का दावा करने हेतु एएनएफ-7क में उसमें निर्धारित दस्तावेजों के साथ एक आवेदन संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के पास जमा करना होगा।

(ख) ईओयू को माल की आपूर्ति के मामले में दावा संबंधित विकास आयुक्त के पास प्रस्तुत किया जाना चाहिए। डीटीयू यूनिट संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी से लाभ का दावा करेगी।

7.02 लाभ का दावा करने हेतु मानदंड

(क) (i) अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए धारक को प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.13 के अनुसार निगर्मित निरस्तीकरण पत्र के प्रति मध्यवर्ती माल की आपूर्ति के संबंध में विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के अध्याय 4 क तहत यथा प्रदत्त शुल्क मुक्त निविष्टियों के आयात हेतु अग्रिम प्राधिकार प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 4 में दी गई प्रक्रियाओं के अनुसार करना होगा। निरस्तीकरण पत्र के प्रति आपूर्ति हेतु टीईडी वापसी विदेश व्यापार नीति 2015–20 के पैरा 7.03 (ग) के अनुसार की जाएगी बशर्ते कि कोई छूट प्राप्त न हो।

(ii) अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएनआईए को एआरओ के प्रति माल की आपूर्ति के संबंध में प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 4 में दी गई प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। एआरओ के प्रति आपूर्तियों के लिए टीईडी वापसी की अनुमति विदेश व्यापार नीति 2015–20 के पैरा 7.03 (ग) के अनुसार दी जाएगी बशर्ते कि कोई छूट प्राप्त न हो। शुल्क वापसी की अनुमति ऐसी आपूतियों में इस्तेमाल की गई निविष्टियों जिनमें मूल सीमा शुल्क का भुगतान किया गया हो, पर प्रदान की जाएगी।

(ख) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी को माल की आपूर्ति के संबंध में अग्रिम प्राधिकार पत्र/ डीएफआईए प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 4 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त किए जा सकते हैं। मियादी उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट के लिए यथा संशोधित परिपत्र सं० 10/2009 सीमाशुल्क दिनांक 25–05–2009 के साथ पठित उत्पाद शुल्क परिपत्र सं० 851/9/2007 सीएक्स दिनांक 03.05.2007 के अनुसार सीटी 3 के प्रति माल हटाने की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी को माल की आपूर्ति हेतु टीईडी वापसी विदेश व्यापार नीति 2015–20 के पैरा 7.03 (ग) के अनुसार की जाएगी बशर्ते कि कोई छूट प्राप्त न हो। इस आपूर्ति के निमित्त शुल्क मुक्त निविष्टियों जिनका उपयोग परिणामी उत्पादों के लिए किया जाता हैं, के आयात के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में, विदेश व्यापार नीति 2015–20 के अध्याय 4 मे यथा प्रदत्त, निविष्टियों पर भुगतान किए गए मूल सीमा शुल्क के लिए शुल्क वापसी दावा संबंधित डीसी को किया जाएगा। डीटीए यूनिट द्वारा लाभ का दावा संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी से किया जाएगा।

(ग) ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक को निरस्तीकरण पत्र के निमित्त माल की आपूर्ति के संबंध में अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए हेतु आवेदन प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 4 में दी गई प्रक्रियाओं के अनुसार करना होगा। यदि शुल्क मुक्त निविष्टियों के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए प्राप्त नहीं किया जाता है तो परिणामी उत्पाद में उपयोग की गई निविष्टियों पर भुगतान किए गए मूल सीमाशुल्क के संबंध में शुल्क वापसी की जाएगी।

(घ) विदेश व्यापार नीति के पैरा 7.02(ड.),(च), (छः) और (ज) में यथा सूचीबद्ध अन्य श्रेणियों को माल की आपूर्ति के संबंध में शुल्क मुक्त निविष्टियों के आयात हेतु जैसाकि विदेश व्यापार नीति 2015–20 के अध्याय 4 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए परिशिष्ट-7ग के अनुसार परियोजना प्राधिकार पत्र के निमित्त प्राप्त किया जा सकता है। तथापि यदि शुल्क मुक्त निविष्टियों के लिए ऐसी आपूर्तियों के निमित्त अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए जैसाकि एफटीपी 2015–20 के अध्याय 4 में प्रावधान किया गया है, प्राप्त नहीं किया जाता है तो मूल सीमा शुल्क के संबंध में शुल्क वापसी हेतु दावा एएनएफ-7क के अनुसार किया जा सकता है। विदेश व्यापार नीति 2015–20 के पैरा 7.08 (iii) (क) में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की अनुसूची IV के तहत शामिल आपूर्ति की पात्र मदों के संबंध में उल्लिखित परियोजनाओं हेतु टीईडी वापसी की जाएगी बशर्ते कि कोई छूट प्राप्त न हो।

7.03 टीईडी/शुल्क वापसी दावा करने हेतु पात्रता मानदंड

(क) आवेदन या तो आपूर्तिकर्ता अथवा माल प्राप्तकर्ता, जिसके पास आईईसी संख्या है, द्वारा किया जा सकता है।

(ख) आवेदन पंजीकृत कार्यालय/मुख्य कार्यालय/शाखा कार्यालय अथवा विनिर्माण इकाई द्वारा किया जा सकता है।

(ग) आपूर्तिकर्ता द्वारा टीईडी वापसी हेतु दावा किए जाने की स्थिति में एएनएफ-7क के अनुलग्नक–I के अनुसार उसे माल प्राप्तकर्ता से सेनवैट क्रेडिट प्राप्त नहीं करने का प्रमाण पत्र लेना होगा और उसे प्रस्तुत करना होगा। यदि माल प्राप्तकर्ता आवेदक है, तो आवेदक को ही यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

(घ) हटा दिया गया है।

(ड.) प्राप्तकर्ता यूनिट द्वारा टीईडी/शुल्क वापसी हेतु दावा किए जाने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता से दावा परित्याग प्रमाणपत्र, जैसा कि एएनएफ-7क के अनुबन्ध-III में निर्धारित किया गया है, प्राप्त करना होगा और आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। यदि माल का आपूर्तिकर्ता आवेदक है, तो माल के प्राप्तकर्त्ता से दावा परित्याग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

(च) की गई आपूर्ति की मात्रा के अनुसार पूरा भुगतान प्राप्त होने के बाद ही दावा किया जा सकता है।

(छ) ई-बीआरसी के अनुसार सामान्य बैंकिंग चैनल के जरिए प्राप्त भुगतान के निमित्त दावा किया जा सकता है। अन्य शब्दों में आपूर्ति से संबंधित दस्तावेजों के संबंध में केवल बैंक के माध्यम से ही बातचीत की जानी है। विदेश व्यापार नीति 2015–20 के पैरा 7.02(ड.) से

तक के अन्तर्गत की जाने वाली आपूर्ति के संबंध में परिशिष्ट-घ में परियोजना प्राधिकारी द्वारा जारी भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाना है।

(ज) उप-संविदाकार भी दावा कर सकता है बशर्ते इस माल की आपूर्ति से पहले परियोजना प्राधिकार प्रमाण-पत्र/संविदा में इसका नाम पृष्ठांकित हो।

7.04 ईंधन पर टीईडी वापसी का दावा करने हेतु प्रक्रिया।

विदेश व्यापार नीति 2015–20 के पैरा 7.02(ख) के तहत् घरेलू तेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के डिपो से हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति के लिए एएनएफ-7क के अनुबंध-IV में दिए गए प्रारूप में संबंधित घरेलू तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा जारी शुल्क भुगतान प्रमाणपत्र के आधार पर मियादी उत्पाद शुल्क की वापसी की जाएगी। शुल्क वापसी ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट द्वारा अपने उत्पादन संबंधी कार्यकलापों, संबंधित डीसी/बॉंड प्राधिकरियों द्वारा यथा प्रमाणित, के लिए अधिप्राप्त हाई स्पीड डीजल की मात्रा हेतु की जाएगी।

7.05 आवेदन की आवृति और टीईडी/शुल्क वापसी हेतु समयावधि

(क) विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–20 के पैरा 7.02(क) से (घ) के अन्तर्गत आपूतियों के संबंध में टीईडी वापसी/शुल्क वापसी (जो भी लागू हो) हेतु आवेदन ऐसी आपूतियों के निमित्त 100 प्रतिशत भुगतान की प्राप्ति की तारीख से 12 माह के भीतर किया जा सकता है। ऐसे मामलों जिनमें भुगतान अग्रिम में प्राप्त कर लिया जाता है और तत्पश्चात् आपूर्ति की जाती है, तो ऐसे मामलों में आवेदन इन आपूर्तियों की अंतिम तारीख से 12 माह के भीतर किया जा सकता है। ऊपर यथा विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर पृथक प्राधिकार पत्र के मद्दे 'अमान्यकरण पत्र/एआरओ वार' दावा किया जा सकता है।

(ख) एफटीपी 2015–20 के पैरा 7.02(ड.) से (ज) के अन्तर्गत आपूर्तियों के संबंध में दावा या तो की गई आपूर्तियों अथवा प्राप्त भुगतान के साक्ष्य के आधार पर किया जा सकता है। परियोजना प्राधिकारी द्वारा आपूर्तियों की प्राप्ति की तारीख से अथवा आवेदन के विकल्प के अनुसार आपूतिकर्त्ता द्वारा भुगतान की प्राप्ति की तारीख से 12 माह की अवधि के भीतर या तो किसी विशेष परियोजना अथवा सभी परियोजनाओं के निमित्त दावा किया जा सकता है। आंशिक भुगतान प्राप्त करने के मामलों में भी दावे किए जा सकते हैं। मान्य निर्यात लाभ 100 प्रतिशत आपूर्तियों के पश्चात् प्राप्त किया जा सकता है। तथापि यह लाभ प्राप्त भुगतान की मात्रा तक ही सीमित होगा।

7.06 ब्रांड दर का निर्धारण

ब्रांड दर निर्धारण के लिए एएनएफ-7क और परिशिष्ट-7ड. में निर्धारित दस्तावेजों के साथ एएनएफ-7क में संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी या विकास आयुक्त जैसा भी मामला हो, को आवेदन किया जा सकता है। ब्रांड दर के निर्धारण हेतु आवेदन निम्नलिखित के लिए किया जा सकता हैः

(क) हटा दिया गया है।

(ख) जहाँ भुगतान किए गए मूल सीमा शुल्क का दावा एफटीपी 2015–20 के पैरा 7.06के अनुसार शुल्क वापसी की ब्रांड दर के रूप में किया जाए।

7.07 समय बाधित/पूरक दावा

निर्धारित समयावधि के पश्चात दावा किए जाने की स्थिति में प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 9.02 के तहत विलम्ब कटौती का प्रावधान और प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 9.03 के तहत पूरक दावे का प्रावधान लागू होगा।

7.08 टीईडी के भुगतान से छूट

मियादी उत्पाद शुल्क जहाँ लागू हो, के भुगतान से छूट का दावा करने हेतु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

7.09 अन्य नियमों की प्रयोज्यता

मान्य निर्यात स्कीम पर प्रक्रिया पुस्तक में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर वापसी नियमावली, 1995 अथवा सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी नियमावली, 2017, जो भी मामला हो, यथोचित परिवर्तन करके लागू होगी।

7.10 ब्याज भुगतान

(क) क्षेत्रीय प्राधिकारी अनुमोदन पत्र जारी करने की तारीख से 30 दिन के भीतर भुगतान करेगा। ऊपर दी गई अवधि के भीतर भुगतान नहीं किए जाने पर एफटीपी के पैरा 7.09 के अनुसार मूलधन के साथ आरए ब्याज घटक शामिल करेगा। ब्याज का दावा करने हेतु कोई पृथक आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। मूलधन और ब्याज के लिए बैंक को एकल अधिकार पत्र जारी किया जाएगा।

(ख) यदि क्षेत्रीय प्राधिकारी/विकास आयुक्त द्वारा ब्याज नहीं जोडा जाता है तो एएनएफ-7ख के अनुसार मूलधन प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर पृथक आवेदन किया जा सकता है। इसके पश्चात् ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। क्षेत्रीय अधिकारी लेखाकंन प्रयोजन के लिए मूलधन व ब्याज के संवितरण हेतु पृथक खाता रखेगा।

(ग) क्षेत्रीय अधिकारी परिशिष्ट-7च में दिए गए प्रारूप में मान्य निर्यात के दावों के संवितरण हेतु मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। जब भी ब्याज का भुगतान किया जाता है तो क्षेत्रीय प्राधिकारी ब्याज के भुगतान का कारण बताएगा। रिपोर्ट ई-मेल आईडी ddgdbk@nic.in पर भेजी जाएगी।

7.11 आन्तरिक लेखापरीक्षा तंत्र

अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार के मण्डलीय कार्यालय एफटीपी के पैरा 7.10 के अनुसार अपने कार्यालयों में लेखापरीक्षा दल का गठन करेगें और लेखा परीक्षा पश्च कार्य पूरा करेगें।

अध्याय - 8

गुणवत्ता संबंधी शिकायतें और व्यापार संबंधी विवाद

8.01 गुणवत्ता संबंधी शिकायतें और व्यापार संबंधी विवादों से संबंधित समिति (सीक्यू-सीटीडी)

गुणवत्ता संबंधी शिकायतों और व्यापार संबंधी विवादों से प्रभावकारी रूप से निपटने के लिए, विदेश व्यापार महानिदेशालय के 22 कार्यालयों में गुणवत्ता संबंधी शिकायतों और व्यापार संबंधी विवादों (सीक्यूसीटीडी) पर एक समिति का गठन किया गया है। कार्यालयों का नाम जहां पर सीक्यूसीटीडी का गठन किया गया है और सीक्यूसीटीडी का क्षेत्राधिकार नीचे तालिका में दिया गया हैः

क्रम सं.	**सीक्यूसीटीडी की अवस्थिति**	**अध्यक्ष का पदनाम**	**सीक्यूसीटीडी का क्षेत्राधिकार**
	उत्तरी क्षेत्र		
i	मण्डलीय अपर महा. वि.व्या., सीएलए, नई दिल्ली	अपर महा. वि.व्या.	मण्डलीय महा.वि.व्या.; आरए, मुरादाबाद और आरए, देहरादून
ii	संयुक्त महा.वि.व्या., चण्डीगढ	संयुक्त महा. वि.व्या.	आरए, चण्डीगढ़; आरए, जम्मू और आरए, श्रीनगर
iii	संयुक्त महा.वि.व्या., पानीपत	संयुक्त महा. वि.व्या.	आरए, पानीपत
iv	संयुक्त महा.वि.व्या., जयपुर	संयुक्त महा. वि.व्या.	आरए, जयपुर
v	संयुक्त महा.वि.व्या., कानपुर	संयुक्त महा. वि.व्या.	आरए, कानपुर
vi	संयुक्त महा.वि.व्या., लुधियाना	संयुक्त महा. वि.व्या.	आरए, लुधियाना और आरए, अमृतसर
vii	संयुक्त महा.वि.व्या., वाराणसी	संयुक्त महा. वि.व्या.	आरए, वाराणसी
	पश्चिमी क्षेत्र		
viii	मण्डलीय अपर महा. वि.व्या., मुम्बई	अपर महा. वि.व्या.	मण्डलीय महा.वि.व्या., मुम्बई; आरए, नागपुर और आरए, पणजी
ix	संयुक्त महा.वि.व्या., पुणे	संयुक्त महा. वि.व्या.	आरए, पुणे
x	संयुक्त महा.वि.व्या., बड़ोदरा	संयुक्त महा. वि.व्या.	आरए, बड़ोदरा और आरए, गांधीधाम, कच्छ

xi	संयुक्त महा.वि.व्या., अहमदाबाद	संयुक्त महा. वि.व्या.	आरए, अहमदाबाद
xii	संयुक्त महा.वि.व्या., सूरत	संयुक्त महा. वि.व्या.	आरए, सूरत
xiii	संयुक्त महा.वि.व्या., भोपाल	संयुक्त महा. वि.व्या.	आरए, भोपाल और इंदौर एक्सटें. कार्यालय
	पूर्वी क्षेत्र		
xiv	मण्डलीय अपर महा. वि.व्या., कोलकाता	अपर महा. वि.व्या.	मण्डलीय महा.वि.व्या., कोलकाता; आरए, पटना; आरए, गुवाहाटी; आरए, शिलाँग और आरए, रायपुर, छत्तीसगढ़
xv	संयुक्त महा.वि.व्या., कटक	संयुक्त महा. वि.व्या.	आरए, कटक
	दक्षिणी क्षेत्र		
xvi	मण्डलीय अपर महा. वि.व्या., चेन्नई	अपर महा.वि.व्या.	मण्डलीय महा.वि.व्या., चेन्नई और आरए, पुड्डुचेरी
xvii	संयुक्त महा.वि.व्या., बंगलौर	संयुक्त महा.वि.व्या.	आरए, बंगलौर
xviii	संयुक्त महा.वि.व्या., हैदराबाद	संयुक्त महा.वि.व्या.	आरए, हैदराबाद
xix	संयुक्त महा.वि.व्या., मदुरै	संयुक्त महा.वि.व्या.	आरए, मदुरै
xx	संयुक्त महा.वि.व्या., कोयम्बटूर	संयुक्त महा.वि.व्या.	आरए, कोयम्बटूर
xxi	संयुक्त महा.वि.व्या., विशाखापत्तनम	संयुक्त महा.वि.व्या.	आरए, विशाखापत्तनम
xxii	संयुक्त महा.वि.व्या., कोचीन	उप महा.वि.व्या.	आरए, कोचीन और आरए, तिरूवनन्तपुरम

8.02 सीक्यूसीटीडी की संरचना

सीक्यूसीटीडी में निम्नलिखित सदस्य होते हैं:

1. अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार/संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार/(एच.ओ.ओ.): अध्यक्ष
2. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के प्रतिनिधिः सदस्य

3. कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधिः सदस्य
4. संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक के प्रतिनिधिः सदस्य
5. भारतीय निर्यातक संगठन परिसंघ/और अथवा निर्यात संवर्धन परिषद के प्रतिनिधिः सदस्य
6. निर्यात निरीक्षण एजेंसी के प्रतिनिधिः सदस्य
7. राज्य सरकार के उद्योग निदेशक के नामित व्यक्तिः सदस्य
8. एमएसएमई के विकास आयुक्त के नामित व्यक्तिः सदस्य
9. अध्यक्ष द्वारा यथा नामित अधिकारीः सदस्य सचिव
10. अध्यक्ष द्वारा सहयोगित अन्य कोई एजेंसीः सदस्य

8.03 शिकायत दर्ज करने के लिए प्रपत्र

गुणवत्ता संबंधी शिकायतों और/अथवा अन्य विवादों की जांच के लिए आवेदन-पत्र परिशिष्ट और आयात-निर्यात प्रपत्रों के एएनएफ8 में दिए गए प्रपत्र में उपर्युक्त पैरा 8.01 में दर्शाए गए अनुसार संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है। शिकायत के साथ संबंधी दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित छाया प्रतियां विधिवत रूप से संलग्न होनी चाहिए। शिकायतकर्ता अपनी शिकायत डीजीएफटी की वेबसाइट <www.dgft.gov.in> पर भी दर्ज कर सकते हैं।

8.04 गुणवत्ता संबंधी शिकायत और व्यापार संबंधी विवाद के निपटान के लिए प्रक्रिया

(क) सीक्यूसीटीडी, विदेश के आयातक से भारतीय निर्यातक के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर, उस फर्म से टिप्पणियां मांगेगा जिसके विरूद्ध शिकायत दर्ज की गई है, दोनों पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त मौका दिए जाने के बाद, सीक्यूसीटीडी मामले को सुलझाने के लिए निर्णय ले सकता है और सीक्यूसीटीडी/आरए यथोचित कार्रवाई कर सकता है।

(ख) क्षेत्रीय प्राधिकारी विदेशी निर्यातक के विरूद्ध भारतीय आयातक से प्राप्त शिकायत की एक प्रति वाणिज्य विभाग (डीओसी) के संबंधित विदेश व्यापार (एफटी) प्रभाग को भेजेगा। वाणिज्य विभाग का विदेश व्यापार प्रभाग भारत में संबंधित दूतावास/उच्चायोग/कंसूलेट जनरल और विदेश में संबंधित भारतीय दूतावास/उच्चायोग के समक्ष शिकायत के प्रभावकारी समाधान के लिए शिकायत के मामले को उठाएगा।

8.05 नोडल अधिकारी की भूमिका

(क) विदेश व्यापार महानिदेशालय में नोडल अधिकारी, विदेशों के आयातकों से शिकायतें प्राप्त होने पर, इसे जांच और उचित कार्रवाई के लिए क्षेत्राधिकार प्राप्त क्षेत्रीय प्राधिकारी के पास अग्रेषित करेंगे।

(ख) नोडल अधिकारी विदेशी निर्यातक के विरूद्ध भारतीय आयातक से प्राप्त शिकायत की एक प्रति वाणिज्य विभाग (डीओसी) के संबंधित विदेश व्यापार (एफटी) प्रभाग को भेजेगा। वाणिज्य विभाग का विदेश व्यापार प्रभाग भारत में दूतावास/उच्चायोग/कंसूलेट जनरल और विदेश में संबंधित भारतीय दूतावास/उच्चायोग के समक्ष शिकायत के प्रभावकारी समाधान के लिए शिकायत के मामले को उठाएगा।

(ग) विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय प्राधिकारी, उसे प्राप्त /संदर्भित मामलों के संबंध में की गई कार्रवाई के विवरण के साथ समेकित तिमाही रिपोर्ट नोडल अधिकारी भेजेंगे।

अध्याय - 9

विविध मामले

9.01 आयात प्राधिकार पत्र/ लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुज्ञा का मूल्य–वर्ग

(क) प्राधिकार पत्र के लागत बीमा भाड़ा मूल्य/निर्यात दायित्व के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य को रूपयों और मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा दोनों में, उस विनिमय दर (दरों) पर जो प्राधिकार पत्र जारी करने की तिथि को विद्यमान हो, दर्शाया जाएगा।

(ख) प्राधिकार पत्र के मद्दे विदेशी मुद्रा क विप्रेशित धन और निर्यात दायित्व के निर्वहन को मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में विनियमन किया जाएगा।

(ग) यदि भेजी गई विदेशी मुद्रा मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में दर्शाए गए प्राधिकार पत्र के लागत बीमा भाड़े के मूल्य में निहित है तो रुपए के मूल्य में कोई वृद्धि जरूरी नहीं होगी ।

(घ) तथापि, अग्रिम प्राधिकार पत्र (पत्रों), जोकि एसीयू देशों को निर्यात के लिए जारी किया जाता है, निर्यात दायित्व का एसीयू डालरों में भुनाया तथा भुगतान किया जाएगा।

(ड.) अन्तर्वर्ती आपूर्ति और मान्य निर्यात के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र में निर्यात दायित्व, जहाँ आपूर्तियाँ देश के भीतर की जानी हैं, का भारतीय रुपये में भुनाया और भुगतान किया जाएगा।

9.02 विलम्ब के लिए कटौती

जहाँ कहीं विदेश व्यापार नीति के तहत किसी राजकोषीय/वित्तीय लाभों हेतु समस्त रूप से पूर्ण कोई आवेदन ऐसे आवेदन को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होता है तो ऐसे आवेदन पर विलम्ब कटौती लगाकर निम्नानुसार विचार किया जा सकता हैः

i	अन्तिम तारीख के बाद किन्तु अन्तिम तारीख से छः महीने के भीतर प्राप्त आवेदन	2%
ii	आवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख से छः महीने के पश्चात प्राप्त आवेदन किन्तु निर्धारित तारीख से एक वर्ष के भीतर	5%
iii	आवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख से 12 महीने के पश्चात प्राप्त आवेदन किन्तु निर्धारित तारीख से 2 वर्ष के भीतर	10%

9.03 पूरक दावे

जहाँ कहीं निर्धारित समयावधि के भीतर, पूरक दावे के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होता है, तो हकदारी पर 2% की दर से कटौती करके ऐसे आवेदन पर विचार किया जा सकता है ।

9.04 सूचना प्रस्तुत करना

प्रत्येक आयातक/निर्यातक को महानिदेशक, विदेश व्यापार या उसके द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा माँगी गई सूचना निर्धारित समय के भीतर देनी होगी। निर्धारित समय के भीतर अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने में असफल रहने पर विदेश व्यापार नीति में यथा निर्धारित या

विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) नियमावली, 1993 के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

9.05 नीति/प्रक्रिया का स्पष्टीकरण

विदेश व्यापार नीति या प्रक्रिया पुस्तक, आई टी सी (एच एस) के तहत मदों के आयात या निर्यात के किसी भी प्रावधान के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण महानिदेशक, विदेश व्यापार से एएनएफ-2च प्रपत्र में माँगा जा सकता है । ई-मेल के माध्यम से भी स्पष्टीकरण माँगा जा सकता है ।

9.06 खपत रजिस्टर

आयातक, प्राधिकार पत्र के अधीन आयातित मदों के बारे में एक रजिस्टर, जैसा परिशिष्ट 4छ में है (3 वर्ष की अवधि के लिए) रखेगा और वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के साथ आयातित मदों और उनकी खपत के लिए अलग से रजिस्टर रखेगा। विशेष स्कीमों के सम्बंध में ऐसे रजिस्टर विशिष्ट अवधि के लिए रखे जाएंगे।

9.07 निर्यात सुविधा

निर्यातकों की समस्याओं का समन्वित रुप से समाधान करने के लिए, विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय, निर्यात सुविधा केन्द्रों और नोडल अभिकरणों के रूप में कार्य करेंगे।

9.08 स्थायी शिकायत समिति

विदेश व्यापार नीति और प्रक्रिया संबंधी व्यापार और उद्योग की वास्तविक शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए शिकायत समितियों का गठन किया गया है, जिनके अध्यक्ष (1) मुख्यालय में महानिदेशक, विदेश व्यापार और (2) क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्यालयों के क्षेत्रीय प्राधिकरण के प्रमुख होंगे। शिकायत समिति में भारतीय निर्यात संगठन संघ (एफ आई ई ओ), निर्यात संवर्धन परिषद/पण्य बोर्ड, विकास प्राधिकरण और सरकारी विभाग/तकनीकी प्राधिकारी सदस्य के रुप में शामिल होंगे।

9.09 काउंटर सहायता

(क) यद्यपि डीजीएफटी का प्रयास सभी आवेदनों की ऑनलाइन फाइलिंग/प्रस्तुत करने का है परन्तु जब तक ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, आवेदनों को काउंटर पर स्वीकार किया जाना जारी रहेगा।

(ख) आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिए, विदेश व्यापार महानिदेशालय के सभी कार्यालयों में 'काउंटर सहायता' प्रकोष्ठ खोले गए हैं। प्रत्येक कार्यालय में विदेश व्यापार विकास अधिकारी काउंटर का प्रभारी होगा। काउंटर पर आवेदन प्रस्तुत करने पर, आवेदक को सलाह दी जाएगी कि उसका आवेदन पूर्ण है या इसमें कोई कमी है जिसे आवेदक को पूरा करना है।

(ग) छोटी प्रकृति के संशोधन/पूछताछ के लिए भी काउंटर सहायता का उपयोग किया जा सकेगा। ऐसे मामलों में, आवेदन, उपयुक्त रसीद के मद्दे क्षेत्रीय कार्यालयों में काउंटर पर स्वीकार

किए जाएँगे। प्राधिकार पत्र/लाइसेंस/सूची/पूछताछ जैसा भी मामला हो, को काउंटर पर ही जहाँ तक संभव हो, उसी दिन संशोधित करके/आवश्यक जवाब दे कर वापिस कर दिया जाएगा ।

9.10 आवेदनों का समयबद्ध निपटान

क्षेत्रीय प्राधिकारी आवेदनों को शीघ्रता से निपटाएंगे। आवेदनों को निपटाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित समय सारणी को अपनाया जाएगा बशर्ते कि आवेदन हर तरह से पूर्ण हो और उसके साथ निर्धारित दस्तावेज संलग्न हों :

क्रमांक	आवेदन की श्रेणी	निपटान हेतु समय सीमा (कार्य दिवसों में)
i)	आयातक निर्यातक कोड संख्या	2
ii)	अग्रिम प्राधिकार पत्र जहां निविष्टि-उत्पादन मानदण्ड को अधिसूचित किया गया है या प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 4.07 के अधीन है, वार्षिक आवश्यकता हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र और डी एफ आई ए	3
iii)	निविष्टि-उत्पादन मानदंडों का निर्धारण	120
iv)	ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों का निर्गम	3
v)	रत्न और आभूषण स्कीम के तहत सभी प्राधिकार पत्र	3
vi)	प्राधिकार पत्र की पुनर्वैधता तथा क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा निर्यात दायित्व अवधि में वृद्धि	3
vii)	बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता की स्वीकृति	3
viii)	प्राधिकार पत्र/डीएफआईए का मोचन/ निर्यात दायित्व निष्पादन प्रमाण-पत्र	15
ix)	निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल का मोचन और	30
x)	स्तर प्रमाण पत्र जारी करना/नवीकरण करना	3
xi)	किसी भी श्रेणी के प्राधिकार पत्र का संशोधन	3
xii)	विविध	10
xiii)	मान्य निर्यात के अधीन डी बी के/टी ई डी की वापसी	30
xiv)	शुल्क वापसी के लिए ब्राण्ड दर का निर्धारण	30
xv)	अध्याय 3 की स्कीम	3

उपर्युक्त सभी मामलों में, दिनों की संख्या की गणना सम्पूर्ण आवेदन पत्र जमा करने की तिथि से की जायेगी। आवेदनों के निपटान में अनुचित देरी के मामलों को क्षेत्रीय कार्यालयों के अध्यक्ष की जानकारी में लिखित रुप से लाया जायेगा और शीघ्रता से इसकी जांच की जायेगी और उत्तर दिया जायेगा।

9.11 आयात के संबंध में पोतलदान/प्रेषण की तारीख

आयात के लिए पोतलदान/प्रेषण की तारीख का हिसाब इस प्रकार लगाया जायेगाः-

क्रम सं.	परिवहन का माध्यम	पोतलदान/प्रेषण की तारीख
(i)	समुद्र मार्ग द्वारा	लदान-पत्र पर अंकित तारीख
(ii)	वायु मार्ग द्वारा	सम्बद्ध एयरवे बिल की तारीख बशर्ते कि इससे उस तारीख का पता चलता हो जब माल ने अपने देश जहाँ से आयात किया गया के अंतिम हवाई अड्डे को छोड़ा हो।
(iii)	स्थल-रुद्ध देशों से	प्रेषण आधार के माध्यम से भारत में खेप भेजने वाले को रेल, सड़क या अन्य मान्यता प्राप्त परिवहन के साधन द्वारा प्रेषण की तारीख।
(iv)	डाक पार्सल द्वारा	पैकेटों या प्रेषण नोट पर प्रेषण कार्यालय की स्टैम्प की तारीख
(v)	पंजीकृत कुरियर सेवा द्वारा	कुरियर रसीद/वे बिल पर अंकित तारीख
(vi)	बहु आयामी परिवहन	लदान-पत्र के संयुक्त परिवहन में पहले वाहन से सामान सौंपने की तारीख

9.12 निर्यात के संबंध में पोतलदान/प्रेषण की तारीख

(क) निर्यात के लिए पोतलदान/प्रेषण की तारीख का हिसाब इस प्रकार लगाया जायेगाः-

	परिवहन का माध्यम	शिपमेंट/प्रेषण की तारीख
(i)	समुद्री मार्ग द्वारा	(क) बल्क कार्गो के लिए, लदान-पत्र की तारीख या मेट रसीद की तारीख, जो भी बाद की हो। (ख) कंटेनर-युक्त कार्गो के लिए, ''जहाज पर लदान बिल'' या ''लदान के जहाज-लदान-बिल के लिए प्राप्त की'' तारीख जहाँ एल/सी में ऐसे लदान-पत्र की व्यवस्था है। अन्तर्देशीय कंटेनर डिपा (आई सी डी) से कंटेनरों द्वारा निर्यात के लिए, सीमाशुल्क निकासी के पश्चात आई सी डी में निर्यात माल के लदान के समय शिपिंग एजेंटों द्वारा जारी किए गए लदान-पत्र की तारीख। (ग) लैश बार्जेज के लिए, लदान-पत्र की तारीख जिसमें जहाज पर निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के लदान का प्रमाण हो।
(ii)	वायु मार्ग द्वारा	उपयुक्त सीमा-शुल्क अधिकारी द्वारा पोतलदान बिल पर उल्लिखित तारीख, जिसमें लदान या वायु कार्गो

		काम्पलैक्स, जो अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे नहीं है, को माल सौंपने का या उड़ान संख्या और तारीख का प्रमाण हो।
(iii)	डाक पार्सल द्वारा	डाक रसीद पर अंकित तारीख।
(iv)	रेल द्वारा	आर आर (रेलवे रसीद) की तारीख।
(v)	पंजीकृत कूरियर सेवा द्वारा	कुरियर रसीद/माल-सूची पर अंकित तारीख।
(vi)	सड़क मार्ग द्वारा	भूमि सीमा-शुल्क प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित भारतीय सीमा से माल बाहर जाने की तारीख।

(ख) तथापि, जहाँ कहीं प्रक्रिया/नीति सम्बंधी उपबंधों को निर्यातकों के अहित में संशोधित किया गया है, तो इस सार्वजनिक सूचना/अधिसूचना की तारीख तक जाँच के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारी को पहले से ही सौंपी गई खेपों और बाद में निर्यातों पर लागू नहीं होंगे ।

(ग) इसी प्रकार, ऐसे मामलों में जहाँ निर्यात दायित्व अवधि की समाप्ति से पहले माल सीमाशुल्क प्राधिकारियों को सौंप दिया जाता है, किन्तु वास्तविक निर्यात, निर्यात दायित्व की अवधि की समाप्ति के बाद किए जाते हैं, तो ऐसे निर्यातों पर निर्यात दायित्व अवधि के भीतर विचार किया जाएगा और निर्यात दायित्व की पूर्ति मानी जाएगी।

(घ) तथापि, विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत लाभों हेतु अनुमत निर्यात आदेश (एलईओ) की तिथि निर्यात की गणना की तिथि होगी।

9.13 पुनरीक्षा का सामान्य अधिकार

महानिदेशक, विदेश व्यापार स्वयं या अन्यथा, ईपीसी/एफआईईओ के किसी अधिकारी, जिसमें उसके द्वारा नामित व्यक्ति, नियुक्त या प्राधिकारियों का समूह/समिति शामिल है, के पास लम्बित पड़े किसी मामले या उसके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा तय किए गए मामले के रिकार्ड मंगा सकता है और ऐसे आदेश पारित कर सकता है जिसे वह उपयुक्त समझे।

शब्दावली (संक्षिप्त अक्षर)

संक्षिप्त अक्षर	पूर्णाक्षर
एए	अग्रिम प्राधिकार पत्र
एएएनएफ	परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र
एसीयू	एशियाई निकासी संघ
एईजैड	कृषि निर्यात क्षेत्र
एएनएफ	आयात निर्यात प्रपत्र
एआरई-1	निर्यात (हवाई/समुद्री/डाक/स्थल द्वारा) के लिए उत्पाद शुल्क लगाये जाने योग्य वस्तुओं को हटाए जाने के लिए आवेदन-पत्र
एआरई-3	फैक्टरी से अथवा एक गोदाम से अन्य गोदाम में से उत्पाद शुल्क लगाए जाने योग्य वस्तुओं का हटाए जाने के लिए आवेदन-पत्र
एसीपी	मान्यता प्राप्त ग्राहक कार्यक्रम
एईओ	प्राधिकृत इकानामिक ऑपरेटर
एईएस	अनुमोदित निर्यातक स्कीम
एपीडा	कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
एआरओ	अग्रिम निकासी आदेश
आसियान	दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन
एएसआईडीई	निर्यात के मूलभूत विकास हेतु राज्यों को सहायता
एयू	वास्तविक प्रयोगकर्ता
बीसीडी	मूल सीमाशुल्क
बीजी	बैंक गारंटी
बीआईएफआर	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
बीओए	अनुमोदन बोर्ड
बीओटी	व्यापार बोर्ड
बीआरसी	बैंक वसूली प्रमाण-पत्र
बीटीपी	जैव प्रौद्योगिकी पार्क
बीआईएस	भारतीय मानक ब्यूरो
सीबीईसी	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड
सीसीपी	सीमा शुल्क निकासी परमिट
सीईए	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी
सीईसी	चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाण पत्र
सीईडी	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
सेनवैट	केन्द्रीय मूल्य वर्धक कर
सीईटीएफ	सामान्य बहिस्त्राव उपचार सुविधा
सीएफसी	सामान्य सुविधा केन्द्र
सीजीएसटी	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर
सीजी	पूंजीगत माल
सीआईएफ	लागत, बीमा और भाड़ा
सीआईएन	कम्पनी पहचान संख्या
सीआईएस	स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल
सीकेडी	संम्पूर्णता खराब हुए

सीओडी	सुपुर्दगी पर भुगतान
सीओओ	मूल का प्रमाणपत्र
सीक्यूसीटीडी	गुणवत्ता की शिकायतों और व्यापार विवादों पर समिति
सीआरईएस	मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण का प्रमाणपत्र
सीएसटी	केन्द्रीय बिक्री कर
सीआरईएस	मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण का प्रमाणपत्र
सीईपीए	व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते
सीबीईसी	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड
सीएसपी	सामान्य सेवा प्रदाता
सीईसीए	व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता
सीवीडी	काऊंटरवेलिंग शुल्क
डीए	स्वीकृति पर दस्तावेज
डीबीके	शुल्क वापसी
डीसी	विकास आयुक्त
डीडीए	डायमंड डॉलर खाता
डीईए	आर्थिक मामलों में विभाग
डीईएल	अस्वीकृत इकाई सूची
डीईएस	शुल्क में छूट स्कीम
डीएफआईए	शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र
डीजीसीआईएण्डएस	महानिदेशक, वाणज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी
डीआईएन	निदेशक पहचान संख्या
डीपीआईएन	निर्दिष्ट साझेदार पहचान संख्या
डीजीएफटी	विदेश व्यापार महानिदेशालय
डीआईपीपी	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
डीओबीटी	जैव प्रौद्योगिकी विभाग
डीओसी	वाणिज्य विभाग
डीईआईटी वाय	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रोद्योगिकी विभाग
डीओआर	राजस्व विभाग
डीओटी	दूरसंचार विभाग
डीआरएस	शुल्क में छूट स्कीम
डीटीए	घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र
ईबीआरसी	इलेक्ट्रानिक बैक वसूली प्रमाणपत्र
ईआईईसी	इलेक्ट्रानिक आयातक-निर्यातक कोड
ईसीए	इलेक्ट्रानिक-सह-अधिनिर्णय
ईडीआई	इलेक्ट्रानिक आंकड़ों का परस्पर अंतरण
ईसीजीसी	निर्यात क्रेडिट गांरटी निगम
ईईएफसी	विनिमय अर्जक विदेशी मुद्रा
ईएफसी	एक्जिम सुविधा समिति
ईएफटी	इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण
ईजीएम	निर्यात संबंधी सामान्य घोषणा पत्र
ईएचटीपी	इलैक्ट्रोनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क
ईआईसी	निर्यात निरीक्षण परिषद्
ईओ	निर्यात दायित्व
ईओडीसी	निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र
ईओपी	निर्यात दायित्व अवधि

ईओयू	निर्यातोन्मुख एकक
ईपीसी	निर्यात संवर्धन परिषद
ईपीसीजी	निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल
ईपीओ	इंजीनियरी प्रक्रिया आऊटसोर्सिंग
एक्जिम	निर्यात आयात
एफडीआई	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
एफई	विदेशी मुद्रा
एफईएमए	विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम
एफआईईओ	भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ
एफआईआरसी	फोरेन एक्सचेंज इन्वर्ड रेमिटेन्स सर्टिफिकेट
एफओबी	फ्री ऑन बोर्ड
एफओआर	सड़क और रेल पर माल ढुलाई
एफटी (डी एंड आर) एक्ट	विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992(1992 का 22)
एफटीडीओ	विदेश व्यापार विकास अधिकारी
एफटीपी	विदेश व्यापार नीति
एफटी(आर) नियमावली	विदेश व्यापार (विनियमन) नियम
एफटीडब्ल्यूजैड	मुक्त व्यापार और भंडारण क्षेत्र
एफटीए	मुक्त व्यापार समझौते
जीएण्डजेईपीसी	रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद
जीओआई	भारत सरकार
जीएटीएस	सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता
जीआर	प्राप्ति की गारंटी
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
एचएसीसीपी	खतरा, विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण प्रक्रिया
एचबीपी	प्रक्रिया पुस्तक
एचएचईसी	हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम
आईसीबी	अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली
आईसीडी	अंतर्देशीय कंटेनर डिपो
आईसीएम	भारतीय वाणिज्यिक मिशन
आईईसी	आयातक निर्यातक कोड
आईजीएसटी	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर
आईएसओ	अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन
आईएईए	अंतरराष्ट्रीय परमाणु उर्जा एजेंसी
आईएनएफसीआईआरसी	अंतरराष्ट्रीय परमाणु उर्जा एजेंसी की जानकारी परिपत्र
आईईएम	औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन
आईएमएससी	आंतर मंत्रालयी स्थायी समिति
आईएल	औद्योगिक लाइसेंसिंग
आईएसओ	अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन
आईटीसी (एचएस)	निर्यात और आयात मदों के लिए भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुसंगत प्रणाली)
केवीआईसी	खादी और ग्रामोद्योग आयोग
एलसी	क्रेडिट का पत्र
एलसीएस	भूमि सीमा शुल्क स्टेशन
एलएलपीआईएन	सीमित देयता साझेदारी संख्या

एलपीजी	तरलीकृत पेट्रोलियम गैस
एलओसी	लाइन ऑफ क्रेडिट
एलओआई	आशय पत्र
एलओपी	परमिट पत्र
एलयूटी	विधिक वचनबद्धता
एमएआई	बाजार पहुँच पहल
एमडीए	बाजार विकास सहायता
एमईए	विदेश मंत्रालय
एमईआईएस	भारतीय स्कीम से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात
एमआरए	परस्पर मान्यता समझौते
एमओडी	रक्षा मंत्रालय
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
एमएसएमईडी	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास
एमएसटीसी	धातु स्क्रैप व्यापार निगम
एनबीएफसी	गैर बैंकिग वित्तीय कम्पनी
एनसी	मानदण्ड समिति
एनएफई	निवल विदेशी मुद्रा
एनआई	गैर उल्लंघनकारी
एनसीबी	राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली
एनओसी	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
पीडीएस	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पीईसी	भारतीय परियोजना एवं उपस्कर निगम लिमिटेड
पीआईसी	नीतिगत व्याख्या समिति
पीआरसी	नीतिगत छूट समिति
पीएएन	स्थायी खाता संख्या
पीएच	व्यक्तिग सुनवाई
पीटीए	तरजीही व्यापार समझौता
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
आरएण्डडी	अनुसंधान एवं विकास
आरए	क्षेत्रीय प्राधिकारी
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरसीएमसी	पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र
आरईपी	प्रतिपूर्ति
आरपीए	रुपये अदायगी क्षेत्र
एस/बी	पोत लदान बिल
एसएडी	विशेष अतिरिक्त शुल्क
स्कोमेट	विशेष रसायन आर्गेनिज्म, मैटीरियल्स, उपस्कर एवं प्रौद्योगिकी
एसईआईसीएमएम	सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंस्टीट्यूटस कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल
एसईजैड	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसईआईएस	भारत स्कीम से सेवा निर्यात
एसजीएसटी	राज्य वस्तु एवं सेवा कर
एसआईए	औद्योगिक सहायता सचिवालय
एसआईआईसी	राज्य औद्योगिक अवसंरचना निगम
एसआईओएन	मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड

एसकेडी	अर्द्ध खराब
एसएलईपीसी	राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति
एसटीसी	राज्य ट्रेडिंग निगम
एसटीसीएल	मसाला ट्रेडिंग निगम लिमिटेड
एसटीई	राज्य व्यापार उद्यम
एसटीएच	स्टार व्यापार सदन
एसटीपीआई	सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क ऑफ इंडिया
एसटीआर	राज्य व्यापार क्षेत्र
एसयूवी	स्पोटर्स यूटीलिटी व्हीकलस
टीईडी	अंतिम उत्पाद शुल्क
टीईई	निर्यात उत्कृष्टता के शहर
टीएच	व्यापार सदन
टीपीओ	व्यापार संवर्धन संगठन
टीआरए	टेलीग्राफिक रिलीज एडवाइस
टीआरक्यू	प्रशुल्क दर कोटा
टीयूएफएस	प्रौद्योगिकी उन्नयन फंड स्कीम
यूएसी	यूनिट अनुमोदन समिति
यूएन	संयुक्त राष्ट्र
वीए	मूल्यवर्धन
डब्ल्यूसीओ	विश्व सीमाशुल्क संगठन
डब्ल्यूएचओजीएमपी	विश्व स्वास्थ्य संगठन माल विनिर्माता क्रियाकलाप